

▶ भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
Central Council of Indian Medicine



वार्षिक प्रतिवेदन
2016-17

ANNUAL REPORT
2016-17



वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
61-65, इन्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार,
61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

संगठन चार्ट





भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली

वर्ष 2016–2017 का वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना असाधारण भाग-II धारा 3 (II) दिनांक 10.08.1971 के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है। भारत सरकार द्वारा उक्त राजपत्र में समय-समय पर संशोधन करते हुए सदस्यता में परिवर्तन किया गया है।



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मुख्य प्रयोजन निम्न हैं :-

- भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तिब्ब और सोवा रिग्पा शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति की चिकित्सीय अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में मान्यता (समावेश/से मान्यता को वापिस लिए जाने) से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना।
- भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों के लिए आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति के नये महाविद्यालय स्थापित करने, स्नातकीय, स्नातकोत्तर उपाधि एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता बढ़ाने एवं नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या अतिरिक्त विषयों में पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पर विचार करना व भारत सरकार को अनुशंसाए भेजना।

स्थापना वर्ष 1971 से ही केन्द्रीय परिषद् स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी तिब्ब की पाठ्यविधि एवं पाठ्य विवरण सहित विभिन्न विनियमों को बनाती एवं लागू करती रही है।

परिषद् द्वारा स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तर पर निम्न पाठ्यक्रम पहले से ही विहित किए जा चुके हैं। परिषद् द्वारा आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी तिब्ब हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक तथा पाठ्य विवरण भी विहित किए गए हैं :-

आयुर्वेद

आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	5-1/2 वर्ष
आयुर्वेद वाचस्पति (एम.डी. आयुर्वेद)	3 वर्ष
आयुर्वेद धन्वन्तरि (एम.एस.आयुर्वेद)	3 वर्ष
आयुर्वेद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (विषय विशेष)	2 वर्ष

यूनानी तिब्ब

कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडीसन एण्ड सर्जरी)	5-1/2 वर्ष
माहिर-ए-तिब्ब (एम.डी.यूनानी)	3 वर्ष
माहिर-ए-जराहत (एम.एस.यूनानी)	3 वर्ष
यूनानी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (विषय विशेष)	2 वर्ष

सिद्ध

सिद्ध मरुथ्वा अरिग्नर (बैचलर ऑफ सिद्ध मेडीसन एण्ड सर्जरी)	5-1/2 वर्ष
सिद्ध मरुथ्वा पेरिग्नर (एम.डी.सिद्ध)	3 वर्ष
सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (विषय विशेष)	2 वर्ष

भारतीय चिकित्सा पद्धति के समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध है। ये महाविद्यालय भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर तथा पाठ्यविधि एवं पाठ्य-विवरण का अनुसरण कर रहे हैं।



भारत सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग के संशोधन के अनुसरण में, केन्द्रीय परिषद् को भारत सरकार के समक्ष अनुशंसाएं प्रेषित करनी थी। तदनुसार, वर्ष 2016-17 हेतु छात्रों के प्रवेश हेतु शिक्षण एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारण करने तथा अंतिम परिदर्शन के पश्चात् महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुपालन का तथा महाविद्यालयों द्वारा किए गए विकास का सत्यापन करने हेतु समस्त आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया। परिदर्शन प्रतिवेदनो की समीक्षा की गई तथा इन पर विचार किया गया, जिसके बाद भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने भारत सरकार को अनुशंसाएं प्रेषित की। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात् तथा यदि आवश्यक हो तो, साथ-साथ सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् भारत सरकार ने प्रवेश हेतु महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान की/ नहीं की।

इस सम्बन्ध में, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष 2016-17 के लिए आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन पर विचार करते समय भारत सरकार को स्नातकीय तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा धारा 13ग/13क के अधीन अनुमति प्रदान करने/ अनुमति प्रदान न करने हेतु, जैसा मामला हो, अनुशंसा भेजने हेतु भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 हेतु पत्रांक आर.11011/01/2016-ई.पी. (आई.एम.-1), आर.11011/01/2016-ई.पी. (आई.एम.-1) तथा आर.11011/01/2016-ई.पी. (आई.एम.-1)भाग-1 दिनांक 12.08.2016, 31.08.2016 तथा 27.09.2016 के द्वारा अग्रेषित निम्नलिखित नीतियों को अपनाया।

शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी (ए.एस.यू.) महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान करने अथवा अन्य हेतु दिनांक तक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सी.सी.आई.एम.) से प्राप्त परिदर्शन प्रतिवेदनों सहित प्रारंभिक प्राप्तियों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी महाविद्यालयों को सशर्त अनुमति प्रदान करने/प्रदान न करने के मामलों की प्रक्रिया हेतु न्यूनतम मानक अपेक्षाओं (एम.एस.आर.) के निम्नलिखित तीन मानदंडों में छूट प्रदान करने हेतु तथा आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी के महाविद्यालयों हेतु न्यूनतम मानक अपेक्षाओं विनियमों के अधीन सशर्त अनुमति के खंड को स्वीकार करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय लिया गया तथा यह छूट मात्र शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु ही लागू होगी तथा शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु लागू नहीं होगी।

“शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु धारा 13 ग/13क के अधीन आयुर्वेद सिद्ध, यूनानी महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान करने/प्रदान न करने के मामलों पर कार्रवाई हेतु नीतिगत निर्णय

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी (ए.एस.यू.) महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान करने अथवा अन्य हेतु दिनांक 22.07.2016 तक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सी.सी.आई.एम.) से प्राप्त परिदर्शन प्रतिवेदनों सहित प्रारंभिक प्राप्तियों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी महाविद्यालयों को सशर्त अनुमति प्रदान करने/प्रदान न करने के मामलों की प्रक्रिया हेतु न्यूनतम मानक अपेक्षाओं (एम.एस.आर.) के निम्नलिखित मानदंडों में छूट प्रदान करने हेतु तथा आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी के महाविद्यालयों हेतु न्यूनतम मानक अपेक्षाओं विनियमों के अधीन सशर्त अनुमति के खंड को स्वीकार करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय लिया गया तथा यह छूट मात्र शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु ही लागू होगी तथा शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु लागू नहीं होगी।



- उपस्कर एवं उपकरण : सत्र 2016-17 हेतु सम्बन्धित न्यूनतम मानक अपेक्षाओं की अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट कम से कम 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्कर एवं सामान्य तथा विविध उपकरणों की 60 प्रतिशत की उपलब्धता अपेक्षित होगी पर कुल अपेक्षा के 40% तक की छूट होगी अर्थात् सत्र 2015-16 हेतु 60% अपेक्षा विच्छेदक है। तथापि, महाविद्यालयों से 31 दिसम्बर, 2015 तक उपस्कर की कुल अपेक्षा के 90% की पूर्ति करना अपेक्षित होगा। आयुर्वेद हेतु कुल 271 {217 (289 अनिवार्य का 75 प्रतिशत)+ 54 (90 सामान्य एवं विविध का 60 प्रतिशत)} तथा यूनानी हेतु कुल 268 {215 (286 अनिवार्य का 75 प्रतिशत) + 53 (89 सामान्य एवं विविध का 60 प्रतिशत)}, यद्यपि, महाविद्यालय को 31 दिसम्बर, 2016 तक उपस्करों की कुल अपेक्षा के 90 प्रतिशत को पूरा करना आवश्यक होगा।
- अंशकालिक शिक्षक : 2016-17 हेतु न्यूनतम मानक अपेक्षाओं की अनुसूची V की टिप्पणी में यथा विनिर्दिष्ट कुल अपेक्षा में से न्यूनतम अंशकालिक शिक्षकों की उपलब्धता अनिवार्य होगी।
- विभागों में कम से कम एक शिक्षक की उपलब्धता :
 - आयुर्वेद एवं सिद्ध महाविद्यालयों हेतु :** साठ तक अथवा इक्सठ से सौ तक की सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को न्यूनतम मानक विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट 14 विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक पात्र शिक्षक रखना होगा।
 - यूनानी महाविद्यालयों हेतु :** इक्सठ से सौ तक की सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले यूनानी महाविद्यालयों को न्यूनतम मानक विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट 14 विभागों के स्थान पर 12 विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक पात्र शिक्षक रखना होगा।
 - उच्च संकाय :** न्यूनतम मानक अपेक्षाओं की अनुसूची V में यथा विनिर्दिष्ट उच्च संकायों की उपलब्धता पर निम्नवत् छूट होगी :
- उच्च संकाय :** न्यूनतम मानक अपेक्षाओं की अनुसूची V में यथा विनिर्दिष्ट उच्च संकायों की उपलब्धता पर निम्नवत् छूट होगी :
 - आयुर्वेद एवं सिद्ध महाविद्यालयों हेतु :** साठ तक की सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को न्यूनतम 7 विभागों में वितरित कम से कम 12 उच्च संकाय (आयुर्वेद तथा सिद्ध न्यूनतम मानक अपेक्षाओं में यथा विनिर्दिष्ट) रखने होंगे। इक्सठ से सौ तक की सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को न्यूनतम 10 विभागों में वितरित कम से कम 19 उच्च संकाय (आयुर्वेद तथा सिद्ध न्यूनतम मानक अपेक्षाओं में यथा विनिर्दिष्ट) रखने होंगे।
 - यूनानी महाविद्यालयों हेतु :** साठ तक की सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को न्यूनतम 6 विभागों में वितरित कम से कम 11 उच्च संकाय (यूनानी न्यूनतम मानक अपेक्षाओं में यथा विनिर्दिष्ट 12 उच्च संकायों के स्थान पर) रखने होंगे। इक्सठ से सौ तक की सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को न्यूनतम 9 विभागों में वितरित कम से कम 17 उच्च संकाय (यूनानी न्यूनतम मानक अपेक्षाओं में यथा विनिर्दिष्ट 19 उच्च संकायों के स्थान पर) रखने होंगे।

नोट किया जाए कि शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी के महाविद्यालयों को सशर्त अनुमति प्रदान करने/प्रदान करने हेतु अन्य अनिवार्य अपेक्षाओं पर बिना किसी छूट के भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 तथा संबंधित विनियमों जिनमें आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी के संबंधित न्यूनतम मानक अपेक्षाओं विनियम भी सम्मिलित है, के अनुसार विचार किया जाएगा।
- सत्र 2016-17 हेतु न्यूनतम मानक अपेक्षाओं के अधीन पात्रता के मानदंड में उपर्युक्त छूट हेतु विचार मात्र ऐसे सभी अपूर्ण महाविद्यालयों द्वारा एक वचनबंध प्रस्तुत किए जाने पर ही किया जायेगा कि वे पूर्वोक्त अधिनियम एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निश्चित रूप से 31 दिसम्बर, 2016 से पूर्व इन मानदंड में कमियों को पूरा कर लेंगे। अगले शैक्षिक सत्र 2017-18 हेतु अनुमति के लिए मामले पर विचार करने के लिए इस संबंध में ऐसे महाविद्यालयों द्वारा किए गए अनुपालन तथा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी के महाविद्यालयों तथा संलग्न अस्पतालों हेतु सम्बन्धित न्यूनतम मानक विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट समस्त पात्रता मानदंडों के अनुपालन की पुष्टि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा अपने आप कराये गये निरीक्षण/परिदर्शन के माध्यम से की जायेगी। उन महाविद्यालयों को, जिन्हें उपर्युक्त अनुच्छेद 1 में किसी छूट के लिए वचनबंध प्रस्तुत करना है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से इसे विनिर्दिष्ट फार्मेट में तथा रीति से निश्चित समय अवधि में प्रस्तुत करने को कहा जायेगा।
- इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर (पी.जी.) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी महाविद्यालयों हेतु समस्त तीन स्नातकोत्तर शिक्षा विनियम अधिसूचना के अधीन हैं। शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान करने/अनुमति प्रदान न करने हेतु स्वीकार किये गए नीतिगत निर्णय को शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु निम्नवत् बढ़ा दिया गया :-

(क) स्नातकीय पाठ्यक्रम वाली स्नातकोत्तर संस्थाओं हेतु :-

- (i) **शिक्षक :-** स्नातकीय (यू.जी.) के अतिरिक्त शिक्षकों की अपेक्षा सम्बन्धित विभाग में 1 उच्च संकाय (प्राध्यापक अथवा प्रवाचक) + 1 व्याख्याता तथा शिक्षक - छात्र अनुपात (1:3 प्राध्यापक, 1:2 प्रवाचक हेतु तथा 1:1 व्याख्याता हेतु)
- (ii) **अस्पताल में शय्याएं :-** आयुर्वेद/सिद्ध के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों हेतु न्यूनतम 100 शय्याओं का अस्पताल तथा यूनानी के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों हेतु न्यूनतम 75 शय्याओं का अस्पताल + स्नातकीय छात्रों की प्रवेश क्षमता (60 सीटों तक अथवा 61 से 100 सीटों तक) हेतु शय्याओं की कुल अपेक्षा के अतिरिक्त प्रत्येक स्नातकोत्तर नैदानिक सीटों हेतु 1:4 का छात्र शय्या अनुपात।
- (iii) **औसत उपस्थिति :-** स्नातकीय छात्रों की प्रवेश क्षमता हेतु अपेक्षाओं के अनुसार बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की औसत उपस्थिति सम्बन्धित न्यूनतम मानक अपेक्षाएं विनियमों में यथा निर्दिष्ट।
- (iv) **अंतः रोगी विभाग :** अंतः रोगी विभाग में न्यूनतम 50% शय्या अधिभोग तथा
- (v) **अन्य प्रावधानों की पूर्ति :** सम्बन्धित स्नातकोत्तर शिक्षा विनियमों के अन्तर्गत स्टॉफ की अपेक्षा जैसे गैर-शिक्षण स्टॉफ, नैदानिक निबन्धक इत्यादि को सम्मिलित करते हुए।

(ख) केवल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं हेतु :-

- (i) **शिक्षक :-** ऐसे संस्थान को जिनमें स्नातकीय पाठ्यक्रम नहीं है, सम्बन्धित विषय विशेष का 1 प्राध्यापक अथवा प्रवाचक +1 व्याख्याता रखना होगा तथा छात्र-शय्या अनुपात (प्राध्यापक हेतु 1:3, प्रवाचक हेतु 1:2, व्याख्याता हेतु 1:1) की पूर्ति करनी होगी।
 - (ii) **अंतः रोगी विभाग में शय्याएं :-** 1:4 के छात्र-शय्या अनुपात के आधार पर शय्याओं की संख्या न्यूनतम 75 तथा नैदानिक स्नातकोत्तर सीटों की संख्या की गणना की जानी चाहिए।
 - (iii) **शय्या अधिभोग :-** अंतः रोगी विभाग में शय्या अधिभोग न्यूनतम 50%,
 - (iv) बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन 100 रोगियों की औसत उपस्थिति, तथा
 - (v) **अन्य प्रावधानों की पूर्ति** सम्बन्धित स्नातकोत्तर शिक्षा विनियमों के अन्तर्गत स्टॉफ की अपेक्षा जैसे गैर-शिक्षण स्टॉफ, नैदानिक निबन्धक इत्यादि को सम्मिलित करते हुए।
4. शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी महाविद्यालयों के संबंध में अनुमति प्रदान करने / अनुमति प्रदान न करने हेतु अपनी अनुसंधान तथा प्रतिवेदन अग्रेषित करते समय इन अपेक्षाओं पर केन्द्रीय सरकार के उपर्युक्त नीति निर्णय पर विचार करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से अनुरोध किया गया है। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी महाविद्यालयों हेतु संबंधित न्यूनतम मानक अपेक्षाओं तथा स्नातकीय/स्नातकोत्तर विनियमों के अनुसार समस्त अपेक्षाओं पर विचार किया जाना है।
 5. इसके अतिरिक्त, सशर्त अनुमति प्रदान करने/प्रदान न करने हेतु अपनाएं गए इस नीति निर्णय को सभी सम्बन्धित महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों को सम्प्रेषित करने हेतु तथा साथ ही विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु इसे परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु भी भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से अनुरोध किया गया है।
 6. इसके अतिरिक्त, यह भी अनुरोध है कि निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी के समस्त महाविद्यालयों से सम्प्रेषण किया जाए:
 - (i) दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 से शिक्षण, गैर शिक्षण एवं अस्पताल के स्टॉफ हेतु वैब आधारित कम्प्यूटरीकृत बायोमैट्रिक उपस्थिति का अनुरक्षण किया जाएगा।
 - (ii) दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 से बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग में वैब आधारित कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण पद्धति का अनुरक्षण किया जाएगा।" शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु धारा 13ग/13क के अन्तर्गत आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी महाविद्यालयों हेतु अनुमति प्रदान करने/प्रदान न करने के मामलों पर कार्रवाई हेतु नीतिगत निर्णय।
 - (iii) मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.08.2016 का संदर्भ लें। पत्र के पृष्ठ 2 पर अनुच्छेद 1 के बिन्दु iv को निम्नवत् पढा जा सकता है :-



"iv उच्च संकाय : न्यूनतम मानक अपेक्षाओं की अनुसूची V में यथा विनिर्दिष्ट उच्च संकायों की उपलब्धता पर निम्नवत् छूट होगी :

- (i) आयुर्वेद एवं सिद्ध महाविद्यालयों हेतु : साठ तक की सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को न्यूनतम 7 विभागों (आयुर्वेद तथा सिद्ध न्यूनतम मानक अपेक्षाओं में यथा विनिर्दिष्ट 11 के स्थान पर) में वितरित कम से कम 12 उच्च संकाय (आयुर्वेद तथा सिद्ध न्यूनतम मानक अपेक्षाओं में यथा विनिर्दिष्ट) रखने होंगे तथा महाविद्यालय 4 विभागों में उच्च संकाय के स्थान पर एक अतिरिक्त व्याख्याता उपलब्ध कराएगा। इक्सठ से सौ तक की सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को न्यूनतम 10 (आयुर्वेद तथा सिद्ध न्यूनतम मानक अपेक्षाओं में यथा विनिर्दिष्ट 14 के स्थान पर) विभागों में वितरित कम से कम 19 उच्च संकाय (आयुर्वेद तथा सिद्ध न्यूनतम मानक अपेक्षाओं में यथा विनिर्दिष्ट) रखने होंगे तथा महाविद्यालय 5 विभागों में उच्च संकाय के स्थान पर एक अतिरिक्त व्याख्याता उपलब्ध कराएगा।
- (ii) यूनानी महाविद्यालयों हेतु : साठ तक की सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को न्यूनतम 6 विभागों (यूनानी न्यूनतम मानक अपेक्षाओं में यथा विनिर्दिष्ट 11 के स्थान पर) में वितरित कम से कम 11 उच्च संकाय (यूनानी न्यूनतम मानक अपेक्षाओं में यथा विनिर्दिष्ट 12 उच्च संकायों के स्थान पर) रखने होंगे तथा महाविद्यालय 5 विभागों में उच्च संकाय के स्थान पर एक अतिरिक्त व्याख्याता उपलब्ध कराएगा। इक्सठ से सौ तक की सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को न्यूनतम 9 विभागों (यूनानी न्यूनतम मानक अपेक्षाओं में यथा विनिर्दिष्ट 14 के स्थान पर) में वितरित कम से कम 17 उच्च संकाय (यूनानी न्यूनतम मानक अपेक्षाओं में यथा विनिर्दिष्ट 19 उच्च संकायों के स्थान पर) रखने होंगे तथा महाविद्यालय 5 विभागों में उच्च संकाय के स्थान पर एक अतिरिक्त व्याख्याता उपलब्ध कराएगा।

2. समसंख्यक पत्र दिनांक 12.08.2016 के अन्य अंश समान रहेंगे।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



“स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने अथवा प्रारंभ करने हेतु आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी (ए.एस.यू.) महाविद्यालयों के लिए नीतिगत निर्णय।

“स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने अथवा प्रारंभ करने हेतु आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी (ए.एस.यू.) महाविद्यालयों के लिए नीतिगत निर्णय। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह निर्णय लिया गया है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने अथवा प्रारंभ करने हेतु आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी (ए.एस.यू.) महाविद्यालयों के लिए संबंधित पद्धति की न्यूनतम मानक अपेक्षाओं विनियम की 100 प्रतिशत अपेक्षाएं पूरी करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु आवेदन करते समय निम्नलिखित को प्रस्तुत करना होगा :-

पिछले तीन वर्षों (बैचों) के स्नातकीय छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत का निष्पादन।

क्या महाविद्यालय का संलग्न अस्पताल एन.ए.बी.एच. प्रत्यायित है अथवा नहीं ?

2. इसके अतिरिक्त, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एतद्वारा समस्त संबंधित महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकार से इस नीतिगत निर्णय को सम्प्रेषित करने का तथा इसे विस्तृत प्रचार हेतु परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का भी अनुरोध करती है।
3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका को तैयार करना और उसका रख-रखाव केन्द्रीय परिषद् के मुख्य कार्यों में से एक है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के प्रावधानानुसार केन्द्रीय परिषद् विहित पद्धति में भारतीय चिकित्सा की एक पंजिका अनुरक्षित कर रही है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम हैं जो किसी भी भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में समाविष्ट मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई भी रखते हैं। भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण और उसका अद्यतन करना एक अनवरत प्रक्रिया है।



भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका परिषद् की वेबसाईट www.ccimindia.org पर प्रदर्शित की जा चुकी है, अतः चिकित्साभ्यासी भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में अपना नाम प्रमाणित कर सकते हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान, निम्न राज्यों की केन्द्रीय पंजिका को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए भारत के राजपत्र भाग III अनुभाग IV में अधिसूचित किया गया :-

वर्ष अप्रैल, 2016-मार्च 2017 हेतु अधिसूचित केन्द्रीय पंजिका

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अवधि
1.	पश्चिम बंगाल	1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014
2.	गोवा	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015
3.	बिहार	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015
4.	मध्य प्रदेश	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015
5.	झारखण्ड	प्रारम्भ से 31 मार्च 2015 तक
6.	पंजाब	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015
7.	छत्तीसगढ़	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015
8.	उड़ीसा	4 नवम्बर 2013 से 31 मार्च 2015
9.	हिमाचल प्रदेश	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015
10.	गुजरात	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015
11.	राजस्थान	1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015
12.	तमिलनाडु (सिद्ध)	1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2012
13.	कर्नाटक (लोप)	प्रारम्भ से 31 मार्च 2009 तक
14.	हरियाणा	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015
15.	कर्नाटक	1 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2013

वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों को कुल 418 केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में उनके नाम के सम्मिलित होने के आधार पर जारी किए गए।

प्रशासनिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संरचना

दिनांक 31.03.2017 को केन्द्रीय परिषद् के निम्न सदस्य थे :-

1. आयुर्वेद

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. डा. मल्लु प्रसाद | 2. डा. गजेन्द्र भराली |
| 3. डा. बसन्त कुमार सिंह | 4. डा. मंतोष कुमार झा |
| 5. डा. सुभाष चन्द्र वर्मा | 6. डा. प्रजापति त्रिपाठी |
| 7. डा. शिव नारायण द्विवेदी | 8. डा. भरतकुमार खोदाभाई बोधरा |
| 9. डा. कमलेश चंदुलाल राजगोर | 10. डा. अशोक कुमार शर्मा |
| 11. डा. नरेन्द्र कुमार | 12. डा. गुरुलिंगानागौडावासनगौड़ा पाटिल |
| 13. डा. गौडर अमरगौड़ा महंतगौड़ा | 14. डा. राजशेखर शंकरप्पा गानीगर |
| 15. डा. सुरेन्द्र पटेल | 16. डा. थोराट दन्यानेश्वर एकनाथ |

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 17. डा. सरदेशमुख सदानंद प्रभाकर | 18. डा. वाघ सूर्यकिरण परशुराम |
| 19. डा. सावंत आशानंद इन्द्रकुमार | 20. डा. देवपुजारी जयंत यशवन्त |
| 21. डा. संजीव कुमार गोयल | 22. वैद्य जगजीत सिंह |
| 23. वैद्य रघुनन्दन शर्मा | 24. डा. वनिता आर |
| 25. डा. रमाकान्त शर्मा | 26. डा. हरि राम भदोरिया |
| 27. डा. फूल चन्द्र चौधरी | 28. डा. भृगुपति पाण्डे |
| 29. डा. सुधांशु दत्त शर्मा | 30. डा. मनोज कुमार मिश्रा |
| 31. डा. उमेश शुक्ला | 32. डा. डी. पी. दास |
| 33. वैद्य श्रीकान्त गुणवंतराव देशमुख | 34. प्रो. सत्य नारायण सिंह |
| 35. डा. राजेश कुमार शर्मा | 36. डा. सूर्याशु दत्त शर्मा |
| 37. डा. आर. आर. चौधरी | 38. डा. जागेश्वर प्रसाद चौरसिया |
| 39. डा. बी. आर. रामाकृष्ण | 40. डा. नंदिनी विजय |
| 41. डा. रमेश बाबू देवल्ला | 42. प्रो. कुलवंत सिंह |
| 43. डा. निरंजन सिंह त्यागी | 44. डा. मुकेश शर्मा |
| 45. वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा | 46. डा. श्रीमती रागनी राजन पाटिल |
| 47. डा. गनी के. मंसूरी | 48. डा. रमेश कृष्ण देशमुख |
| 49. डा. एस. सारंगपाणि | 50. डा. श्रीनिवास के बन्नीगोल |
| 51. डा. एम. मोहन अल्वा | 52. डा. प्रो. एम. आर. वी. नम्पुतिरी |
| 53. डा. स्वपन कुमार भूनिया | 54. प्रो. (डा.) बट्टी प्रसाद शॉ |

2. यूनानी

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. डा. मदनपल्ली फसीर अहमद | 2. डा. तबरेज अख्तर |
| 3. डा. केतन पटेल | 4. डा. इलियास मजहर हुसैन |
| 5. डा. शमीम अहमद खान | 6. डा. शुहाबुद्दीन |
| 7. हकीम यूसुफ खलील हुसैनी | 8. डा. शेखजुबेर अहमद मोहम्मद इब्राहीम |
| 9. डा. अमित ओपलिश | 10. डा. आदम |
| 11. डा. मुश्ताक अहमद सी. | 12. डा. मोहम्मद हारून |
| 13. डा. अनवर सईद | 14. डा. सैय्यद आरिज अहमद कादरी |
| 15. प्रो. मोहम्मद आयूब | 16. प्रो. (श्रीमति) शगुफता अलीम |
| 17. डा. एम.डी. कलीमुर रहमान | 18. हकीम अजहर हसन |
| 19. डा. रक्षिंदा सुभानी | 20. प्रो. डा. मीर युसूफ अली |
| 21. प्रो. अनीस अहमद अंसारी | 22. डा. शाकिर जमील |

3. सिद्ध

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. डा. वी. बी. विजयकुमार | 2. डा. बी. मुथुकुमार |
| 3. डा. वी. अरुणाचलम | |



समितियां

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 9 (1) के अनुसार केन्द्रीय परिषद् की निम्न मुख्य समितियां हैं यथा :-

1. आयुर्वेद समिति
2. सिद्ध समिति
3. यूनानी समिति

उपर्युक्त समितियां भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) (ख) और (ग) के अधीन निर्वाचित/मनोनीत आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त हैं।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 उपधारा (2) के प्रावधानानुसार अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।

दिनांक 31.03.2017 को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. अध्यक्ष | डा. वनिता आर |
| 2. उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) | डा. उमेश शुक्ला |
| 3. उपाध्यक्ष (यूनानी) | प्रो. शगुपता अलीम |
| 4. उपाध्यक्ष (सिद्ध) | डा. वी. अरुणाचलम |

कार्यकारिणी समिति

अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के ढांचों में केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धान्तों के अनुरूप परिषद् के कार्यों का निष्पादन करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम, 1976 की धारा 6 के अनुरूप कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। भारतीय चिकित्सा की आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम, 1976 के खण्ड 6 (1) के अधीन उनकी अपनी-अपनी समितियों द्वारा किया जाता है।

दिनांक 31.03.2017 तक कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :-

- | | |
|--|---------|
| 1. डा. वनिता आर., अध्यक्ष, भा.चि.के.प. | अध्यक्ष |
| 2. डा. उमेश शुक्ला, उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) | सदस्य |
| 3. प्रो. शगुपता अलीम, उपाध्यक्ष (यूनानी) | सदस्य |
| 4. डा. वी. अरुणाचलम, उपाध्यक्ष (सिद्ध) | सदस्य |
| 5. डा. श्रीनिवास के. बन्नीगोल | सदस्य |
| 6. डा. प्रो.एम.आर.वी. नम्पुतिरी | सदस्य |
| 7. डा. थोराट दन्यानेश्वर एकनाथ | सदस्य |
| 8. प्रो. मोहम्मद आयूब | सदस्य |
| 9. डा. शेख जुबेर अहमद मोहम्मद इब्राहीम | सदस्य |
| 10. डा. वी.बी. विजयकुमार | सदस्य |

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एवं इसकी विभिन्न समितियों की बैठकें

वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित बैठकें हुई :-

1.	चयन समिति द्वारा गठित विधि परामर्शदाता के लिए वॉक इन इन्टरव्यू	1.4.16
2.	नई दिल्ली में हुई पात्र शिक्षकों को कूट संख्या जारी करने के संबंध में उप-समिति की बैठक।	6.7.4.16
3.	आयुर्वेद शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए इण्डियन इन्टरनेशनल सेन्टर में हुई बैठक	9.4.16
4.	नई दिल्ली (आयुष सभागार) में हुई भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की 55वीं (विशेष) बैठक।	11.12.4.16
5.	नई दिल्ली में हुई भा.चि.के.प. में सहायक सचिव (प्रशासन) के पद के लिए उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक।	13.4.16
6.	नई दिल्ली में हुई विधि परामर्शदाता (अनुबन्ध के आधार पर) के लिए वॉक इन इन्टरव्यू।	19.4.16
7.	डा.जगजीत सिंह, सदस्य, भा.चि.के.प. को हवाई यात्रा की अनुमति के मामले की जांच के लिए गठित समिति की बैठक।	25.4.16
8.	भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कारण बताओं नोटिस के सम्बन्ध में मामले की जांच करने के लिए अध्यक्ष द्वारा गठित समिति की बैठक।	25.4.16
9.	नई दिल्ली में हुई छानबीन समिति की बैठक।	27.4.16
10.	नई दिल्ली में हुई छानबीन समिति की बैठक।	27.4.16
11.	भा.चि.के.प. की वैबसाइट के पंजीकरण एवं अद्यतन सम्बन्धित मामले पर चर्चा करने हेतु बैठक।	27.4.16
12.	नई दिल्ली में हुई छानबीन समिति (आयुर्वेद एवं सिद्ध) की बैठक।	28.4.16
13.	वैबसाइट से सम्बन्धित मामले पर चर्चा करने हेतु बैठक।	28.4.16
14.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 228वीं बैठक।	29.4.16
15.	डॉ. पी. आर. शर्मा, सचिव, भा.चि.के.प. के संबंध में पूछताछ प्रतिवेदन की जांच करने हेतु नई दिल्ली में हुई अध्यक्ष, भा.चि.के.प. द्वारा गठित उप-समिति की बैठक।	3.5.16
16.	आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध महाविद्यालय एवं अस्पताल विनियम, 2016 के न्यूनतम मानक और अपेक्षाओं पर चर्चा के लिए बैठक।	8.5.16
17.	भा.चि.के.प.के कार्यालय में नई दिल्ली में हुई परिदर्शन प्रपत्र ऑन लाइन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में मामले पर चर्चा करने के लिए गठित उप-समिति की बैठक।	12.5.16
18.	भा.चि.के.प., नई दिल्ली के कार्यालय में भा.चि.के.प. द्वारा गठित पूछताछ समिति की बैठक।	11-12.4.16
19.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 229वीं बैठक।	20.5.16
20.	आयुर्वेद की सुनवाई समिति की बैठक।	23.5.16
21.	यूनानी की सुनवाई समिति की बैठक।	23-24.4.16
22.	अनुपालन और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु महाविद्यालय को एक अवसर प्रदान करने के लिए गठित सुनवाई समिति का समन्वय करने के लिए।	25.5.16
23.	नई दिल्ली भा.चि.के.प. कार्यालय में हुई पूछताछ समिति की बैठक।	25.5.16



24. नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम कार्यशाला को अंतिम रूप देने के लिए आयोजन समिति की बैठक। 26.5.16
25. भा.चि.के.प. नई दिल्ली के कार्यालय में हुई पूछताछ समिति की बैठक। 27.5.16
26. नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 230वीं बैठक। 7.6.16
27. भा.चि.के.प. नई दिल्ली के कार्यालय में हुई पूछताछ समिति की बैठक। 8.06.16
28. भा.चि.के.प.नई दिल्ली द्वारा गठित पूछताछ समिति की बैठक। 11.12.4.16
29. नई दिल्ली में हुई छानबीन समिति की बैठक। 10.6.16
30. नई दिल्ली में हुई भा.चि.के.प.की बैठक में गठित पूछताछ समिति की बैठक। 11.12.4.16
15.16.4.16
31. भा.चि.के.प. नई दिल्ली में हुई 23.05.2016 को सुनवाई के समय महाविद्यालय द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के लिए कार्यकारिणी समिति आयुर्वेद के सदस्यों की बैठक। 14.6.16
32. नई दिल्ली में हुई महाविद्यालय की सुनवाई समिति की बैठक। 15.16.4.16
33. स्थायी आदेशों के पुनरीक्षण हेतु उप-समिति की बैठक। 15.6.16
34. नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 230वीं स्थगित बैठक। 17.6.16
35. नई दिल्ली में हुई सोवा रिग्पा पाठ्यक्रमों की मान्यता के बारे में मामले पर चर्चा करने हेतु बैठक। 18.6.16
36. निरीक्षक के पद हेतु भर्ती नियम तैयार करने के लिए उप-समिति की बैठक। 20.6.16
37. नई दिल्ली में भा.चि.के.प. द्वारा गठित पूछताछ समिति की बैठक। 22.23.6.16
38. सिद्ध महाविद्यालयों की सुनवाई समिति की बैठक। 23.6.16
39. नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 230वीं द्वितीय स्थगित बैठक। 24.6.16
40. नई दिल्ली में हुई इन्सपेक्टर के पद हेतु भर्ती नियम तैयार करने के लिए बैठक। 24.6.16
41. एन.आई.ए. जयपुर में हुई विनियमों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अंतिम रूप देने एवं आयुर्वेद महाविद्यालयों के परिदर्शन हेतु परिदर्शको के नाम सुझाने हेतु गठित समिति की उपस्थिति। 1.2.3.7.16
42. भा.चि.के.प. नई दिल्ली में हुई मौजूदा स्नातकीय/स्नातकोत्तर न्यूनतम मानक अपेक्षाओं (यूनानी) के पुनरीक्षण हेतु कार्यशाला। 12.13.14.6.16
43. भा.चि.के.प. नई दिल्ली में हुई कार्यालयी कार्य हेतु बुलाए गए आयुर्वेद के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की बैठक। 14.15.6.16
44. नई दिल्ली में हुई डॉ. जगजीत सिंह के विरुद्ध पूछताछ समिति की बैठक। 15.7.16
45. सुनवाई समिति की बैठक।
46. यूनानी महाविद्यालयों (शेष) के संबंध में सुनवाई समिति की बैठक। 18.7.16
47. परिदर्शन कार्यक्रम (कट ऑफ डेट) के मामले पर चर्चा करने हेतु बुलाए गई कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की बैठक। 21.22.7.16
48. छानबीन समिति की बैठक। 25.7.16
49. सुनवाई समिति की बैठक। 26.7.16
50. कार्यालय के कार्य हेतु अध्यक्ष, भा.चि.के.प. द्वारा बुलाई गई कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की बैठक। 26.7.16
51. नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 231वीं बैठक। 27.7.16
52. कार्यालय के कार्य हेतु बुलाई गई कार्यकारिणी समिति की बैठक। 2.8.16

3.8.16 को जारी

53.	नई दिल्ली में हुई भा.चि.के.प. द्वारा 55वीं बैठक में गठित पूछताछ समिति की बैठक।	4-5.8.16
54.	भर्ती के पुनरीक्षण हेतु बैठक।	9.8.16
55.	आयुर्वेद समिति की बैठक।	10.11.8.16
56.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 232वीं बैठक।	11.8.16
57.	नई दिल्ली में हुई यूनानी समिति की बैठक।	11.8.16
58.	नई दिल्ली में हुई सिद्ध समिति की 53वीं बैठक।	11.8.16
59.	नई दिल्ली में हुई भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की 56वीं बैठक।	12.8.16
60.	भा.चि.के.प.नई दिल्ली में हुई आयुर्वेद महाविद्यालयों की सुनवाई समिति की बैठक।	21.24.8.16
61.	सुनवाई समिति की बैठक।	24.8.16
62.	बी.एस.एम.एस. अन्तिम वर्ष हेतु पाठ्यक्रम के प्रारूप को अंतिम रूप हेतु बैठक।	25.8.16
63.	सुनवाई समिति की बैठक।	26.8.16
64.	विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक।	26.8.16
65.	भारत सरकार द्वारा संशोधित प्रारूप विनियमों 2016 को अंतिम रूप देने के लिए बैठक।	26.8.16
66.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 233वीं बैठक।	27.8.16
67.	नई दिल्ली में हुई सिद्ध पाठ्यक्रम के स्नातक हेतु रूपान्तरित पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विवरण पर बैठक।	31.8.16
68.	कार्यालय में परिदर्शन संबंधी कार्य के संबंध में बैठक एवं सुनवाई समिति की बैठक।	31.8.16, वं 1.2.9.16
69.	सुनवाई समिति की बैठक।	7.8.9.16
70.	भा.चि.के.प. के कार्यालय में परिदर्शन प्रतिवेदन के मामले पर विचार करने हेतु उप-समिति की बैठक।	9.9.16
71.	परिदर्शन प्रपत्र भाग- II एवं III को तैयार करने और अंतिम रूप देने के लिए कार्यकारिणी समिति के आयुर्वेद सदस्यों की बैठक।	14.15.9.16
72.	महाविद्यालयों के मूल्यांकन के मद्देनजर कार्यकारिणी समिति के निर्णय में पाई गई विसंगतियों पर विचार करने के लिए दिनांक 27.08.2016 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में समिति द्वारा गठित उप-समिति की बैठक।	24.9.16
73.	भा.चि.के.प. के कार्यालय में परिदर्शन प्रतिवेदन के मामले पर विचार करने हेतु उप-समिति की बैठक।	4.10.16
74.	परिदर्शको के नाम सुझाने हेतु उप-समिति की बैठक।	5.10.16
75.	भा.चि.के.प. नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 234वीं बैठक।	8.10.16
76.	जे.टी.ए. (आयु), यूनानी एवं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति हेतु वॉक इन , इन्टरव्यू एवं चयन समिति की बैठक।	8.10.16
77.	उप समिति की बैठक।	20.10.16
78.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 235वीं बैठक।	21.10.16
79.	उपाध्यक्ष यूनानी का चुनाव।	24.10.16
80.	सिद्ध चिकित्सा पद्धति से कार्यकारिणी समिति के सदस्य का चुनाव।	24.10.16
81.	कार्यकारिणी समिति सदस्य (यूनानी) का चुनाव।	24.10.16
82.	भा.चि.के.प. नई दिल्ली में सोवा रिग्पा की शिक्षा को सरल एवं कारगर बनाने हेतु बैठक।	17.11.16
83.	नई दिल्ली में हुई आयुर्वेद की छानबीन समिति की बैठक।	17.11.16



84. धारा 13क के अन्तर्गत आयुर्वेद महाविद्यालयों के परिदर्शन के लिए गठित परिदर्शन टीम पुनरीक्षण के बारे में और परिदर्शको की सूची तैयार करने के संबंध नई दिल्ली में हुई उप-समिति (आयुर्वेद) की बैठक। 18.11.16
85. नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 236वीं बैठक। 18.11.16
86. लेखाकार के पद हेतु उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक। 18.11.16
87. भा.चि.के.प.नई दिल्ली के लिए नि.श्रे.लि. की भर्ती परीक्षा के लिए आल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गर्वमेन्ट, नई दिल्ली से प्राप्त पात्र उम्मीदवारों की सूची से नि.श्रे.लि. के अंतिम चयन तथा मामले की जांच करने हेतु चयन समिति की बैठक। 18.11.16
88. धारा 13क के अन्तर्गत यूनानी महाविद्यालयों के परिदर्शकों की सूची तैयार करने के संबंध में उप-समिति (यूनानी) की बैठक। 18.11.16
89. नई दिल्ली में हुई छानबीन समिति की बैठक। 14.15.12.16
90. नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 237वीं बैठक। 16.12.16
91. भा.चि.के.प. नई दिल्ली में क्लीनिकल रजिस्ट्रार और ई.एम.ओ. के सम्बन्ध में भर्ती नियम तैयार करने हेतु उप-समिति की बैठक। 5.1.17
92. भा.चि.के.प. नई दिल्ली में डा. एस.के. बन्नीगोल की अध्यक्षता में मिस भावना गावली की पुनरभिविन्यास के सम्बन्ध में उप-समिति की बैठक। 5.1.17
93. भा.चि.के.प. नई दिल्ली में डा. वनिता मुरलीकुमार, अध्यक्षता के दौरान परिषद की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में पूछताछ करने हेतु उप-समिति की बैठक। 5.1.17
94. भा.चि.के.प., के कार्यालय में परिदर्शकों की सूची तैयार करने हेतु धारा 13 क के अधीन परिदर्शित आयुर्वेद महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन की छानबीन करने के संबंध में छानबीन समिति की बैठक। 4.5.1.17
95. भा.चि.के.प. नई दिल्ली में श्री आयुर्वेद महाविद्यालय, हनुमान नगर, नागपुर, महाराष्ट्र के दिनांक 03-04.02.2014 को हुए परिदर्शन के दौरान परिदर्शको द्वारा किए गए व्यय संबंधी मामले पर उप-समिति की बैठक। 5.1.17
96. नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 238वीं बैठक। 6.1.17
97. धारा 13 क के अन्तर्गत परिदर्शन किए जाने वाले आयुर्वेद महाविद्यालयों के संबंध में उप-समिति की बैठक। 14.1.17
98. नीति आयोग के मामले पर चर्चा करने हेतु गठित समस्त कार्यकारिणी समिति सदस्यों की उप-समिति की बैठक। 1-2.2.17
99. भा.चि.के.प. नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 240वीं बैठक। 8.2.17
100. भा.चि.के.प. नई दिल्ली में हुई निर्धारित विनियमों के उल्लंघन में पूर्व शिक्षण अनुभव रखने वाले शिक्षकों के संबंध में कूट संख्या के आंबटन हेतु उप-समिति (यूनानी) की बैठक। 7.2.17
101. भा.चि.के.प. नई दिल्ली में हुई भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में आयुर्वेद भास्कर उपाधि 1982 तक को सम्मिलित करने के संबंध में दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उप-समिति की बैठक। 7.2.17

102.	भा.चि.के.प. नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 241वीं बैठक।	27.2.17
103.	भा.चि.के.प. नई दिल्ली के कार्यालय में हुई निर्धारित विनियमों के उल्लंघन में पूर्व शिक्षण अनुभव रखने वाले शिक्षकों के संबंध में सुनवाई समिति (यूनानी) की बैठक।	24.2.17
104.	भा.चि.के.प. के कार्यालय में धारा 13 क के अधीन आयुर्वेद महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन की छानबीन के संबंध में छानबीन समिति की बैठक।	22.2.17
105.	निबंधक-सह-सचिव, भा.चि.के.प. के पद हेतु प्राप्त आवेदनों की छानबीन करने हेतु अध्यक्ष, भा.चि.के.प. द्वारा गठित उप-समिति की बैठक।	23.2.17
106.	धारा 13 क के अधीन परिदर्शित यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन की छानबीन करने हेतु छानबीन समिति (यूनानी) की नई दिल्ली में हुई बैठक।	23.2.17
107.	भा.चि.के.प. नई दिल्ली में हुई भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन आयुर्वेद महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन की छानबीन के संबंध में छानबीन समिति की बैठक।	10-11.3.17
108.	निबंधक-सह-सचिव के पद हेतु प्राप्त आवेदनों की छानबीन हेतु बैठक।	11.3.17
109.	न्यूनतम मानक आपेक्षाओं आयुर्वेद, 2016 में संशोधन के सम्बन्ध में बैठक।	10-11.3.17
110.	अध्यक्ष, भा.चि.के.प. एवं उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) का चुनाव।	14.3.17
111.	आयुर्वेद समिति की 50वीं बैठक।	15.3.17
112.	यूनानी समिति की 55वीं बैठक।	15.3.17
113.	सिद्ध समिति की 54वीं बैठक।	15.3.17
114.	भा.चि.के.प. नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की 242वीं बैठक।	
115.	नई दिल्ली में हुई भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की 57वीं बैठक।	15-16.3.17





आयुर्वेद

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्सीय केन्द्रीय परिषद् के परामर्श से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में आयुर्वेद की निम्नलिखित चिकित्सीय अर्हताओं को वर्ष 2016-2017 के दौरान मान्यता दी/सम्मिलित किया तथा विश्वविद्यालय की मान्यता के साथ महाविद्यालय का नाम सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया :-

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संक्षेपाक्षर	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
1.	79ड. केएलई विश्वविद्यालय, बेलगांव	आयुर्वेद वाचस्पति आयुर्वेद धन्वन्तरी	बी.ए.एम.एस. एम.डी. (आयुर्वेद) एम.एस. (आयुर्वेद)	2015 से आगे केन्द्रीय सरकार द्वारा केएलई श्री बी.एम. कंकणवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगांव को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञाप्रदान करने के अध्यक्षीन। 1 जुलाई, 2012 से आगे केन्द्रीय सरकार द्वारा के एलई श्री बी.एम. कंकणवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगांव को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञाप्रदान करने के अध्यक्षीन।	का.आ. 1278(अ) दिनांक 15 मार्च 2016
2.	24 खग पंडित भगवत दयाल शर्मा, यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज, रोहतक, हरियाणा	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस.	2014 से आगे केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित कॉलेजों में प्रवेश के लिए दी गई अनुमति के अधीन रहते हुए, अर्थात :- 1. श्री बाबा मस्त नाथ आयुर्वेदिक कॉलेज, अस्थल बोहर, रोहतक 2. गौड़ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, ब्राह्मणवास, रोहतक। 3. मुरारीलाल रसिवसिया आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, चरखी दादरी, भिवानी 4. श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, उमरीरोड, कुरुक्षेत्र। 5. चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जगाधरी, यमुना नगर।	का.आ. 1279 (अ) दिनांक 22.03. 2016

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संक्षेपाक्षर	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
3.	91(92ठ 133 ('डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर',133	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी) आयुर्वेद वाचस्पति आयुर्वेद धन्वन्तरी	बी.ए.एम.एस. एम.डी. आयुर्वेद एम.एस. आयुर्वेद	2009 से आगे 2007 से आगे 2007 से आगे,91	का.आ. 1929(अ) दिनांक 25.05.2016
4.	43 गकन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम. एस.	2002 से 2012 तक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए की गई मंजूरी अनुज्ञा के अधीन रहते हुए, अर्थात:- 1. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, परियारम, कन्नूर 2. परस्सीनिकडवु आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, परस्सीनिकडवु, कन्नूर 2013 से आगेकेन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए की गई मंजूरी अनुज्ञा के अधीन रहते हुए, अर्थात :- 1. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, परियारम, कन्नूर 2. परस्सीनिकडवु आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, परस्सीनिकडवु, कन्नूर 3. पी एन पणिककर सौहर्षदा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, परकलाई, कन्हनगड, केरल	का.आ. 2668(अ) दिनांक 9 अगस्त 2016
		आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. आयुर्वेद	2006 से 2009 तक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद	



क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संक्षेपाक्षर	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
				द्वारा राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, परियारम, कन्नूर को प्रवेश देने के लिए मंजूरी की अनुज्ञा के अधीन रहते हुए।	
				2010 से आगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, परियारम, कन्नूर को प्रवेश देने के लिए मंजूरी की अनुज्ञा के अधीन रहते हुए।	
5.	पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस, कोलकाता	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस.	1 मई, 2010 से आगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए दी गई मंजूरी अनुज्ञा के अधीन रहते हुए, अर्थतः— <ul style="list-style-type: none">जे.बी. राय राज्य आयुर्वेदिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, 170-172, राजा दिनेंद्र स्ट्रीट, कोलकाता-700004 पश्चिम बंगाल	का.आ. 2583(अ) दिनांक 26 जुलाई 2016
		आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. आयुर्वेद	बेल्ली शंकरपुर राजीव गांधी स्मारक आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पताल, पोस्ट कुशडंगा, जिला-उत्तर 24-परगना, निकट रेलवे स्टेशन, कंकीनाडा-743126 पश्चिम बंगाल”	
				1 जनवरी, 2007 से आगे, <ul style="list-style-type: none">केन्द्रीय सरकार द्वारा स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान श्यामदास विद्या शास्त्र पीठ, 294/3/1, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड, कोलकाता-700009, पश्चिमी बंगाल को प्रवेश देने के लिए मंजूरी की अनुज्ञा के अधीन रहते हुए।”	
6.	पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ	बी.ए.एम.एस.	“1 मई, 2010 से आगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित	का.आ. 2583(अ) दिनांक

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संक्षेपाक्षर	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
	ऑफ हेल्थ साईंसिस, कोलकाता	आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)		महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए दी गई मंजूरी अनुज्ञा के अध्यक्षीन रहते हुए, अर्थत्:- <ul style="list-style-type: none"> जे.बी. राय राज्य आयुर्वेदिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, 170-172, राजा दिनेंद्र स्ट्रीट, कोलकाता-700004 पश्चिम बंगाल . बेल्ली शंकरपुर राजीव गांधी स्मारक आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पताल, पोस्ट कुशडंगा, जिला-उत्तर 24-परगना, निकट रेलवे स्टेशन, कंकीनाडा-743126 पश्चिम बंगाल । 	26 जुलाई 2016
7.	“117क पश्चिमी बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. आयुर्वेद	1 जनवरी, 2007 से आगे <ul style="list-style-type: none"> केंद्रीय सरकार द्वारा स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान श्यामदास विद्या शास्त्र पीठ, 294/3/1, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड, कोलकाता-700009, पश्चिमी बंगाल को प्रवेश देने के लिए मंजूरी की अनुज्ञा के अध्यक्षीन रहते हुए।” 	
8.	98इ उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून	“आयुर्वेद वाचस्पति” “आयुर्वेद धन्वन्तरी”	एम.डी. आयुर्वेद एम.एस. आयुर्वेद	नवम्बर 2015 से आगे, बशर्ते केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित महाविद्यालयों को प्रवेश के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई हो, अर्थात् :- <ul style="list-style-type: none"> ऋषिकुल राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पताल, हरिद्वार : उत्तरांचल आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रायपुर, देहरादून’ 	का.आ. 3105(अ) दिनांक 22.09.2016
9.	24खग पंडित भगवत दयाल	“आयुर्वेदाचार्य” (बैचलर ऑफ	बी.ए.एम.एस.	2014 से आगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित	का.आ. 3106(अ) दिनांक 22.09.2016



क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संक्षेपाक्षर	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
	शर्मा, यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज, रोहतक, हरियाणा	आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस	कॉलेजों में प्रवेश के लिए दी गई अनुमति के अधीन रहते हुए, अर्थात:- (i) श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज, अस्थल बोहर, रोहतक। (ii) गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, ब्राह्मणवास, रोहतक (iii) मुरारीलाल रसिवसिया आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, चरखी दादरी, भिवानी। (iv) श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, उमरी (v) चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जगाधरी, यमुना नगर। ",113,132 (vi) आयुज्योति आयुर्वेदिक हाविद्यालय और अस्पताल, जोधपुरिया, सिरसा, 139	
10.	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत, हरियाणा	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस	"2013 से आगे (बशर्त कि श्री मारूसिंह आयुर्वेदिक स्मारक संस्थान, खानपुर कलां, सोनीपत, हरियाणा को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवेश के लिए अनुमति दी जाए"	का.आ. 3071(अ) दिनांक 20.09.2016
11.	"88च. देश भगत विश्वविद्यालय मंडी गोबिन्दगढ़	आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. आयुर्वेद	फरवरी 2016 से आगे केन्द्रीय सरकार द्वारा देश भगत आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, अमलोह, जिला-फतेहगढ़ साहिब, पंजाब को प्रवेश देने के लिए अनुदत्त अनुज्ञा के अधीन रहते हुए"	का.आ. 2877(अ) दिनांक 30.08.2016

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संक्षेपाक्षर	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
12.	9 (54क. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी.ए.एम.एस	146("1975 से 1987 तक, यदि उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्हें भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिशद् की अनुज्ञा से राजकीय (स्वायत्त) आयुर्वेद महाविद्यालय निपानिया, रीवा में प्रवेश दिया गया था)"146	का.आ. 3576(अ) दिनांक 22.11.2016
		146("आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस	1988 से 2012 तक, यदि उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्हें भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिशद् की अनुज्ञा से राजकीय (स्वायत्त) आयुर्वेद महाविद्यालय निपानिया, रीवा में प्रवेश दिया था :	
		आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. आयुर्वेद	2013 से आगे, यदि उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्हें केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से राजकीय (स्वायत्त) आयुर्वेद महाविद्यालय निपानिया, रीवा में प्रवेश दिया गया था :	
				2005 से 2009 तक, यदि उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्हें भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिशद् की अनुज्ञा से राजकीय (स्वायत्त) आयुर्वेद महाविद्यालय निपानिया, रीवा में प्रवेश दिया गया था :	
				2010 से आगे, यदि उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्हें केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से राजकीय [स्वायत्त आयुर्वेद महाविद्यालय निपानिया, रीवा में प्रवेश दिया गया था.]146	
13.	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (डीम्ड यूनीवर्सिटी,, नागपुर	आयुर्वेदाचार्य	बी.ए.एम.एस	2012 से आगे, परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा महात्मा गांधी आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, सालोद (हीरापुर), वर्धा, महाराष्ट्र को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने के अध्यक्षीन रहते हुए।	का.आ. 3551(अ) दिनांक 15.11.2016



क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संक्षेपाक्षर	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
14.	छत्तीसगढ़ आयुश एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर	आयुर्वेदाचार्य	बी.ए.एम.एस.	2015 से आगे, परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित महाविद्यालयों को प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के अध्यक्षीन रहते हुए, अर्थात् :- 1. श्री नारायण प्रसाद अवस्थी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, राजयपुर 2. राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, चांदीखुरी, दुर्ग 3. छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, राज नंदगांव।	का.आ. 3552(अ) दिनांक 15.11.2016
		“आयुर्वेद वाचस्पति”	एम.डी. आयुर्वेद	2013 से आगे, परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री नारायण प्रसाद अवस्थी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने के अध्यक्षीन रहते हुए,	
		“आयुर्वेद धन्वन्तरी”	एम.एस. आयुर्वेद		
15.	63छ. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक	आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. आयुर्वेद	वर्ष 2009 के लिए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा निम्नलिखित कॉलेजों को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने के अध्यक्षीन रहते हुए, अर्थात्. 1. अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, 2062) नया, (सदाशिव पेठ, विजय नगर कॉलोनी, स्व. वैद्य एच.बी. पारांजपे, चौक, पुणे। 2. आयुर्वेद प्रसारक मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय, सियोन रेलवे स्टेशन के निकट, मुम्बई 3. आयुर्वेद सेवा संघ आयुर्वेद महाविद्यालय, गणेशवाडी पंचवटी, तालुक एवं जिला नाशिक	का.आ. 3412(अ) दिनांक 26.10.2016

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संक्षेपाक्षर	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
				4. भारतीय संस्कृत दर्शन ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, विश्वशांति धाम, ए/पी वघोली, तालूक हवेली, जिला पुणे।	
				5. छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण संस्था आयुर्वेद महाविद्यालय एवं रूग्णालय, कंचनवाडी, पैथन रोड, औरंगाबाद	
				6. दयाभाई मौजी मजीठिया आयुर्वेद महाविद्यालय, शिवाजी नगर, अर्नी रोड, जिला यवतमल	
				7. राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, वजीरबाद, तालुक एवं जिला नांदेड	
				8. राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, राजे रघुजी नगर उमर रोड, सक्करदारा चौक, नागपुर	
				9. राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, तुलजापुर रोड, उस्मानाबाद	
				10. महाराष्ट्र आरोग्य मंडल संचालित सुमति भाई आयुर्वेद महाविद्यालय मालवाडी, हडप्सर, तालुक हवेली, जिला पुणे	
				11. पूना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एसोसिएशन कॉलेज आयुर्वेद एवं रिसर्च सेंटर 25, निगदी, पूना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एसोसिएशन कॉलेज आयुर्वेद एवं रिसर्च सेंटर 25, निगदी, तालुक हवेली, जिला पुणे	
				12. आर.ए.पोद्दार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, डॉ.एनी बेसेन्ट रोड, वर्ली, मुम्बई	



क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संक्षेपाक्षर	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
				13. सेठ चांदमल मुथा अर्यगल विदयक महाविद्यालय, आई.टी. आई.रोड, गेंदामल, सतारा	
				14. सेठ गोविंदजी रावजी आयुर्वेद महाविद्यालय 21/ए/13, बुदवार पेठ, समरत चौकपेठ, समरत चौक, जिला शोलापुर।	
				15. श्री आयुर्वेद महाविद्यालय, धन्वन्तरि मार्ग नगर, नागपुर	
				16. श्री राधाकृष्ण तोशनीवाल आयुर्वेद महाविद्यालय, केदिया प्लाट्स, जथूर पेठ रोड, जिला अकोला	
				17. श्री विवेकानन्द नर्सिंग होम ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, श्री शिवाजी नगर, ए/पी राहूरी फैक्ट्री तालुक राहूरी, जिला अहमदनगर	
				18. श्रीमती कमला देवी गनूरीदत्त मित्रल पुनर्वासु आयुर्वेद महाविद्यालय, नेताजी सुभाष रोड, चेर्नी रोड (पश्चिम), जिला मुम्बई	
				19. तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, 583/2, रास्ता पेठ, पुणे।	
				20. विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय धन्वन्तरि नगर, क्षत्री तलाब रोड, तालुक एवं जिला अमरावती	
				21. यशवन्त आयुर्वेदिक कॉलेज स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान केन्द्र डाकघर कोडोली, तालुका पनहला, जिला कोल्हापुर	

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संक्षेपाक्षर	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
		“आयुर्वेद धन्वन्तरी”	एम.एस. आयुर्वेद	<p>2010 से आगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित कॉलेजों को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने के अध्यक्षीन रहते हुए, अर्थात :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, 2062 (नया), सदाशिव पेठ, विजयनगर कॉलोनी, स्व. वैद्य एच.बी. पारांजपे, चौक, पुणे 2. आयुर्वेद प्रसारक मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय, सियोन रेलवे स्टेशन के निकट, मुम्बई 3. आयुर्वेद सेवा संघ आयुर्वेद महाविद्यालय, गणेशवाडी पंचवटी, तालुक एवं जिला-नासिक 4. भारतीय संस्कृत दर्शन ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, विश्वशांति धाम, ए/पी वधोली, तालुक-हवेली, जिला पुणे 5. छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण संस्था आयुर्वेद महाविद्यालय एवं रूग्णालय, कंचनवाडी, औरंगाबाद 6. दयाभाई मौजी मजीठिया आयुर्वेद महाविद्यालय, शिवाजी नगर, अर्नी रोड, जिला यवतमल 7. डॉ.डी.वाई पाटिल विद्य प्रतिष्ठान सोसाइटी, डॉ.डी.वाई,पाटिल कॉलेज आफ आयुर्वेद एवं अनुसंधान केंद्र, पिम्परी,पुणे 8. राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, वजीरबाद, तालुक एवं 	



क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संक्षेपाक्षर	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
				जिला नांदेड	
9.				राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, राजे रघुजी नगर उमर रोड, सक्करदारा चौक, नागपुर	
10.				राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, तुलजापुर रोड, उस्मानाबाद	
11.				माननीय अन्ना साहेब डांगे आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं स्नातकोत्तर शिक्षण अनुसंधान केन्द्र, ए/पी अस्ता, तालुक बलवा, जिला सांगली	
12.				स्व. केदारी रेडेकर आयुर्वेद महाविद्यालय, पी-2, एमआईडीसी एरिया, शेन्ट्री मल, तालुक गांधीनगलॉज, जिला कोल्हापुर	
13.				लोकनेते राजारामबापू पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, स्नातकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र, उरून इस्लामपुर, सांगली रोड, तालुक वालवा, जिला सांगली	
14.				महाराष्ट्र आरोग्य मंडल संचालित सुमति भाई आयुर्वेद महाविद्यालय मालवाडी, हडप्सर, तालुक हवेली, जिला पुणे	
15.				पूना डिस्ट्रिक एजुकेशन एसोसिएशन कॉलेज आयुर्वेद एवं अनुसंधान केन्द्र, सेक्टर सं. 25, प्राधिकरण, निगदी, तालुक हवेली, जिला पुणे	
16.				आर.ए.पोद्दार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, डॉ.एनी बेसेन्ट रोड, वर्ली, मुम्बई	

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संक्षेपाक्षर	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
				17. सेठ चांदमल मुथा अर्यगल विदयक महाविद्यालय, आई.टी. आई.रोड, गेंदामल, सतारा	
				18. सेठ गोविंदजी रावजी आयुर्वेद महाविद्यालय 21/ए/13, बुदवार पेठ, समरत चौक, शोलापुर	
				19. श्री आयुर्वेद महाविद्यालय, धन्वन्तरि मार्ग नगर, नागपुर	
				20. श्री राधाकृष्ण तोशनीवाल आयुर्वेद महाविद्यालय, केदिया प्लाट्स, जथूर पेठ रोड, जला अकोला	
				21. श्री विवेकानन्द नर्सिंग होम ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, श्री शिवाजी नगर, ए/पी राहूरी फैक्ट्री तालुक राहूरी, जिला अहमदनगर	
				22. सिद्धकला आयुर्वेद महाविद्यालय पिम्पने रोड, संगमनेर, तालुक संगमनेर, जिला अहमदनगर	
				23. श्रीमती कमला देवी गनूरीदत्त मित्तल पुनर्वासु आयुर्वेद महाविद्यालय, नेताजी सुभाष रोड, जिला मुम्बई	
				24. तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, 583/2, रास्ता पेठ, पुणे	
				25. विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय धन्वन्तरि नगर, क्षत्री तलाब रोड, तालुक एवं जिला अमरावती	
				26. यशवन्त आयुर्वेदिक कॉलेज स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान	



क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संक्षेपाक्षर	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
				केन्द्र एवं डाकघर 416114 तालुका पनहला, जिला कोल्हापुर	
				27. येरला मेडिकल ट्रस्ट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्र, नवी मुम्बई	
16.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. आयुर्वेद	2005 से 2009 तक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा प्रवेश के लिए आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज, अजमल खां रोड, करोल बाग, नई दिल्ली को अनुमति प्रदान करने के अध्यक्षीन रहते हुए। 2010 से आगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवेश के लिए आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज, अजमल खां रोड, करोल बाग, नई दिल्ली को अनुमति प्रदान करने के अध्यक्षीन रहते हुए।	का.आ. 3414(अ) दिनांक 26 अक्टूबर 2016
17.	केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिस्सूर	“आयुर्वेद वाचस्पति” “आयुर्वेद धन्वन्तरी”	एम.डी. आयुर्वेद एम.एस. आयुर्वेद	अक्टूबर 2013 से आगे, यदि उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्हें केन्द्रीय सरकार की अनुमति से निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्रवेश दिया गया था, अर्थात : 1. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, परियारम, कन्नूर 2. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, त्रिपुनितुरा, एर्नाकुलम 3. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, तिरुवन्तपुरम, 4. वैद्यरत्नम पी.एस.वेरियर आयुर्वेद महाविद्यालय, कोट्टक्कल, मलप्पुरम।	का.आ. 3614(अ) दिनांक 23.11.2016

वर्ष 2016-17 हेतु धारा 13(क) के अंतर्गत नये प्रस्ताव

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13(क) एवं नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्राशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2003 के प्रावधानानुसार भारत सरकार, आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 75 प्रस्ताव, नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने/वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने हेतु 24 प्रस्ताव तथा विभिन्न महाविद्यालयों से प्राप्त 06 सम्मिलित स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर प्रस्ताव परिषद् को अग्रेषित किये गए। केन्द्रीय परिषद् ने सस्थाओं का निरीक्षण किया तथा इस परियोजना के अनुमोदन/निरनुमोदन हेतु आयुष मंत्रालय को अनुशंसाएं भेजी।

धारा 13 क के अधीन नये महाविद्यालय की स्थापना हेतु वर्ष 2016-2017 में प्राप्त हुए प्रस्ताव

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय पत्र संख्या एवं दिनांक सहित
1.	महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, 7 सुन्द्रा जी.ई. रोड, राजनंदगाँव	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारत सरकार द्वारा अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
2.	पारूल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एवं अनुसन्धान, पो.आ. लिम्डा, त.वघोडिया, गुजरात जिला वडोदरा-391760, गुजरात	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011 / 17 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
3.	भार्गव आयुर्वेद महाविद्यालय, विद्याग्राम, पोस्ट दहेमी, त.बोरसाड, जिला आनन्द-388560, गुजरात	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।
4.	मुरलीधर आयुर्वेद महाविद्यालय, भावनगर रोड, कालीपट, जिला राजकोट-360020 गुजरात	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 40 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारत सरकार द्वारा अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
5.	नोबल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान संस्थान, पार्थ वाटिका, भेसन रोड, वाया-वादल, ग्राम	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय पत्र संख्या एवं दिनांक सहित
	बामनगाम, जिला जूनागढ़-362310, गुजरात	करने के लिए संस्तुति की गई।	आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/28/2016- ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
6.	बच्चुभाई गोविन्दभाई गरैया आयुर्वेद महाविद्यालय, 8, कालीपट भावनगर हाइवे, आशापुर होटल के पीछे, जिला राजकोट-360020, गुजरात	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई। जबकि राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक वाईडी-102016-742-सीएचएच दिनांक 15.07.2016 और विश्वविद्यालय का सम्बन्धिकरण सहमति पत्र क्रमांक एसीएडी/60/ज्ञानज्योत/2016-17/2265 दिनांक 29.08.2016 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु प्राप्त हुआ।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/51/2016- ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
7.	आर.के. विश्वविद्यालय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, आर.के. विश्वविद्यालय कैम्पस, राजकोट भावनगर हाईवे, कस्तूरबा धाम, राजकोट-360020, गुजरात	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर.12011/21/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.04.2017
8.	नेत्र चिकित्सा आयुर्वेद महाविद्यालय, चिटल रोड, अमरेली-365601, गुजरात	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु (क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विश्वविद्यालय का सम्बन्धिकरण सहमति पत्र 60 सीटों के स्थान पर 50 सीटों हेतु प्राप्त हुआ) आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/32/2016- ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
9.	ग्लोबल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, राजकोट, भावनगर हाइवे, निकट गधका पतियू, जिला एवं ता.राजकोट, 8, तम्रबा गुजरात-360020	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/08/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय पत्र संख्या एवं दिनांक सहित
10.	अनन्य कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, कदवा पातीदार एजूकेशन एवं समाज सेवा ट्रस्ट, कृष कैम्पस, अहमदाबाद-मेहसाना हाइवे, कलोल, जिला गान्धीनगर-382721, गुजरात	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/22/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
11.	के.जे. इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एवं अनुसन्धान, के.जे. कैम्पस, सामने आई.टी.आई. जाव्ला, साल्की-391770, ता. साल्की, जिला वडोदरा	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेदमहाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/75/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 31.05.017
12.	श्रीराम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एवं रिसर्च ग्राम डिगरोटा, जिला मोहिन्दरगढ़, हरियाणा	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	भारत सरकार द्वारा अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
13.	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, अखनूर, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु (क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विश्वविद्यालय का सम्बन्धिकरण सहमति पत्र 60 सीटों के स्थान पर 50 सीटों हेतु प्राप्त हुआ) आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई। एफ न. आर. 12011/41/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
14.	मा कलावती आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, राजूलालु, नाकुम, रांची	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारत सरकार द्वारा अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
15.	श्री परिपूर्ण संस्थान आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय पत्र संख्या एवं दिनांक सहित
	केन्द्र, नं. 91, कैवलया सन्नीदाना, अर्जुनबेट्टाहल्ली, पोस्ट गौल्लाहल्ली, तालूक बेंगलूरु, कर्नाटक	स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/04/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.04.2017
16.	श्री मदकारी नायक आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जगलूर-577528 जिला दावनगेरे, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/48/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
17.	करावली आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, नीरा मार्ग, मंगलौर-575029, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/57/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
18.	एच.के.डी.इ.टी.एस. राजेश्वरी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, एन.एच.-9, वीरभद्रगिरी, सिन्देनकेरा क्रास, हुमनाबाद, जिला बीदर, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/95/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
19.	संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, विश्वाश्रम चेतना, बसवेश्वर नगर, गोकुल रोड, हुब्बली-580030, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/49/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
20.	श्री बीरेश्वर शिक्षण संस्थे, कृष्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सिरियन अस्पताल के पीछे, पुरा पीबी रोड, ग्राम/पोस्ट संकेश्वर-591313, तालूक हुक्केरी, जिला बेलगाम, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/62/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.06.2017

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय पत्र संख्या एवं दिनांक सहित
21.	रोजी रोयल इन्टरनेशनल आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, सर्वे नं. 2/2, ग्राम मल्लपुरा, नेलमंगला, गलौर-562162, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित (100 सीटों के स्थान पर) एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित (100 सीटों के स्थान पर) एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न.आर. 12011/43/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
22.	जैन अम्म आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम/पोस्ट नवग्रहतीर्थ वरूर, हुबली (टी), धारवाड़ (डी), वरूर-581207, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/60/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
23.	साम कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसिस एवं अस्पताल, ग्राम अगरिया चोपदा, भोपाल रोड, रायसेन, मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/24/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
24.	प्रसार आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जिरनिया नरसिंहगढ़ रोड, परवालिया, भोपाल, मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/74/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
25.	विजयश्री आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जेडीए स्कीम नं.41/65, ग्राम बसहा रैंगवा, निकट कचपुरा रेलवे स्टेशन, पोस्ट आफिस ग्रह मैन्, जबलपुर-482003, मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/01/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय पत्र संख्या एवं दिनांक सहित
26.	डिपार्टमेन्ट ऑफ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र, स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	भारत सरकार द्वारा अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
27.	लक्ष्मण सेठ आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम दिनारा, दी केरारा, जिला शिवपुरी 473665, मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/77/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 31.05.2017
28.	एल.एन. आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, भोपाल, जे.के. टाउन, सर्वधर्म, सी- सैक्टर, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित (100 सीटों के स्थान पर) एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/47/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
29.	श्री धन्वन्तरी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसिस एवं अस्पताल, द्वारा सर्ले फार्म हाउस, इन्दौर रोड, देवगांव, त.जिला बैतूल 260225, मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/71/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
30.	मिलेनियम आयुर्वेदिक कॉलेज, नाथु बरखेडा रोड, निकट नीलबाड चौराहा, भोपाल, मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/74/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
31.	श्री साई इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक अनुसन्धान एवं चिकित्सा, रानी अवंती बाई मार्ग, कोलार रोड, भोपाल 7462042, मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/10/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय पत्र संख्या एवं दिनांक सहित
32.	प्रमोद साल्वे आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय गढचिरोली, जिला गढचिरोली, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारत सरकार द्वारा अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
33.	भाउसाहेब मूलक आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान अस्पताल, प्लॉट नं. पी-73, आर एवं सी जोन, एमआईडीसी बूटीबोरी, नागपुर-441122 महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/78/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.04.2017
34.	डॉ. वेद प्रकाश पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान संस्थान गूट नं. 159, रेवगांव रोड, तालूक एवं जिला जलना महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर 12011/101/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.017
35.	स्वामी विवेकानन्द आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र, परगोंव, सुदरिक, श्रीगोंडा, अहमदनगर, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/99/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
36.	डॉ. राजेन्द्र गोडे आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, मर्दी रोड, अमरावती, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/45/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
37.	यूनिवर्सल आयुर्वेदिक महाविद्यालय, ग्राम बल्लोपुर, पो.आ. लालरू, तहसील डेराबस्सी, जिला मोहाली-140501, पंजाब	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारत सरकार द्वारा अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ।



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय पत्र संख्या एवं दिनांक सहित
38.	खालसा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम नांगल कलां, जिला मंसा-151505, पंजाब	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/103/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 06.07.2017
39.	श्री सत्य आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनुपुरा लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, पो.आ. पकबाडा, मोरादाबाद-244102, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/88/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
40.	कलावती आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र एवं अस्पताल, गोरहा, कासगंज-207123, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/80/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
41.	एफ.एस. आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, निकट बालाजी मन्दिर, शिकोहाबाद फिरोजाबाद-205135, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/34/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
42.	दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं दिव्य ज्योति अस्पताल, निवाडी रोड, मिदनापुर, जिला गाजियाबाद-201204, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/64/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
43.	दून आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम एवं पो.आ. सुन्दरपुर टंको, तहसील-बेहात, जिला सहारानपुर-247662, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया।

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय पत्र संख्या एवं दिनांक सहित
			एफ न. आर. 12011/92/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
44.	इशान आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र, प्लॉट नं. 1ए/1 एवं 1ए/2, नॉलेज पार्क-1, ग्रेटर नोएडा-201310 उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित (100 सीटों के स्थान पर) एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारत सरकार द्वारा अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
45.	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेदिक संस्थान, ग्राम कोइलाहा, पोस्ट सैयद सरया, जिला कौशम्बी-212213, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/14/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
46.	विन्ध्या गुरुकुल आयुष चिकित्सा महाविद्यालय, गोसाईपुर, चुनार, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारत सरकार द्वारा अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
47.	एसआरसी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, ग्राम रसूलपुर, पोस्ट मगोर्गा, जिला मथुरा-281001, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारत सरकार द्वारा अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
48.	एससीपीएम आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लखनऊ रोड, हरीपुर गौडा-271003, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारत सरकार द्वारा अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
49.	एसएस आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, रामेश्वर रोड, हरहुआ-221105, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/11/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 24.05.2017



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय पत्र संख्या एवं दिनांक सहित
50.	आईटीएम आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम जुगल दुधारी उर्फ चेहरी तापा कथरा, पोस्ट चेहरी, तहसील फरेन्दा, जिला महाराजगंज-273001, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/37/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
51.	संस्कृति आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, 28 कि.मी. स्टोन, छातम मथुरा, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारत सरकार द्वारा अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
52.	केवीएस इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसन्धान केन्द्र, मर्दापुर बक्शपुर, गाजीपुर-2745204, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/105/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.06.2017
53.	डॉ. अनार सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेवर रोड, फतेहगढ़ जिला, फर्रुखाबाद-209601, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/46/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
54.	अंकेरिटे आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम परवेर पुरब, पोस्ट मोहनलालगंज, लखनऊ 226301, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/15/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
55.	मा शारदा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पनवारी, गौहानिया, इलाहाबाद-212207, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/67/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय पत्र संख्या एवं दिनांक सहित
56.	भगवन्त आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं भगवन्त अस्पताल, भगवन्तपुरम 17वीं मिल स्टोन, बिजनोर दिल्ली हाईवे, ग्राम कोइलापुर जसमोर, तहसील जनसठ मुजफ्फरनगर 251315, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/09/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
57.	साइनाथ इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसन्धान केन्द्र, हिन्दवारी, सोनभद्रा 231216, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/96/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
58.	भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, ग्राम कुडेना, गजरौला जे.पी. नगर-244235, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारत सरकार द्वारा अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
59.	अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं अस्पताल, एन एच-7, मिर्जापुर वाराणसी रोड, समसपुर, चुनाव मिर्जापुर-231304, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/89/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
60.	एम.डी. आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, बाबरपुर, सिकन्दर आगरा-287007, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/06/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.06.2017
61.	एसएनएसके आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल भावराहन पाण्डेपुर राधे, गाजीपुर-233300, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/84/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय पत्र संख्या एवं दिनांक सहित
62.	साईनाथ विकास समिति, आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, कुंडोल, फतेहाबाद रोड, आगरा-282001, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/07/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
63.	डब्ल्यूटीएम आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम फतेहपुर माफी, पोस्ट पलौला जोया-सम्भल रोड, जिला अमरोहा-24422, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/03/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 31.05.2017
64.	झुंझुनवाला आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, हंसापुर, द्वारिकापुरी, सदर, फौजाबाद-224001, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/23/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 24.05.2017
65.	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसन्धान केन्द्र, कंकहा, रायबरेली रोड, मन्हन लालगंज, लखनऊ-226301, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/30/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
66.	एसकेएस आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/86/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 12.04.2017
67.	सुल्त आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र, शशिखाल, सुल्त, जिला अलमोडा-263676,	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय पत्र संख्या एवं दिनांक सहित
	उत्तराखण्ड	करने के लिए संस्तुति की गई।	आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/98/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
68.	बीहाईव आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सेन्ट्रल होपटाउन सेलाकी, देहरादून-248197, उत्तराखण्ड	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/63/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
69.	शिवालिक इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एवं अनुसन्धान, झाजरा, चकता रोड, देहरादून- 248007, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/56/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
70.	बिश्म्वर सहाय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र, रूड़की, उत्तराखण्ड	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/02/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.04.2017
71.	दून इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान, ग्राम शंकरपुर, शाहसपुर, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न. आर. 12011/13/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
72.	श्रीमती मंजिरा देवी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, रूकमणि नगर, हितानु धनारी उत्तरकाशी-249151, उत्तराखण्ड	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/81/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय पत्र संख्या एवं दिनांक सहित
73.	देव भूमि चिकित्सा महाविद्यालय ऑफ आयुर्वेद एवं अस्पताल, नवगांव मन्दुवाला, देहरादून-248007, उत्तराखण्ड	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 100 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/44/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
74.	स्वराज मुखर्जी मेमोरियल आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं मणि कमल अस्पताल, दिल्ली रोड निकट बेलुमोड, ऑफ सेरमपोर, पो.आ. बेलू मिल्की, जिला हूगली-712223, पश्चिम बंगाल	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 12011/91/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
75.	जेआईएस आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, नतुगराम, पो.आ. एवं थाना मोगरा, जिला हुगली-712148 पश्चिम बंगाल	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	भारत सरकार द्वारा अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

गारा 13 क के अधीन वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु/नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु (2016-2017)

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुसंशाएं	भारत सरकार से अनुमति
1.	श्री एनपीए गर्वमेन्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.इ. रोड, रायपुर-492010 ;छत्तीसगढ़ श्री एनपीए गर्वमेन्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.इ. रोड, रायपुर-492010 ;छत्तीसगढ़	निम्नलिखित 04 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) क्रियाशरीर, (ii) अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद, (iii) स्वस्थवृत्त एवं योगा और (iv) कौमारभृत्य एवं बालरोग शैक्षिक सत्र 2017-18 से प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से 04 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) क्रियाशरीर, (ii) अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद, (iii) स्वस्थवृत्त एवं योगा और (iv) कौमारभृत्य एवं बालरोग, 06 सीट प्रत्येक विषय में प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 14011/10/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुसंशाएं	भारत सरकार से अनुमति
2.	सिदरामप्पा डानीगोन्द मैमोरियल ट्रस्ट आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय पदमा आयुर्वेदिक अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, टरडल-587315, जिला बागलकोट, कर्नाटक	निम्नलिखित 05 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) कौमारभृत्य, (ii) कायचिकित्सा, (iii) पंचक्रम (iv) शल्यतंत्र और (v) प्रसूतितंत्र एवं स्त्रीरोग शैक्षिक सत्र 2017-18 से प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से 05 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) कौमारभृत्य, (ii) कायचिकित्सा, (iii) पंचक्रम (iv) शल्यतंत्र और (v) प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग, 05 सीट प्रत्येक विषय में प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 14011/27/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
3.	श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसिस एवं अनुसन्धान, 21 के.एम. कनकपुरा रोड, उदयपुरा पोस्ट, बंगलौर-560082 कर्नाटक	निम्नलिखित 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) शल्यतंत्र, (ii) प्रसूतितंत्र एवं स्त्रीरोग और (iii) कायचिकित्सा शैक्षिक सत्र 2017-18 से प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) शल्यतंत्र, (ii) प्रसूतितंत्र एवं स्त्रीरोग और (iii) कायचिकित्सा, 06 सीट प्रत्येक विषय में प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 14011/17/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
4.	श्री नारायण इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक स्टेडिज एवं अनुसन्धान आर, संकर नगर, पनगोडु, पुथुर, पो.आ. करीमपिनपुझा 691507, जिला कोल्लम केरल	निम्नलिखित 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) कायचिकित्सा और (ii) शल्यतंत्र शैक्षिक सत्र 2017-18 से प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित। (6 सीटों के स्थान पर)	शैक्षिक सत्र 2017-18 से 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) कायचिकित्सा और (ii) शल्यतंत्र, 06 सीट प्रत्येक विषय में प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 4011/07/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
5.	वैद्यरत्नम पीएस वरियर आयुर्वेद महाविद्यालय एदरीकोडे (पो.आ.)-676501, कोट्टक्कल जिला मालप्पुरम, केरल	निम्नलिखित 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) संस्कृत, संहिता सिद्धान्त और (ii) शल्यतंत्र (अस्थि संधि और मर्मगत रोग के स्थान पर)	शैक्षिक सत्र 2017-18 से 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) संस्कृत, संहिता सिद्धान्त और (ii) शल्यतंत्र (अस्थि संधि और



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुसंशाएं	भारत सरकार से अनुमति
		शैक्षिक सत्र 2017-18 से प्रत्येक विषय में 03 सीटों सहित।	मर्मगत रोग के स्थान पर) 03 सीट प्रत्येक विषय में प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 14011/23/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
6.	गर्वमेन्ट आयुर्वेद महाविद्यालय त्रिपुनीथुरा-682301, केरल	निम्नलिखित 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) प्रसूतितंत्र और (ii) कायचिकित्सा शैक्षिक सत्र 2017-18 से प्रत्येक विषय में 04 सीटों सहित।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) प्रसूतितंत्र और (ii) कायचिकित्सा 04 सीट प्रत्येक विषय में प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 14011/04/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
7.	पं खुशीलाल शर्मा राजकीय (ऑटोनोमस) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, मनित नेहरू नगर के पीछे, कोलार बाई पास रोड, साइंस हिल्स, भोपाल-462003, मध्य प्रदेश	निम्नलिखित 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) कायचिकित्सा और (ii) संहिता सिद्धान्त शैक्षिक सत्र 2017-18 से प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) कायचिकित्सा और (ii) संहिता सिद्धान्त 05 सीट प्रत्येक विषय में प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 14011/21/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
8.	अश्विनी रूरल आयुर्वेद महाविद्यालय मंची हिल्स, अश्वी बी.के. अश्वी, त. संगमनेर, जिला अहमदनगर-413714, महाराष्ट्र	निम्नलिखित 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) स्त्रीरोग प्रसूति तंत्र और (ii) बालरोग शैक्षिक सत्र 2017-18 से प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित। (क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विश्वविद्यालय का सम्बन्धिकरण सहमति पत्र 6 सीटों के स्थान पर 5 सीटों हेतु प्राप्त हुआ)	शैक्षिक सत्र 2017-18 से 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) स्त्रीरोग प्रसूति तंत्र और (ii) बालरोग 05 सीट प्रत्येक विषय (क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विश्वविद्यालय का सम्बन्धिकरण सहमति पत्र 6 सीटों के स्थान पर 5 सीटों हेतु प्राप्त हुआ) में प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 14011/19/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुसंशाएं	भारत सरकार से अनुमति
9.	श्री सप्तश्रंगी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, कमल नगर, हीरावाडी पंचवटी जिला नासिक-422003, महाराष्ट्र	निम्नलिखित 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) कायचिकित्सा (ii) शल्यतंत्र (सामान्य) और (iii) स्त्रीरोग एवं प्रसूति तंत्र शैक्षिक सत्र 2017-18 से प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) कायचिकित्सा (ii) शल्यतंत्र (सामान्य) और (iii) स्त्रीरोग एवं प्रसूति तंत्र 06 सीट प्रत्येक विषय में प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 14011/28/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
10.	एम.इ.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय, घनेकुन्ट लोते, तह. खेड, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र	निम्नलिखित 04 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) रचनाशरीर-04 सीट (ii) कायचिकित्सा-03 सीट (iii) पंचक्रम-03 सीट (iv) शल्यतंत्र सामान्य-04 सीट शैक्षिक सत्र 2017-18 .	शैक्षिक सत्र 2017-18 से 04 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) रचनाशरीर-04 सीट (ii) कायचिकित्सा-03 सीट (iii) पंचक्रम-03 सीट (iv) शल्यतंत्र सामान्य-04 सीट प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 14011/31/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.06.2017
11.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	निम्नलिखित 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त (ii) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान और (iii) शल्य तंत्र शैक्षिक सत्र 2017-18 से प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त (ii) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान और (iii) शल्य तंत्र 05 सीट प्रत्येक विषय में प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 14011/22/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 12.04.2017
12.	डीएमएम आयुर्वेद महाविद्यालय अर्नी रोड, शिवाजी नगर, यवतमल, महाराष्ट्र	निम्नलिखित 03 सीट स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) कायचिकित्सा शैक्षिक सत्र 2017-18 में 03 से 06 सीटों हेतु।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से 03 सीट स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) कायचिकित्सा में 03 से 06 सीटों हेतु आशय पत्र



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुसंशाएं	भारत सरकार से अनुमति
13.	डॉ.डी.वाई.पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र, सन्त तुकाराम नगर, पिम्परी, पुणे-411018, महाराष्ट्र	निम्नलिखित 02 सीटो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) प्रसूति एवं स्त्रीरोग 04 से 06 सीटों (ii) शल्य सामान्य 04 से 06 सीटों एवं 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगुण विज्ञान-06 सीट (ii) शालाक्य तंत्र (कर्णनासा सिरो) -04 सीटों हेतु शैक्षिक सत्र 2017-18।	जारी किया गया। एफ न. आर. 13011/19/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017 शैक्षिक सत्र 2017-18 से 02 सीटो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) प्रसूति एवं स्त्रीरोग 04 से 06 सीटों (ii) शल्य सामान्य 04 से 06 सीटों एवं 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगुण विज्ञान-06 सीट (ii) शालाक्य तंत्र (कर्णनासा सिरो) -04 सीटों के प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 13011/14/2016-ईपी (आई एम-1) और आर 14011/16/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
14.	पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थान एवं अनुसन्धान एसवीएसपी, 294/3/1, ए.पी. सी. रोड, कोलकाता-700009, पश्चिम बंगाल	निम्नलिखित सीट स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) कायचिकित्सा 04 से 07 सीटों (ii) द्रव्यगुण 02 से 06 सीटों एवं 01 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) पंचक्रम-02 सीट हेतु शैक्षिक सत्र 2017-18।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से 02 सीटो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) कायचिकित्सा 04 से 07 सीटों (ii) द्रव्यगुण 02 से 06 सीटों एवं 01 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) पंचक्रम-02 सीट के प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 13011/01/2016-ईपी (आई एम-1), आर. 13011/02/2016-ईपी (आई एम-1) और आर. 14011/01/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017

पारा 13 क के अधीन मात्र स्नातकीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु वर्ष 2016 में प्राप्त हुए प्रस्ताव

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुसंशाएं	भारत सरकार से अनुमति
1.	श्री धर्मस्थला मंजूनाथेश्वर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 75 से 100	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 75 से 100

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुसंशाएं	भारत सरकार से अनुमति
	अस्पताल, पी.बी.नं. 164, बी. एम. रोड, थन्नुरुहल्ला, हसन, कर्नाटक	सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 3011/09/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.04.2017
2.	अत्रेय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, काक्केहल्ली रोड, कडीगेहल्ली (पोस्ट) दोड्डाबल्लापुरा-561203, बंगलूरु रुरल, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 से 100 सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 से 100 सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 13011/22/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
3.	श्री कालीदास आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बनशंकारी रोड, बादामी-587201, जिला बागलकोट, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 40 से 60 सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 40 से 60 सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 13011/10/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
4.	श्री बाहुबली विद्यापीठ जे.वी. मण्डल ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, गुरुकुल कैम्पस, ग्राम/पोस्ट टरडल, तालूक जमखण्डी, जिला बागलकोट, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 से 60 सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 से 60 सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 13011/04/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.04.2017
5.	धन्वन्तरी आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, सिद्धपुर. 581355, नॉर्थ कनारा जिला कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 से 100 सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 से 100 सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 13011/08/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.04.2017
6.	गर्वमेन्ट आटोनोंमस आयुर्वेद महाविद्यालय गौरीघाट, जबलपुर-482001, मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 40 से 60 सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 40 से 60 सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 13011/11/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
7.	माननीय श्री अन्नासाहेब डांगे आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं पोस्ट	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 से 100 सीटें न बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 से 100 सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुसंशाएं	भारत सरकार से अनुमति
	ग्रेजुएट प्रशिक्षण अनुसन्धान केन्द्र, ग्राम/पोस्ट अष्टा, तह. वल्वा सांगली 416301, महाराष्ट्र	करने के लिए संस्तुति की गई।	किया गया। एफ न. आर. 13011/23/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
8.	हनुमान शिक्षण प्रसारक मण्डल सवर्दे आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय पेठ, वडगाँव, तालूका हतकनांगले, कोल्हापुर. 416112, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 से 60 सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 से 60 सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 13011/13/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.04.2017
9.	श्री आयुर्वेद महाविद्यालय, धन्वन्तरी मार्ग, हनुमान नगर, नागपुर-440009, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 70 से 100 सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 70 से 100 सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 13011/24/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 31.05.2017
10.	श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, चम्बल रोड, निकट राधा स्वामी डेरा, अमृतसर, पंजाब	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 से 60 सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 से 60 सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 13011/16/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017

सम्मिलित स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर प्रस्ताव 2016

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुसंशाएं	भारत सरकार से अनुमति
1.	बी.एल.डी.ई. एसोसिएशन एवीएस आयुर्वेद महाविद्यालय, विद्या नगर, बागलकोट रोड, बीजापुर-586109, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 से 100 सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) कौमारभृत्य और (ii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग सत्र 2017-18 से प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 से 100 सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) कौमारभृत्य और (ii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग, प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 13011/20/2016-ईपी (आई एम-1) एवं एफ न. आर. 14011/18/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.06.2017

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुसंशाएं	भारत सरकार से अनुमति
2.	लटथे एजुकेशन सोसायटी आचार्य देशभूषण आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम/पो.आ. बेडकीहल सामनेवाडी-591214, तालुक चिकोडी, जिला बेलगाम, कर्नाटक	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 से 60 सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) रचना शरीर (ii) शालाक्य तंत्र और (iii) कायचिकित्सा सत्र 2017-18 से प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 से 60 सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) रचना शरीर (ii) शालाक्य तंत्र और (iii) कायचिकित्सा, प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 13011/21/2016-ईपी (आई एम-1) एवं एफ न. आर. 14011/25/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.06.2017
3.	पीएनएनएम आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, शोरानूर, पो.आ. चेरुथुरुथी-679531, तालुक थालप्पील्ली, जिला थरिसूर, केरल	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 से 100 सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) कायचिकित्सा और (ii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग सत्र 2017-18 से प्रत्येक विषय में 04 सीटों सहित आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारत सरकार द्वारा अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
4.	श्री राधाकिशन तोशनीवाल आयुर्वेद महाविद्यालय, स्टेशन रोड, अकोला, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 से 60 सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित 01 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान 06 सीटों सहित सत्र 2017-18 से आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 से 60 सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित 01 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान 06 सीटों सहित आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. 13011/03/2016-ईपी (आई एम-1) एवं एफ न. आर. 14011/05/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.05.2017
5.	सेठ गोविन्दजी रावजी आयुर्वेद महाविद्यालय 21-ए/13, बुधवार पेठ, सम्राट चौक, जिला षोलापुर 413002, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 से 60 सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए	शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 से 60 सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम



क्र.सं महाविद्यालय का नाम

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुसंशाएं

भारत सरकार से अनुमति

6. श्री धन्वन्तरी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र, ग्राम सेमरी, तहसील छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश

संस्तुति की गई :

- (i) शालाक्य तंत्र-नेत्र रोग 03 सीटों सहित और
- (ii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग 03 सीटों सहित सत्र 2017-18 से आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।

शैक्षिक सत्र 2017-18 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 51 से 100 सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित 09 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई :

- (i) आयुर्वेद संहिता सिद्धान्त
- (ii) रचना शरीर
- (iii) क्रिया शरीर
- (iv) अगदतंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद
- (v) स्वस्थवृत्त
- (vi) कायचिकित्सा
- (vii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग
- (viii) शल्य तंत्र सामान्य और
- (ix) कौमारभृत्य प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित सत्र 2017-18 से आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।

- (i) शालाक्य तंत्र-नेत्र रोग और
- (ii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, प्रत्येक विषय में 03 सीटों सहित आशय पत्र जारी किया गया।
एफ न. आर. 13011/06/2016-ईपी (आई एम-1) एवं एफ न. आर. 14011/08/2016-ईपी (आई एम-1) आर. 14011/09/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.06.2017

शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 51 से 100 सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित 09 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

- (i) आयुर्वेद संहिता सिद्धान्त
- (ii) रचना शरीर
- (iii) क्रिया शरीर
- (iv) अगदतंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद
- (v) स्वस्थवृत्त
- (vi) कायचिकित्सा
- (vii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग
- (viii) शल्य तंत्र सामान्य और
- (ix) कौमारभृत्य, में 06 सीटों सहित आशय पत्र जारी किया गया।
एफ न. आर. 13011/20/2016-ईपी (आई एम-1) एवं
एफ न. आर. 14011/18/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.06.2017

धारा 13 क के अधीन गत वर्ष प्राप्त हुए महाविद्यालयों के प्रस्तावों हेतु अनुमति की स्थिति (अनुमति पत्र हेतु)

क्र.सं संस्थान का नाम

भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां

भारत सरकार से अनुमति

1. डॉ.एन.आर. शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, एमजी रोड, विजयवाडा-520002, अर्बन मण्डल जिला कृष्ण आन्ध्र प्रदेश

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु एवं वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 30 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी नहीं करने के लिए अनुसंशा की गई।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन सत्र 2015-16 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 30 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु :-

- (i) कायचिकित्सा
- (ii) प्रसूति तंत्र
- (iii) द्रव्यगुण प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित

क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
			अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई आर-14011/13/2015-ई.पी. (आई एम-1) एवं आर-13011/12/2015-ई.पी. (आई एम-1) दिनांक 21.11.2016
2.	नीतिश्वर आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बावन बिघा, कन्होली, पो.आ. रमणा मुजफ्फरपुर-842001, बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन निम्नलिखित 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु :- (I) कायचिकित्सा (ii) शालाक्य तंत्र (iii) पंचक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी नही करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन सत्र 2015-16 हेतु निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु :- (I) कायचिकित्सा (ii) शालाक्य तंत्र (iii) पंचक्रम प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई आर-14011/8/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 28.11.2016
3.	आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज एवं अस्पताल, अजमल खों रोड, करोल बाग-110005	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 40 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी नही करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 40 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-13011/32/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 02.11.2016
4.	जे.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय, कॉलेज रोड, जिला कैरा नान्देड-38700, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-13011/27/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 01.12.2016
5.	गर्वमेन्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, अजवा रोड, वडोदरा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन निम्नलिखित 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन सत्र 2015-16 हेतु निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर



क्र.सं संस्थान का नाम

भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां

भारत सरकार से अनुमति

- हेतु :-
(i) द्रव्यगुण
(ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी नहीं करने के लिए अनुसंशा की गई।
6. गर्वमेन्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, पंचेश्वर रोड, निकट गीता सिनेमा जूनागढ़-362001 गुजरात
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संहिता सिद्धांत विषय में प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी नहीं करने के लिए अनुसंशा की गई।
7. श्री गुलाब कुंवर्बा आयुर्वेद महाविद्यालय, धन्वन्तरी मन्दिर जामनगर-361008 गुजरात
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।
8. पारूल आयुर्वेद संस्थान, पो.आ. लिम्डा, तह. वघोडिया, जिला वड़ोदरा-391760, गुजरात
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन निम्नलिखित 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु :
(i) शालाक्य तंत्र (शिरोनाशा कर्ण एवं कंठ रोग)
(ii) पंचक्रम
(iii) शल्य तंत्र (सामान्य)
सत्र 2016-17 से प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी नहीं करने के लिए अनुसंशा की गई।
9. गोविन्दभाई जोराभाई पटेल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र, बी/एच जी.आई.डी.सी, न्यू वल्लभ
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की
- पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु :-
(i) द्रव्यगुण
(ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।
आर-14011/23/2015-ई पी.
(आई एम-1) दिनांक 24.11.2016
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन सत्र 2015-16 हेतु नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संहिता प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई।
आर-14011/09/2015-ई पी.
(आई एम-1) दिनांक 08.12.2016
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।
आर-13011/02/2015-ई पी.
(आई एम-1) दिनांक 05.12.2016
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन निम्नलिखित 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु :
(i) शालाक्य तंत्र (शिरोनाशा कर्ण एवं कंठ रोग)
(ii) पंचक्रम
(iii) शल्य तंत्र (सामान्य) सत्र 2016-17 से प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी नहीं करने के लिए अनुसंशा की गई।
आर-14011/06/2015-ई पी.
(आई एम-1) आर-14011/07/2015-ई पी (आई एम-1)
आर-14011/05/2015-ई पी.
(आई एम-1) दिनांक 29.11.2016
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से

क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
	विद्यानगर, तालूका जिला आनन्द-388121, गुजरात	वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-13011/09/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 01.12.2016
10.	राजीव गाँधी गर्वमेंट पोस्ट-ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज, पपरोला तहसील-बैजनाथ, जिला कांगड़ा-176115, हिमाचल प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-13011/03/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 11.11.2016
11.	सूर्यमुखी दिनेश आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल ग्राम एव पो. बूटी, वाया नेओरी विकाश, जिला रांची-835217, झारखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन नया निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) पंचक्रम (ii) स्वस्थवृत्त (iii) संहिता सिद्धान्त (iv) शल्य तंत्र प्रारंभ करने हेतु सत्र 2016-17 से प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित एवं वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 40 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 40 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु। (i) पंचक्रम (ii) स्वस्थवृत्त (iii) संहिता सिद्धान्त (iv) शल्य तंत्र प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई आर-13011/37/2015-ई पी. (आई एम-1) एवं आर-14011/18/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 26.11.2016
12.	आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल हेग्गेरी एक्सटेंशन पुरानी हुबली-580024, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50-60 सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता की वृद्धि हेतु (i) कायचिकित्सा - 05 से 06 सीट	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50-60 सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता की वृद्धि हेतु (i) कायचिकित्सा-05 से 06 सीट



क्र.सं संस्थान का नाम

भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां

भारत सरकार से अनुमति

- (ii) पंचकर्म 05 से 06 सीट
(iii) रसशास्त्र-05 से 06 सीट तथा
(iv) मूल सिद्धान्त 05 से 06 सीट
(v) शल्य तंत्र 02 से 05 सीट तथा निम्नलिखित 02 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
(i) रचनाशरीर-03 सीटें
(ii) रोग निदान-04 सीटें
प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अनुसंशा की गई ।
- (ii) पंचकर्म 05 से 06 सीट
(iii) रसशास्त्र-05 से 06 सीट तथा
(iv) अद्धमूल सिद्धान्त 05 से 06 सीट
(v) शल्य तंत्र 02 से 05 सीट तथा निम्नलिखित 02 नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
(i) रचनाशरीर-03 सीटें
(ii) रोग निदान-04 सीटें
प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई :-
आर-14011/11/2015-ईपी
(आई एम-1) एवं
आर-13011/18/2015-ईपी
(आई एम-1) दिनांक 13.12.2016
13. अश्विनी एजुकेशनल एसोसिएशन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं पी.जी. सेन्टर 405/1, सामने बाथी लेक, अश्विनी नगर, पी.बी. रोड़, जिला दावनगेरे कर्नाटक
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन निम्नलिखित नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रसूति एवं स्त्री रोग और कौमारभृत्य प्रारंभ करने हेतु एवं वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु एवं वर्तमान में निम्नलिखित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कायचिकित्सा और शल्य तंत्र में वृद्धि हेतु महाविद्यालय द्वारा अनुग्रह वापिस लिया अतः अनुमति पत्र जारी नहीं करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई ।
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु :-
(i) कायचिकित्सा 05 से 06 सीट
(ii) शल्य तंत्र 05 से 06 सीट एवं निम्नलिखित 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु :-
(i) कौमारभृत्य और
(ii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई ।
आर-14011/20/2015-ई पी.
(आई एम-1) एवं
आर-13011/26/2015-ई पी.
(आई एम-1) दिनांक 08.12.2016
14. टी.ए.एम.ई सोसायटीज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सकलापुर, तांडा बल्लारी रोड़ होस्पेट-583201,
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन वर्तमान में निम्नलिखित 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शल्य तंत्र 03
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन सत्र 2015-16 हेतु वर्तमान में निम्नलिखित 01 स्नातकोत्तर

क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
	कर्नाटक	से 06 सीट की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	पाठ्यक्रम शल्य तंत्र 03 से 06 सीट की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-13011/40/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 01.12.2016
15.	के.वी.जी. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, अम्बाटेडका, सुल्लिया-574327, जिला. दक्षिण कन्नडा कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी न करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-13011/44/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 01.11.2016
16.	श्री हिंगुलाम्बिका एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, भवसार नगर, सेदम रोड, गुलबर्गा-585101 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-13011/44/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 02.12.2016
17.	श्री बासवेश्वर विद्या वर्धक संघ, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पी.बी. नं.34, जिला बगलकोट-587101 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की एवं निम्नलिखित 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कायचिकित्सा और द्रव्यगुण प्रत्येक 05 सीटों सहित वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु एवं निम्नलिखित 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम द्रव्यगुण और कायचिकित्सा प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-14011/28/2015-ई पी. (आई एम-1) एवं आर-13011/34/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 24.11.2016
18.	जे.एस.वी.वी. समस्थेज दनाप्पा गुरुशिद्दप्पा मेलमालगी आयुर्वेदिक	सत्र 2016-17 हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रस्ताव हेतु महाविद्यालय का परिदर्शन नहीं किया	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु



क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
	मेडिकल कॉलेज, शिवानन्दा नगर, तह. एवं जिला गडग-582103, कर्नाटक	गया अतः अनुमति पत्र जारी न करने के लिए अनुसंशा की गई। सत्र 2016-17 हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रस्ताव हेतु महाविद्यालय का परिदर्शन नहीं किया गया अतः अनुमति पत्र जारी न करने के लिए अनुसंशा की गई।	निम्नलिखित 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु :- (i) कौमारभृत्य (ii) प्रसूति एवं स्त्री रोग और (iii) शल्य तंत्र प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-14011/30/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 01.12.2016
19.	राजीव गाँधी एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तालुका रोड, जिला, गडग-582209, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन निम्नलिखित 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु :- (i) रचना शरीर (ii) प्रसूति एवं स्त्री रोग (iii) पंचकर्म सत्र 2016-17 से प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु निम्नलिखित 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु :- (i) रचना शरीर (ii) प्रसूति एवं स्त्री रोग (iii) पंचकर्म प्रत्येक विषय में 06 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-14011/26/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 24.11.2016
20.	मुनियाल आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नं.34/सी, शिवाली इन्डस्ट्रीयल एरिया तालुका एवं जिला, उडुपी मणिपाल-576104, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 40 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 40 से 60 सीटों (60 से 100 सीटों के स्थान पर) की वृद्धि हेतु एवं अन्य पत्र में भारत सरकार द्वारा वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-13011/46/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 01.12.2016 एवं 05.12.2016
21.	धन्वन्तरी अयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, सिद्धपुर, जिला, उत्तर कन्नड-581355, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन निम्नलिखित 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु :- (i) कायचिकित्सा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2015-16 हेतु निम्नलिखित 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु :- (i) कायचिकित्सा

क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
		(ii) पंचकर्म सत्र 2016-17 से प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई ।	(ii) पंचकर्म प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई आर-14011/31/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 26.11.2016
22.	विष्णु आयुर्वेद कॉलेज, पोस्ट ऑफिस गर्वमेंट प्रैस, शोरानूर जिला, पलक्कड-679122, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों (100 सीटों के स्थान पर क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा केवल 60 सीटों के लिए सीटों की सम्बद्धता जारी की) की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई । आर-13011/31/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 24.11.2016
23.	के.एम.सी.टी. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मानेसरी, पोस्ट ऑफिस, तालुका एवं जिला, कोझिकोडे-673602, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2018-2019 तक वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई । आर-13011/20/2015-ई पी., (आई एम-1) दिनांक 28.11.2016
24.	मन्म आयुर्वेद को ऑपरेटिव मेडिकल कॉलेज, एमएसएम पो.आ. पंडालम, जिला, पठनमथिट्टा-689501, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु एवं निम्नलिखित 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना 03 सीट और द्रव्यगुण 04 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु एवं निम्नलिखित 01 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम द्रव्यगुण 04 सीटों सहित जारी करने हेतु एवं एक नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना 03 सीटों सहित आशय पत्र वापिस हेतु दिनांक 18.03.2016 में अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई । आर-14011/32/2015-ई पी. (आई एम-1) एवं आर-13011/30/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 11.11.2016



क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
25.	पीएनएनएम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, शोरानूर, पो.आ. चेरुथुरुथी, तालूक थालप्पील्ली, जिला थरिसूर-679531, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन 01 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शल्य तंत्र (सामान्य) 03 सीटों सहित प्रारंभ करने हेतु सत्र 2016-17 से अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु 01 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शल्य तंत्र (सामान्य) 03 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-14011/25/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 29.11.2016
26.	पंकज कस्तुरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, किले, कट्टाकडा, तिरुवंतपुरम-695572, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु एवं 01 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संहिता सिद्धान्त 04 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की एवं 01 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संहिता सिद्धान्त 04 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-14011/33/2015-ई पी. (आई एम-1) एवं आर-13011/42/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 18.11.2016
27.	पं. शिवशक्तिलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, बंजल, सैलना रोड, जिला, रतलाम-457001, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी न करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-14011/43/2015-ई पी. (आई एम-1) एवं आर-13011/10/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 15.12.2016
28.	पं. खुशीलाल शर्मा, गर्वमेंट ऑटोनोंमस आयुर्वेद कॉलेज एवं इन्स्टीट्यूट मानित नेहरू नगर के पीछे, कोलार बाईपास रोड, साईस हिल्स, भोपाल-462003, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन 01 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम क्रिया शरीर 05 सीटों सहित प्रारंभ करने हेतु सत्र 2016-17 से अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2015-16 हेतु 01 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम क्रिया शरीर 05 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।

क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
			गई। आर-14011/29/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 11.11.2016
29.	राजीव गाँधी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, ई-8, त्रिलंगा कॉलोनी, शाहपुरा, भोपाल-462039, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों (क्योंकि महाविद्यालय प्रशासन एवं प्रधानाचार्य द्वारा परिदर्शन प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि न करने हेतु पत्र जारी किया) की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी न करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-13011/38/2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 09.12.2016
30.	रानी दुल्लैया स्मृति आयुर्वेद पी.जी. कॉलेज एवं हॉस्पिटल, बरखेड़ी कलॉ, कलॉ भादभाडा रोड़ भोपाल-462044, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से सत्र 2018-19 वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-13011/25/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 01.12.2016
31.	भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय विश्वशांती धाम, ग्राम/पो. वाघोली, तालूक हवेली, जिला पुणे-412207, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु 01 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रोगनिदान 03 सीटों सहित एवं वर्तमान में 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में रचना शरीर 03 से 06 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से हेतु 01 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रोगनिदान 03 सीटों सहित एवं वर्तमान में 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में रचना शरीर 03 से 06 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-14011/02/2015-ई पी. (आई एम-1) एवं आर-13011/08/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 13.12.2016
32.	दादा साहेब सूरूपसिंह नायक आयुर्वेद महाविद्यालय सुवालाल बफना, विद्यानगर, ग्राम/पोस्ट-नागौन, जिला धुल-424004, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 40 से 50 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी न करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से सत्र 2018-19 वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 40 से 50 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-13011/13/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 23.11.2016



क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
33.	डॉ.डी.वाई. पाटिल विद्या प्रतिष्ठान सोसायटीज पदमश्री डा.डी.वाई पाटिल आयुर्वेद कालेज एवं अनुसन्धान केन्द्र, पिम्परी, पुणे-411018, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु निम्नलिखित 04 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (I) रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान 05 (ii) अगदतंत्र 05 सीट (iii) कौमारभृत्य 5 सीट (iv) शालाक्य तंत्र (नेत्र रोग) 02 सीटों सहित एवं वर्तमान में 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कायचिकित्सा 04 से 06 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से हेतु निम्नलिखित 04 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान 05 सीट (ii) अगदतंत्र 05 सीट (iii) कौमारभृत्य 05 सीट (iv) शालाक्य तंत्र (नेत्र रोग) 02 सीटों सहित एवं वर्तमान में 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कायचिकित्सा 04 से 06 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। एफ एन आर-14011/15/2015-ई पी. (आई एम-1) एवं आर-13011/23/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 10.11.2016
34.	अश्विन रुरल आयुर्वेद कॉलेज, मंची हिल, अश्वी बी.के.अश्वी बी.के.तालुक संगमनेर, जिला अहमदनगर-413714, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 40 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से सत्र 2018-19 वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 40 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। एफ एन आर-13011/11/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 02.11.2016
35.	महात्मा गाँधी आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, सलोद हीरापुर, जिला वर्धा महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन 01 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कौमारभृत्य 06 सीटोंसहित प्रारंभ करने हेतु सत्र 2016-17 से अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2015-16 हेतु 01 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कौमारभृत्य 06 सीटोंसहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई एफ एन आर-14011/14/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 22.10.2016
36.	महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान आयुर्वेद कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, पुंडलिक नगर, देगाँव, तालुक रिसोद जिला, वासिम-444506, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से सत्र 2018-19 वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि

क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
		लिए अनुसंशा की गई ।	हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई । एफ एन आर-13011/36/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 22.10.2016
37.	एमईएस आयुर्वेद महाविद्यालय, एमईएस स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, परशुराम अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, घनेखुण्ट-लोते, तह. खेड, जिला रत्नागिरी-4157222, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से सत्र 2020-21 वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई । एफ एन आर-13011/21/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 02.10.2016
38.	विमला देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, वन्धारी, पोस्ट तडाली, तह. एवं जिला चन्द्रपुर-442406, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से सत्र 2018-19 वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई । एफ एन आर-13011/06/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 05.12.2016
39.	गर्वमेन्ट आयुर्वेद कॉलेज तुलसी नगर, बोलनगीर- 767001 उड़ीसा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन 01 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रोग निदान एवं विकृति प्रारंभ करने हेतु सत्र 2016-17 से अनुमति पत्र जारी न करने के लिए अनुसंशा की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु 01 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रोग निदान एवं विकृति विज्ञान 04 सीटोंसहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई एफ एन आर-14011/19/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 11.11.2016
40.	जे.आर.तांटिया श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस एवं अस्पताल, निकट रिको, हनुमानगढ़ रोड़, श्री गंगानगर-335002, राजस्थान	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) रचना शरीर 06 सीटों (ii) स्वस्थवृत्त 06 सीटों एवं	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) रचना शरीर 06 सीटों (ii) स्वस्थवृत्त 06 सीटों एवं



क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
		(iii) द्रव्यगुण 06 सीटों सहित प्रारंभ करने हेतु सत्र 2016-17 से अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	(iii) द्रव्यगुण 06 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई एफ एन आर-14011/03/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 05.12.2016
41.	पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, 43 एमएमके, हनुमानगढ़ रोड़ मोरजंड खारी, श्री गंगानगर-335037, राजस्थान	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी नहीं करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। एफ एन आर-13011/22/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 09.12.2016
42.	यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी नागौर रोड़, कदवाड, जोधपुर-342037, राजस्थान	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु एवं 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) पंचकर्म और (ii) स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र प्रत्येक में 06 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी नहीं करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु एवं 02 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) पंचकर्म और (ii) स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र प्रत्येक में 06 सीटों अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। एफ एन आर-13011/48/2015-ई पी. (आई एम-1) और आर-14011/35/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 30.11.2016
43.	बी.एम. एजूकेशन फाउण्डेशन ट्रस्ट, शेखावटी आयुर्वेदिक कॉलेज बहल रोड़, हरिकुंज, गंगा कालोनी, तह. चिरवा, जिला झुंझुनू, पिलानी-333031, राजस्थान	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। एफ एन आर-13011/05/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 29.11.2016

क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
44.	आयुर्वेद कॉलेज, आरवीएस कैम्पस, 242-बी, त्रिची रोड, सुलूर, कोयम्बटूर-641108, तमिलनाडु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु निम्नलिखित 06 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) संहिता सिद्धान्त (ii) रसशास्त्र (iii) रोग निदान (iv) द्रव्यगुण (v) कायचिकित्सा एवं (vi) शल्य तंत्र प्रत्येक विषय में 05 सीटों हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से निम्नलिखित 06 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) संहिता सिद्धान्त (ii) रसशास्त्र (iii) रोग निदान (iv) द्रव्यगुण (v) कायचिकित्सा एवं (vi) शल्य तंत्र में प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। एफ एन आर-14011/16/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 05.12.2016
45.	गर्वमेन्ट गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय, कांगडी, हरिद्वार-249404, उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु एवं निम्नलिखित 06 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु (i) कायचिकित्सा 04 सीटों (ii) पंचकर्म 03 सीटों (iii) शल्यतंत्र 02 सीटों (iv) शालाक्य तंत्र 02 सीटों (v) कौमारभृत्य 02 सीटों एवं (vi) स्त्री रोग एवं प्रस्तूति तंत्र 02 सीटों हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों (100 सीटों के स्थान पर) की वृद्धि हेतु एवं निम्नलिखित 06 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने (i) कायचिकित्सा 04 सीटों (ii) पंचकर्म 03 सीटों (iii) शल्यतंत्र 02 सीटों (iv) शालाक्य तंत्र 02 सीटों (v) कौमारभृत्य 02 सीटों एवं (vi) स्त्री रोग एवं प्रस्तूति तंत्र 02 सीटों हेतु अनुमति पत्र जारी नहीं करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। एफ एन आर-14011/21/2015-ई पी. (आई एम-1) एवं आर-13011/28/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 26.11.2016
46.	ऋषिकुल गर्वमेंट पी.जी. आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, हरिद्वार-249401, उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु निम्नलिखित 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) रचनाशरीर 06 सीटों (ii) अगदतंत्र 06 सीटों	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से निम्नलिखित 04 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) बालरोग 03 सीटों (ii) रचनाशरीर 06 सीटों



क्र.सं संस्थान का नाम

भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां

भारत सरकार से अनुमति

47. उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेद एस्टेट, 17, पुराना मसूरी रोड़, राजपुर देहरादून-248009, उत्तराखण्ड
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी न करने के लिए अनुसंशा की गई।
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र प्रदान की गई।
- एफ एन आर-13011/07/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 14.12.2016
48. पातंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, पंतजलि योग पीठ, हरिद्वार-249402, उत्तराखण्ड
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु एवं निम्नलिखित 08 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु
- (i) संहिता सिद्धान्त
(ii) किर्या शरीर
(iii) द्रव्यगुण
(iv) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना
(v) कायचिकित्सा
(vi) शल्य (राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहमति संबद्धता पत्र के अनुसार क्षार कर्म एवं अनुशास्त्र कर्म के स्थान पर)
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 60 सीटों की वृद्धि हेतु (100 सीटों के स्थान पर) दिनांक 05.12.2016 एवं पुनः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से निम्नलिखित 08 वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु दिनांक 21.12.2016 एवं निम्नलिखित 08 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु :-
- (iii) रोग निदान 06 सीटों प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई एवं निम्नलिखित 04 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
- (i) बालरोग
(ii) क्रियाशरीर
(iii) स्वस्थवृत्त
(iv) मौलिक सिद्धान्त हेतु अनुमति पत्र जारी न करने के लिए अनुसंशा की गई एवं इसके अतिरिक्त वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।
- (iii) अगदतंत्र 06 सीटों
(iv) रोग निदान 06 सीटों हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।
- एफ एन आर-13011/29/2015-ई पी. (आई एम-1) एवं आर-14011/22/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 26.11.2016 एवं इसके अतिरिक्त वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 60 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु एवं निम्नलिखित 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
- (i) स्वस्थवृत्त 06 सीटों
(ii) क्रियाशरीर 06 सीटों
(iii) मौलिक सिद्धान्त 06 सीटों हेतु आशय पत्र दिनांक 02.05.2016 वापिस लिया गया एवं अनुमति प्रदान नहीं की गई।

क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
		<p>(vii) शालाक्य (राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहमति संबद्धता पत्र के अनुसार कर्ण, नाशा, कंठ एवं शिरा रोग के स्थान पर</p> <p>(viii) पंचकर्म प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी न करने के लिए अनुसंशा की गई ।</p>	<p>(i) संहिता सिद्धान्त</p> <p>(ii) किया शरीर</p> <p>(iii) द्रव्यगुण</p> <p>(iv) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना</p> <p>(v) कायचिकित्सा</p> <p>(vi) शल्य (राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहमति संबद्धता पत्र के अनुसार क्षार कर्म एवं अनुशास्त्र कर्म के स्थान पर)</p> <p>(vii) शालाक्य (राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहमति संबद्धता पत्र के अनुसार कर्ण,नाशा, कंठ एवं शिरा रोग के स्थान पर)</p> <p>(viii) पंचकर्म प्रत्येक विषय में 05 सीटों सहित अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई ।</p> <p>एफ एन आर-14011 / 10 / 2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 05.12.2016 एवं आर-13011 / 17 / 2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 21.12.2016</p>
49.	डीन, फेकल्टी ऑफ आयुर्वेद इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, जिला वाराणसी-221005, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु 01 नए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम क्षार कर्म 03 सीटों सहित प्रारंभ करने हेतु एवं 01 नए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम छाया एवं विकिरण विज्ञान सहित प्रारंभ न करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 हेतु 01 नए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम क्षार कर्म 03 सीटों सहित प्रारंभ करने हेतु एवं 01 नए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम छाया एवं विकिरण विज्ञान सहित प्रारंभ न करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई । एफ एन आर-18011 / 01 / 2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 15.12.2016
50.	भारत आयुर्वेद मेडिकल कालेज, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, 10 के.एम.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु वर्तमान	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से



क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
	रूड़की रोड, एनएच-58, पो.आ. बारिया, मुजफ्फरनगर-251001, उत्तर प्रदेश	स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु :-	वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में 50 से 100 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। एफ एन आर-13011/04/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 18.11.2016
51.	बाबा हीरा दास जी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्राम, पो.आ. बादल, जिला-मुक्तसर-152113, (पंजाब)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/28/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 30.12.2016
52.	हारमोनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एडजोइनिंग एफसीआई गोडाउन, काच्हा जीरा रोड, फिरोजपुर सिटी, पंजाब	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/11/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 26.12.2016
53.	श्री गुरु नानक देव आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, रायकोट रोड, गाँव रकबा मुल्लानपुर, लुधियाना-141422, पंजाब	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी न करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011/37/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 13.12.2016
54.	सरस्वती प्रोफेसनल एवं हायर एजुकेशन सोसायटी, गाँव व पोस्ट घरौन - 140413, तहसील खरर, जिला एस.ए.एस. नगर मोहाली, पंजाब	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- 12011/07/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 28.10.2016

क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
55.	सी आई टी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं "रिसर्च सेन्टर" एन एच-30, नया रायपुर, अभानपुर, जिला, रायपुर-493661, (छत्तीसगढ़)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी न करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011/41/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 02.12.2016
56.	भारती आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल" पूलगाँव चौक, दुर्ग, (छत्तीसगढ़)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/14/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.10.2016
57.	राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉलेज, धानी ग्रान रोड, बरवाला-125121, हिसार, हरियाणा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी न करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/08/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 13.12.2016
58.	शिव आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल गाँव लुहानू कनेटैन, पोस्ट ऑफिस चांदपुर तहसील सदर, जिला बिलासपुर-174004, हिमाचल प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/20/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.11.2016
59.	स्वामी विवेकानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (कल्याण सेवा संस्थान की एक इकाई), माधव विला, सिमोलतला, जमुई-बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी न करने के लिए	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी



क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
		भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011/12/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.12.2016
60.	साई आयुर्वेद कॉलेज, हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केन्द्र गेट न0. 67, धेनगले-पाटिल नगर, सोलापुर-वर्षी हाईवे तहशील-वर्षी महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/09/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 09.12.2016
61.	डॉ0 आर. एन. लहोटी आयुर्वेदिक कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च इन्सटीट्यूट सुल्तानपुर, तहशील -लोनार, बुलधाना, पिन- 443307, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी. ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016 -17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/31/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.11.2016
62.	श्री राशिक लाल मानिकचंद धारीवाल आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल" गिरीविहार, तेलेटी रोड़ पालीताना, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/30/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 29.11.2016
63.	इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद रिसर्च एवं हॉस्पिटल" ओपोजिट हिल वियू क्लब, कलावाड़ रोड़ 150 फुट ईश्वरीया रिंग रोड़ राजकोट-360110 गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/57/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 11.11.2016
64.	स्टेट मॉडल इन्स्टीट्यूट	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
	ऑफ आयुर्वेद साईंसिज, द्वारा ब्लॉक न0. 1,2 फ्लोर्स, जीवराज मेहता भवन, पुराना सचिवालय, कोलावाड़ा गोंधीनगर गुजरात	अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी न करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों (100 सीटों के स्थान पर) सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/05/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 30.11.2016
65.	श्री स्वामीनारायन आयुर्वेदिक कॉलेज" सामने कलोल जीआईडीसी नेशनल हाईवे न0. 8, ग्राम एवं पोस्ट - साईजी, तहसील- कलोल, जिला- गोंधीनगर-382721, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/13/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.11.2016
66.	ईवा कॉलेज ऑफ आयुर्वेद " सुपेदी, जनजमेर रोड़ सुपेदी, जिला, राजकोट-360440, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी न करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/10/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 27.11.2016
67.	मंजुश्री रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साईंसिज" पेठापुर महुदी रोड़ नियर जीजीएस, पीपलाज गोंधीनगर-382610 गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी. ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/59/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 29.11.2016
68.	हरिद्वार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर, मुस्तफाबाद (पदार्थ), धनपुरा, हरिद्वार-249405, उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से सामान्य पत्र अनुसंशा के लिए भारत सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 26-75/2016-एवाई विजिटेशन दिनांक 26.09.2016	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी



क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
		(स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) सीटें अंकित नहीं हैं) भेजा गया।	करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/42/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 18.11.2016
69.	मदरहुड आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, गोंव-करोदी, पोस्ट ऑफिस भगवानपुर, रूडकी, जिला-हरिद्वार उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/23/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.11.2016
70.	ओम आयुर्वेदिक कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर, नियर क्रस्टिल वर्ल्ड, रूडकी हरिद्वार एन.एच-58, गोंव पंचायानपुर, पोस्ट ऑफिस दौलतपुर, रूरकी हरिद्वार-249402, उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/51/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 26.10.2016
71.	आयुर्वेद संकाय उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरतावाला, देहरादून -248401, उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/19/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 11.11.2016
72.	एस.जी.इ.एस.एस. डॉ. एन. ए. मगदम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अंकाली, तालूक चिकोडी, जिला बेलगाम, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/33/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.11.2016

क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
73.	शारदा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, मुन्डर्गा, यादगिर जिला कर्नाटका	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/39/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 19.11.2016
74.	बिदर विद्या केन्द्र (आर.) अक्कमहादेवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर, चिडरी, बिदर, कर्नाटका	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/06/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.10.2016
75.	प्रसन्ना आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, ललिया बेलठनगडी, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों (100 सीटों के स्थान पर) सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/29/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 09.11.2016
76.	के.टी.जी. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, श्रीगंधाडाकवल, हेगनहल्ली कौंस, सुनकदाकट्टे-पीन्या रोड़, विश्वानीदमा पोस्ट, बंगलोर, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/61/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 19.11.2016
77.	अष्टमागम आयुर्वेद चिकित्सालय एवं विद्यापीठम वावनौर, कूट्टानाड, पलक्कड, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय



क्र.सं संस्थान का नाम

भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां

भारत सरकार से अनुमति

- हेतु अनुमति पत्र जारी न करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।
- प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।
आर-12011/40/2015-ईपी
(आई एम-1) दिनांक 27.10.2016
78. विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंसिज एवं हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड़, पोस्ट अग्री, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।
आर-12011/02/2015-ईपी
(आई एम-1) दिनांक 27.10.2016
79. इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एवं धनवंतरी लाइफ लाइन हॉस्पिटल, गाँव एवं पोस्ट-शेरपुर खानजादपुर, जिला सहारनपुर- 247162 उत्तर प्रदेश
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई।
आर-12011/45/2015-ईपी
(आई एम-1) दिनांक 08.12.2016
80. संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, गाँव-कुडना चौक, निकट ब्रिजघाट, जला-अमरोहा, पिन-244235, उत्तर प्रदेश
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।
आर-12011/16/2015-ईपी
(आई एम-1) दिनांक 09.12.2016
81. एस.आर.एस. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गाँव-सिकंदरपुर, पोस्ट ऑफिस टिहरा, ग्वालियर रोड़, जिला आगरा-282001, उत्तर प्रदेश
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।
आर-12011/26/2015-ईपी
(आई एम-1) दिनांक 09.11.2016

क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
82.	बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, लाडनपुर, कोपागंज, जिला मऊ उत्तर प्रदेश-275101	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/25/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 10.11.2016
83.	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, निकट पॉलिटेक्नीक कॉलेज, आगरा रोड, जिला हाथरस-204101, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/27/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.10.2016
84.	के.वी. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं देव हॉस्पिटल, कुबेरपुर, एन.एच.-2, आगरा-283202, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/53/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 07.12.2016
85.	जीवक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, अकौनी चन्दौली, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/35/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 24.11.2016
86.	'आर.के. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, काशीपुर, सुरई, साथीयोन, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश-243501	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय



क्र.सं संस्थान का नाम

भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां

भारत सरकार से अनुमति

- हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।
- प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।
आर-12011/43/2015-ईपी
(आई एम-1) दिनांक 09.12.2016
87. 'जी.एस. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गॉव-पीपलाबंदपुर, निकट रेलवेस्टेशन पिलखुवा, जिला हापुड़-245304, उत्तर प्रदेश
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।
आर-12011/56/2015-ईपी
(आई एम-1) दिनांक 25.10.2016
88. ग्लोकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसिज एवं रिसर्च सेन्टर, दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग (स्टेट हाईवे न. 57), मिर्जापुर, पोल, जिला-सहारनपुर-247122, उत्तर प्रदेश
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी न करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।
आर-12011/22/2015-ईपी
(आई एम-1) दिनांक 25.11.2016
89. आर.बी. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल जालेसर रोड़ आगरा, उत्तर प्रदेश
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी न करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।
आर-12011/34/2015-ईपी
(आई एम-1) दिनांक 21.12.2016
90. महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, पोहाली सरधना रोड़, मेरठ, उत्तर प्रदेश
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।
आर-12011/21/2015-ईपी
(आई एम-1) दिनांक 26.10.2016

क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
91.	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गॉव डूंगरवाली प्रतापपुर बाईपास रोड (दिल्ली-हरिद्वार हाईवे), जिला-मेरठ-250103, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों (महाविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक सोसायटी/सैक/16 दिनांक 10.06.2016 सूचना के आधार पर 60 सीटों के लिए अनुमति पत्र प्राप्त हुआ क्योंकि 100 सीटों हेतु महाविद्यालय में संकाय सदस्य उपलब्ध नहीं थे) सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों (100 सीटों के स्थान पर) सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/58/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 04.11.2016
92.	इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साइंसिज, विमलार्जुन नगर, भागूखेडा, मोहनलाल गंज, लखनऊ -261005, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/60/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 09.11.2016
93.	डॉ. विजय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर गॉव - भन्दाहा कला, पोस्ट, कैथी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/62/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 27.10.2016
94.	श्री रामचन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, यमुना विहार, मल्हौर रोड़, निकट इडिको तिराह, चिनहट, लखनऊ-226028, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/04/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 02.11.2016
95.	जे.पी. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल" जी. टी. रोड़, सिकंदराराव,	जे.पी. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश अनुमति हेतु परिदर्शन नहीं किया गया महाविद्यालय	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय



क्र.सं	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
91.	हाथरस-204215, उत्तर प्रदेश	को पूर्व में ही पत्र प्रस्तुत किया गया।	(बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 100 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011/46/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 09.12.2016
96.	प्रकाश इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसिज एवं रिसर्च, झज्जर, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों [100 सीटों के स्थान पर (सुनवाई के दौरान महाविद्यालय ने 100 सीटों के स्थान पर 60 सीटों के लिए अनुग्रह किया)] सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों (100 सीटों के स्थान पर) सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/48/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 31.10.2016
97.	धन्वतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गाँव चितौली, पोस्ट ऑफिस फतेहगंज (वेस्ट), जिला बरेली -243501, उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016 -17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में 60 सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/24/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 28.11.2016

महाविद्यालयों का परिदर्शन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष 2016-17 हेतु (01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 (ग) के अधीन भारत सरकार को अनुसंशाएं भेजने के लिए निम्नलिखित आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन आयोजित किया।

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
1.	डॉ. बी.आर.के.आर. गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, ईएसआई हॉस्पिटल के सामने, एर्रागडा हैदराबाद -500038, आन्ध्र प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016 -17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016 -17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम -50 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 07 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम-38 सीटों

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			सहित हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई :- (i) कायचिकित्सा-10 सीटें (ii) शल्य तंत्र-03 सीटें (iii) शालाक्य तंत्र-03 सीटें (iv) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-04 सीटें (v) द्रव्यगुण-06 सीटें (vi) पंचकर्म-06 सीटें (vii) आयुर्वेद संहिता सिद्धान्त 06 सीटें सहित के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-17011/01/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.10.2016
2.	डॉ. एन.आर. शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, एमजी रोड, विजयवाडा-520002, अर्बन मण्डल, जिला, कृष्णा आन्ध्र प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम-30 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना में-05 सीटों सहित के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-17011/02/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016
3.	श्री वेंकटेश्वर आयुर्वेदिक कॉलेज, एसवीआईएमएस कैम्पस, देवस्थानम नॉर्थ तिरुपति-517507, आन्ध्र प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम-40 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में-34 सीटों (36 सीटों के स्थान पर) सहित हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- (i) द्रव्यगुण-06 सीटें (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें (iii) पंचकर्म-06 सीटें (iv) शल्य तंत्र-06 सीटें (v) कौमारभृत्य-05 सीटें (06 सीटों के स्थान पर) (vi) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त में 06 सीटों सहित 2016-17 के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई।



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
4.	अनन्त लक्ष्मी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, पोस्ट ऑफिस लक्ष्मीपुरा, लेबर कॉलोनी, तालूक एवं जिला वारंगल-506013, आन्ध्र प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	आर-17011/03/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.10.2016 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से सत्र 2020-21 तक महाविद्यालय 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम-50 सीटों सहित के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-17011/04/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 07.09.2016
5.	विश्वम्भर एजूकेशन सोसायटी, वागदेवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ग्राम बोल्लीकुन्टा संगम, जिला-वारंगल-506005, आन्ध्र प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सत्र 2016-17 के लिए परिदर्शन नहीं किया गया एवं संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु बी.ए.एम. एस. पाठ्यक्रम में-50 सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011/23/2005-ई पी (आई एम-1) दिनांक 24.11.2016
6.	श्री वागेश्वरी एजूकेशन सोसायटी, वागेश्वरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, राम कृष्ण कॉलोनी, थिम्मापुर, करीमनगर -505481, आन्ध्र प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सत्र 2016-17 के लिए परिदर्शन नहीं किया गया एवं संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु बी.ए.एम. एस. पाठ्यक्रम में-50 सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011/12/2007-ईपी (आई एम-1) दिनांक 24.11.2016
7.	एम.एन.आर. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, नर्सपुर रोड, फासलवाडी, संगारेड्डी-502294, जिला मेदक आन्ध्र प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सत्र 2016-17 के लिए परिदर्शन नहीं किया गया एवं संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु बी.ए.एम. एस. पाठ्यक्रम में-50 सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011/32/2007-ईपी (आई एम-1) दिनांक 24.11.2016
8.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, जलूकबारी, जिला कामरूप (मेट्टा) गुवाहाटी-781014, असम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में-50 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु-24 सीटों सहित अनुमति प्रदान की गई :- (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-06 सीटें (ii) रचना शरीर-02 सीटें

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			(iii) रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान-03 सीटें (iv) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-04 सीटें (v) कायचिकित्सा-06 सीटें (vi) शल्य तंत्र-03 सीटें आर-17011/05/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 29.09.2016
9.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कदमकुआँ, पटना-800003, बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम-40 सीटों सहित तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में-08 सीटों सहित हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई :- (i) द्रव्यगुण-04 सीटें (ii) रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-04 सीटें आर-17011/06/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016
10.	रविन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज, मोतीहारी, जिला ईस्ट चम्पारन-845401, बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सत्र 2016-17 के लिए परिदर्शन नहीं किया गया एवं संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में - 40 सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- 17011/07/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.11.2016
11.	राजकीय अयोध्या शिवकुमार आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, लोहिया नगर, पो. आ. सुहीर्द नगर जिला बेगुसराय-851218, बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 30 सीटों हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न0. आर-17011/08/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 31.10.2016
12.	स्वामी राघवेंद्रचार्य त्रिदण्डी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, करजरा स्टेशन, पोस्ट ऑफिस मंझोली वाया वजीरगंज गया-823001, बिहार स्टेशन, पोस्ट ऑफिस मंझोली वाया वजीरगंज गया-823001, बिहार	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। ए एफ न0. आर-17011/09/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 29.08.2014 जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/09/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 29.08.2014	शैक्षिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/09/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 29.08.2014 किया गया। एफ न0. आर-17011/09/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 29.08.2014



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
13.	श्री मोती सिंह जागेश्वरी आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल बाडा तेल्ला, छपरा, सारन-841301, बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/13 ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 40 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011 / 10 / 2016- ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.09.2016
14.	नीतिश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल बावन बिघा, कन्हौली, पो.आ. रमणा मुजफ्फरपुर-842001, बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13 ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए.एम.एस (आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय) में 50 सीटों हेतु तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में-12 सीटों सहित :- (i) शल्य तंत्र-06 सीटें (ii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-06 सीटें सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011 / 11 / 2016- ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.10.2016
15.	आयुर्वेद महाविद्यालय घुगरी तान्ड, गया-823001, बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सत्र 2016-17 के लिए परिदर्शन नहीं किया गया एवं संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए.एम.एस में 40 सीटों हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न0. आर-17011 / 12 / 2016- ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.11.2016
16.	दयानन्द आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, सिवान-841226, बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/13 ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 सीटें एवं 08 सीटें निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (I) कायचिकित्सा-04 सीटें (ii) द्रव्यगुण-04 सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011 / 13 / 2016- ईपी (आई एम-1) दिनांक 06.10.2016
17.	श्री नारायण प्रसाद अवस्थी गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज, जी. ई. रोड, रायपुर-492001, छत्तीसगढ़	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई एवं निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) आयुर्वेद सहिता सिद्धांत-03 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई एवं 29 सीटें निम्नलिखित 07 स्नातकोत्तर

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		<p>(ii) द्रव्यगुण-06 सीटें</p> <p>(iii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-03 सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई एवं निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम</p> <p>(i) रचना शारिर</p> <p>(ii) रोग निदान</p> <p>(iii) कायचिकित्सा</p> <p>(iv) शल्य तंत्र हेतु भारत सरकार को अनुसंशा की गई।</p>	<p>पाठ्यक्रम</p> <p>(i) कायचिकित्सा-05 सीटें</p> <p>(ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-03</p> <p>(iii) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत-03 सीटें</p> <p>(iv) रचना शारिर-03 सीटें</p> <p>(v) शल्य तंत्र-03 सीटें</p> <p>(vi) द्रव्यगुण-06 सीटें</p> <p>(vii) रोग निदान-06 सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया।</p> <p>एफ न0. आर-17011 / 15 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 17.10.2016</p>
18.	राजीव लोचन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज ग्राम एवं पो.-चन्द्रखुरी पौस्ट-चान्दखुरी, गुन्दरदेही रोड, जिला-दुर्ग-491221 छत्तीसगढ़	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क / 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटें हेतु आशय पत्र सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया। एफ न0. आर-17011 / 16 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.11.2016
19.	छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जी.ई. रोड, ग्राम मंकी, जिला-राजनन्दगाँव-491441, छत्तीसगढ़	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में मौजूदा 60 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटें हेतु आशय पत्र सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया। एफ न0. आर-12011 / 03 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.11.2016
20.	श्री धन्वन्तरी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं डाबर धन्वन्तरी हॉस्पिटल, प्लॉट नं. एम-688, सेक्टर-46-बी, चण्डीगढ़-160047	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011 / 14 / 2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.09.2014	शैक्षिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011 / 14 / 2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.09.2014
21.	आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज एवं हॉस्पिटल, अजमल खॉ रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क / 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 40 सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एवं निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
22.	चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, गाँव व पोस्ट ऑफिस खेड़ा डाबर, नजफगढ़ नई दिल्ली-110073	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	पाठ्यक्रम (i) कायचिकित्सा-03 सीटें (ii) क्रिया शारिर-03 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर- 17011 / 17 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 14.10.2016 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 100 सीटों हेतु एवं निम्नलिखित 29 सीटों हेतु 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) रचना शारिर 06 सीट (ii) कायचिकित्सा 06 सीट (iii) रोग निदान एवं विक्रति विज्ञान 06 सीट (I) पंचकर्मा-05 सीट और (ii) क्रिया शारिर-06 सहित आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-12011 / 03 / 2010-ईपी (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016
23.	भारतीय संस्कृति प्रबोधनी गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय एवं रिसर्च सेन्टर, कामक्षी आरोग्यधाम वजेम, शिरोड़ा तालुका पोन्डा जिला उत्तरी गोवा-403103, गोवा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क / 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटों हेतु सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया। एफ न0. आर-17011 / 18 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 02.09.2016
24.	गर्वमेंट अखंडानन्द आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, लाल दरवाजा, भद्रा, अहमदाबाद-380001, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क / 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटों (75 सीटों के अपेक्षित) हेतु एवं निम्नलिखित 21 सीटों हेतु 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (I) कायचिकित्सा-06 सीटें (ii) पंचकर्मा-05 सीटें (iii) शल्य सामान्य-05 सीटों और (iv) शाल्यक-कर्ण, नासा, कंठ और सिरो रोग-05 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011 / 19 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 06.10.2016

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
25.	जे.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय, कॉलेज रोड, जिला कैरा-नाडियाड-387001 गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय में 60 सीटों हेतु एवं निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटो (ii) कायचिकित्सा-05 सीटों (iii) रचना शरीर-05 सीटों (iv) द्रव्यगुण 05 सीटों एवं (v) पंचकर्म-05 सीटों हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 से 2020-21 5 वर्षों (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटों हेतु एवं निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 25 सीटों हेतु (i) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटो (ii) कायचिकित्सा-05 सीटों (iii) रचना शरीर-05 सीटों (iv) द्रव्यगुण 05 सीटों एवं (v) पंचकर्म-05 सीटों सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011 / 20 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 03.10.2016
26.	गर्वमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय, अजवा रोड, वड़ोदरा-390019, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011 / 21 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.10.2016
27.	आर्यकन्या सुधा आयुर्वेद महाविद्यालय, करेली बाग, वड़ोदरा-390018, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सत्र 2016-17 के लिए परिदर्शन नहीं किया गया एवं संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए.एम.एस में 30 सीटों हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न0. आर-17011 / 22 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 18.11.2016
28.	सेठ जे.पी गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज, सामने सरदार बाग, पनवाड़ी भावनगर-364001, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों हेतु सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया। एफ न0. आर-17011 / 23 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.09.2016
29.	गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज, पंचेश्वर रोड, निकट गीता सिनेमा, जूनागढ़-362001, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए.एम.एस में 60 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011 / 24 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 05.10.2016



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
30.	श्री बालहनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय ग्राम एवं पोस्ट-लोधरा तालुका-मनसा, जिला-गांधीनगर-382835 गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए.एम.एस में 35 सीटों हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न0. आर-17011/25/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 11.11.2016
31.	श्री ओ.एच. नाजर आयुर्वेद महाविद्यालय निकट रेलवे स्टेशन, लाल दरवाजा रोड़, टौका चोरयासी, जिला सूरत-395003, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए.एम.एस में 50 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/26/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.09.2016
32.	श्री गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, धन्वन्तरी मंदिर, जामनगर-361008, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटों हेतु एवं निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 10 सीटों हेतु : (i) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-05 सीटो (ii) कायचिकित्सा-05 सीटों भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 तक आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटों हेतु एवं निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-05 सीटो (ii) कायचिकित्सा-05 सीटों सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ नं. आर-17011/27/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.10.2016 एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/13 ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020.21 05 वर्षों से अधिक नहीं आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटों हेतु पत्र क्रमांक आर-17011/27/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.10.2016 अनुमति पत्र वापिस लिया गया एवं शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु0 आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में सशर्त आशय पत्र जारी किया गया।

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
33.	इंस्टीट्यूट फोर पोस्ट-ग्रेजुएट टीचिंग एवं रिसर्च इन आयुर्वेदा ऑफिस निर्देशक सुश्रत भवन गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जी.जी. हॉस्पिटल रोड जामनगर-361008, गुजरात	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 में निम्नलिखित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम</p> <p>(i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-06 सीटें</p> <p>(ii) द्रव्य गुण-04 सीटें (06 सीटों के स्थान पर)</p> <p>(iii) कौमारभृत्य-05 सीटें</p> <p>(iv) कायचिकित्सा-04 सीटें</p> <p>(v) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-05 सीटें (06 सीटों के स्थान पर)</p> <p>(vi) शालाक्य तंत्र-06 सीटें</p> <p>(vii) शल्य तंत्र -05 सीटें</p> <p>(viii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें</p> <p>(ix) पंचकर्म-06 सीटें एवं निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम :</p> <p>(i) बाल रोग-05 सीटें</p> <p>(ii) नेत्र रोग विज्ञान-05 सीटें</p> <p>(iii) रसाशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें</p> <p>(iv) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-02 सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई इसके साथ-साथ भारत सरकार को रोग निदान एवं विकृति विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु एवं निम्नलिखित स्नातकोत्तर डिप्लोमा आयुर्वेद सौन्दर्य प्रसाधन एवं त्वक रोग और क्षार कर्म हेतु 2016-17 हेतु आशय पत्र जारी न करने की संस्तुति की गई ।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन सत्र 2016-17 में 50 सीटें (53 सीटों के स्थान पर) निम्नलिखित 09 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम</p> <p>(i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-06 सीटें</p> <p>(ii) द्रव्य गुण-06 सीटें</p> <p>(iii) कौमारभृत्य-05 सीटें</p> <p>(iv) कायचिकित्सा-04 सीटें</p> <p>(v) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-06</p> <p>(vi) शालाक्य तंत्र-06 सीटें</p> <p>(vii) शल्य तंत्र-05 सीटें</p> <p>(viii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें</p> <p>(ix) पंचकर्म-06 सीटें एवं निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम</p> <p>(i) बाल रोग-05 सीटें</p> <p>(ii) नेत्र रोग-05 सीटें</p> <p>(iii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें</p> <p>(iv) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-02 सीटें</p> <p>(v) आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजी एव त्वक रोग-02 सीटें</p> <p>(vi) क्षार कर्म-05 सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया । एवं रोग निदान एवं विकृति विज्ञान 03 सीटों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया ।</p> <p>एफ न0 आर-17011/28/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 14.10.2016</p>
34.	पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद पो.आ. लिम्डा तालुका वघोडिया, जिला,	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु (बी.ए.एम.एस.)</p>



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	वड़ोदरा-391760 गुजरात	स्नातकीय में 100 सीटों हेतु एवं निम्नलिखित 10 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) कौमार भृत्य (ii) शल्य तंत्र-क्षारकर्म एवं अनुशास्त्र कर्म (iii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग (iv) कायचिकित्सा (v) द्रव्य गुण (vi) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (vii) क्रियाशरीर (viii) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान (ix) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त (x) रचनाशरीर प्रत्येक में 05 सीटों हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई ।	में 100 सीटों हेतु एवं 60 सीटें निम्नलिखित 10 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) कौमार भृत्य (ii) शल्य तंत्र-क्षारकर्म एवं अनुशास्त्र कर्म (iii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग (iv) कायचिकित्सा (v) द्रव्य गुण (vi) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (vii) क्रियाशरीर (viii) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान (ix) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त (x) रचनाशरीर प्रत्येक में 05 सीटों हेतु सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-12011/04/2005-ईपी (आई एम-1) दिनांक 17.10.2015
35.	गोविन्दभाई जोराभाई पटेल आयुर्वेद कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर, बी/एच जी.आई.डी. सी नया वल्भ विद्यानगर, तालुका जिला, आनन्द-388121, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई एवं (महाविद्यालय ने 02 स्नाकोत्तर विषय कायचिकित्सा और रोग निदान प्रत्येक में 05 सीट के लिए आत्मसर्मपण किया)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटों हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एवं 10 सीटें निम्नलिखित 02 स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम (i) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-05 सीटें और (ii) कायचिकित्सा- 05 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न0. आर-12011/01/2005-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.10.2015
36.	श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राम व पो.आ. अस्थल बोहर, जिला, रोहतक-124021, हरियाणा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए.एम.एस में 60 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/29/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.10.2016
37.	श्री मारू सिंह मेमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बीपीएस महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलों, तहसील गोहाना, जिला	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 बी.ए.एम.एस में 60 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया।

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	सोनीपत-131305 हरियाणा	लिए संस्तुति की गई।	एफ न0. आर- 17011/30/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.10.2016
38.	गौड़ ब्राहमण आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, ग्राम एवं पो.आ. ब्राहमणवास, जिला, रोहतक-124001, हरियाणा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी. ए.एम.एस में 100 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर- 17011/31/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 17.10.2016
39.	मुरारीलाल रसीवसिया आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, राम कृष्ण गुप्ता मार्ग, चरखी दादरी, जिला भिवानी-127306, हरियाणा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए. एम.एस में 60 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/32/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 22.10.2016
40.	श्री कृष्णा गर्वमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, उमरी रोड, निकट डी.सी. रेजिडेन्स, सेक्टर-8, कुरुक्षेत्र-136118, हरियाणा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 50 सीटों हेतु सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/33/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.09.2016
41.	चौधरी देवीलाल आयुर्वेद कॉलेज, भगवानगढ़, बुरिया रोड, तहसील जगाधरी, जिला यमुना नगर-135003, हरियाणा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए.एम.एस में 60 सीटों हेतु सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/34/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 24.10.2016
42.	आयुज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल पंजुना खरिया रोड, जाोधपुरिया, सिरसा-125076, हरियाणा	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-12011/11/2009-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-12011/11/2009-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
43.	राजीव गाँधी गर्वमेंट पोस्ट-ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज, पपरोला तहसील-बैजनाथ, जिला कांगडा-176115, हिमाचल प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 50 सीटों एवं निम्नलिखित 10 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) कायचिकित्सा-06 सीटें और (ii) शल्य तंत्र-04 सीटें (iii) शालक्य तंत्र-04 सीटें (iv) आयुर्वेदसहिंता सिद्धांत-04 सीटें (v) द्रव्यगुण-03 सीटें (vi) रोग निदान-03 सीटें (viii) प्रसूति तंत्र-03 सीटें (viii) कौमारभृत्य-03 सीटें (ix) पंचकर्म-03 सीटें (x) स्वस्थवृत-03 सीटें हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई एवं निम्नलिखित स्नातकोत्तर रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना हेतु 2016-17 हेतु आशय पत्र जारी न करने की संस्तुति की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए.एम.एस में 50 सीटों एवं निम्नलिखित 11 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (I) कायचिकित्सा-06 सीटें और (ii) शल्य तंत्र-04 सीटें (iii) शालक्य तंत्र-04 सीटें (iv) आयुर्वेदा सहिता एवं सिद्धांत-04 सीटें (v) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-03 (vi) द्रव्यगुण-03 सीटें (vii) रोग निदान एवं वृत्ति विज्ञान-03 सीटें (viii) प्रसूति तंत्र-03 सीटें (ix) कौमारभृत्य (बाल रोग)-03 सीटें (x) पंचकर्म-03 सीटें (xi) स्वस्थवृत-03 सीटें हेतु आशय पत्र जारी किया गया । एफ न0. आर-17011/35/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 20.10.2016
44.	जम्मू इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एवं रिसर्च, मुथी, नर्दनी, रायपुर बनतालाब रोड़, जम्मू तवी-181123	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया । एफ न0. आर-17011/36/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.07.2015	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को 50 सीटों हेतु स्नातकीय पाठ्यक्रम एवं 15 सीटें निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (I) क्रियाशरीर (ii) कायचिकित्सा (iii) शल्य तंत्र प्रत्येक में 05 सीटों सहित 2019-20 तक पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया । एफ न0. आर-17011/36/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.07.2015
45.	सूर्यामुखी दिनेश आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, ग्राम एवं पो. बूटी, वाया नियोरी विकास, रांची-835217, झारखंड	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया । एफ न0. आर-17011/37/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं बी.ए.एम.एस में 40 सीटों हेतु आशय पत्र जारी किया गया ।

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
46.	गर्वमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, नई सय्यजीराव रोड़, विश्वेश्वरैयाह सर्कल, जिला मैसूर-570001, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	एफ न0. आर-17011 / 37 / 2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क / 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए.एम.एस में 50 सीटों एवं 12 सीटों निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत-05 सीटों और (ii) कायचिकित्सा-07 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011 / 38 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 23.09.2016
47.	अरूर लक्ष्मीनारायण राव मेमोरियल आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, कोप्पा-577126 जिला चिकमगलूर, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटों एवं 16 सीटों निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगुण-06 सीटों और (ii) कायचिकित्सा-05 सीटों (iii) रसशास्त्र एवं भेषज्य-05 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क / 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 बी.ए.एम.एस में 60 सीटों एवं 16 सीटों निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगुण विज्ञान-06 सीटों और (ii) रसशास्त्र एवं भेषज्य-05 सीटों (iii) कायचिकित्सा-05 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011 / 39 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016
48.	गर्वमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, धन्वंतरी रोड़, बंगलौर-560009, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क / 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए.एम.एस में 60 सीटों एवं 40 सीटों निम्नलिखित 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगुण-07 सीटों और (ii) रसशास्त्र एवं भेषज्य-06 सीटों (iii) रोगनिदान-06 सीटों (vi) शल्य तंत्र -07 सीटों (v) शाल्कय तंत्र -07 सीटों (vi) पंचकर्मा -07 सीटों सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011 / 40 / 2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 29.09.2016



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
49.	तारानाथ गर्वमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अनन्तपुरा रोड, बेल्लारी-583101, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए.एम.एस में 40 सीटें एवं 07 सीटें 01 स्नातकीय पाठ्यक्रम रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर- 17011/41/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 05.10.2016
50.	ए.वी. समिति आयुर्वेद महाविद्यालय विद्या नगर, बागलकोट रोड,ता. एवं जिला बिजापुर - 586101, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटें एवं 22 सीटें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में : (i) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें (ii) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-03 सीटें (iii) द्रव्यगुण-05 सीटें (vi) कायचिकित्सा-05 सीटें (v) शल्यतंत्र-04 सीटें हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 तक बी.ए.एम.एस में 60 सीटें एवं 22 सीटें निम्नलिखित 05 सीटें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम: (i) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें (ii) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-03 सीटें (iii) द्रव्यगुण- 05 सीटें (iv) कायचिकित्सा-05 सीटें (v) शल्यतंत्र-04 सीटें सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/42/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 05.10.2016
51.	आयुर्वेद महाविद्यालय एवं हॉस्पिटल हेग्गेरी एक्सटेंशन पुरानी हुबली-508824, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 50 सीटें एवं 22 सीटें निम्नलिखित 05 स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) संहिता सिद्धांत-05 सीटें (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें (iii) कायचिकित्सा-05 सीटें (iv) शल्य तंत्र-02 सीटें और (v) पंचकर्मा-05 सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 तक बी.ए.एम.एस में 50 सीटें एवं 22 सीटें निम्नलिखित 05 स्नातकीय पाठ्यक्रम : (i) संहिता सिद्धांत-05 सीटें (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें (iii) कायचिकित्सा-05 सीटें (iv) शल्य तंत्र-02 सीटें और (v) पंचकर्मा-05 सीटें हेतु सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/43/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 07.10.2016
52	कर्नाटक लिबल एजूकेशन	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	यूनिवर्सिटी श्री बी.एम. कंकनवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, शाहपुर, बेलगाम-590003, कर्नाटक	अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए.एम.एस में 100 सीटें एवं 66 सीटें निम्नलिखित 11 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) द्रव्यगुण-05 सीटें (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-11 (iii) स्वस्थवृत्त एवं योगा-06 सीटें (iv) अगद तंत्र एवं विधि वैधक-06 (v) कौमाभृत्य एवं बाल रोग-06 सीटें (vi) कायचिकित्सा-06 सीटें (vii) रसायन एवं वाजीकरण-06 सीटें (viii) शल्या तंत्र-06 सीटें (ix) संज्ञाहरण-02 सीटें (x) शालक्य तंत्र-06 सीटें (x) पंचकर्म-06 सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/44/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 19.10.2016
53.	अश्विनी एजुकेशनल एसोसिएशन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं पी.जी. सेन्टर 405/1, बाथी लेक के सामने, अश्विनी नगर, पी. बी. रोड़, जिला दावनगरे कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 50 सीटें एवं 10 सीटें निम्नलिखित 02 स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) कायचिकित्सा-05 सीटें (ii) शल्या तंत्र-05 हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 तक बी.ए.एम.एस में 50 सीटें एवं 10 सीटें निम्नलिखित 02 स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) कायचिकित्सा-05 सीटें (ii) शल्या तंत्र-05 हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/84/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 07.10.2016
54.	एन.के. जबशेट्टी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं पी.जी. सेन्टर सिद्धरूढ मठ, गुम्पा मनहल्ली रोड़, बिदर-585403, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटें एवं 30 सीटें निम्नलिखित 07 स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) रचना शरीर-05 सीटें (ii) द्रव्यगुण-04 (iii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-04 सीटें (iv) रोग निदान-04 सीटें (v) प्रसूति तंत्र-05 सीटें (vi) शल्य तंत्र-05 सीटें (vii) पंचकर्मा-03 सीटें हेतु सशर्त	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटें एवं 30 सीटें निम्नलिखित 07 स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) रचना शरीर-05 सीटें (ii) द्रव्यगुण-04 (iii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-04 सीटें (iv) रोग निदान-04 सीटें (v) प्रसूति तंत्र-05 सीटें (vi) शल्य तंत्र-05 सीटें (vii) पंचकर्मा-03 सीटें हेतुसत्र



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	यूनिवर्सिटी श्री बी.एम. कंकनवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, शाहपुर, बेलगाम-590003, कर्नाटक	आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/45/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 23.09.2016
55.	डॉ. बासवाराज नागोर मेमोरियल ट्रस्ट, डॉ. बी.एन. एम रुरल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, श्रीमती सुशीला देवी नगोर कॉलोनी, कॉलेज रोड, तालूक एवं जिला बिजापुर-586101, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 50 सीटें हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 50 सीटें जारी करने सशर्त आशय पत्र जारी किया गया है एवं 21 सीटें निम्नलिखित 05 स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) काया चिकित्सा-05 सीटें (ii) पंचकर्मा-03 सीटें (iii) आयुर्वेद समहिता सिंद्धान्त-07 सीटें (iv) द्रव्यगुण विज्ञान-03 सीटें (v) सवस्तय वृत-03 सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न0. आर-17011/46/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 17.11.2016
56.	जे.एस.एस. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, श्री शिवरात्रीश्वर नगर, मैसूर-570015, कर्नाटक	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर- 17011/45/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.10.2015	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से पूर्व में ही आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 100 सीटें एवं 16 सीटें निम्नलिखित 04 स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगण-04 (ii) रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-04 सीटें (iii) पंचकर्मा-05 सीटें (iv) सवस्तय वृत-03 सीटें हेतु आशय पत्र सत्र 2019-20 (05 वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया। एफ न0. आर- 17011/45/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.10.2015
57.	सिंदगी शांता विरेश्वर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल शांतावीर नगर, इजरीलाकमपुर, पी.बी. रोड, ता./जिला हावेरी-581183, कर्नाटक	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/8/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 06.08.2014 (13011/49/2014 ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.10.2015	शैक्षिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/8/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 06.08.2014 (13011/49/2014 ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.10.2015

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
58.	श्री विजय महन्तेश आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, तालुका-हुनगुंड जिला बागलकोट, इल्कल-587125, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटें एवं 30 सीटें निम्नलिखित 06 स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) कायचिकित्सा-05 सीटें (ii) पंचकर्म-05 (iii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-05 सीटें (iv) शालक्य तंत्र -05 सीटें (v) आयुर्वेद संहिता सिद्धान्त-05 सीटें (vi) शल्य तंत्र-05 सीटें हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटें एवं 30 सीटें निम्नलिखित 06 स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) कायचिकित्सा-05 सीटें (ii) पंचकर्म-05 (iii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-05 सीटें (iv) शालक्य तंत्र-05 सीटें (v) आयुर्वेद संहिता सिद्धान्त-05 सीटें (vi) शल्य तंत्र-05 सीटें हेतु आशय पत्र सत्र 2019-20 (05 वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/49/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.09.2016
59.	बापूजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, सौलंगा रोड, ए.जी. कॉलेज के सामने, चन्नामुम्बापुरा, शिमोगा-577204, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए.एम.एस में 50 सीटों हेतु आशय पत्र सत्र 2019-20 (05 वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/50/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.09.2016
60.	टी.एम.ए.ई. सोसायटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, संकलापुरा टांडा, बेल्लारी रोड, हॉस्पेट-583201, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 50 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए.एम.एस में 60 सीटों एवं 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शल्यतंत्र में 03 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/51/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.09.2016
61.	टी.एम.ए.ई.एस. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, निडीगे पोस्ट, शिमोगा-560001, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए.एम.एस में 60 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/52/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.09.2016



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
62.	अमृता आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ओनाके ओबावा स्टेडियम के पीछे, जिला चित्रदुर्ग-577501 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए.एम.एस में 40 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/53/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 26.11.2016
63.	बापूजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, बापूजी कैम्पस, टी.आर. नगर, चल्लाकरे, जिला चित्रदुर्ग-577522, कर्नाटक	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/54/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 06.08.2014	शैक्षिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/54/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 06.08.2014 13011/67/2014 दिनांक 27.10.2015
64.	श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एवं हॉस्पिटल, थन्नीरुहला, बी.एम. रोड तालूका एवं जिला हसन-573201, कर्नाटक	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/55/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 12.08.2014	महाविद्यालय को निम्नलिखित 15 स्नातकोत्तर में 75 सीटों एवं 93 सीटों सहित 05 वर्षों से अनाधिक अवधि हेतु अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है:-(i) संहिता सिद्धान्त-12 सीटें (ii) रचना शारीर-06 सीटें (iii) किया शारीर-06 सीटें (iv) द्रव्यगुण-06 सीटें (v) रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-06 सीटें (vi) रोगनिदान-06 सीटें (vii) स्वस्थवृत्त-06 सीटें (viii) अगदतंत्र-06 सीटें (ix) प्रसूति एवं स्त्री रोग-06 सीटें (x) कौमारभृत्य-06 सीटें (xi) मानस रोग-06 सीटें (xii) कायाचिकित्सा-06 सीटें (xiii) शल्य तंत्र-05 सीटें (xiv) शालाक्य तंत्र-04 सीटें तथा (xv) पंचकर्म-06 सीटों तक
65.	के.वी.जी. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, अम्बाटेडका सुलिया जिला दक्षिण कन्नड-574327 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटें एवं 34 सीटें निम्नलिखित 06 स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगुण-06 सीटें (ii) रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना 06 (iii) अगद तंत्र-05 सीटें (iv) कायाचिकित्सा-05 सीटें (v) शल्य तंत्र-06 सीटें और (vi) पंचकर्मा-06 हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क/13 ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016 -17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटें एवं 34 सीटें निम्नलिखित 06 स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगुण-06 सीटें (ii) रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना 06 (iii) अगद तंत्र-05 सीटें (iv) कायाचिकित्सा-05 सीटें (v) शल्य तंत्र-06 सीटें और (vi) पंचकर्मा-06 हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/56/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016
66.	श्री जगदगुरु गुरुसिद्धेश्वर को.ऑपरेटिव सोसायटी सहकार महर्षि, श्री बी.ए. पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, तालूक गोकक, जिला बेलगाम, घटप्रभा-591310, कर्नाटक	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-13011/36/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 09.10.2015 एव 17011/57/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से पूर्व में ही आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटें एवं निम्नलिखित 10 स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगुण-05 सीटें (ii) पंचकर्मा 05

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
67.	श्री कालभैरेश्वर स्वामी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, नं.10, पाईप लाईन रोड, आर.पी.सी. लोआउट, विजयनगर, बंगलौर-560104 कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 100 सीटें एवं 30 सीटें निम्नलिखित 05 स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) प्रसूति एवं स्त्री रोग (ii) कायचिकित्सा (iii) शल्य तंत्र (iv) शालक्य तंत्र (v) पंचकर्मा प्रत्येक विषय में-06 सीटें हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	(iii) स्वस्थवृत्त-05 सीटें (iv) रसशास्त्र-05 सीटें (v) रोगनिदान-05 सीटें (vi) शालक्य तंत्र-05 (vii) कौमारभृत्य-05 सीटें (viii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-05 सीटें (ix) शल्यतंत्र -05 सीटें (x) कायचिकित्सा-05 सीटें हेतु आशय पत्र सत्र 2019-20 (05 वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया। एफ न0. आर-13011/36/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 09.10.2015 एव 17011/57/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2015-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 100 सीटें एवं 30 सीटें निम्नलिखित 05 स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) प्रसूति एवं स्त्री रोग (ii) कायचिकित्सा (iii) शल्य तंत्र (iv) शालक्य तंत्र (v) पंचकर्मा प्रत्येक विषय में-06 सीटें हेतु आशय पत्र सत्र 2019-20 (05 वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया। एफ न0. आर- 17011/58/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.09.2016
68.	भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान एवं अनुसन्धान , बंगलौर पैलेस कम्पाउण्ड, जयमहल रोड, सामने दर्गा, बंगलौर-560006, कर्नाटक	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया एंव 17011/59/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 11.08.2014 फ.र. नं. 17011/59/2014 दिनांक 11.08.2014	शैक्षिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया था जिसे भारत सरकार ने 45 सीटों स्नातक पाठ्यक्रम हेतु वापस लिया गया। एफ न0. आर-17011/59/2014-ईपी आई एम-1) दिनांक 11.08.2014 इसके उपरान्त भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 45 सीटें



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतिय	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
69.	महागणपति आयुर्वेदिक कॉलेज, होयसाल नगर, होल्याल रोड, जिला धारवाड़- 580003, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गयासी-13015/15/2015-विग (आयुष) दिनांक 12.01.2017 शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में 60 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न0. आर- 17011/62/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 27.10.2016
70.	अल्वास आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, मूदबिद्री मंगलौर, जिला दक्षिण कन्नड-574227, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 100 सीटें एवं निम्नलिखित 15 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-05 सीटें (ii) रचना शरीर-05 सीटें (iii) द्रव्यगुण-05 सीटें (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-10 सीटें (v) अगद तंत्र-05 सीटें (vi) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-05 सीटें (vii) कौमारभृत्य-05 सीटें (viii) कायचिकित्सा-05 सीटें (ix) शल्यतंत्र-05 सीटें (x) पंचकर्म-05 सीटें (xi) क्रियाशरीर-04 सीटें, (xii) स्वस्थवृत्त-04 सीटें (xiii) मनोविज्ञान एवं मानस रोग-04 सीटें (xiv) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-4 सीटें (xv) शालक्य तंत्र-04 सीटें हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 100 सीटें एवं 75 सीटें 15 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-05 सीटें (ii) रचना शरीर-05 सीटें (iii) द्रव्यगुण-05 सीटें (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-10 सीटें (v) अगद तंत्र-05 सीटें (vi) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-05 सीटें (vii) कौमारभृत्य-05 सीटें (viii) कायचिकित्सा-05 सीटें (ix) शल्यतंत्र-05 सीटें (x) पंचकर्म-05 सीटें (xi) क्रियाशरीर-04 सीटें (xii) स्वस्थवृत्त-04 सीटें (xiii) मनोविज्ञान एवं मानस रोग-04 सीटें (xiv) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-4 सीटें (xv) शालक्य तंत्र-04 सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/60/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 16.09.2016 इसके उपरान्त भारत सरकार के आंशिक प्रत्यावर्तन पत्र दिनांक 16.09.2016 को उपरोक्त विषयों हेतु

क्र.सं महाविद्यालय का नाम

वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां

वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 100 सीटें एवं 75 सीटें 15 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

- (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-05 सीटें
- (ii) रचना शरीर-05 सीटें
- (iii) द्रव्यगुण-05 सीटें
- (iv) रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-10 सीटें
- (v) अगद तंत्र-05 सीटें
- (vi) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-05 सीटें
- (vii) कौमारभृत्य-05 सीटें
- (viii) कायचिकित्सा-05 सीटें
- (ix) शल्यतंत्र-05 सीटें
- (x) पंचकर्म-05 सीटें
- (xi) क्रियाशरीर-04 सीटें
- (xii) स्वस्थवृत्त-04 सीटें
- (xiii) मनोविज्ञान एवं मानस रोग-04 सीटें
- (xiv) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-04 सीटें
- (vx) शालक्य तंत्र-04 सीटें हेतु आशय पत्र सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया।

एफ न0. आर-17011/60/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 23.12.2016

71. एस.एन.वी.वी. समस्थे एसजीवी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, तालूक बैलहोंगल, बेलगाम,-591102, कर्नाटक

परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं, हेतु आशय पत्र जारी किया गया।

एफ न0. आर-17011/61/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 18.08.2015

एफ न0. आर-14011/33/2014-ईपी (आई एम-1)

आर-13011/39/2014-ईपी

(आई एम-1) दिनांक 01.10.2015

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से बी.ए.एम.एस में 60 सीटों हेतु एवं 16 सीटें निम्नलिखित 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

- (i) स्वस्थवृत्त एवं योग
- (ii) प्रसूति एवं स्त्री रोग
- (iii) कौमारभृत्य एवं बालरोग
- (iv) कायचिकित्सा प्रत्येक में 04 सीटों सहित सत्र 2019-20 (05 वर्षों से अधिक नहीं) आशय पत्र जारी किया गया।

एफ न0. आर-17011/61/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 18.08.2015



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
72.	श्री शिवयोगेश्वर रुरल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, तालुका सोन्दत्ती, जिला बेलागाम, इन्चल-591102, कर्नाटक	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/63/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015 आर-14011/47/2014-ईपी (आई एम-1) आर-13011/69/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.09.2015	एफ न0. आर-14011/33/2014-ईपी (आई एम-1) आर-13011/39/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.10.2015 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटें एवं निम्नलिखित 06 स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगुण-05 सीटें (ii) शल्यतंत्र-05 सीटें (iii) पंचकर्मा प्रत्येक विषय में 05 सीटें हेतु आशय पत्र सत्र 2019-20 (05 वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया। (iv) रचना शरीर-05 सीटें (v) रचशास्त्र-05 सीटें (vi) कायाचिकित्सा-05 सीटें एफ न0. आर-17011/63/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015 आर-14011/47/2014-ईपी (आई एम-1) आर-13011/69/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.09.2015
73.	तलुका शिक्षण प्रसारक सहकारा मण्डली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सिंदगी, बीजापुर-586128, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 40 सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न0. आर-17011/64/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 21.11.2016
74.	श्री जगदगुरु गवीसिद्धेश्वर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, पी.जी. स्टडीज एवं अनुसन्धान केन्द्र, कोप्पल-583231, कर्नाटक	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न0. आर-17011/65/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 26.05.2015 एफ न0. आर-13011/16/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.10.2015	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से पूर्व में ही आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में 60 सीटें एवं 41 सीटें निम्नलिखित 09 स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) क्रिया शरीर-04 सीटें (ii) द्रव्यगुण-05 सीटें (iii) रसशास्त्र एवं भेषज्यकल्पना-05 सीटें (iv) सवस्थवृत-05 सीटें (v) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-04 सीटें (vi) कोमारभृत्य-04 सीटें

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			(vii) शल्यतंत्र-05 सीटें (viii) शालक्य तंत्र-04 (ix) पंचकर्मा-05 सीटें हेतु के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की की गई। एफ न0. आर-17011/65/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 26.08.2015 एफ न0. आर-13011/16/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.10.2015
75.	श्री हिंगुलम्बिका एजुकेशन सोसायटी, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, भवसार नगर, सेदम रोड, गुलबर्गा-585106, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में वर्तमान 40 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-17011/66/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.09.2016
76	कलमठडा पूज्य श्री विरूपक्ष शिवाचार्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मानवी जिला-रायचूर-584123, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	शैक्षणिक सत्र 2018-19 तक 60 सीटों हेतु महाविद्यालय को पूर्व में ही पाँच साल की अनुमति दी जा चुकी है पत्र क्रमांक आर-17011/14/2014-ईपी (आई एम-1) एवं आर-13011/53/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 02.11.2015 एवं 25.09.2014 शैक्षणिक सत्र 2020-21 तक 60 सीटों हेतु महाविद्यालय को पाँच साल की अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/67/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.10.2016
77.	श्री बासवेश्वर वीरशैव विद्या वर्धक संघ, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बगलकोट कैम्पस, बगलकोट कर्नाटक-587101	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए एवं निम्नलिखित 02 स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना (ii) शल्यतंत्र हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 50 सीटों एवं 10 सीट निम्नलिखित 02 स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु (i) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना (ii) शल्यतंत्र प्रत्येक में 05 सीट के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की की गई।



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			पत्र क्रमांक आर-17011/68/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016
78.	श्री बाहुबली विद्यापीठ जे.वी. मण्डल ग्रामीण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गुरुकुल कैम्पस, तालूक जामखण्डी, जिला बागलकोट, टरडल-587315, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016 -17 से 50 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/69/2016-ईपी. (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016
79.	एस.एस.वी. समिति श्री एसबीएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मुंदर्गी, जिला गडग-582118, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016 -17 से 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/70/2016-ईपी. (आई एम-1) दिनांक 19.10.2016
80.	जे.एस.वी.वी. समस्ते दनाप्पा गुरुशिद्दप्पा मेलमालगी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, डॉ. सावदी रोड़, शिवानन्द नगर, ता. एवं जिला गडग-582103, कर्नाटक	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। पत्र क्रमांक आर-17011/71/2015-ईपी. (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016 -17 से शैक्षिक सत्र 2019-20 तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) पूर्व में ही स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए तथा 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों द्रव्य गुण-04 सीटें, रसशास्त्र-05 सीटें/कायचिकित्सा-05 सीटें/पंचकर्म-05 सीटेंके लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/71/2015-ईपी. (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015
81.	श्री वीरपुलीकेशी रुरल विद्यावर्धक समस्थ रुरल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, सामने जे.एम.एफ.कोर्ट रामदुर्ग रोड़, पो.आ. एवं तालूक बदामी, बागलकोट-587201, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/72/2016-ईपी. (आई एम-1) दिनांक 08.11.2016
82.	कन्नाड बालगा सोसायटी	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	रूरल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ऑटोनगर, मैन डबल रोड, तालूक एवं जिला बेलगाम-590016, कर्नाटक	अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 40 सीटों के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/73/2016-ईपी. (आई एम-1) दिनांक 06.12.2016
83.	बगमार सेवा समिति भगवान महावीर जैन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गजेन्द्रगढ, तालूक रो.न, जिला गडग-582114, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016 -17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए तथा 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय को अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना-05 सीटें (ii) कायचिकित्सा-05 सीटें (iii) शल्य तंत्र-05 सीटें (iv) पंचकर्म-05 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016 -17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों के लिए तथा 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (i) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें (ii) कायचिकित्सा-05 सीटें (iii) शल्य तंत्र-05 सीटें (iv) पंचकर्म-05 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/74/2016-ईपी. (आई एम-1) दिनांक 09.09.2016
84.	श्री कालिदास आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, बनशनकारी रोड, पोस्ट बदामी जिला बगलकोट-587201, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 40 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/75/2016-ईपी. (आई एम-1) दिनांक 01.09.2016
85.	राजीव गाँधी एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, तालूका रो.न, जिला गडग-582209, कर्नाटक	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। पत्र क्रमांक आर-17011/76/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015 एवं पत्र क्रमांक आर-13011/31/2014-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 30.09.2015	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016 -17 से शैक्षिक सत्र 2019-20 तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) पूर्व में ही स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए तथा 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 18 सीटों के लिए (i) द्रव्यगुण-06 सीटें (ii) कायचिकित्सा-06 सीटें (iii) शल्य तंत्र-06 सीटें के लिए अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/76/2015-ई पी.



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	रूरल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ऑटोनगर, मैन डबल रोड, तालूक एवं जिला बेलगाम-590016, कर्नाटक	अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	(आई एम-1) दिनांक 15.07.2015 एवं पत्र क्रमांक आर-13011/31/2014-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 30.09.2015
86.	मुनियाल आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान संस्थान, न0. 34/सी, शिवाली औद्योगिक क्षेत्र, तालूक एवं जिला उडुपी, मणिपाल, -576104, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 40 सीटों के लिए तथा 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) द्रव्यगुण-05 सीटें (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-09 सीटें (iii) कायचिकित्सा-05 सीटें (iv) शल्य तंत्र-05 सीटें (v) पंचकर्म-05 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों के लिए तथा 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 29 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) द्रव्यगुण-05 सीटें (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-09 सीटें (iii) कायचिकित्सा-05 सीटें (iv) शल्य तंत्र-05 सीटें (v) पंचकर्म-05 सीटें पत्र क्रमांक आर-17011/77/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016
87.	धन्वतरी आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, सिद्धपुर जिला उत्तर कन्नड-581355, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 60 सीटों के लिए के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/78/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016
88.	श्री बालाजी एजुकेशन ट्रस्ट, रामा कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसन्धान केन्द्र, 54/2 रामागोंडनहल्ली, येलहांका बंगालौर-560064, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों एवं 05 निम्नलिखित स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (ii) द्रव्यगुण विज्ञान (iii) कायचिकित्सा (iv) शल्य तंत्र एवं (v) पंचकर्म प्रत्येक में 05 सीटों हेतु के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 60 सीटों एवं 05 निम्नलिखित स्नातकीय पाठ्यक्रम 25 सीटों सहित (i) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (ii) द्रव्यगुण विज्ञान (iii) कायचिकित्सा (iv) शल्य तंत्र एवं (v) पंचकर्म प्रत्येक में 05 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/79/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 26.11.2016

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
89.	श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वर आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल, लक्ष्मीनारायण नगर, पो.आ. कुथपाडी तालूक एवं जिला उडुपी-574118, कर्नाटक	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। पत्र क्रमांक आर-17011/80/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से शैक्षिक सत्र 2019-20 तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) पूर्व में ही स्नातकीय पाठ्यक्रम में 75 सीटों के लिए तथा 13 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 71 सीटों के लिए अनुमति प्रदान की गई। (i) आयुर्वेद एवं संहिता सिद्धांत-06 सीटें (ii) रचनाशारीर-06 सीटें (iii) द्रव्य गुण-06 सीटें (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें (v) रोगनिदान-05 सीटें (vi) स्वस्थवृत-04 सीटें (vii) अगदतंत्र-05 सीटें (viii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-06 सीटें (ix) कौमारभृत्य-04 सीटें (x) कायचिकित्सा-06 सीटें (xi) मानस रोग-05 सीटें (xii) शल्यतंत्र-06 सीटें (xiii) पंचकर्म-06 सीटें पत्र क्रमांक आर-17011/80/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015
90.	कर्नाटक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, के.ई. सी.टी. टॉवर, होलगेबैल, अशोकनगर, पोस्ट आफिस मंगलौर डी.के.-575006, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए तथा 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 25 सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) द्रव्यगुण (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (iii) कायचिकित्सा (iv) शल्य तंत्र और (v) पंचकर्म प्रत्येक में 05 सीटों हेतु पत्र क्रमांक आर-17011/81/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 16.09.2016
91.	सुश्रुत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल,	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	प्रशान्ती कुटीर, जोदी बिगीपुर, जिगनी होबली, अनेकल तालुक, बंगलौर-560106, कर्नाटक	अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 100 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 100 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/82/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 20.10.2016
92.	श्री श्री कॉलेज आफ़ आयुर्वेदिक साईंसिज एवं रिसर्च 21 के.एम. कनकपुरा रोड़, पोस्ट उदयपुरा बंगलौर -560082, कर्नाटक	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। पत्र क्रमांक आर-12011/13/2004-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015 आर-14011/12/2012-ई पी. (आई एम-1) और आर-13011/12/2014-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 01.10.2015	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से शैक्षिक सत्र 2019-20 तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) 100 सीटों हेतु एवं 15 सीटें निम्नलिखित 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त 04 सीटें द्रव्यगुण विज्ञान 05 सीटें रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना 06 सीटों के लिए अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-12011/13/2004-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 15.07.2015 आर-14011/12/2012-ई पी. (आई एम-1) और आर-13011/12/2014-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 01.10.2015
93.	अश्विनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर रिंग रोड़, मरलूर, तालुक एवं जिला तुमकुर-572105, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 100 सीटों के लिए तथा 07 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) द्रव्यगुण-05 सीटें (ii) कायचिकित्सा-05 सीटें (iii) शालाक्य तंत्र-05 सीटें (iv) पंचकर्म-05 सीटें (v) स्वस्थवृत्त-05 सीटें (vi) क्रियाशरीर-05 सीटें (vii) शल्यतंत्र-05 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2020-21 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए तथा 07 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 35 सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) द्रव्यगुण-05 सीटें (ii) कायचिकित्सा-05 सीटें (iii) शालाक्य तंत्र-05 सीटें (iv) पंचकर्म-05 सीटें (v) स्वस्थवृत्त-05 सीटें (vi) क्रियाशरीर-05 सीटें (vii) शल्यतंत्र-05 सीटें पत्र क्रमांक आर-12011/25/2003-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 07.12.2016
94.	श्री सी.बी. गुट्टल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ग्राम मुम्मीगट्टी जिला धारवाड़-580001, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 से शैक्षिक सत्र 2019-20	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 50 सीटों के लिए अनुमति सत्र

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंधान की गई।	2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-12011/18/2004-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 16.09.2016
95.	अत्रेय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, पोस्ट कोडगेहल्ली, डोदाबल्लापुरा, बंगलौर-561203, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13 ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंधान की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13 ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 50 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-12011/05/2005-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016
96.	श्री राघवेन्द्र आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पो.आ. मल्लादीहल्ली तालुका होलाकरे चित्रदुर्ग-577531, कर्नाटक	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। पत्र क्रमांक आर-12011/43/2003-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 12.08.2014	शैक्षणिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही पाँच साल की अनुमति दी जा चुकी है पत्र क्रमांक आर-12011/43/2003-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 12.08.2014
97.	एसडीएम ट्रस्ट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, पदमा आयुर्वेदिक अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, टरडल, तालुका जामखण्डी, जिला बगलकोट-587315, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13 ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों एवं 02 निम्नलिखित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) अगद तंत्र-05 सीटे (ii) स्वरथवृत-05 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंधान की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13 ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 60 सीटों एवं 02 निम्नलिखित स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) अगद तंत्र-05 सीटे (ii) स्वरथवृत-05 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की की गई। पत्र क्रमांक आर-12011/12/2005-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016
98.	श्री छत्रपति शिवाजी एजुकेशन सोसायटी धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, औद्योगिक क्षेत्र, शिवशंकर नगर, जतरत रोड निपानी, तालुका-चिकोडी, बेलगाम, बंगलौर-591237, कर्नाटक	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। पत्र क्रमांक आर-17011/86/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 15.09.2015	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13 ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से शैक्षिक सत्र 2018-19 तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) पूर्व में ही 40 सीटों के लिए अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/86/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 15.09.2015
99.	एसएमवीवीएस, श्रीमती राजेश्वरी कपूरमठ मेमोरियल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर कपूरमठ	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13 ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 60 एवं 11 सीटों हेतु निम्नलिखित



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	एसएमवीवीएस, श्रीमती राजेश्वरी कपूरमठ मेमोरियल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर कपूरमठ कॅम्पस, 100 फीट रिंग रोड, के.सी. नगर के पीछे, बीजापुर-03 कर्नाटक	पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) आयुर्वेद एवं संहिता सिद्धांत-02 सीटें (ii) स्वस्थवृत-03 सीटें (iii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-03 सीटें (iv) शालाक्य तंत्र-03 सीटें के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/85/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 15.09.2016
100.	वाईईटी श्री सिद्धरामेश्वर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं अनुसन्धान केन्द्र, नौबाद, बिदर-585402, कर्नाटका	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 30 सीटों के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/88/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 30.11.2016
101.	एस.एस. जमबागी मेमोरियल एजुकेशन एवं चेरिटेबल ट्रस्ट, श्री सिद्धिविनायक रुरल आयुर्वेद कॉलेज, हरुगेरी तालुक रायबाग, जिला बेलगाम,-591220, कर्नाटक	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। पत्र क्रमांक आर-12011/17/2007-ईपी (आई एम-1) दिनांक 11.08.2014 पत्र क्रमांक आर-13011/48/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 28.10.2014	शैक्षिक सत्र 2018-19 तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) पूर्व में ही महाविद्यालय को पाँच साल के लिए 60 सीटों की अनुमति दी जा चुकी है। पत्र क्रमांक आर-12011/17/2007-ईपी (आई एम-1) दिनांक 11.08.2014 पत्र क्रमांक आर-13011/48/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 28.10.2014
102	लटठे एजुकेशन सोसायटी, आचार्य देशभुषण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, ग्राम/पो. बेडकिहल-शामनेवाडी, तालुक चिकोडी बेलगाम-591214, कर्नाटक	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। पत्र क्रमांक आर-17011/87/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 14.08.2014	शैक्षिक सत्र 2018-19 तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) पूर्व में ही महाविद्यालय को पाँच साल के लिए 40 सीटों की अनुमति दी जा चुकी है। पत्र क्रमांक आर-17011/87/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 14.08.2014
103.	गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज, धन्वंतरी नगर, तालुक कन्यानूर, जिला एर्नाकुलम, त्रिपुनिथुरा-682301, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों के लिए तथा 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 25 सीटों के लिए महाविद्यालय को

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			<p>सशर्त अनुमति प्रदान की गई।</p> <p>(i) शल्य तंत्र-5 सीटें</p> <p>(ii) शालाक्य तंत्र-04 सीटें</p> <p>(iii) रसशास्त्र तंत्र-04 सीटें</p> <p>(iv) द्रव्यगुण-04 सीटें</p> <p>(v) पंचकर्म-04 सीटें</p> <p>(vi) स्वस्थवृत-04 सीटें</p> <p>पत्र क्रमांक आर-17011/89/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 29.09.2016</p>
104.	नांगेलील आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, पो.आ. नेल्लीकुझी, तालुकाकोठमंगलम, जिला एर्नाकुलम-686691, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 60 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/90/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 02.09.2016
105.	पी.एन पाणिकर सौहरुदा ट्रस्ट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, पराकलई, आनन्दाश्रम वाया जिला कसारगोड-671531, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 50 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-12011/01/2007-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 24.11.2016
106.	शांतिगिरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज ओलस्से, पो.आ. कोदुम्बा वाया तालुक एवं जिला पलक्कड-678551, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 50 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/91/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 05.10.2016
107.	वैद्यारत्नम आयुर्वेद कॉलेज, ओल्लूर, थिक्काट्टूसैरी, थरिसूर-680322, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए तथा 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 04 सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों के लिए तथा 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 04 सीटों के लिए अनुमति सत्र



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		करने हेतु अनुसंशा की गई। (i) कायचिकित्सा 04 सीट	2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। (i) कायचिकित्सा पत्र क्रमांक आर-17011/92/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 25.10.2016
108.	विष्णु आयुर्वेद कॉलेज, पो. आ. गर्वमेंट प्रेस, सोरानुर जिला पलक्कड-679122, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 50 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/93/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 17.10.2016
109.	वैद्यरत्नम पी.एस. वरियर आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाक्कल पो.आ. एडरीकोडे, तालुक तिरूर, जिला मालप्पुरम-676501, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए तथा 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 22 सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई। (i) मानसरोग-6 सीटें (ii) अगद तंत्र-04 सीटें (iii) पंचकर्म-04 सीटें (iv) द्रव्यगुण-04 सीटें (v) स्वस्थवृत्त-04 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों के लिए तथा 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 22 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। (i) मानसरोग-6 सीटें (ii) अगद तंत्र-04 सीटें (iii) पंचकर्म-04 सीटें (iv) द्रव्यगुण-04 सीटें (v) स्वस्थवृत्त-04 सीटें पत्र क्रमांक आर-17011/94/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 04.10.2016
110.	के.एम.सी.टी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, मनास्सेरी पो.आ.तालुक एवं जिला कोझिकोडे-673602, केरल	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। पत्र क्रमांक आर-12011/12/2004-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.09.2014	शैक्षणिक सत्र 2018-19 तक पूर्व में ही महाविद्यालय को पाँच साल की अनुमति दी जा चुकी है पत्र क्रमांक आर-12011/12/2004-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.09.2014
111.	मन्नम आयुर्वेद को-ओपरेटिव मेडिकल कॉलेज, एम.एस. एम पो.ओ. पंडालम, जिला पठनमथिट्टा,-689501, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 50 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई।

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
112.	पीएनएनएम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, पो.आ. शोरानूर, चेरुथुरुथी तालुक थलाप्पील्ली, जिला थरिसूर-679531, केरल	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। पत्र क्रमांक आर-12011/33/2006-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 16.07.2015	पत्र क्रमांक आर-12011/29/2005-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 17.10.2016 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से शैक्षिक सत्र 2019-20 तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-12011/33/2006-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 16.07.2015
113.	गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज, एम. जी.रोड, तालुक एवं जिला तिरुवंतपुरम-695001, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 70 सीटों के लिए तथा 11 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 63 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। (i) आयुर्वेद एवं संहिता सिद्धांत-06 सीटें (ii) द्रव्य गुण-06 सीटें (iii) रसशास्त्र एवं भेषज्यकल्पना -12 सीटें (iv) स्वस्थवृत्त-06 सीटें (v) अगदतंत्र-05 सीटें (vi) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-06 सीटें (vii) कौमारभृत्य-05 सीटें (viii) कायचिकित्सा-06 सीटें (ix) शल्यतंत्र-03 सीटें (x) शालाक्य तंत्र-03 सीटें (xi) पंचकर्म-05 सीटें पत्र क्रमांक आर-17011/95/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 29.09.2016
114.	पंकज कस्तुरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, किल्ली, कट्टाकाडा तिरुवंतपुरम-695572, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम 50 सीटों तथा 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (i) कायचिकित्सा-04 सीटें (ii) शल्यतंत्र-04 सीटें के लिए में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 50 सीटों तथा 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (i) कायचिकित्सा-04 सीटें (ii) शल्यतंत्र-04 सीटें के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई।



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
115.	श्री नारायण इन्सटीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक स्टडीज एवं रिसर्च, पो.आ. पुथुर, कोट्टारक्करा वाया जिला कोल्लाम-691507, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 60 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/96/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 14.10.2016
116.	पारस्सिनीकडावु आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, पो.ओ पारस्सिनीकडावु, जिला. कन्नूर-670563, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 से (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए तथा 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय को अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई। (I) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना-06 सीटों (ii) अगदतंत्र-03 सीटें (iii) पंचकर्म-04 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए तथा 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 13 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। (I) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना-06 सीटों (ii) अगदतंत्र-03 सीटें (iii) पंचकर्म-04 पत्र क्रमांक आर-17011/97/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 04.11.2016
117	गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज, पो. ऑ. परियाराम मेडिकल कॉलेज, कन्नूर,-670503, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों के लिए तथा 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 10 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। (i) क्रिया शारीर-05 सीटें (ii) रोगनिदान-05 सीटें पत्र क्रमांक आर-17011/98/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 29.09.2016
118.	अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेद, पो.आ. क्लम्पना, तालुक करुंगापल्ली, जिला कोल्लाम-690525, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 से शैक्षिक सत्र 2019-20 तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		<p>पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों के लिए तथा 09 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 38 सीटों के लिए महाविद्यालय को अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई।</p> <p>(i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-04 सीटें</p> <p>(ii) द्रव्य गुण-04 सीटें</p> <p>(iii) स्वस्थवृत्त-04 सीटें</p> <p>(iv) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-04 सीटें</p> <p>(v) कायचिकित्सा-04 सीटें</p> <p>(vi) शल्यतंत्र-04 सीटें</p> <p>(vii) शालाक्य तंत्र-04 सीटें</p> <p>(viii) पंचकर्म-04 सीटें</p> <p>(ix) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना-06 सीटें</p>	<p>लिए तथा 09 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 38 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई।</p> <p>(i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-04 सीटें</p> <p>(ii) द्रव्य गुण-04 सीटें</p> <p>(iii) स्वस्थवृत्त-04 सीटें</p> <p>(iv) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-04 सीटें</p> <p>(v) कायचिकित्सा-04 सीटें</p> <p>(vi) शल्यतंत्र-04 सीटें</p> <p>(vii) शालाक्य तंत्र-04 सीटें</p> <p>(viii) पंचकर्म-04 सीटें</p> <p>(ix) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना-06 सीटें</p> <p>पत्र क्रमांक आर-12011/59/2003-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 01.09.2016</p>
119.	अहिल्या आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज कोझिपारा पलक्कड-678557, केरल	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 50 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई।</p> <p>पत्र क्रमांक आर-12011/02/2009-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 19.11.2016</p>
120.	गर्वनमेंट ऑटो, आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, अमखो, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474009	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।</p>	<p>शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। तथा 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम क्रिया शारीर में 04 सीटों के लिए महाविद्यालय को अनुमति प्रदान नहीं की गई।</p> <p>पत्र क्रमांक आर-17011/99/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 30.09.2016</p>
121.	आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल बाराघटा, निकट रेलवे अन्डर ब्रिज, झांसी रोड़, ग्वालिया-474001, मध्य प्रदेश	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सत्र 2016-17 के लिए परिदर्शन नहीं किया गया एवं संस्तुति नहीं की गई।</p>	<p>शैक्षिक सत्र 2016-17 से 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई।</p> <p>पत्र क्रमांक आर-12011/47/2006-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 26.11.2016</p>



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
122.	गर्वमेंट ऑटोनॉमस आयुर्वेद कॉलेज, ग्वरीघाट जबलपुर-482001, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 40 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011-100/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 30.09.2016
123.	गर्वमेंट ऑटोनॉमस धन्वतंरी आयुर्वेद कॉलेज, मंगलनाथ मार्ग, तालुक एवं जिला उज्जैन-456001, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। तथा 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 09 सीटों के लिए महाविद्यालय को अनुमति प्रदान नहीं की गई। (i) कायचिकित्सा-03 सीटें (ii) द्रव्यगुण-04 सीटें (iii) रचनाशास्त्रीय-02 सीटें पत्र क्रमांक आर-17011/101/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 30.09.2016
124.	पं. शिव शक्तिलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, बंजली, सैलना रोड़, जिला रतलाम-457001, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों के लिए तथा 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 12 सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (I) कायचिकित्सा-06 सीटें (ii) पंचकर्म-06 सीटें तथा 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 06 सीटों के लिए महाविद्यालय को अनुमति प्रदान नहीं की गई। (iii) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-06 सीटें पत्र क्रमांक आर-17011/102/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 16.11.2016
125.	श्रीमती धैर्या प्रभा देवी सोजतिया आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, नीमथूर, भानपुरा-458775, जिला मन्दसौर मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सत्र 2016-17 के लिए परिदर्शन नहीं किया गया एवं संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र क्रमांक आर-12011/39/2006-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 24.11.2016

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
126.	पं. शिवनाथ शास्त्री गर्वमेंट ऑटोनोंमस आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, शिकारपुरा, निकट पानी की टंकी, बुरहानपुर-450331, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 40 सीटों के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/103/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 31.10.2016
127.	शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, लोकमान्य नगर, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452009	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/104/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 14.10.2016
128.	आचार्य ज्ञान आयुर्वेद कॉलेज, 287, जवाहर मार्ग, मालगंज चौराहा इन्दौर, मध्य प्रदेश-452004	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सत्र 2016-17 के लिए परिदर्शन नहीं किया गया एवं संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/105/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 25.11.2016
129.	शुभदीप आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ग्राम दत्तोडा, खण्डवा रोड़, तहसील म्होव निकट चोकी धानी, जिला इन्दौर-452020, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों के लिए तथा 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 21 सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई। (i) कायचिकित्सा-05 सीटें (ii) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-05 सीटें (iii) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना-05 सीटें (iv) रोगनिदान एवं विकृतिविज्ञान-05 सीटें (v) पंचकर्म-05 सीटें	शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए तथा 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 25 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। (i) कायचिकित्सा-05 सीटें (ii) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-05 सीटें (iii) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना-05 सीटें (iv) रोगनिदान एवं विकृतिविज्ञान-05 सीटें (v) पंचकर्म-05 सीटें पत्र क्रमांक आर-17011/106/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 01.09.2016
130.	गर्वमेंट ऑटोनोंमस आयुर्वेद कॉलेज, निपानिया जिला रीवा-484001, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों के लिए तथा 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत में 05	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए तथा 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई।	आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत में 05 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/107/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016
131.	अजीवन स्वास्थ्य सम्बर्धन आयुर्वेद महाविद्यालय आरोग्यधाम, दीनदयाल रिसर्च इन्सटीट्यूट चित्रकूट, जिला सतना-485533, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सत्र 2016-17 के लिए परिदर्शन नहीं किया गया एवं संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र क्रमांक आर-12011/08/2007-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 25.11.2016
132.	पं.खुशीलाल शर्मा, गर्वमेंट आयुर्वेद ऑटोनोंमस आयुर्वेद कॉलेज एवं संस्थान, मानित नेहरू नगर के पीछे, कोलार बाईपास रोड़, भोपाल-462003 मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों के लिए तथा 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई। (i) स्वस्थवृत्त-04 सीटें (ii) द्रव्यगुण-05 सीटें (iii) रसशास्त्र -05 सीटें (iv) रोगनिदान एवं विकृतिविज्ञान-06 सीटें (v) पंचकर्म-05 सीटें (vi) रचनाशारीर-06 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए तथा 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 31 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) स्वस्थवृत्त-04 सीटें (ii) द्रव्यगुण-05 सीटें (iii) रसशास्त्र -05 सीटें (iv) रोगनिदान एवं विकृतिविज्ञान-06 सीटें (v) पंचकर्म-05 सीटें (vi) रचनाशारीर-06 सीटें पत्र क्रमांक आर-17011/108/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 06.10.2016
133.	राजीव गॉंधी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, ई-8, त्रिलंगा कॉलोनी, शाहपुरा, भोपाल-462039, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/109/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 24.11.2016
134.	रानी दुल्लैया स्मृति आयुर्वेदिक पी.जी. कॉलेज एवं हॉस्पिटल, बरखेड़ी कलौ, भदभाडा रोड़, भोपाल-462044, मध्य प्रदेश	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। आर-17011/110/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 02.09.2014	शैक्षणिक सत्र 2018-19 तक पूर्व में ही स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए तथा 09 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 45 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-05 सीटें (ii) रचनाशारीर-05 सीटें (iii) स्वस्थवृत्त-05 सीटें

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			(iv) कौमारभृत्य-05 सीटें (v) अगदतंत्र-05 सीटें (vi) पंचकर्म-05 सीटें (vii) द्रव्यगुण-05 सीटें (viii) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना-05 सीटें (ix) शल्यतंत्र-05 सीटें पत्र क्रमांक आर-17011 / 110 / 2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 02.09.2014
135.	वीणावादिनी आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल अकबरपुर, फेस-2 कान्हा कुंज के पीछे, कोलार रोड, भोपाल - 462042 मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011 / 111 / 2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016
136.	ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, पो. आ. जामठी, भारत भारती, बेतूल-460001, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सत्र 2016-17 के लिए परिदर्शन नहीं किया गया एवं संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र क्रमांक आर-17011 / 112 / 2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 25.11.2016
137.	भंवर लाल नहता स्मृति संस्थान, एमएचओडब्ल्यू नीमच रोड, भंवरलाल नहता मार्ग, मंदसौर इन्सट्यूट ऑफ आयुर्वेद एजुकेशन एवं रिसर्च, मंदसौर-458001, मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-12011 / 10 / 2009-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 22.10.2016
138.	भारती विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद कॉलेज, सतारा रोड, तहसील हवेली, पुणे-411043, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 100 सीटों के लिए तथा 14 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 57 सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई। (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-04 सीटें (ii) रचनाशारीर-04 सीटें (iii) क्रियाशारीर-04 सीटें (iv) द्रव्य गुण-04 सीटें (v) भैषज्य कल्पना-04 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए तथा 14 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 57 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। (i) रचनाशारीर-04 सीटें (ii) क्रियाशारीर-04 सीटें (iii) द्रव्य गुण-04 सीटें (iv) भैषज्य कल्पना-04 सीटें



क्र.सं महाविद्यालय का नाम

वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां

- (vi) रोगनिदान-03 सीटें
- (vii) स्वस्थवृत-05 सीटें
- (viii) अगदतंत्र एवं विधिवैद्यक-04 सीटें
- (ix) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-05 सीटें
- (x) कौमारभृत्य-04 सीटें
- (xi) कायचिकित्सा-05 सीटें
- (xii) शल्य-04 सीटें
- (xiii) शालाक्य-04 सीटें
- (xiv) पंचकर्म-03 सीटें एवं निम्नलिखित स्नातकीय डिप्लोमा
 - (i) पंचकर्म
 - (ii) आयुर्वेदिक संज्ञाहरण
 - (iii) आयुर्वेदिक कोसमेटोलजी एवं त्वक रोग
 - (iv) प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग
 - (v) बालरोग
 - (vi) नेत्र योग विज्ञान प्रत्येक में-02 सीटों सहित

139. तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय 583/2, रास्ता पेठ, पुणे -411011, महाराष्ट्र

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 100 सीटों के लिए तथा 15 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 57 सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई।

- (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-03 सीटें
- (ii) रचनाशारीर-05 सीटें
- (iii) क्रियाशारीर-04 सीटें
- (iv) द्रव्य गुण-03 सीटें
- (v) रसशास्त्र-05 सीटें
- (vi) शल्य संज्ञाहरण-03 सीटें
- (vii) रोगनिदान-04 सीटें
- (viii) स्वस्थवृत-02 सीटें
- (ix) अगदतंत्र एवं विधिवैद्यक-04 सीटें
- (x) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-04 सीटें
- (xi) कायचिकित्सा-06 सीटें
- (xii) शल्यसामान्य-04 सीटें
- (xiii) शालाक्य-04 सीटें
- (xiv) पंचकर्म-04 सीटें
- (xv) कौमारभृत्य-02 सीटें

वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय

- (v) रोगनिदान-03 सीटें
- (vi) स्वस्थवृत-05 सीटें
- (vii) अगदतंत्र एवं विधिवैद्यक-04 सीटें
- (viii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-05 सीटें
- (ix) कौमारभृत्य-04 सीटें
- (x) कायचिकित्सा-05 सीटें
- (xi) शल्य-04 सीटें
- (xii) शालाक्य-04 सीटें
- (xiii) पंचकर्म-03 सीटें एवं निम्नलिखित स्नातकीय डिप्लोमा
 - (i) पंचकर्म
 - (ii) आयुर्वेदिक संज्ञाहरण
 - (iii) आयुर्वेदिक कोसमेटोलजी एवं त्वक रोग
 - (iv) प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग
 - (v) बालरोग
 - (vi) नेत्र योग विज्ञान प्रत्येक में-02 सीटों सहित

पत्र क्रमांक

आर-17011/113/2003-ई पी.
(आई एम-1) दिनांक 01.09.2016

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए तथा 15 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 57 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई।

- (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-03 सीटें
- (ii) रचनाशारीर-05 सीटें
- (iii) क्रियाशारीर-04 सीटें
- (iv) द्रव्य गुण-03 सीटें
- (v) रसशास्त्र-05 सीटें
- (vi) शल्य संज्ञाहरण-03 सीटें
- (vii) रोगनिदान-04 सीटें
- (viii) स्वस्थवृत-02 सीटें
- (ix) अगदतंत्र एवं विधिवैद्यक-04 सीटें
- (x) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-04 सीटें
- (xi) कायचिकित्सा-06 सीटें
- (xii) शल्यसामान्य-04 सीटें
- (xiii) शालाक्य-04 सीटें
- (xiv) पंचकर्म-04 सीटें
- (xv) कौमारभृत्य-02 सीटें

पत्र क्रमांक

आर-17011/114/2016-ई पी.
(आई एम-1) दिनांक 22.10.2016

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
140.	अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय 2062, न्यू सदाशिव पेठ विजयनगर कॉलोनी, स्व. वैद्य एच.बी. परांजपे चौक, पुणे-411030, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों के लिए तथा 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 09 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-03 सीटें (ii) रचनाशारीर-03 सीटें (iii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-03 सीटें पत्र क्रमांक आर-17011/210/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 22.10.2016
141.	आयुर्वेद सेवा संघ आयुर्वेद महाविद्यालय गणेशवाडी, पंचवटी, तालुक एवं जिला नासिक-422003, महाराष्ट्र	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। पत्र क्रमांक आर-17011/115/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 16.07.2016 आर-13011/18/2014-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 8.10.2015	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से शैक्षिक सत्र 2019-20 तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) पूर्व में ही स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए तथा 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 10 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) कायचिकित्सा-05 सीटें (ii) शल्य तंत्र-04 सीटें (iii) पंचकर्म-01 सीट पत्र क्रमांक आर-17011/115/2015-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 16.07.2016 आर-13011/18/2014-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 8.10.2015
142.	श्री गंगाधर शास्त्री गुणे आयुर्वेद महाविद्यालय विश्रामबाग, जिला अहमदनगर-414001, महाराष्ट्र	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। आर-17011/116/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 09.09.2014	शैक्षणिक सत्र 2018-19 तक पूर्व में ही महाविद्यालय को पाँच साल की अनुमति दी जा चुकी है पत्र क्रमांक आर-17011/116/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 09.09.2014
143.	कर्मवीर व्यंकटराव तानाजी रंधीर आयुर्वेद कॉलेज, बोराडी, तालुका शिरपुर, जिला धुले-425428, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 30 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/117/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 01.09.2016



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
144.	वसंत दादा पाटिल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं योगा संस्थान, साउथ शिवाजी नगर, इन्कम टैक्स आफिस के सामने, मिराज रोड, तालुक मिराज, सांगली-416416, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 40 सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से 40 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-17011/118/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 05.09.2016
145.	श्री विवेकानंद नर्सिंग होम ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय श्री शिवाजी नगर, ग्राम/पो. राहूरी फैक्ट्री तालुका-राहूरी जिला-अहमदानगर -413706 महाराष्ट्र	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। आर-17011/119/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.08.2014	शैक्षणिक सत्र 2018-19 तक पूर्व में ही महाविद्यालय को पाँच साल की स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों के लिए तथा 06 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 27 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2018-19 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। (i) कायचिकित्सा-06 सीटें (ii) प्रसूति एवं स्त्री रोग -06 सीटें (iii) शल्य तंत्र-03 सीटें (iv) रसशास्त्र-04 सीटें (v) रोग निदान-04 सीटें (vi) शालाक्य तंत्र -04 सीटें पत्र क्रमांक आर-17011/119/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.08.2014
146.	महाराष्ट्र आरोग्य मण्डल सुमतीभाई शाह आयुर्वेद महाविद्यालय, मालवाडी, हडपसर, तालुक हवेली, जिला पुणे -411028, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों के लिए तथा 13 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 78 सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई। (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-06 सीटें (ii) रचनाशारीर-06 सीटें (iii) क्रियाशारीर-06 सीटें (iv) द्रव्य गुण-06 सीटें (v) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना-06 सीटें (vi) रोगनिदान-06 सीटें (vii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-06 सीटें (viii) अगदतंत्र-06 सीटें (ix) कायचिकित्सा-06 सीटें (x) शल्य तंत्र-06 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए तथा 13 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 78 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-06 सीटें (ii) रचनाशारीर-06 सीटें (iii) क्रियाशारीर-06 सीटें (iv) द्रव्य गुण-06 सीटें (v) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना-06 सीटें (vi) रोगनिदान-06 सीटें (vii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-06 सीटें (viii) अगदतंत्र-06 सीटें (ix) कायचिकित्सा-06 सीटें (x) शल्य तंत्र-06 सीटें

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		<p>(xi) स्वस्थवृत-06 सीटें (xii) शालाक्य (नेत्र)-06 सीटें (xiii) पंचकर्म-06 सीटें</p> <p>तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए 10 सीटें तथा प्रत्येक विषय में 05 सीटें (i) आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना</p>	<p>(xi) स्वस्थवृत-06 सीटें (xii) शालाक्य (नेत्र)-06 सीटें (xii) पंचकर्म-06 सीटें तथा निम्नलिखित 02 स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए 10 सीटें तथा प्रत्येक विषय में 05 सीटें (i) आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना पत्र क्रमांक आर-17011/120/2016-ई पी.(आई एम-1) दिनांक 20.09.2016 एवं 27.09.2016</p>
147.	पूना जिला एजुकेशन एसोशिएसन, आयुर्वेद कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर, सेक्टर नं. 25, प्राधिकरण, अकुर्डी निगडी, तालुक हवेली, जिला पुणे-411044 महाराष्ट्र	<p>परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। आर-17011/121/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.08.2014</p>	<p>शैक्षणिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पाँच साल की अनुमति के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु 60 एवं 46 सीटें 11 निम्नलिखित स्नातकोत्तर हेतु अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) दी जा चुकी है (i) आयुर्वेद संहिता सिद्धान्त-02 सीटें (ii) रचनाशारीर-06 सीटें (iii) क्रियाशारीर-06 सीटें (iv) द्रव्य गुण-02 सीटें (v) पंचकर्म-02 सीटें (vi) रोगनिदान-06सीटें (vii) स्वस्थवृत-06 सीटें (viii) अगदतंत्र एवं विधिवैद्यक-06 सीटें (ix) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-02 सीटें (x) कायचिकित्सा-06 सीटें (xi) शल्य तंत्र-02 सीटें पत्र क्रमांक आर-17011/121/2014-ईपी (आई एम-1) दिनांक 01.08.2014</p>
148.	संगम सेवाभावी ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, तालुक संगमनेर जिला-अहमदानगर -422605, महाराष्ट्र	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों के लिए तथा 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 15 सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई। (i) कायचिकित्सा-05 सीटें (ii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-05 सीटें (iii) शालाक्य तंत्र-05 सीटें</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए तथा 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 15 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) कायचिकित्सा-05 सीटें (ii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-05 सीटें (iii) शालाक्य तंत्र-05 सीटें पत्र क्रमांक</p>



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
149.	सिद्धकला आयुर्वेद महाविद्यालय, पिम्पराने रोड़, संगमनेर खुर्द, तालुका संगमनेर जिला अहमदनगर-422605, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों के लिए तथा 07 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई। (i) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-02 सीटें (ii) कौमारभृत्य-02 सीटें (iii) शल्यतंत्र-02 सीटें (iv) कायचिकित्सा-02 सीटें (v) रचनाशारीर-04 सीटें (vi) संस्कृत संहिता एवं सिद्धांत-06 सीटें (vii) रोगनिदान-06 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970, की धारा 13ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए तथा 07 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 24 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-02 सीटें (ii) कौमारभृत्य-02 सीटें (iii) शल्यतंत्र-02 सीटें (iv) कायचिकित्सा-02 सीटें (v) रचनाशारीर-04 सीटें (vi) संस्कृत संहिता एवं सिद्धांत-06 सीटें (vii) रोगनिदान-06 सीटें पत्र क्रमांक आर-17011/122/2016-ई पी. (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016
150.	भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालयखु विश्व शांति धाम, ग्राम/पो. वघोली, तालुका हवेली, जिला पुणे-412207, महाराष्ट्र	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 09 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (i) कायचिकित्सा-03 सीटें (ii) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-03 सीटें एवं (iii) रचना शरीर-03 सीटें	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 09 सीटों हेतु अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत (ii) रचना शरीर एवं (iii) कायचिकित्सा आर-17011/124/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 22.10.2016
151.	छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण, संस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय कंचनवाडी, पैथान रोड, औरांगाबाद महाराष्ट्र-431002	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं 10 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 100 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (i) रचना शरीर-06 सीटें	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं 10 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 60 सीटों हेतु अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की की गई। (i) अगद तंत्र

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		<ul style="list-style-type: none"> (ii) कायचिकित्सा-06 सीटें (iii) प्रसूति एवं स्त्री रोग-06 सीटें (iv) कौमारभृत्य-06 सीटें (v) शल्य-06 सीटें (vi) संहिता सिद्धांत-06 सीटें (vii) रोग निदान-06 सीटें (viii) द्रव्य गुण-06 सीटें (ix) अगद तंत्र-06 सीटें (x) पंचक्रम 06 सीटें 	<ul style="list-style-type: none"> (ii) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत (iii) द्रव्य गुण (iv) कौमारभृत्य (v) कायचिकित्सा (vi) पंचकर्म (vii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग (viii) रचना शरीर (ix) रोग निदान एवं (x) शल्य तंत्र <p>आर.-17011/125/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 30.09.2016</p>
151.	छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण, संस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय कंचनवाडी, पैथान रोड, औरांगाबाद महाराष्ट्र-431002	<p>सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं 10 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 100 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामत :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) रचना शरीर-06 सीटें (ii) कायचिकित्सा-06 सीटें (iii) प्रसूति एवं स्त्री रोग-06 सीटें (iv) कौमारभृत्य-06 सीटें (v) शल्य-06 सीटें (vi) संहिता सिद्धांत-06 सीटें (vii) रोग निदान-06 सीटें (viii) द्रव्य गुण-06 सीटें (ix) अगद तंत्र-06 सीटें (x) पंचक्रम 06 सीटें 	<p>शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं 10 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 60 सीटों हेतु अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई।</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) अगद तंत्र (ii) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत (iii) द्रव्य गुण (iv) कौमारभृत्य (v) कायचिकित्सा (vi) पंचकर्म (vii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग (viii) रचना शरीर (ix) रोग निदान एवं (x) शल्य तंत्र <p>आर-17011/125/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 30.09.2016</p>
152.	गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज तुलजापुर रोड ओसमानाबाद महाराष्ट्र-413501	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।</p>	<p>शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों एवं 08 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 48 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामत:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-06 सीटें एवं (ii) शल्य तंत्र-02 सीटें



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
153.	सेठ चन्दनमल मुथा आयुर्वेद वैद्यक महाविद्यालय आई.टी. आई रोड़ नजदीक राम ध्यान मंदिर गेंदामल सतारा महाराष्ट्र-415002	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	(iii) रचना शरीर-06 सीटें (iv) क्रियाशारीर-06 सीटें (v) द्रव्य गुण-06 सीटें (vi) अगद तंत्र-06 सीटें (vii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-06 सीटें (viii) कौमारभृत्य-06 सीटें आर.-17011/126/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 29.09.2016 शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों एवं 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 03 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई अर्थात्: (i) कायचिकित्सा आर.-17011/127/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 02.09.2016
154.	सेठ गोविन्दजी रावजी आयुर्वेद महाविद्यालय 21/ए/13, बुधवार पेठ, सम्राट चौक, सोलापुर महाराष्ट्र-413002	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों एवं 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 05 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई अर्थात् : (I) कायचिकित्सा-05 सीटें आर.-17011/128/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 13.10.2016
155.	यशवंत आयुर्वेद महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एवं रिसर्च सेन्टर, कोडोली ए/पी कोडोली तालुका पनहाला, जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र-416114	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। आर.-17011/129/2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 16.07.2015	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2019-20 शैक्षिक सत्र तक (05 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन पूर्व में ही स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं 15 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 90 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई नामत : (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत (ii) रचना शरीर (iii) क्रिया शरीर (iv) द्रव्य गुण (v) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (vi) रोग निदान (vii) स्वस्थवृत

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			(viii) अगद तंत्र (ix) प्रसूति एवं स्त्री रोग (x) कौमारभृत्य (xi) कायचिकित्सा (xii) संज्ञाहरण (xiii) शल्य तंत्र (xiv) शालाक्य तंत्र एवं (vx) पंचक्रम 6 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2019-20 प्रदान की गई है। आर.-17011/129/2015 -ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 16.07.2015
156.	हनुमान शिक्षा प्रसारक मण्डल सावरडे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पेठ, वाडेगाँव, जिला कोल्हापुर-416112, महाराष्ट्र	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-17011/128/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 18.10.2016
157.	गंगा एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, 147/ए गंगा हॉस्पिटल बिल्डिंग रानकल्वेस दुधाली, जिला. कोल्हापुर-416012, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु प्रवेश लेने हेतु अनुमति नहीं दी गई। आर-17011/131/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 08.12.2016
158.	श्रीमती के.सी. अजमेर आयुर्वेद महाविद्यालय दयासागर एजुकेशनल कॅम्पस, आगरा रोड, देवपुर, धुले महाराष्ट्र- 424002,	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु एवं 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 05 सीटों हेतु के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई। स्वस्थवृत 05 सीटों	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु एवं 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 05 सीटों के लिए अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की की गई। स्वस्थवृत 05 सीटों आर-17011/132/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 19.10.2016
159.	दादासाहेब सुरूपसिंह नाइक आयुर्वेद महाविद्यालय, सुवालाल बफना विद्यानगर, पो.आ.-नागांव, धुले-424004 (महाराष्ट्र)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-17011/133/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 25.10.2016



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
160.	किसान दन्योदेय मण्डल गुद्वेज आयुर्वेद कॉलेज धुले रोड चालिसगांव जिला जलगांव महाराष्ट्र-424101	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। आर.-17011/134/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 18.11.2016
161.	चैतन्या आयुर्वेद महाविद्यालय एन.एच.6 चैतन्यावन, साकेगांव भुसावल जिला जलगांव महाराष्ट्र-425201	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रमों में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। आर.-17011/135/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 02.09.2016
162.	आर.ए. पोदार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज डॉ. अन्नी बसंत रोड बरैली मुम्बई महाराष्ट्र-400018	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं 13 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 45 सीटों हेतु अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिंद्धात-03 सीटें (ii) द्रव्यगुण विज्ञान-02 सीटें (iii) रसशास्त्र एवं भैशज्य कल्पना-03 सीटें (iv) शल्य तंत्र-04 सीटें (v) क्रिया शरीर-02 सीटें (vi) काया चिकित्सा-08 सीटें (vii) प्रसूति एवं स्त्री रोग-05 सीटें (viii) रचना शरीर-03 सीटें (ix) स्वस्थवृत्त एवं योगा-02 सीटें (x) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-02 सीटें (xi) शालाक्य तंत्र-04 सीटें (xii) अगद तंत्र-01 सीटें (xiii) पंचकर्म-06 सीटें आर.-17011/136/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 05.10.2016
163.	श्रीमती कमलादेवी गौरीदत्त मित्तल पुनर्वसु आयुर्वेद महाविद्यालय वैद्य रामगोपाल शर्मा चौक नेताजी सुभाष रोड, चरनी रोड (पश्चिम),	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन मौजूदा स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों एवं 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई एवं

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	जिला मुम्बई-400002	संस्तुति नहीं की गई नामत : (i) कायचिकित्सा-8 सीटें (ii) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-04 सीटें (iii) द्रव्यगुण-02 सीटें एवं (iv) रसशास्त्र-02 सीटें	04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 16 सीटों हेतु प्रवेश लेने के लिए अनुमति देने से इकार अर्थात्। (i) कायचिकित्सा-8 सीटें (ii) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-04 सीटें (iii) द्रव्यगुण-02 सीटें एवं (iv) रसशास्त्र-02 सीटें आर-17011 / 137 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 11.11.2016
164.	आयुर्विद्या प्रसारक मण्डल आयुर्वेद महाविद्यालय नजदीक सयान रेलवे स्टेशन सिंयान, मुम्बई महाराष्ट्र-400022	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रमों में 60 सीटों एवं 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विषयों में अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामत : (i) कायचिकित्सा-06 सीटें (ii) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-06 सीटें (iii) द्रव्यगुण-03 सीटें एवं (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 21 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामत : (i) कायचिकित्सा-06 सीटें (ii) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-06 सीटें (iii) द्रव्यगुण-03 सीटें एवं (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें आर-17011 / 138 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 22.10.2016
165.	डॉ. जी.डी. पोल फाउन्डेशन वाई.एम.टी. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, संस्थानिक क्षेत्र सेक्टर-4, खारघर नवी मुम्बई महाराष्ट्र-410210	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रमों में 100 सीटों एवं 13 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विषयों में 54 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामत : (i) रचना शरीर-04 सीटें (ii) क्रिया शरीर-04 सीटें (iii) द्रव्यगुण-04 सीटें (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-08 सीटें (v) कायचिकित्सा-04 सीटें (vi) शल्य तंत्र (सामान्य)-02 सीटें (vii) शल्य तंत्र (क्षार कर्म एवं अनुशास्त्र कर्म)-04 सीटें (viii) शालाक्य तंत्र (नेत्र रोग)-04 सीटें (ix) संहिता सिद्धांत-04 सीटें (x) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-04 सीटें (xi) अगद तंत्र-04 सीटें	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग / 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं 13 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 54 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामत : (i) रचना शरीर-04 सीटें (ii) क्रिया शरीर-04 सीटें (iii) द्रव्यगुण-04 सीटें (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-08 सीटें (v) कायचिकित्सा-04 सीटें (vi) शल्य तंत्र (सामान्य)-02 सीटें (vii) शल्य तंत्र (क्षार कर्म एवं अनुशास्त्र कर्म)-04 सीटें (viii) शालाक्य तंत्र (नेत्र रोग)-04 सीटें (ix) संहिता सिद्धांत-04 सीटें (x) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-04 सीटें (xi) अगद तंत्र-04 सीटें



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		(xii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-04 सीटें एवं (xiii) पंचकर्म-04 सीटों	(xii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-04 सीटें एवं (xiii) पंचकर्म-04 सीटें आर-17011 / 139 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 22.10.2016
166.	आर.जे.वी.एस. भाईसाहेब सावंत आयुर्वेद महाविद्यालय सुतीकगृह परिसर, खासकीलवाडा सावंतवाडी तालुका- सावंतवाडी जिला सिन्धुदुर्ग महाराष्ट्र 416510	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रमों में 40 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग / 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु प्रवेश लेने हेतु अनुमति दी गई। आर-17011 / 140 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 13.10.2016
167.	नालासोपारा आयुर्वेद कॉलेज (स्वगीर्य श्री सुरेश नरसिंग दुबे) सूवेरी न0. 112, मेडिकल कॉलेज रोड, नाल्लासपोरा ई, तालुका-वसई जिला-पालघर थाणे महाराष्ट्र-401209	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। पत्र संख्या आर-17011 / 141 / 2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 24.09.2014	पहले से ही कालेज को वर्ष 2018-19 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) की अनुमति पूर्व में ही प्रदान की गई है। पत्र संख्या आर 17011 / 141 / 2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 24.09.2014 आर-13011 / 72 / 2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 01.10.2015
168.	भाऊ साहेब मौलक आयुर्वेद महाविद्यालय ग्रेट नाग रोड नन्दनवान महाराष्ट्र-440009 नागपुर	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रमों में 60 सीटों एवं 09 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 23 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामत : (i) संहिता एवं सिद्धांत-04 सीटें (ii) रचना शरीर-03 सीटें (iii) क्रिया शरीर-02 सीटें (iv) रसशास्त्र एवं भौज्य कल्पना-04 सीटें (v) स्वस्थवृत्त-03 सीटें (vi) द्रव्यगुण-01 सीट (vii) अगद तंत्र-03 सीटें (viii) कौमारभृत्य-02 सीटें (ix) कायचिकित्सा-01 सीट	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क / 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 09 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 23 सीटों हेतु अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई। (i) संहिता एवं सिद्धांत-04 सीटें (ii) रचना शरीर-03 सीटें (iii) क्रिया शरीर-02 सीटें (iv) रसशास्त्र एवं भौज्य कल्पना-04 सीटें (v) स्वस्थवृत्त-03 सीटें (vi) द्रव्यगुण-01 सीट (vii) अगद तंत्र-03 सीटें (viii) कौमारभृत्य-02 सीटें (ix) कायचिकित्सा-01 सीट आर-17011 / 142 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 02.09.2016
169.	गर्वमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय सककरदारा सक्वेयर उमरेद रोड सककरदारा सक्वेयर उर्मीद रोड नागपुर महाराष्ट्र-440024	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग / 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु 100 सीटों एवं 10 स्नातकोत्तर

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	<p>पाठ्यक्रमों 60 सीटों हेतु अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की गई।</p> <p>(i) रचना शरीर (ii) क्रिया शरीर (iii) रसशास्त्र (iv) स्वस्थवृत एवं योगा (v) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान (vi) अगद तंत्र एवं विधि विधायक (vii) शल्य तंत्र (viii) शालाक्य तंत्र एवं (ix) कायचिकित्सा (x) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-06 सीटें</p> <p>आर-17011 / 143 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 29.09.2016</p>
170.	श्री आयुर्वेद महाविद्यालय हनुमान नगर करीदा चौक नागपुर महाराष्ट्र-440009	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।</p>	<p>शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग / 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु 70 सीटों एवं 08 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विषयों में 34 सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई नामत :</p> <p>(i) रचना शरीर-04 सीटें (ii) क्रिया शरीर-03 सीटे (iii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना - 06 सीटें (iv) कायचिकित्सा-05 सीटें (v) अगद तंत्र-03 सीट (vi) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त-06 सीटें (vii) द्रव्यगुण-03 सीटें (viii) शल्य तंत्र-04 सीटें एवं 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 13 सीटों हेतु अनुमति देने से इंकार नामत :</p> <p>(i) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-03 सीटें (ii) स्वस्थवृत-03 सीटें (iii) कौमारभृत्य-02 सीटें (iv) शालाक्य तंत्र-03 सीटें (v) पंचकर्म-02 सीटें</p> <p>आर-17011 / 144 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 03.11.2016</p>



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
171.	राधाकृष्ण तोषनीवाल आयुर्वेद महाविद्यालय केडिया प्लॉटस, जथारपेट रोड अकोला महाराष्ट्र-444005	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग / 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु 50 सीटों एवं 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 10 सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई नामतः (i) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत-02 सीटें (ii) रचना शरीर-02 सीटें (iii) कायचिकित्सा-03 सीटें एवं (iv) शल्य तंत्र-03 सीटें आर-17011 / 145 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 18.11.2016
172.	विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय, धन्वतंत्री नगर, छात्री तलाव रोड़, अमृतवटी महाराष्ट्र-444606	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग / 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु 50 सीटों एवं 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 08 सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई अर्थात् नामतः (i) स्वस्थवृत्त-02 सीटें (ii) कायचिकित्सा-02 सीटें (iii) शल्य तंत्र-03 सीटें एवं (iv) शालाक्य तंत्र-01 सीटें आर-17011 / 146 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 02.09.2016
173.	श्री गुरुदेव आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुदेव नगर गुरुकुंज आश्रम मोजरी अमरावती महाराष्ट्र-444902	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग / 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों में प्रवेश लेने हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-17011 / 147 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 13.10.2016
174.	दयाभाई माओजी मैजीथिया आयुर्वेद महाविद्यालय शिवाजी नगर अरनी रोड़ यवतमाल महाराष्ट्र-445001	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों एवं 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 06 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (i) कायचिकित्सा-03 सीटें (ii) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-03 सीटें	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग / 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों एवं 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में हेतु अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की की गई। अर्थात् : (i) कायचिकित्सा-03 सीटें (ii) रोग निदान एवं विकृति

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			विज्ञान-03 सीटें आर-17011/148/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 22.10.2016
175.	श्री गजानन महाराज संस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय वासिम रोड़ निम्बी, तालुका पुसाद, जिला यवतमाल-445204 महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों में प्रवेश लेने हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर.-17011/149/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 13.10.2016
176.	वन्दानातई ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय नियर रेनुका माता मंदिर बालापुर रोड़ पातुर-444601 अकोला महाराष्ट्र	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। आर-17011/150/2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 01.10.2015	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2019-20 शैक्षिक सत्र तक (05 वर्ष की समय अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों एवं 12 सीटों हेतु 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुमति पूर्व में ही प्रदान की गई अर्थात : (i) शल्य तंत्र-06 सीटें एवं (ii) कायचिकित्सा-06 सीटें आर-17011/150/2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 01.10.2015
177.	स्व. सुनील रामसिंहजी चुनावाले आयुर्वेद कॉलेज दीनदयाल नगर, चिखली, जिला बुलदाना महाराष्ट्र-443201	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। पत्र संख्या आर-17011/151/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 04.09.2014	पहले से ही कालेज को वर्ष 2018-19 तक 05 वर्ष से अधिक नहीं की अनुमति 40 सीटों हेतु पूर्व में ही प्रदान की गई है। पत्र संख्या आर.-17011/151/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 04.09.2014
178.	महादेवराव शिवांकर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट गोंदिया एम.एस कुडवा, तालुका गोंदिया जिला एम.एस. महाराष्ट्र-441614	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। आर-17011/152/2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 16.07.2015 आर-14011/44/2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 21.10.2015	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2019-20 तक पूर्व में ही (05 वर्ष की समय अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु एवं 03 नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान की गई अर्थात : (i) पंचकर्म-06 सीटें (ii) शल्य तंत्र-06 सीटें (iii) कायचिकित्सा-06 सीटें



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
179	श्री सप्तश्रुंगी आयुर्वेद महाविद्यालय हॉस्पिटल, नासिक जिला नासिक महाराष्ट्र कमल नगर, हिरावाडी पंचवटी नासिक महाराष्ट्र-422003	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। पत्र संख्या आर-17011/153/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 04.08.2014	आर-17011/152/2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 16.07.2015 आर-14011/44/2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 21.10.2015 पहले से ही कालेज को वर्ष 2018-19 तक 05 वर्ष से अधिक नहीं 50 सीटों हेतु की अनुमति प्रदान की गई है। पत्र संख्या आर-17011/153/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 04.08.2014
180.	स्व0 केदारी रेडेकर आयुर्वेदिक महाविद्यालय गाधिगंलाज पी-2, एमआईडीसी एरिया, शेंद्री माल, गाधिगंलाज, जिला-कोल्हापुर महाराष्ट्र-416502 कोल्हापुर	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। आर-17011/154/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 28.07.2014 आर-14011/19/2014-ई.पी. (आई.एम-1) आर-13011/34/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 07.10.2015	पहले से ही कालेज को वर्ष 2018-19 तक 60 सीटों हेतु स्नातकीय पाठ्यक्रम में एवं निम्नलिखित 24 सीटों हेतु निम्नलिखित 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु (i) रोग निदान-04 सीटें (ii) रसशास्त्र-05 सीटें (iii) शल्यतंत्र-05 सीटें (iv) पंचकर्म-06 सीटें (v) संज्ञाहरण-04 सीटें पूर्व में ही 05 वर्ष से अधिक नहीं की अनुमति प्रदान की गई है। आर-17011/155/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 28.07.2014 आर-14011/19/2014-ई.पी. (आई.एम-1) आर-13011/34/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 07.10.2015
181.	परवारा मेडिकल ट्रस्ट आयुर्वेद कॉलेज एवं श्री एकनाथ आयुर्वेद रूग्नालय शेवगावं तालुका-शेवगांव महाराष्ट्र-414502	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। आर-17011/155/2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 08.09.2015 आर-14011/53/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 01.10.2015	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2019-20 शैक्षिक सत्र तक (05 वर्ष की समय अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन पूर्व में ही स्नातकीय पाठ्यक्रम में 80 सीटों एवं 08 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 38 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई अर्थात : (i) रचना शरीर-06 सीटें (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें (iii) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-05 सीटें (iv) कायचिकित्सा-06 सीटें (v) द्रव्यगुण-03 सीटें (vi) शालाक्य तंत्र एवं नेत्र रोग-06 सीटें (vii) प्रसूति एवं स्त्री रोग-03 सीटें (viii) शल्यतंत्र (सामान्य)-03 सीटें

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
182	डॉ० डी.वाई. पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एवं रिसर्च सेन्टर, पिम्परी, पुणे संत तुकाराम नगर, पिम्परी पुणे-411018 महाराष्ट्र	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। आर-17011 / 156 / 2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 31.07.2015 आर-13011 / 58 / 2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 01.10.2015	आर-17011 / 155 / 2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 08.09.2015 आर-14011 / 53 / 2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 01.10.2015 शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन पूर्व में ही स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं 09 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विषयों में 48 सीटों हेतु (05 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) अनुमति प्रदान की गई नामत : (i) संहिता-06 सीटें (ii) रचना शरीर-06 सीटें (iii) प्रसूति तंत्र-04 सीटें (iv) कायचिकित्सा-04 सीटें (v) शल्य तंत्र-04 सीटें (vi) क्रिया शरीर-06 सीटें (vii) स्वस्थवृत-06 सीटें (viii) रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-06 सीटें एवं (ix) पंचकर्म-06 सीटें आर-17011 / 156 / 2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 31.07.2015 आर-13011 / 58 / 2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 01.10.2015
183.	गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज, वजीराबाद, नान्देड वजीराबाद महाराष्ट्र-431601	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन मौजूदा स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं 12 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 46 सीटों हेतु हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामत : (i) आयुर्वेद संहिता-02 सीटें (ii) रचना शरीर-03 सीटें (iii) क्रिया शरीर-06 सीटें (iv) द्रव्य गुण-02 सीटें (v) रसशास्त्र-02 सीटें (vi) रोगनिदान एवं विकृति निदान-06 सीटें (vii) स्वस्थवृत एवं योगा-02 सीटें (viii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-02 सीटें (ix) कौमारभृत्य-06 सीटें (x) कायचिकित्सा-04 सीटें



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			(xi) शल्य तंत्र (सामान्य)-06 सीटें एवं (xii) शालाक्य तंत्र-05 सीटें आर-17011 / 157 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 29.09.2016
184.	जुपिटर आयुर्वेद कॉलेज एवं तारानी आयुर्वेद हॉस्पिटल शंकरपुरा, पोस्ट-खपरी, तहसील-जिला नागपुर महाराष्ट्र-441108	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई	सत्र 2016-17 के लिए मौजूदा स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर.-17011 / 158 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 14.10.2016
185.	सम्मानिय श्री अन्नासाहेब डांगे आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज ए/पी-अष्टा तालुका-वालवा जिला-सांगली महाराष्ट्र-416301	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। आर-17011 / 159 / 2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 01.10.2015	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2019-20 शैक्षिक सत्र तक (05 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क / 13ग के अधीन पूर्व में ही स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 12 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 64 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई नामत : (i) पंचकर्मा-03 सीटें (ii) कौमारभृत्य-05 सीटें (iii) संज्ञाहरण-05 सीटें (iv) रचना शरीर-06 सीटें (v) क्रिया शरीर-05 सीटें (vi) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें (vii) शल्य तंत्र-05 सीटें (viii) संहिता सिद्धांत-06 सीटें (ix) कायचिकित्सा-06 सीटें (x) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-06 सीटें (xi) स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र-06 सीटें (xii) शालाक्य तंत्र-06 सीटें आर-17011 / 159 / 2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 01.10.2015
186.	स्व. श्री बाबरावन विठ्ठलराव काले आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बस स्टैण्डके पीछे, गाँधी मैदान, तालुका लातुर-413512, महाराष्ट्र	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामत : (i) रचना शरीर-04 सीटें	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क / 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 04 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामत : (i) रचना शरीर-04 सीटें आर-17011 / 160 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 19.10.2016

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
187.	बाल भगवान शिक्षण प्रसारक मण्डलस धन्वतरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, उदगिर देगलूर रोड़, उदगिर जिला-लातुर महाराष्ट्र-413517	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। पत्र संख्या आर-17011/161/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 31.07.2014	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2018-19 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। पत्र संख्या आर-17011/161/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 31.07.2014
188.	अश्विन रूरल आयुर्वेद कॉलेज मांचीहिल, अशिव बी. के. तालुका-संगमनेर, जिला-अहमदनगर महाराष्ट्र-413714	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों एवं 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 18 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (i) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें (ii) कायचिकित्सा-06 सीटें (iii) शल्य तंत्र-06 सीटें	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों एवं 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 18 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई यानी : (i) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें (ii) कायचिकित्सा-06 सीटें (iii) शल्य तंत्र-06 सीटें आर-17011/162/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 19.10.2016
189.	बी.एस.एस.एस.एस. रामराव पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं रूगनालय बस स्टैण्ड रोड़, पुरना तालुका पुरना जिला प्रभानी तकली रोड़, पुरना तालुका पुरना जिला प्रभानी महाराष्ट्र-431511	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-17011/163/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 26.11.2016
190.	लोकनेते राजारामबापू पाटिल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, पी.जी. इन्स्टीट्यूट एवं रिसर्च सेन्टर, उरुन इस्लामपुर उरुन-इस्लामपुर सांगली रोड इस्लामपुर तालुका-वाल्वा, जिला-सांगली महाराष्ट्र-415409	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। आर-17011/164/2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 16.10.2015	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2019-20 शैक्षिक सत्र तक पूर्व में ही (05 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 14 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 78 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई यानी : (i) स्वस्थवृत्त-06 सीटें (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें (iii) अगद तंत्र एवं विधिवैद्वका-06 सीटें (iv) रोगनिदान-06 सीटें (v) शल्य तंत्र-05 सीटें (vi) कौमारभृत्य-06 सीटें (vii) कायचिकित्सा-05 सीटें (viii) पंचकर्म-06 सीटें



क्र.सं महाविद्यालय का नाम

वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां

वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय

191. एससीएसई,एस रूरल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एण्ड रिसर्च सेन्टर एवं हॉस्पिटल विद्यागिरी, म्यानी तालुका, खटाव, जिला सतारा महाराष्ट्र-415102

सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।

(ix) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-05 सीटें
(x) शालाक्य तंत्र-06 सीटें
(xi) द्रव्यगुण-06 सीटें
(xiii) छाया एवं विकिरण विज्ञान-06 सीटें
(xiii) अस्थि सन्धि एवं मर्मगत रोग-03 सीटें एवं
(xiv) संज्ञाहरण-06 सीटें
आर-17011 / 164 / 2015-ई.पी.
(आई.एम-1) दिनांक 16.10.2015

सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन मौजूदा स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की की गई।
आर-12011 / 29 / 2003-ई.पी.
(आई.एम-1) दिनांक 14.10.2016

192. डॉ. जे.जे. मगदम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जयसिंहपुर सी.एस.न0. 295, अग्रभाग, शिरोल-वाडी रोड, ए/पी, जयसिंहपुर तालुका, शिरोल जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र-416101

सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।

सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग / 13क के अधीन मौजूदा स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की की गई।
आर-17011 / 165 / 2016-ई.पी.
(आई.एम-1) दिनांक 07.10.2016

193. महात्मा गाँधी आयुर्वेद कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर सलोद-हिरापुर वर्धा महाराष्ट्र-442004

सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के 08 विषयों में 38 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामत :

शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 08 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 38 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई यानी :

- (i) संहिता सिद्धांत-04 सीटें
- (ii) रचनाशरीर-04 सीटें
- (iii) द्रव्यगुण विज्ञान-04 सीटें
- (iv) अगद तंत्र-06 सीटें
- (v) रसशास्त्र एवं भैषज्य-06 सीटें
- (vi) कायचिकित्सा-06 सीटें
- (vii) पंचकर्मा-06 सीटें
- (viii) शल्य सामान्य- 02 सीटें

- (i) संहिता सिद्धांत-04 सीटें
 - (ii) रचनाशरीर-04 सीटें
 - (iii) द्रव्यगुण विज्ञान-04 सीटें
 - (iv) अगद तंत्र-06 सीटें
 - (v) रसशास्त्र एवं भैषज्य-06 सीटें
 - (vi) कायचिकित्सा-06 सीटें
 - (vii) शल्य सामान्य-02 सीटें एवं
 - (viii) पंचकर्म-06 सीटें
- आर.-12011 / 11 / 2006-ई.पी.
(आई.एम-1) दिनांक 20.09.2016

194. अदित्य आयुर्वेद कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर शरदा इस्टेट नालावांदा नाका, पिम्पलनेर

सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50

शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	रोड़ बीड- महाराष्ट्र-431122	सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/01/2006-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 15.12.2016
195.	महेश आयुर्वेद कॉलेज, अष्टि तहसील अश्टि जिला बीड-414203, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सत्र 1016-17 के लिए परिदर्शन नहीं किया गया एवं संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु प्रवेश लेने के लिए अनुमति देने से इंकार। आर-12011/37/2006-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 24.11.2016
196.	एसएमबीटी आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल नन्दी हिल्स, धमनगॉव, तहसील इगतपुरी, जिला नासिक महाराष्ट्र-422403	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। आर-12011/02/2006-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 11.09.2015 आर-14011/43/2014-ई.पी. (आई.एम-1) आर-13011/61/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 27.10.2015	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2019-20 तक (05 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन पूर्व में ही स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु एवं 40 सीटें निम्नलिखित 07 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) कायचिकित्सा-06 सीट (ii) पंचकर्म-06 सीट (iii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-06 सीट (iv) बालरोग-06 सीट (v) संज्ञाहरण-04 सीट (06 सीटों के स्थान पर) (vi) शल्य तंत्र-06 सीट (vii) शालक्य तंत्र-06 सीट हेतु अनुमति प्रदान की गई आर-12011/02/2006-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 11.09.2015 आर-14011/43/2014-ई.पी. (आई.एम-1) आर-13011/61/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 27.10.2015
197.	महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान आयुर्वेद कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर पुण्डलिक नगर देगाव फाटा पोस्ट लिंगा के. तालुका रिसोद जिला वासिम महाराष्ट्र-444504	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। आर-12011/38/2006-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 25.09.2014	पहले से ही कालेज को वर्ष 2018-19 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) की 06 सीट हेतु अनुमति पूर्व में ही प्रदान की गई है। आर-12011/38/2006-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 25.09.2014
198.	एस.एस.यू.डी. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड रूरल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर कोली, तालुका करांजा, जिला वासिम महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सत्र 1016-17 के लिए परिदर्शन नहीं किया गया एवं संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु प्रवेश लेने के लिए अनुमति देने से इंकार। आर-12011/10/2007-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 24.11.2016



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
199.	श्री के.आर. पाण्डव आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, बहादुरा नियर दिघोरी नाका उर्मीद रोड, नागपुर महाराष्ट्र-411204	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/43/2006-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 02.09.2016
200.	पद्मश्री डॉ0 डी.वाई पाटिल कॉलेज आफ आयुर्वेद एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट, डॉ0 डी.वाई पाटिल विद्यानगर, सेक्टर-7, नेरूल नवी मुम्बई, महाराष्ट्र-400706	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं 12 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 45 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामत : (i) शरीर रचना-03 सीटें (ii) शरीर क्रिया-03 सीटें (iii) संहिता सिद्धांत-03 सीटें (iv) स्वस्थवृत्त-03 सीटें (v) रोग निदान-03 सीटें (vi) शल्य तंत्र-03 सीटें (vii) द्रव्यगुण-04 सीटें (viii) अगद तंत्र-04 सीटें (ix) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-09 सीटें (x) कायचिकित्सा-04 सीटें (xi) शालाक्य-03 सीटें एवं (xii) कौमारयभृत्य-03 सीटें	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं 12 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 45 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामत : (i) शरीर रचना-03 सीटें (ii) शरीर क्रिया-03 सीटें (iii) संहिता सिद्धांत-03 सीटें (iv) स्वस्थवृत्त-03 सीटें (v) रोग निदान-03 सीटें (vi) शल्य तंत्र-03 सीटें (vii) द्रव्यगुण-04 सीटें (viii) अगद तंत्र-04 सीटें (ix) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-09 सीटें (x) कायचिकित्सा-04 सीटें (xi) शालाक्य-03 सीटें एवं (xii) कौमारयभृत्य-03 सीटें आर-12011/05/2003-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 27.12.2016
201.	महाराष्ट्र एजुकेशन सोसायटी, आयुर्वेद महाविद्यालय, घानेखुंट-लोते तालुका खेड, जिला रत्नागिरी-415722, महाराष्ट्र	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन मौजूदा स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की की गई। आर-12011/15/2009-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 13.10.2016
202.	श्रीमती विमलादेवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, नई पोस्ट बॉक्स नं. 33, मेन जी.पी. ओ. नियर वाटर टैंक, चन्द्रापुर महाराष्ट्र-442401	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन मौजूदा स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु अनुमति सत्र 2020-21 (05 वर्षों से अधिक नहीं) प्रदान की

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
		के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	की गई। आर-12011 / 13 / 2009-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 28.11.2016
203.	गोपालबन्धु आयुर्वेद महाविद्यालय, वी.आई.पी. रोड़ पुरी, उड़िसा-752002	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग / 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 30 सीटों एवं 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 15 सीटों (15 सीटों के बजाय) हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामत : (i) कायचिकित्सा-07 सीटें (ii) शल्य तंत्र-03 सीटें (iii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -02 सीटें (iv) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-01 सीट (v) कौमारभृत्य-02 सीटें एवं 02 सीटों हेतु अनुमति देने से इंकार। आर-17011 / 166 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 25.10.2016
204.	इन्दिरा गॉंधी मेमोरियल आयुर्वेद कॉलेज, एवं हॉस्पिटल पोखरीपुट, पोस्ट ऑफिस खाडगिरी भुवनेश्वर, जिला- खुर्दा उड़िसा-751030	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग / 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 30 सीटों हेतु प्रवेश लेने के लिए अनुमति देने से इंकार। आर-17011 / 167 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 27.10.2016
205.	मयूरभंज आयुर्वेद महाविद्यालय पोस्ट तकतपुर, वाया बारीपाड़ा, जिला मयूरभंज-757003 उड़ीसा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सत्र 1016-17 के लिए परिदर्शन नहीं किया गया एवं संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 30 सीटों हेतु प्रवेश लेने के लिए अनुमति देने से इंकार। आर-17011 / 168 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 25.11.2016
206.	कविराज अनन्त त्रिपाठी शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, तालूका एवं पो.ओ. अंकुशपुर, वाया कुकुडाखण्डो बहरामपुर, गंजम उड़ीसा-761100	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में 30 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-17011 / 169 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 30.09.2016



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
207.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज तुलसी नगर, बोलनगीर-767001, उड़ीसा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में 30 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-17011/170/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 20.10.2016
208.	श्री श्री नरुसिंगनाथ आयुर्वेद कॉलेज एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नरुसिंगनाथ पोस्ट-ऑफिस, पैकमल जिला-बारगढ़-768039, उड़ीसा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-17011/171/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 30.09.2016
209.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, मोती बाग रोड़ पटियाला पंजाब-147001	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई एवं 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 08 सीटों हेतु अनुमति देने से इंकार नामत : (i) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-04 सीटें (ii) द्रव्यगुण-04 सीटें आर-17011/172/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 30.09.2016
210.	देश भगत आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, अमलोह रोड़, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब-147301	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अनुमति प्रदान न करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु एवं 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुमति प्रदान नहीं की गई नामत : (i) कायचिकित्सा-05 सीटें एवं (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें आर-17011/173/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 30.11.2016
211.	श्री सत्या साईं मुरलीधर आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, जी.टी. रोड़, दुने-के-मोगा, पंजाब-142001	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान न करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-17011/174/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 29.11.2016

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
212.	माई भागो आयुर्वेदिक कॉलेज फोर वीमेन माई भागो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, फिरोजपुर रोड, मुक्तसर पंजाब-152026	पहले से ही 5 साल से अधिक की अनुमति के लिए महाविद्यालय के रूप में नहीं गए हैं, अर्थात् 2019-20 तक।	कॉलेज पहले से ही 5 वर्ष से अधिक की अनुमति के लिए मंजूरी दे चुका है अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 2019-20 तक की 60 सीटों की आर-17011/175/2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 28.07.2015 एवं आर-13011/06/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 31.08.2015
213.	गुरु नानक आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, नियर अजित सिनेमा, बाराकंडी रोड नियर अजित सिनेमा, बाराकंडी रोड मुक्तसर पंजाब-152026	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2015-16 से 2019-20 तक (05 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-17011/176/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 16.09.2016
214.	गुरु नानक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नियर देहलोन गावं व पत्रालय गोपालपुर, लुधियाना, पंजाब-141118	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान न करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2015-16 से 2019-20 तक (05 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-17011/177/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 07.12.2016
215.	श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक कॉलेज, नियर राधा स्वामी सत्संग भवन, फतेहपुर, छब्लल रोड, अमृतसर पंजाब-143001	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान न करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2015-16 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-17011/178/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 14.12.2016
216.	दयानन्द आयुर्वेद कॉलेज, महात्मा हंस राज मार्ग जी. टी. रोड, ओपा. बूरलतन पार्क जालंधर, पंजाब-144008	पहले से ही 5 साल से अधिक की अनुमति के लिए महाविद्यालय के रूप में नहीं गए हैं, अर्थात् 2019-20 तक आर-17011/179/2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 09.07.2015	कॉलेज पहले से ही 5 वर्ष से अधिक की अनुमति के लिए मंजूरी दे चुका है अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 2019-20 तक की 50 सीटों की आर-17011/179/2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 09.07.2015
217.	शहीद करतार सिंह सरभा आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, शहीद करतार सिंह गावं व पोस्ट ऑफिस सराभा तहसील लुधियाना, जिला लुधियाना पंजाब-141105	सत्र 2016-17 से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 तक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई।



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
218.	श्रीमती उमर्ला देवी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गावं व पोस्ट खारकान, जिला होशियारपुर, पंजाब-146001	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	आर-17011 / 180 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 16.09.2016 शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग / 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई । आर-17011 / 181 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 23.12.2016
219.	बाबे के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल गावं व पोस्ट ऑफिस दोधार मोगा पंजाब-142053	पहले से ही 5 साल से अधिक की अनुमति के लिए महाविद्यालय के रूप में नहीं गए हैं, अर्थात् सत्र 2019-20 तक।	सत्र 2019-20 तक कालेज पहले से ही 5 वर्ष से अधिक की अनुमति के लिए मंजूरी दे चुका है अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विषयों में 19 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामतः (i) संहिता सिद्धांत- 06 सीटें (ii) रचना शरीर-06 सीटें (iii) द्रव्यगुण -06 सीटें एवं (iv) कौमारभृत्य-01 सीट आर-17011 / 182 / 2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 15.09.2015
220.	संत सहारा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, मंसा रोड़ गावं व पोस्ट कोटशामीर भाटिंडा, पंजाब-151001	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग / 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई । आर.-12011 / 18 / 2006-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 30.11.2016
221.	राजीव गाँधी आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, चालाक्करा नई एम.ए.एच.ई. पोस्ट ऑफिस, पुदुचेरी-673311	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 तक (05 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग / 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम 50 सीट हेतु अनुमति प्रदान की गई । आर-12011 / 02 / 2010-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 13.10.2016
222.	नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, माधव विलास पैलेस, आमेर रोड, जयपुर-32002, राजस्थान	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अनुमति प्रदान न करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 तक (05 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की धारा 13ग / 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 92 सीटों एवं

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			<p>104 सीटें 14 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामत :</p> <p>(i) आयुर्वेद सिद्धांत-08 सीटें (ii) रसशास्त्र-09 सीटें (iii) कौमारभृत्य-07 सीटें (iv) पंचकर्म-07 सीटें (v) शालाक्य तंत्र-06 सीटें (vi) रचना शरीर-07 सीटें (vii) क्रिया शरीर-08 सीटें (viii) द्रव्यगुण-08 सीटें (ix) कायचिकित्सा-09 सीटें (x) स्वस्थवृत एवं योगा-07 सीटें (xi) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-08 सीटें (xii) शल्य तंत्र-07 सीटें (xiii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-07 सीटें (xiv) अगद तंत्र एवं विधिवैद्यका-06 सीटें</p> <p>आर-17011 / 184 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 14.10.2016</p>
223.	एम.एम.एम. गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज, उदयपुर अम्बामाता चौराहा, उदयपुर राजस्थान-313001	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अनुमति प्रदान न करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 15 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई अर्थात् : (i) कायचिकित्सा-05 सीटें (ii) रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-05 सीटें एवं (iii) द्रव्यगुण-05 सीटें आर-17011 / 185 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 16.09.2016
224.	श्री भंवर लाल दुगर आयुर्वेद विश्वाभारती, श्री गाँधी विद्या मंदिर, राजस्थान-331403	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अनुमति प्रदान न करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई । आर-17011 / 186 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 31.11.2016
225.	श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंसिज एवं हॉस्पिटल तांतिया यूनिवर्सिटी, नियर आरआईआईसीओ बस	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
	स्टैण्ड, गंगानगर राजस्थान-335002	के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर-12011/58/2003-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 16.09.2016
226.	पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, हनुमानगढ़ रोड मोरजंड वाया, लालगढ़, जाटन श्रीगंगानगर राजस्थान-335037	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु प्रवेश लेने के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-11011/10/2006-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 09.11.2016
227.	यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद डॉ० एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एनएच-65 नागौर रोड करवर जोधपुर राजस्थान-342037	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विषयों में 12 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः : (i) द्रव्यगुण-06 सीटें एवं (ii) शल्य तंत्र-06 सीटें एवं कायाचिकित्सा के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 18 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई अर्थात् (i) कायाचिकित्सा (ii) द्रव्यगुण एवं (iii) शल्य तंत्र प्रत्येक पाठ्यक्रम में 06 सीटों सहित आर-12011/28/2003-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 14.10.2016 इसके अतिरिक्त, पत्र संख्या आर-13011/47/2015-ई.पी. (आई.एम.-1) एवं आर. 14011/35/2015-ई.पी. (आई.एम.-1) दिनांक 30.11.2016 के द्वारा वर्तमान स्नातकीय/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु महाविद्यालय को पांच वर्षों से अनाधिक (शैक्षिक सत्र 2016-17 से शैक्षिक सत्र 2020-21 तक) अनुमति प्रदान की गई। वर्ष 2016-17 हेतु मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. आर.12011/28/2003-ई.पी. (आई.एम.-1) दिनांक 14.10.2016 के द्वारा पांच वर्षों की अनुमति वापस ली गई तथा मात्र शैक्षिक वर्ष 2016-17 हेतु सशर्त अनुमति में परिवर्तित की गई।
228.	बी.एम. एज्यूकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट, शेखावटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, बेहल रोड, हरी कुंज, गंगा कालोनी, चिरावा, झुनझुनू पिलानी, राजस्थान-333031	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/08/2008-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 07.10.2016
229.	श्री शिरडी साई बाबा आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल मुंडियागढ़ किशनगढ़, रेनवाल राजस्थान-303603	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु प्रवेश लेने के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-12011/12/2009-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 08.11.2016

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
230.	आयुर्वेदा कॉलेज 242-बी त्रिची रोड, सूलूर, कोयम्बटूर 424-बी त्रिची रोड, सूलूर, कोयम्बटूर-641402 तमिलनाडू-641402	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2015-16 से 2019-20 तक (05 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई । आर-17011/187/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 22.10.2016
231.	धर्मा आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल 48, जीडब्लूटी रोड, श्रीपेरुम्बुदूर चेन्नई तमिलनाडू- 602105	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2015-16 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान की गई है । आर-17011/188/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 03.11.2016
232.	श्री साईराम आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर साई लियो नगर, पूनथदलम पश्चिम तम्बारम, श्रीपेरुम्बुदूर तालुका, कांचीपुरम जिला चेन्नई तमिलनाडू-600044	पहले से ही 5 साल से अधिक की अनुमति के लिए महाविद्यालय के रूप में नहीं गए हैं, अर्थात् सत्र 2019-20 तक ।	सत्र 2019-20 तक कालेज पहले से ही 5 वर्ष से अधिक की अनुमति के लिए मंजूरी दे चुका है अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई । आर-17011/189/2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 15.07.2015
233.	श्री जयेन्द्रा सरस्वती आयुर्वेद कॉलेज एवं हास्पिटल 4/295, बंगलौर हाई रोड नजरपेट चेन्नई तमिल नाडू-600123	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 तक (05 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान की गई । आर-17011/190/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 22.10.2016
234.	गर्वनमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल केप रोड कोट्टार नगरकोइल तमिल नाडू-629002	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2015-16 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई । आर-12011/20/2009-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 10.10.2016
235.	गर्वनमेंट गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज कडंगडी हरिद्वार-249404 उत्तराखण्ड	शैक्षिक सत्र 2015-16 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन पत्र संख्या 26-43/2016-आर्यु. दिनांक 21.09.2016 एवं 26-45/2016-आर्यु दिनांक 21.09.2016 के द्वारा अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2015-16 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई । आर-17011/191/2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 05.10.2016



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
236.	त्रिषिकुल गर्वमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार त्रिषिकुल गर्वमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार उत्तराखण्ड-249401	शैक्षिक सत्र 2015-16 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन पत्र संख्या 26-73/2016-आर्यु. दिनांक 21.09.2016 एवं 26-75/2016-आर्यु. दिनांक 21.09.2016 के द्वारा अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	आर-17011/191/2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 05.10.2016 शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 07 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विषयों में 33 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई यानी:- (i) शल्य तंत्र-05 सीटें (ii) पंचकर्म-05 सीटें (iii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-07 सीटें (iv) द्रव्यगुण-04 सीटें (v) कायचिकित्सा-04 सीटें (vi) शालाक्य तंत्र-04 सीटें (vii) प्रसूति तंत्र-04 सीटें आर-17011/192/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 22.10.2016
237.	उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज 17-पुराना मसूरी रोड राजपुर देहरादून उत्तराखण्ड-248009	सामान्य पत्र अनुशंसा के लिए भारत सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 26-75/2016 -एवाई. विजिटेशन दिनांक 26.09.2016 {स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) सीटें अंकित नहीं हैं} भेजा गया एवं सत्र 2015-16 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों एवं 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 20 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामत : (i) आयुर्वेदा संहिता एवं सिद्धांत-05 सीटें (ii) स्वस्थवृत एवं योगा-05 सीटें (iii) अगद तंत्र एवं विधि विधयका-05 सीटें एवं (vi) द्रव्यगुण विज्ञान-05 सीटें	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 तक (05 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों एवं 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विषयों में 20 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई अर्थात् : (i) आयुर्वेदा संहिता एवं सिद्धांत (ii) स्वस्थवृत एवं योगा (iii) अगद तंत्र एवं विधि विधयका एवं (vi) द्रव्यगुण विज्ञान प्रत्येक विषय में 05 सीटें। आर-17011/193/2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 26.11.2016
238.	हिमालयीय आयुर्वेद योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान ग्राम फतेहपुर टांडा जीवनवाला पोस्ट -वाया डोइवाला देहरादून उत्तराखण्ड-248140	सामान्य पत्र अनुशंसा के लिए भारत सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 26-75/2016-एवाई. विजिटेशन दिनांक 26.09.2016 स्नातकीय (बी.ए.एम.एस. एवं स्नातकोत्तर बी.यू.एम.एस.) सीटें अंकित नहीं हैं} भेजा गया एवं सत्र 2015-16 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 तक (05 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों एवं 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 24 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई अर्थात् :

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु मा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
			(i) द्रव्यगुण-06 सीटें (ii) क्रिया शरीर-05 सीटें (06 सीटों के बजाय) (iii) रचना शरीर-06 सीटें एवं (iv) पंचकर्म-06 सीटें आर-12011 / 13 / 2005-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 22.10.2016
239.	पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान महर्षि दयानन्द ग्राम, दिल्ली-हरिद्वार हाईवे नियर बहादुराबाद, हरिद्वार उत्तराखण्ड-249405	सामान्य पत्र अनुशांसा के लिए भारत सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 26-75 / 2016-एवाई. विजिटेशन दिनांक 26.09.2016 भेजा गया एवं सत्र 2015-16 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-12011 / 20 / 2008-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 14.10.2016
240.	स्टेट आयुर्वेद कॉलेज, तुलसीदास मार्ग लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226003	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग / 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों एवं 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 24 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई अर्थात् : (i) रचना शरीर-04 सीटें (ii) क्रिया शरीर-04 सीटें (iii) कायचिकित्सा-06 सीटें (iv) कौमारभृत्य-05 सीटें (v) द्रव्यगुण विज्ञान-05सीटें आर-17011 / 209 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 28.09.2016
241.	ललित हरी स्टेट पी.जी. आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, पीलीभीत यू.पी. डाल चन्द पीलीभीत उत्तर प्रदेश-262001	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग / 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई है एवं 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम द्रव्यगुण में 06 सीटों हेतु प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। आर.-17011 / 194 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 22.10.2016
242.	बुंदेलखण्ड गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल ग्वालियर रोड़ झांसी-284001, उत्तर प्रदेश	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2015-16 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3ग / 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु प्रवेश के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
243.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल अटारा, बंदा, यू.पी. बंदा रोड़ अटारा उत्तर प्रदेश-210201	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	आर-17011/195/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 13.10.2016 शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु प्रवेश के लिए संशर्त अनुमति प्रदान की गई है। आर-17011/196/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 19.10.2016
244.	एस.आर.एम. गर्वमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, बांस मण्डी बरेली, उत्तर प्रदेश-243005	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 तक (05 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई आर-17011/197/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 13.10.2016
245.	स्वामी कल्याणदेव आयुर्वेद कॉलेज, रामपुर मुज्जफरनगर, उत्तर प्रदेश-251001	सत्र 2015-16 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में संशर्त अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 30 सीटों हेतु प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान की गई आर-17011/198/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 22.10.2016
246.	श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक राजकीय आयुर्वेद गर्वमेंट कॉलेज, श्री लाल बहादुर शास्त्री मार्क स्मारक जवाहर नगर, हन्डिया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश-221503	सत्र 2015-16 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में संशर्त अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 30 सीटों हेतु प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान की गई है। आर-17011/199/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 11.11.2016
247.	शाम-ए-घौसिया माइनोरिटी पोस्ट-ग्रेजुएट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सहरी, गाजीपुर उत्तर प्रदेश-233302	पहले से ही 5 साल से अधिक की अनुमति के लिए महाविद्यालय के रूप में नहीं गए हैं, अर्थात् सत्र 2019-20 तक।	सत्र 2019-20 तक कालेज पहले से ही 5 वर्ष से अधिक की अनुमति के लिए मंजूरी दे चुका है अर्थात् स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु एवं 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 17 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई नामतः- (i) प्रसुति तंत्र एवं स्त्री रोग-04 सीटें (ii) रोग निदान-04 सीटें (iii) कायचिकित्सा -05 सीटें (iv) शल्य तंत्र-04 सीटें आर.-17011/200/2015-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 17.09.2015

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
248.	अलीगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं एसीएन हॉस्पिटल, अलीगढ़ सामने एफ.एम. टॉवर, अनूपशहर रोड़ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश-202002	सत्र 2015-16 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन 60 विद्यार्थियों के स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 से 2020-21 तक (05 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई आर. -17011/201/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 25.10.2016
249.	वैद्य यज्ञ दत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय के सामने धारपा पावर हाउस खुर्जा-बुलंदशहर जी.टी. रोड़ खुर्जा उत्तर प्रदेश-203131	सत्र 2015-16 से 2019-20 तक (05 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं 14 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 70 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (i) क्रिया शरीर - 05 सीटें (ii) छाया एवं विकिरण-05 सीटें (iii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग -04 सीटें (iv) कायचिकित्सा-05 सीटें (v) शल्य तंत्र-05 सीटें (vi) संज्ञाहरण-05 सीटें (vii) पंचकर्म-05 सीटें (viii) कौमारभृत्य-05 सीटें (ix) स्वस्थवृत-05 सीटें (x) अगद तंत्र एवं व्यवहारआयुर्वेद-05 सीटें (xi) संहिता सिद्धांत-06 सीटें (xii) द्रव्यगुण-05 सीटें (xiii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें एवं (xiv) रचना शरीर-05 सीटें	शैक्षिक सत्र 2015-16 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं 14 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 70 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई नामतः- (i) क्रिया शरीर-05 सीटें (ii) छाया एवं विकिरण-05 सीटें (iii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-04 सीटें (iv) कायचिकित्सा-05 सीटें (v) शल्य तंत्र-05 सीटें (vi) संज्ञाहरण-05 सीटें (vii) पंचकर्म-05 सीटें (viii) कौमारभृत्य-05 सीटें (ix) स्वस्थवृत-05 सीटें (x) अगद तंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद-05 सीटें (xi) संहिता सिद्धांत-06 सीटें (xii) द्रव्यगुण-05 सीटें (xiii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-05 सीटें एवं (xiv) रचना शरीर-05 सीटें आर.-17011/202/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 16.10.2016.
250.	श्री साई आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल सरसोल जी.टी. रोड़ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश -202001	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया । आर.-17011/203/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 14.08.2014	पहले से ही कालेज को वर्ष 2018-19 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) की पूर्व में ही 75 सीटों एवं 02 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 08 सीटों हेतु (i) शल्य तंत्र -04 सीटों एवं (ii) प्रसूति एवं स्त्री रोग- 04 सीटों सहित अनुमति प्रदान की गई है । आर.-17011/59/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 11.08.2014



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
251.	जे.डी. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल भांकरी, जी.टी. रोड़, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश-202001	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (i) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत-06 सीटें (ii) क्रिया शरीर-06 सीटें (iii) रचना शरीर -06 सीटें (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें (v) कायचिकित्सा-05 सीटें	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए अनुमति देने से इंकार। नामतः- (i) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत-06 सीटें (ii) क्रिया शरीर-06 सीटें (iii) रचना शरीर -06 सीटें (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें (v) कायचिकित्सा-05 सीटें आर-12011/31/2003-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 11.11.2016
252.	मेजर एस.डी. सिंह पी.जी. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल बेवर रोड़, फतेहपुर उत्तर प्रदेश-209601	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन सत्र 2016-17 स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं 14 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई अर्थात्: (I) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-06 सीटें (ii) द्रव्यगुण-06 सीटें (iii) स्वस्थवृत्-06 सीटें (iv) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-06 सीटें (v) कायचिकित्सा-06 सीटें (vi) शल्य सामान्य-06 सीटें (vii) शालाक्य तंत्र-06 सीटें (viii) पंचकर्म-06 सीटें (ix) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें (x) अगदतंत्र एवं विधि वैदयक-06 सीटें (xi) कौमारभृत्य-06 सीटें (xii) क्रिया शरीर-06 सीटें (xiii) रचना शरीर -06 सीटें एवं (xiv) रोग निदान-06 सीटें	2016-17 से कालेज को वर्ष 2020-21 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों एवं 14 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 84 सीटों हेतु (i) शल्य तंत्र-04 सीटों एवं (ii) प्रसूति एवं स्त्री रोग-04 सीटों सहित अनुमति प्रदान की गई है। (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-06 सीटें (ii) द्रव्यगुण-06 सीटें (iii) स्वस्थवृत्-06 सीटें (iv) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-06 सीटें (v) कायचिकित्सा-06 सीटें (vi) शल्य सामान्य-06 सीटें (vii) शालाक्य तंत्र-06 सीटें (viii) पंचकर्म-06 सीटें (ix) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-06 सीटें (x) अगदतंत्र एवं विधि वैदयक-06 सीटें (xi) कौमारभृत्य-06 सीटें (xii) क्रिया शरीर-06 सीटें (xiii) रचना शरीर -06 सीटें एवं (xiv) रोग निदान-06 सीटें आर.-12011/07/2005-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 07.09.2016

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
253.	फेकल्टी ऑफ आयुर्वेदा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश-221005	सत्र 2016-17 से 2019-20 तक (05 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 15 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई अर्थात्: (I) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-04 सीटें (ii) कौमारभृत्य-03 सीटें (iii) शालाक्य तंत्र-02 सीटें (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-03 सीटें (v) रचना शरीर -02 सीटें (vi) क्रिया शरीर-02 सीटें (vii) द्रव्यगुण-03 सीटें (viii) कायचिकित्सा-05 सीटें (ix) रोग निदान-02 सीटें (x) शल्य सामान्य-05 सीटें (xi) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-04 सीटें (xii) मानस रोग-01 सीट (xiii) संज्ञाहरण-02 सीटें एवं (xiv) स्वस्थवृत-01 सीट (xv) शल्य-क्षारसूत्र एवं अनु शस्त्रकर्म -06 सीटें और 02 स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (1) कौमारभृत्य (बालरोग) 02 सीटें (2) संज्ञाहरण -02 सीटें	2016-17 से कालेज को वर्ष 2020-21 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों एवं 15 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 45 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई अर्थात्:- (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-04 सीटें (ii) कौमारभृत्य-03 सीटें (iii) शालाक्य तंत्र-02 सीटें (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-03 सीटें (v) रचना शरीर-02 सीटें (vi) क्रिया शरीर-02 सीटें (vii) द्रव्यगुण-03 सीटें (viii) कायचिकित्सा-05 सीटें (ix) रोग निदान-02 सीटें (x) शल्य सामान्य-05 सीटें (xi) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-04 सीटें (xii) मानस रोग-01 सीट (xiii) संज्ञाहरण-02 सीटें एवं (xiv) स्वस्थवृत-01 सीट (xv) शल्य-क्षारसूत्र एवं अनु शस्त्रकर्म-06 सीटें एवं 02 स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 04 सीटों हेतु नामत: (i) कौमारभृत्य (बालरोग)-02 सीटें एवं (ii) संज्ञाहरण-02 सीटें आर.-17011 / 204 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 14.10.2016
254.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, वाराणसी यू. पी. चौका घाट जी.टी. रोड़ वाराणसी उत्तर प्रदेश-221002	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई ।	2016-17 से कालेज को वर्ष 2020-21 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई आर.-17011 / 205 / 2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 06.10.2016
255.	श्री आनन्द निकेतन धर्मशाला एवं धार्मिक ट्रस्ट, श्री धन्वन्तरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर गावं सेमरी तहसील छत्ता एन.एच-2 मथुरा जिला उत्तर प्रदेश-281401	परिदर्शन नहीं किया गया शैक्षिक सत्र 2019-20 तक महाविद्यालय को पूर्व में ही 5 वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। आर.-12011 / 18 / 2008-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 14.08.2014	पहले से ही कालेज को वर्ष 2018-19 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) की स्नातकीय पाठ्यक्रम में 75 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई है। आर.-12011 / 18 / 2008-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 14.08.2014



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
256.	भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 10 के.एम. रुरकी रोड पोस्ट बरला मुज्जफरनगर उत्तर प्रदेश -251001	सत्र 2016-17 में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	2016-17 से कालेज को वर्ष 2020-21 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई आर.-12011/26/2008-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 13.10.2016
257.	जे.बी.राय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल 170-172, राजा दिनेन्द्रा स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस श्यामबाजार कोलकाता पश्चिम बंगाल-700004	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	2016-17 से कालेज को वर्ष 2020-21 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई आर.-17011/206/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 29.09.2016
258.	इन्स्टीट्यूट ऑफ पी.जी आयुर्वेद एजुकेशन एवं रिसर्च, श्यामदास विद्या शास्त्र, पीठ 294/3/1 आचार्य प्राफूला चन्द्रा रोड़, कोलकाता-700009, पश्चिम बंगाल	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विषयों के लिए 08 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (I) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-02 सीटें (ii) द्रव्यगुण-02 सीटें (iii) कायचिकित्सा-04 सीटें एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन 01 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-02 सीटें हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	2016-17 से कालेज को वर्ष 2020-21 तक (05 वर्ष से अधिक नहीं) 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 10 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई अर्थात्:- (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-02 सीटें (ii) कायचिकित्सा-04 सीटें (iii) द्रव्यगुण विज्ञान-02 सीटें एवं (iv) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-02 सीटें आर.-17011/208/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 22.10.2016
259.	बेल्ली संकरपुर राजीव गांधी मेमोरियल आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल पोस्ट ऑफिस कुशदंगा, पी.एस. जगाददल, जिला-24 परगनास नार्थ पश्चिम बंगाल-743126	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग/13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर.-17011/207/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 17.10.2016
260.	इस्लामिया एजुकेशन ट्रस्ट जकारिया आयुर्वेद कॉलेज पयान दरगा रोड़, रोजा (बी), गुलबर्गा-585104, कर्नाटका	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 30 सीटों के लिए अनुमति देने से इन्कार। आर.-17011/83/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 03.11.2016

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
261.	रघुनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय एवं हॉस्पिटल कॉन्टेई जिला-पुरबा मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु प्रवेश के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/05/2012-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 01.09.2016
262.	परसुरामपुरिया आयुर्वेद कॉलेज, सीकर-332001, राजस्थान	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों के लिए अनुमति देने से इन्कार। आर-12011/183/2016-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 24.11.2016
263.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, बिलासपुर अशोक नगर, बिलासपुर-495001 छत्तीसगढ़	सत्र 2016 -17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016 -17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/11/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 29.09.2016
264.	अभिलाषी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट चेलचौक, तहसील चाचायोट, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश -175045	सत्र 2016 -17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016 -17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/14/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 29.09.2016
265.	आनन्दी शिक्षान प्रसारक मण्डलस आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट धाड नाका एरिया अजंता रोड़ बुलंदाना महाराष्ट्र-443001	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/20/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 03.11.2016
266.	धन्वन्तरी आयुर्वेद कॉलेज कोयदम तालुका वीरपुर जिला, माहीसागर गुजरात-388260	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/27/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 16.09.2016



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
267.	हिलसाइड आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल न0. 174/2, सलडोडी, केंगरी होबली आगरा गावं, बंगलौर साउथ, बंगलौर कर्नाटका-560062	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु प्रवेश के लिए अनुमति दी गई। आर-12011/26/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 05.09.2016
268.	कला आश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल एन.एच. डब्लू-27 गावं-बंसदा तहसील-गोगुंदा जिला-उदयपुर राजस्थान-313705	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/04/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 02.12.2016
269.	लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल साधोरा रोड़, बिलासपुर जिला यमुनानगर हरियाणा-13502 यमुना नगर	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/05/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 26.12.2016
270.	महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेदा महाविद्यालय सिकर रोड़ हारोटा, चोमू जयपुर राजस्थान-303702	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/22/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 03.11.2016
271.	जगदम्बा एजुकेशन सोसायटी मातोश्री असराबाई डारडे आयुर्वेद कॉलेज बाभुलगावं येओला जिला नासिक महाराष्ट्र-423401	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/29/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 22.10.2016
272.	पेसीफिक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एवं रिसर्च सेन्टर 200, इच्चीपुर, इन्डस्ट्रीयल एरिया गोरखपुर- 273015 उत्तर प्रदेश	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु प्रवेश के लिए अनुमति देने से इंकार। आर-12011/03/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 05.12.2016

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
273.	प्रबुद्ध शिक्षा संस्थान, प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर गावं बाक्काखेरा, पोस्ट थारी, माल लखनऊ उत्तर प्रदेश -226104	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/09/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 15.12.2016
274.	चौधरी हरचन्द सिंह आत्माराम एजुकेशन ट्रस्ट कादरा इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एन.एच.-58, हरिद्वार रोड़ आर.के.ई. बेलदा रुकी उत्तराखण्ड-247667	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/25/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 23.09.2016
275.	संतुष्टी हुमन डेवलपमेंट एजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसायटी संतुष्टी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल हिनाउती, दगमापुर, चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश-231305	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/15/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 22.11.2016
276.	शिव शक्ति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सुनम रोड़ टॉउन भिखी जिला मन्सा पंजाब-151504	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु प्रवेश के लिए अनुमति देने से इंकार। आर-12011/24/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 09.12.2016
277.	शिवालिक सेवा ट्रस्ट, शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल गावं बिजरवा पोस्ट बंकत पी.एस. मुबारकुपुर जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश-276125	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/07/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 15.10.2016
278.	श्री कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल राउना खुर्द चोलापुर वाराणसी उत्तर प्रदेश-221001	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/13/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 25.10.2016



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
279	श्री धानेश्वरी मानव विकास मण्डल, सोउ शांतादेवी वेदप्रकाश पाटिल आयुर्वेद कॉलेज एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट गेट न0. 421, हट्टा तालुका बसमत जिला हिंगोली-431738	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/16/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 22.10.2016
280.	कुवंर शेखर विजेन्द्र आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, आदर्श इन्स्टीट्यूट एरिया, बाबू विजेन्द्र मार्ग, गंगोह, जिला-सहारनपुर-247341, उत्तर प्रदेश	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/28/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 25.10.2016
281.	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मैनपुरी जानकी प्रसाद कमुआ बिलासपुर रोड बैरेली उत्तर प्रदेश -243001	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/01/2013-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 30.11.2016
282.	मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कोलार रोड-भोपाल-462024, मध्य प्रदेश	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/11/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 01.09.2016
283.	श्री आदि शिवा सद्गुरु अली साहेब सिवारयूला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, गुन्टाकल-515801, अनंतपुर, आन्ध्र प्रदेश	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/25/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 29.11.2016
284.	मरिया एजुकेशनल एवं चेरीटेबल ट्रस्ट चवाराकोडे, पोस्ट-वीयानूर, जिला-कन्याकुमारी-629177, तमिलनाडु	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/23/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 22.10.2016

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
285	शहीद नरेन्द्र कुमार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड आर. के.एम.एस. चेरीटेबल हॉस्पिटल, पिसावा रोड, चन्दौस, अलीगढ़-202132, उत्तर प्रदेश	सत्र 2016 -17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016 -17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/19/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 01.11.2016
286.	फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, ज्योति विद्यापीठ विमेन यूनिवर्सिटी, वेदान्त ज्ञान वेली, झरना, महाला-जोबनेर लिंक रोड, जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस-वे, जयपुर-303122, राजस्थान	सत्र 2016 -17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016 -17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/12/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 16.09.2016
287.	शान्ति इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हायर स्टडीज, शान्ति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, मझौली-बलिया-277001, उत्तर प्रदेश	सत्र 2016 -17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016 -17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/05/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 16.09.2016
288.	डॉ. कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, सरमाउ, झांसी-284003, उत्तर प्रदेश	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/04/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 13.10.2016
289.	श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, भाउपुर, बेवर रोड, फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद -209602, उत्तर प्रदेश	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/09/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 26.09.2016
290.	तपोवन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, दूदाबाथी-577566, दावनगरे कनार्टक	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/16/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 16.09.2016



क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
291	श्री बाबू सिंह दादूजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल कृष्णा नगर(बाघर), कानपुर रोड, फतेहगढ, जिला फर्रुखाबाद-209601,, उत्तर प्रदेश	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/03/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 26.09.2016
292.	श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वर इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एण्ड हॉस्पिटल, अंचेपलया, ग्राम-कुम्बलागोदू, बंगलूरु-560074, कर्नाटक	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/18/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 23.09.2016
293.	श्री वी.एम. मेहता इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, 405, शिल्प टॉवर टैगोर रोड भक्ति नगर रेलवे स्टेशन के समीप राजकोट कम्पैस गरदी विद्यापीठ गांव कलावाद रोड, आनंदपुर-361162, राजकोट, गुजरात	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/06/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 17.10.2016
294.	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, 10 कि.मी. माइल स्टॉन, खैर रोड, लोधा, अलीगढ-202001, उत्तर प्रदेश	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/35/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 05.09.2016
295.	फैकल्टी ऑफ इण्डियन मेडिसिन सिस्टम, एस.जी.टी. यूनिवर्सिटी चन्द्र-बुढेडा, गुडगाव-बादली रोड, हरियाणा -122505	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/14/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 01.09.2016
296.	यशवन्तराव चवन आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिवा ट्रस्ट कैम्पस, निपानी भालगांव, विडियोकॉन कम्पनी कम्प्यूनिवेशन लिमिटेड के समीप, बीड हाईवे रोड, औरंगाबाद-431005, महाराष्ट्र	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/39/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 25.10.2016

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2016-17 हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार का निर्णय
297.	गंगापुत्रा आयुर्वेदिक महाविद्यालय, कैथल रोड कन्डेला, जिला-जींद-126102, हरियाणा	सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13क/13ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-12011/28/2014-ई.पी. (आई.एम-1) दिनांक 14.12.2016

यूनानी

चिकित्सीय अर्हता की मान्यता

कोई चिकित्सीय अर्हता नहीं जोड़ी गई।

सत्र 2016-17 हेतु नए प्रस्ताव

नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2003 तथा (संशोधन) विनियम, 2013 के अधीन भारत सरकार, आयुष मंत्रालय से निम्नलिखित नए प्रस्ताव प्राप्त हुए। केन्द्रीय परिषद् ने निम्नलिखित संस्थाओं का निरीक्षण किया तथा इस परियोजना के अनुमोदन/निरनुमोदन हेतु आयुष मंत्रालय को अनुशंसायें

1. नए यूनानी महाविद्यालय की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	प्रस्ताव	भा.चि.के.प.की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय
1.	इनामदर यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल चाचा लेआउट, कालाबुर्गी, कर्नाटका	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों सहित नए यूनानी महाविद्यालय की स्थापना करने हेतु।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संस्तुत नहीं किया।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों के लिए भारत सरकार द्वारा आशय पत्र जारी नहीं किया।
2.	हयात यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, कोकराई लखनऊ	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों सहित नए यूनानी महाविद्यालय की स्थापन हेतु।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संस्तुत किया।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों के लिए भारत सरकार द्वारा आशय पत्र जारी किया।
3.	गर्वमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज, गंधेरबल, जम्मू एण्ड कश्मीर	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों सहित नए यूनानी महाविद्यालय की स्थापना करने हेतु।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संस्तुत नहीं किया।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों के लिए भारत सरकार द्वारा आशय पत्र जारी नहीं किया।
4.	भोपाल इस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिकल साईंसिज ग्रामपुरा छिन्दवाडा भोपाल	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों के लिए।	प्रस्ताव भारत सरकार को वापिस भेजा गया	



क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	प्रस्ताव	भा.चि.के.प.की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय
5.	अल-अमीन यूनानी मेडिकल कॉलेज, सयान खुर्द मालेगाव, महाराष्ट्र	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 60 सीटों के लिए।	प्रस्ताव भारत सरकार को वापिस भेजा गया	
6.	संस्कृत यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल छत्ता, मथुरा, उत्तर प्रदेश	स्नातकीय पाठ्यक्रम 100 सीटों सहित नए यूनानी महाविद्यालय की स्थापना करने हेतु।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संस्तुत किया।	संस्कृत यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल छत्ता, मथुरा, उत्तर प्रदेश
7.	मौलाना मारगुब आलम यूनानी मेडिकल एण्ड हम मेमोरियल यूनानी हॉस्पिटल, बिजनौर, उत्तर प्रदेश	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों सहित नए यूनानी महाविद्यालय की स्थापना करने हेतु।	प्रस्ताव भारत सरकार को वापिस भेजा गया	
8.	खुसरो यूनानी मेडिकल कॉलेज, नवादकजा, पिलीभीत, उत्तर प्रदेश	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों सहित नए यूनानी महाविद्यालय की स्थापना करने हेतु।	प्रस्ताव भारत सरकार को वापिस भेजा गया	

2. स्नातकीय / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्ताव

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	प्रस्ताव	संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय
1.	स्टेट तकमिल-तिब कॉलेज एण्ड होपिता, लखनऊ	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 40 से 60 सीटों की वृद्धि के लिए	प्रस्ताव भारत सरकार को वापिस भेजा गया	
2.	कश्मीर तिब्बिया कॉलेज, एण्ड रिसर्च सेन्टर (जम्मू एण्ड कश्मीर)	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 40 से 60 सीटों की वृद्धि के लिए	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 40 से 60 सीटों की वृद्धि के लिए संस्तुति किया।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 40 से 60 सीटों की वृद्धि के लिए संस्तुति किया।
3.	स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 40 से 60 सीटों की वृद्धि के लिए	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 40 से 60 सीटों की वृद्धि के लिए संस्तुति किया।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 40 से 60 सीटों की वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा आशय पत्र जारी किया

3. नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	प्रस्ताव	भा.चि.के.प.की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	प्रस्ताव	भा.चि.के.प.की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय
1.	एच.एस.जेड.एच. गर्वमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज, भोपाल	नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु तहफुज्जी वा समाजी तिब्ब 08 सीटों के लिए	कॉलेज ने प्रस्ताव वापस लिया।	

महाविद्यालयों का परिदर्शन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13ग के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 (1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017) हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजने के लिए निम्नलिखित यूनानी महाविद्यालयों का परिदर्शन किया:-

क्र.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
1.	गर्वमेंट निजामिया तिब्बिया कॉलेज, हैदराबाद (टी.एस)	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में 75 सीटों हेतु एवं 05 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में (34 सीटों) हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई :- (i) मोआलाजात 10 सीटें (ii) इलमुल अदविया 5 सीटें (iii) कबालात वा अमराजे निस्वां 9 सीटें (iv) तहफुज्जी वा समाजी तिब्ब 5 सीटें एवं (v) कुलियात 5 सीटें सत्र 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर.17012/01/2016-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 13.10.2016
2.	डॉ0 अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, कूरनूल (आन्ध्र प्रदेश)	स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सत्र 2016-17 के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर.17012/02/2016-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 13.10.2016
3.	गर्वमेंट तिब्बिया कॉलेज, कदम कुआँ, पटना-(बिहार)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 40 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र संख्या आर.17012/03/2016-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 30.09.2016
4.	जुलफिकर हैदर यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, सिवान-841226	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 50 सीटों के लिए संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु। पत्र संख्या आर.17012/04/2016-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 03.11.2016
5.	सलफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल एवं पत्रालय लाहेरीसराय, जिला दरभंगा-846001	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 50 सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र 2016-17से 2020-21) पत्र संख्या आर.17012/05/2016-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 16.09.2016
6.	निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 50 सीटों के लिए	स्नातकीय पाठ्यक्रम 40 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु।



क्र.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
	हॉस्पिटल, गया—(बिहार)	संस्तुति नहीं की गई।	पत्र संख्या आर.17012/06/2016—ईपी (आई एम—1) 2016—17 हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 16.09.2016
7.	मोहसिन—ए—मिल्लत यूनानी मेडिकल कॉलेज, रायपुर	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016—17 हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 40 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016—17 हेतु। पत्र संख्या आर.17012/07/2016—ईपी(आई एम—1) 2016—17 हेतु दिनांक 24.10.2016
8.	आयुर्वेद एण्ड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, करोल बाग, नई दिल्ली	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सत्र 2016—17 हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई एवं 04 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में (10 सीटों) हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई :- (i) मोआलाजात 03 सीटें (ii) इलमुल सैदला 03 सीटें (iii) मुनाफुलआजा 02 सीटें (iv) कबालत वा अमराजे निस्वां 02 सीटें सत्र 2016—17 हेतु पत्र संख्या आर.17012/08/2016—ईपी (आई एम—1) 2016—17 हेतु दिनांक 13.10.2016
9.	डीन, फ़ैकलटी ऑफ़ मेडिकल, जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सत्र 2016—17 हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु एवं 03 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में (09 सीटों) हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई :- (i) मोआलाजात 03 सीटें (ii) इलमुल अदविया—03 सीटें (iii) तहफफुजी वा समाजी तिब्ब—03 सीटें एवं सत्र 2016—17 हेतु पत्र संख्या आर.17012/09/2016—ईपी (आई एम—1) 2016—17 हेतु दिनांक 26.10.2016
10.	यूनानी मेडिकल कॉलेज इन्स्टीट्यूट ऑफ़ एसियान मेडिकल साईंसिज, श्री नगर	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016—17 हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 40 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016—17 हेतु। पत्र संख्या आर.17012/10/2016—ईपी (आई एम—1) 2016—17 हेतु दिनांक 03.10.2016
11.	गर्वमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज, बंगलौर, कर्नाटका	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016—17 हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016—17 हेतु। पत्र संख्या आर.17012/12/2016—ईपी (आई एम—1) 2016—17 हेतु दिनांक 30.09.2016
12.	लूकमान मेडिकल कॉलेज, एण्ड हॉस्पिटल, बिजापुर कर्नाटका	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई एवं 2 विषयों में स्नातकोत्तर 07 सीटें पाठ्यक्रम :- (i) कबालत वा अमराजे निस्वां 03 सीटें (ii) मोआलाजात 04 सीटें हेतु अनुमति प्रदान की

क्र.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
		(i) कबालत वा अमराजे निस्वां 03 सीटें (ii) मोआलाजात 04 सीटें पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु संस्तुति प्रदान की गई।	गई। सत्र 2016-17 हेतु पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र 2016-17 से 2020-21 तक) पत्र संख्या आर.17012/15/2016-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 16.09.2016
13	टीपू सूल्तान यूनानी मेडिकल कॉलेज, गुलबर्गा, कर्नाटका	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 60 सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र 2016-17से 2020-21) पत्र संख्या आर.17012/14/2016-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 22.10.2016
14.	एच.एम.एस. मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, टुमकूर, कर्नाटका	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 40 सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र 2016-17से 2020-21) पत्र संख्या आर.17012/15/2016-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 16.09.2016
15.	नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बंगलौर	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई (i) मोआलाजात 08 सीटें (ii) कबालत वा अमराजे निस्वां 07 सीटें (iii) तहफफुजी वा समाजी तिब्ब 06 सीटें एवं (iv) इलमुल अदविया 08 सीटें (v) इलमुल सैदला 04 सीटें (vi) इलाज बिद तदबीर 05 सीटें (vii) इलमुल ज़राहत 04 सीटें एवं कुलियात पाठ्यक्रम की सीटों के लिए संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकोत्तरय पाठ्यक्रम 47 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई 8 विषयों में 47 सीटें पाठ्यक्रम :- (i) मोआलाजात 08 सीटें (ii) कबालत वा अमराजे निस्वां 07 सीटें (iii) तहफफुजी वा समाजी तिब्ब 07सीटें एवं (iv) इलमुल अदविया 08 सीटें (v) कुलियात उमुर तैब्बिया 04 सीटें (vi) इलमुल सैदला 04 सीटें (vii) इलमुल ज़राहत 04 सीटें (viii) इलाज बिद तदबीर 05 सीटें हेतु अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र 2016-17 से 2020-21 तक) पत्र संख्या आर.14012/05/2004-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 16.09.2016
16.	सौफिया हमिदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बुराहनपुर, मध्य प्रदेश	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु सशर्त संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु। पत्र संख्या आर.17012/16/2016-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 02.12.2016
17.	अल-फारुक यूनानी तिब्बिया कॉलेज, इन्दौर	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु सशर्त संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु। पत्र संख्या आर.17012/17/2016-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 13.10.2016
18.	हाकिम सईद जियूल हसन गर्वमेंट यूनानी मेडिकल, भोपाल-(मध्य प्रदेश)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु। पत्र संख्या आर.17012/18/2016-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 31.10.2016



क्र.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
19.	हाकिम अब्दुल हमीद यूनानी मेडिकल कॉलेज, देवास (मध्य प्रदेश)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 40 सीटों के लिए संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 40 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु। पत्र संख्या आर.17012/19/2016-ईपी (आई एम-1) 2016 -17 हेतु दिनांक 13.10.2016
20.	अंजुमान- इस्लाम डॉ० इशाक जाम खानवाला तिब्बिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हाजी अब्दुल रजाक कालेसकर तिब्बिया हॉस्पिटल, (महाराष्ट्र)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 60 सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु। पत्र संख्या आर.17012/20/2016-ईपी (आई एम-1) 2016 -17 हेतु दिनांक 20.09.2016
21.	मोहम्मदया तिब्बिया कॉलेज एण्ड अययासर हॉस्पिटल मालेगांव, जिला नासिक	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अनुमति प्रदान की गई (i) कबालत वा अमराजे निस्वां 02 सीटें पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु एवं इलमुल अदविया पाठ्यक्रम में संस्तुति प्रदान नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई एवं 2 विषयों में स्नातकोत्तर (i) इलमुल अदविया 02 सीटें (ii) कबालत वा अमराजे निस्वां 02 सीटें सत्र 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर. 17012/21/2016-ईपी (आई एम-1) 2016 -17 हेतु दिनांक 22.10.2016
22.	जुलेखभाई वालेय मोहम्मद यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पुणे-(महाराष्ट्र)	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अनुमति प्रदान की गई (i) तहफफुज़ी वा समाजी तिब्ब 06 सीटें (ii) मोआलाजात 06 सीटें (iii) इलमुल ज़राहत 03 सीटें सत्र 2016-17 हेतु एवं इलमुल कबालत व अमराजे निस्वां पाठ्यक्रम में संस्तुति प्रदान नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई एवं 4 विषयों में स्नातकोत्तर (i) तहफफुज़ी वा समाजी तिब्ब 06 सीटें (ii) मोआलाजात 06 सीटें (iii) इलमुल कबालत व अमराजे निस्वां 02 सीटें एवं इलमुल ज़राहत 03 सीटें सत्र 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर.17012/24/2016-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 20.09.2016
23.	इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जलगांव	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 50 सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र 2016-17 से 2020-21) पत्र संख्या आर.17012/23/2016-ईपी (आई एम-1) 2016 -17 हेतु दिनांक 20.09.2016
24.	राजपुताना यूनानी तिब्बिया कॉलेज, जयपुर-(राजस्थान)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 50 सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र 2016-17से 2020-21) पत्र संख्या आर.17012/25/2016-ईपी(आई एम-1) 2016 -17 हेतु दिनांक 02.09.2016

क्र.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
25.	राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज, एण्ड हॉस्पिटल, जयपुर-(राजस्थान)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान की नहीं गई। सत्र 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर.17012/26/2016-ईपी (आई एम-1) 2016 -17 हेतु दिनांक 03.11.2016
26.	गर्वमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज, चेन्नई	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 26 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु। पत्र संख्या आर.17012/27/2016-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 29.09.2016
27.	स्टेट तकमिल-उत-तिब कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र 2016-17 से 2020-21) पत्र संख्या आर.17012/28/2016-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 05.10.2016
28.	स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र 2016-17 से 2020-21) पत्र संख्या आर.17012/29/2016-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 05.10.2016
29.	इबने-सिना तिब्बिया कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, आजमगढ़, (उत्तर प्रदेश)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम को अनुमति प्रदान की नहीं गई। सत्र 2016-17 से 2020-21 पत्र संख्या आर.17012/31/2016-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 05.12.2016
30.	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 60 सीटों के लिए संस्तुति की गई। स्नातकोत्तर 10 सीटों हेतु 02 पाठ्यक्रम सीटों में सशर्त अनुमति प्रदान की गई (I) तहफफुजी वा समाजी तिब्ब 05 सीटें एवं; ii) कुलियात 05 सीटें	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई एवं 02 विषयों में स्नातकोत्तर 10सीटें पाठ्यक्रम :- (I) तहफफुजी वा समाजी तिब्ब 05 सीटें एवं (ii) कुलियात 05 सीटें हेतु अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र 2016-17 से 2020-21 तक) पत्र संख्या आर.17012/33/2016-ईपी (आई एम-1) 2016 -17 हेतु दिनांक 13.10.2016
31.	अलीगढ़ यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, अलीगढ़ -(उत्तर प्रदेश)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई एवं 02 विषयों में स्नातकोत्तर 08 सीटें पाठ्यक्रम-(i) कुलियात 04 सीटें (ii) मोआलाजात 04 सीटें हेतु अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र 2016-17 से 2020-21 तक)



क्र.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
			पत्र संख्या आर.17012/34/2016-ईपी (आई एम-1) 2016 -17 हेतु दिनांक 27.10.2016
32.	शाम-ए-घौसिया मिनोरिटी यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, गाजीपुर - (उत्तर प्रदेश)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 40 सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम को अनुमति प्रदान की नहीं गई। सत्र 2016-17 पत्र संख्या आर.17012/35/2016-ईपी (आई एम-1) 2016 -17 हेतु दिनांक 30.11.2016
33.	इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 60 सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में 60 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र 2016-17 से 2020-21) पत्र संख्या आर.12012/01/2005-ईपी (आई एम-1) 2016 -17 हेतु दिनांक 06.09.2016
34.	डॉ0 अब्दुल अली तिब्बिया कॉलेज, एण्ड हॉस्पिटल, मालीयाबाद, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र 2016-17 से 2020-21) पत्र संख्या आर.12012/02/2006-ईपी (आई एम-1) 2016 -17 हेतु दिनांक 25.10.2016
35.	अजमल खान तिब्बिया कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	स्नातकीय पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई एवं 6 विषयों में स्नातकोत्तर 16 सीटें पाठ्यक्रम :- (i) मोआलाजात 04 सीटें (ii) इलमुल अदविया 04 सीटें (iii) कबालात वा अमराजे निस्वां 01 सीटें (iv) तहफफुजी वा समाजी तिब्ब 01 सीटें एवं (v) कुलियात 04 सीटें (vi) इलमुल जराहत 02 सीटें पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र 2016-17 से 2020-21 तक) पत्र संख्या आर.17012/36/2016-ईपी (आई एम-1) 2016 -17 हेतु दिनांक 09.09.2016
36.	कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, (पश्चिम बंगाल)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 40 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु। पत्र संख्या आर.17012/37/2016-ईपी (आई एम-1) 2016 -17 हेतु दिनांक 16.09.2016
37.	युनुस फजलानी यूनानी मेडिकल कॉलेज, कुंजेखेडा (महाराष्ट्र)	स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र 2015-16से 2019-20)	पांच वर्षीय अनुमति वापिस की गई एवं स्नातकीय पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु। पत्र संख्या सी.13015/15/2015-वीजीलेंस (आयुश) पी.टी. VI दिनांक 11.01.2017

क्र.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
38.	हाकिम रईस यूनानी मेडिकल कॉलेज, सम्बल, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 50 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु। पत्र संख्या आर.12012/02/2012-ईपी (आई एम-1) 2016 -17 हेतु दिनांक 25.10.2016
39.	घौसिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, फतेहपुर, (उत्तर प्रदेश)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 60 सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु। पत्र संख्या आर.12012/05/2013-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 23.09.2016
40.	अल-आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद, तेलंगाना	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 100 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु। पत्र संख्या आर.12012/02/2013-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 03.11.2016
41.	मरकज यूनानी मेडिकल कॉलेज, केरला	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 60 सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु। पत्र संख्या आर.12012/04/2014-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 16.09.2016
42.	उत्तरांचल यूनानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 60 सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम को अनुमति प्रदान की नहीं गई। सत्र 2016-17 पत्र संख्या आर.12012/05/2014-ईपी (आई एम-1) 2016 -17 हेतु दिनांक 30.11.2016
43.	विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ यूनानी बाघीखना टोंक, राजस्थान	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 60 सीटों के लिए संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 50 (60 सीटों के बदले) सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु। पत्र संख्या आर.12012/01/2015-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 17.10.2016
44.	ग्लोकल यूनानी मेडिकल कॉलेज, साहरनपुर (उत्तर प्रदेश)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 100 सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 100 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु। पत्र संख्या आर.12012/03/2015-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 21.11.2016
45.	सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज, बारह चकिया, पूर्व चम्पारन बिहार	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 100 सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 60 सीटों हेतु (100 सीटों के बदले) अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु। पत्र संख्या आर.12012/01/2011-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु दिनांक 02.12.2016



क्र.सं.	संस्था का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियां	भारत सरकार से अनुमति
46.	रेहबर आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्ब कॉलेज संगरूर, पंजाब	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 हेतु 50 सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम 50 सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। सत्र 2016-17 हेतु। पत्र संख्या आर.12012/04/2015-ईपी (आई एम-1) 2016-17 हेतु, दिनांक 01.12.2016

सिद्ध

महाविद्यालयों का परिदर्शन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष 2016-17 हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 1970 की धारा 13 ग के अधीन भारत सरकार को अनुशासण भेजने के लिए निम्नलिखित सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन आयोजित किया:-

क्र.सं.	संस्थान का नाम	भा.चि.के.प. की भारत सरकार को संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय
1.	सान्थिगिरि सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, पो.ओ. कोलियाकोडे, तिरुवनन्तपुरम, केरल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 50 सीटों हेतु प्रवेश के लिए सशर्त अनुमति हेतु भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.एस.एम.एस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर-17013/01/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 17.10.2016
2.	ए.टी.एस.वी.एस. सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पुडुक्काडई, कन्याकुमारी, (तमिलनाडु)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 40 सीटों हेतु प्रवेश के लिए सशर्त अनुमति हेतु भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.एस.एम.एस) पाठ्यक्रम में 40 सीटों के लिए अनुमति हेतु संस्तुति नहीं की गई। 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर-17013/04/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 18.11.2016
3.	गवर्नमेंट सिद्ध मेडिकल कॉलेज, अरिनगर अन्ना हॉस्पिटल कम्पस, अरुम्बाक्कम, चेन्नई-106 (तमिलनाडु)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय अर्थात् बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए तथा स्नातकोत्तर अर्थात् एम.डी. (सिद्ध) में निम्नलिखित 34 सीटों (5 विशिष्टताओं में) हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई:- (i) मरुथुवम -10 सीटें (ii) गुणपाडम -10 सीटें (iii) सिरापू मरुथुवम-05 सीटें (iv) कुझान्थै मरुथुवम -05 सीटें (v) नोई नाडल -04 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.एस.एम.एस) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के लिए तथा स्नातकोत्तर एम.डी. (सिद्ध) में निम्नलिखित 34 सीटों (5 विशिष्टताओं में) हेतु पांच वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की गई:- (i) मरुथुवम -10 सीटें (ii) गुणपाडम -10 सीटें (iii) सिरापू मरुथुवम-05 सीटें (iv) कुझान्थै मरुथुवम -05 सीटें (v) नोई नाडल -04 सीटें 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर-17013/02/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 24.10.2016

क्र.सं	संस्थान का नाम	भा.चि.के.प. की भारत सरकार को संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय
4.	गर्वमेंट सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, पलायमकोर्टई, तिरुनेलवेली (तमिलनाडु)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय अर्थात् बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए तथा स्नातकोत्तर अर्थात् एम.डी.(सिद्ध) में निम्नलिखित 60 सीटों(6 विशिष्टताओं में) हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई:- (i) मरुथुवम -10 सीटें (ii) गुणपाडम -10 सीटें (iii) सिरापू मरुथुवम-10 सीटें (iv) कुझान्थै मरुथुवम -10 सीटें (v) नोई नाडल -10 सीटें (vi) नान्जू नूलम मरुथुवम नीथि नूलम-10 सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.एस.एम.एस) पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए तथा स्नातकोत्तर एम.डी.(सिद्ध) में निम्नलिखित 60 सीटों (6 विशिष्टताओं में) हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- (i) मरुथुवम -10 सीटें (ii) गुणपाडम -10 सीटें (iii) सिरापू मरुथुवम-10 सीटें (iv) कुझान्थै मरुथुवम-10 सीटें (v) नोई नाडल-10 सीटें (vi) नान्जू नूलम मरुथुवम नीथि नूलम-10 सीटें 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर-17013/03/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 14.10.2016
5.	आर.वी.एस. सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 30 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 30 सीटों सहित पांच वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की गई। 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर-12013/01/2006-ईपी (आई एम-1) दिनांक 26.10.2016
6.	शिवराज सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, सलेम, तमिलनाडु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 30 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.एस.एम.एस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर-12013/01/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 08.11.2016
7.	श्री साईराम सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र, चेन्नई, तमिलनाडु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 50 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित पांच वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की गई। 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर-17013/05/2016-ई पी (आई एम-1) दिनांक 13.10.2016



क्र.सं	संस्थान का नाम	भा.चि.के.प. की भारत सरकार को संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय
8.	वेलुमाइलु सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीपेरमबुदूर, तमिलनाडु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 40 सीटों के प्रवेश हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में 40 सीटों सहित पांच वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की गई। 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर-17013/06/2016-ईपी (आई एम-1) दिनांक 25.10.2016
9.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु स्नातकोत्तर अर्थात् एम.डी.(सिद्ध) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित 46 सीटों(6 विशिष्टताओं) के लिए सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई:- (i) मरुथुवम -08 सीटें (ii) गुणपाडम -08 सीटें (iii) सिरापू मरुथुवम-08सीटें (iv) कुझान्थै मरुथुवम -08 सीटें (v) नोई नाडल -07 सीटें (vi) नान्जू नूलम मरुथुवम नीथि नूलम-07 सीटें	शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु निम्नलिखित 46 सीटों (6 विशिष्टताओं में) हेतु पांच वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की गई:- (i) मरुथुवम -08 सीटें (ii) गुणपाडम -08 सीटें (iii) सिरापू मरुथुवम-08सीटें (iv) कुझान्थै मरुथुवम -08 सीटें (v) नोई नाडल -07 सीटें (vi) नान्जू नूलम मरुथुवम नीथि नूलम-07 सीटें पत्र संख्या आर-14013/01/2004-ईपी (आई एम-1) दिनांक 05.10.2016
10.	मायरा एजूकेशनल एवं चैरीटेबल, कन्याकुमारी, तमिलनाडू	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन सत्र 2016-17 से 100 सीटों सहित स्नातकीय बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम के साथ एक सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 ग/13 क के अधीन सत्र 2016-17 हेतु स्नातकीय (बी.एस.एम.एस) पाठ्यक्रम में 50 सीटों सहित सशर्त अनुमति प्रदान की गई। 2016-17 हेतु पत्र संख्या आर-12013/02/2015-ईपी (आई एम-1) दिनांक 15.12.2016

प्रशासन

परिषद् के कार्यालय के लिए पदों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	पदनाम	संस्वीकृत पदों की संख्या	समूह	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	निबंधक –सह- सचिव	1	क	–	1
2.	सहायक निबंधक (आयुर्वेद)	1	क	1	–
3.	सहायक निबंधक (यूनानी)	1	क	1	–
4.	सहायक निबंधक (सिद्ध)	1	क	1	–
5.	सहायक सचिव (प्रशासन)	1	क	1	–
6.	पंजीयन अधिकारी	1	ख	–	1
7.	कार्यालय अधीक्षक	1	ख	1	–
8.	लेखाकार	1	ख	–	1
9.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	ख	–	–
10.	उच्च श्रेणी लिपिक	4	ग	1	–
11.	कनिष्ठ आशुलिपिक	3	ग	4	1
12.	निम्न श्रेणी लिपिक	11	ग	2	3
13.	डुप्लीकेटिंग ऑपरेटर	1	ग	8	–
14.	दफ्तरी	2	ग	2	–
15.	मल्टी टॉस्क स्टाँफ (चपरासी)	1	ग	1	–
	कुल	31		24	7

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एक सांविधिक निकाय है जिसमें 31 पद हैं। तथापि, समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभिन्न वर्गों के लिए किए गए आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु हर सावधानी बरती जा रही है। विभिन्न वर्गों के लिए किए गए आरक्षण की स्थिति निम्नवत् है :-

1. अनुसूचित जाति	02
2. अनुसूचित जनजाति	03
3. अन्य पिछड़ा वर्ग	02
4. शारीरिक रूप से विकलांग	02

उक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय परिषद् ने केन्द्रीय परिषद् के निर्बाध कार्य हेतु संविदा के आधार पर समेकित वेतन पर वरिष्ठ तकनीकी सहयुक्त (एस.टी.ए) आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध, कनिष्ठ तकनीकी सहयुक्त (जे.टी.ए) आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध, विधि-परामर्शदाता, जनसूचनाधिकार-परामर्शदाता, गुणता पद्धति प्रबन्धक, समन्वयक ई-लर्निंग, टी.टी.टी. प्रकोष्ठ, नेटवर्किंग प्रशासक तथा निजी सहायक-अध्यक्ष इत्यादि नियुक्त किए।



वित्त

बजट के स्रोत

वर्ष 2016-2017 के लिए परिषद् द्वारा अनुमोदित तथा सरकार द्वारा स्वीकृत/जारीबजट प्राक्कलन एवं संशोधित प्राक्कलन निम्न प्रकार है :-

क्र.सं		गैर-योजना (रु० लाखों में)	योजना (रु० लाखों में)
1.	बजट प्राक्कलन 2016-2017 (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	1130.00	125.00
2.	बजट प्राक्कलन 2016-2017 (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	245.00	125.00
3.	संशोधित प्राक्कलन 2016-2017 (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	1080.00	125.00
4.	संशोधित प्राक्कलन 2016-2017 (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	245.00	125.00
5.	अनुदान सहायता (मंत्रालय द्वारा दिया गया धन)	236.50	88.50

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली का वित्तीय विवरण
(गैर-लाभ-संगठन वर्ष 2016-17 के लिए)
विषय सूची

शीर्ष	पृष्ठ संख्या
तुलन-पत्र	1
आय एवं व्यय का लेखा	2
वित्तीय विवरण की अनुसूचियां	3 से 25
प्राप्तियां एवं भुगतान का लेखा गैर-योजना एवं योजना, सामान्य भविष्य निधि तथा सार्वजनिक जमा लेखा	26 से 28

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
(गैर-लाभ-संगठन)
31 मार्च, 2017 को यथा तुलनपत्र

दायित्व	अनुसूची	(राशि रू.)			
		चालू वर्ष		गत वर्ष	
		गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना
समग्र निधि	1 (गै.यो) & 9 (यो.)	49527336	25686	42459324	26322
सार्वजनिक जमा खाता	2	216954389		104689260	
चालू दायित्व	3	17500		67500	
सामान्य भविष्य निधि एवं नई पेंशन पद्धति टायर-1	4	17229943		16002925	
कुल		283729168	25686	163219009	26322
परिसम्पत्तियां					
स्थायी परिसम्पत्ति (अनुसूची 8)		3388652	5726	4455525	6362
चालू परिसम्पत्ति,	5 (गै.यो)	25200	19960	29700	19960
बकाया शुल्क	6 (गै.यो)	21249937		12245687	
सामान्य भविष्य निधि एवं नई पेंशन पद्धति टायर-1		17229943		16002925	
डाक टिकटें	7 (गै.यो)	9719		10069	
अन्त शेष :-					
बैंक में नकद (मुख्य खाता)		17867708		21643001	
बैंक में नकद (सार्वजनिक जमा खाता)	10 (गै.यो)	216954389		104689260	
सार्वजनिक जमा खाता पर प्रोद्भूत ब्याज		7003620		4142842	
कुल		283729168	25686	163219009	26322
लेखाओं एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पर टिप्पणियां	20				

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
(गैर-लाभ-संगठन)

31 मार्च, 2017 तक का आय एवं व्यय का लेखा

दायित्व	अनुसूची	(राशि रू.)			
		चालू वर्ष		गत वर्ष	
		गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना
आय					
अनुदान सहायता		23650000	88500000	15000000	10000000
शुल्क	11 (गै.या)	192365211	0	167410951	
अन्य प्राप्तियां	13 (गै.या)	3873591	0	2947137	
सार्वजनिक जमा खाते पर प्रोद्भूत/प्रदत्त ब्याज		7003620	0	4142842	
सार्वजनिक जमा खाते/नई पेंशन योजना से स्थानान्तरित		0	0	1990707	
कुल क		226892422	8850000	191491637	10000000
व्यय					
स्थापना व्यय	14 (गै.या)	39396500	0	32545623	
प्रशासनिक व्यय	15 (गै.या)	32166726	0	26205073	
सेवा-निवृत्ति हितलाभ	16 (गै.या)	6819694	0	3283018	
यात्रा व्यय	18 (गै.या) & 19 (यो.)	31333972	8850000	31593380	11659804
अवमूल्यन ;अनुसूची 8द्ध		1264676	636	1202953	15126
कुल ख		110981568	8850636	94830047	11674930
व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (क-ख)		115910854	-636	96661590	-1674930
सार्वजनिक जमा खाता में स्थानान्तरित		104700000	0	77500000	
समग्र निधि में स्थानान्तरित	17 (गै.या)	197803	0	2840172	
अध्यक्ष राहत निधि में स्थानान्तरित		0	0	616750	
बचत/घाटा के कारण समग्र निधि में ले जाया गया शेष		11210854	-636	18544840	(-)1674930
लेखाओं और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पर टिप्पणियां	20				

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-1)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
समग्र निधि-गैर योजना
यथा 31.3.2017 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

समग्र निधि	चालू वर्ष		गत वर्ष	
गत तुलन पत्र के अनुसार	42459324		26894550	
जोड़ें : व्यय से आय की अधिकता	11210854		18544840	
	53670178		45439390	
कटौती :- समायोजित प्रोद्भूत ब्याज	4142842		2980066	
कटौती :- अपूँजीगत परिसम्पत्ति/विमोचन	0	49527336	0	42459324
कुल	49527336		42459324	

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-2)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
सार्वजनिक जमा खाता
यथा 31.3.2017 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
सार्वजनिक जमा खाता				
गत लेखे के अनुसार	104689260		37252951	
जोड़ें : वर्ष के दौरान	104700000		65000000	
	209389260		102252951	
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजित	0		0	
	209389260		102252951	
जोड़े : अर्जित ब्याज	7565129	216954389	2436309	104689260
कुल	216954389		104689260	

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार



(अनुसूची-3)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
चालू दायित्व का ब्यौरा – गैर योजना
31.03.2017 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
चालू दायित्व				
प्रतिभूति				
गत लेखे के अनुसार	67500		17500	
जोड़ें : वर्ष के दौरान	0		50000	
	67500		67500	
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजित (प्रतिभूति प्रतिदाय)	50000	17500	0	67500
कुल		17500		67500

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-4)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
सामान्य भविष्य निधि
31.03.2017 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
सामान्य भविष्य निधि				
सावधि जमा के रूप में निवेश	15244034		13244034	
बैंक में नकद	1985909	17229943	768184	14012218
नई पेंशन पद्धति टायर-1				
बैंक में नकद	0	0		1990707
कुल		17229943		16002925

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-5)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
गैर-योजना के अधीन चालू परिसम्पत्ति
यथा 31.03.2017 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
पर्व अग्रिम				
गत लेखे के अनुसार		29700		29700
जोड़ें : वर्ष के दौरान		40500		49500
		70200		79200
घटाएं : वर्ष के दौरान की गई कटौती		45000	25200	49500
				29700
कुल		25200		29700

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-6)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
गैर-योजना के अधीन बकाया शुल्क का ब्यौरा
31.03.2017 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
बकाया शुल्क				
गत लेखे के अनुसार		12245687		9570762
जोड़ें : वर्ष के दौरान		9390000		3838925
		21635687		13409687
घटाएं : बकाया के विरुद्ध वसूली		385750	21249937	1164000
				12245687
कुल		21249937		12245687

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार



(अनुसूची-7)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
डाक टिकटों का ब्यौरा-गैर-योजना
31.03.2017 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
डाक टिकटें				
गत लेखे के अनुसार	10069		9114	
जोड़ें : वर्ष के दौरान	0		10000	
	10069		19114	
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजित	350	9719	9045	10069
कुल		9719		10069

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-8)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
गैर योजना के अन्तर्गत अनावर्तक परिसम्पत्ति 2016-17

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	अवमूल्यन की दर	01.04.2016 को आद्य शेष	जमा	विमोचन	31.03.2017 को अन्त शेष	(राशि रू.)	
							अवमूल्यन लिखित	मूल्य
1	फर्नीचर एवं उपस्कर	10% & 5%	1544797	14954	-	1559751	155228	1404523
2	कार्यालय उपकरण	15%, 25%, 60%	2542467	0	-	2542467	1040496	1501971
3	वातानुकूलित उपकरण	15% & 7.5%	368261	182849	-	551110	68,952	482158
	कुल		4455525	197803	-	4653328	1264676	3388652

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-8)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
योजना के अन्तर्गत अनावर्तक परिसम्पत्ति (2016-17)

(राशि रू.)

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	अवमूल्यन की दर	01.04.2016 को आद्य शेष	जमा	विमोचन	31.03.2017 को अन्त शेष	अवमूल्यन लिखित मूल्य	मूल्य
1	फर्नीचर एवं उपस्कर	10%	6362	-	-	6362	636	5726
	कुल		6362	-	0	6362	636	5726

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-9)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
समग्र निधि – योजना
31.03.2017 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
समग्र निधि		
गत तुलनपत्र के अनुसार अव्ययित अनुदान सहित	26322	41448
घटाएं : आय पर व्यय की अधिकता	-636	1674930
	25686	(-)1633482
घटाएं : अपूंजीगत परिसम्पत्ति	0	-
अव्ययित अनुदान 2016-17	0	25686
कुल	25686	1659804
		26322

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
सार्वजनिक जमा खाता
31.03.2017 तक के निवेश का ब्यौरा

क्रम संख्या	खाता संख्या	परिपक्वता की तिथि	राशि
1	34966521615	01.06.2017 को परिपक्व	2,16,48,643
2	34892586459	25.04.2017 को परिपक्व	1,08,45,092
3	35241400969	22.09.2017 को परिपक्व	2,14,37,181
4	35241409430	22.09.2017 को परिपक्व	1,07,18,590
5	35533906746	28.01.2018 को परिपक्व	1,50,00,000
6	35565758086	11.11.2017 को परिपक्व	1,57,04,956
7	35565753962	22.06.2018 को परिपक्व	1,61,28,901
8	35796147040	27.04.2019 को परिपक्व	99,00,000
9	35796147641	27.04.2019 को परिपक्व	99,00,000
10	35796147528	27.04.2019 को परिपक्व	99,00,000
11	36515375016	30.01.2022 को परिपक्व	90,00,000
12	36515375301	30.01.2022 को परिपक्व	90,00,000
13	36515375695	30.01.2022 को परिपक्व	30,00,000
14	36515358364	30.01.2022 को परिपक्व	90,00,000
		कुल	17,11,83,363
		कुल	17.11.83.363.00
		बैंक में भेष	4.57.71.026.00
		कुल	21.69.54.389.00

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-11)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
वर्ष के दौरान वसूलने योग्य शुल्क गैर-योजना
31.03.2017 तक के आय एवंच व्यय लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
वर्ष के दौरान वसूलने योग्य शुल्क	71175000	64355000
नए महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क	38150000	28350000
प्रवेश क्षमता में वृद्धि/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से प्राप्त शुल्क	24100000	36125000
जुर्माने से प्राप्त शुल्क	0	17200000
आशय पत्र/अनुमति पत्र हेतु महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क	8130000	
वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्त अग्रिम शुल्क	48429094	
नामांकन से प्राप्त शुल्क	2371300	21370715
सूचना के अधिकार से प्राप्त शुल्क	9817	10236
कुल	192365211	167410951

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-12)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
वास्तविक प्राप्त शुल्क गैर-योजना
31.03.2017 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
बकाया से प्राप्त शुल्क	385750	1164000
वर्ष के दौरान प्राप्त शुल्क	61785000	60516075
नए महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क	38150000	28350000
प्रवेश क्षमता में वृद्धि/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से प्राप्त शुल्क	24100000	36125000
जुर्माने से प्राप्त शुल्क	8130000	17200000
आशय पत्र/अनुमति पत्र हेतु महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क		0
वर्ष 2017-18 के लिए अग्रिम शुल्क	48429094	0
नामांकन से प्राप्त शुल्क	2371300	21370715
सीधा पंजीयन से प्राप्त शुल्क	0	0
सूचना के अधिकार से प्राप्त शुल्क	9817	10236
कुल	183360961	164736026

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार



(अनुसूची-13)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
अन्य प्राप्तियां गैर-योजना
31.03.2017 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
बचत खाता से प्राप्त ब्याज	1716735	1117877
रद्दी की बिक्री	10892	0
कर्मचारियों से के.स.स्वा.यो. के लिए प्राप्त अंशदान	66052	67175
किराया	36643	0
आवेदन शुल्क	7000	0
सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	898238	0
विविध प्राप्तियां	1138031	1762085
कुल	3873591	2947137

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-14)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
स्थापना व्यय गैर-योजना
31.03.2017 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
सचिव और कर्मचारी वर्ग का वेतन चिकित्साभ्यास बन्दी भत्ता सहित	5411356	4406766
मंहगाई भत्ता	6226953	5151235
मकान किराया भत्ता	1423102	1309474
मंहगाई भत्ता के साथ वाहन भत्ता	1253492	1066636
धुलाई भत्ता	4320	4320
बोनस	200601	62172
अवकाश यात्रा रियायत	303411	104834
समयोपरि भत्ता/प्रतिकर भत्ता	19625	20500
मानदेय	216300	7500
के.स.स्वा.या. में अंशदान	604475	368832
शिक्षा शुल्क	114336	202963
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	502918	328979
सामान्य भविष्य निधि में स्थानान्तरित ब्याज	331338	54799

मजदूरी	8310634	6859796
समेकित वेतन	8862501	10431983
एन.पी.एस. टायर-1 में अंशदान	2290087	206423
निर्वाह भत्ता	367890	1008879
आयकर	162500	15203
पुरस्कार	11500	0
छुट्टी नकदीकरण	30631	21133
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण	0	24258
वेतन एवं भत्ते	152405	739640
जॉच अधिकारी शुल्क	0	101250
भर्ती शुल्क	0	46048
स्टॉफ को प्रशिक्षण	0	2000
परीक्षा शुल्क	2596125	0
कुल	39396500	32545623

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-16)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
प्रशासनिक व्यय गैर-योजना

31.03.2017 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	(राशि रु.)
लेखन सामग्री	1603690	1257154	
दूरभाष	138752	186434	
मोबाइल	16789	0	
डाक एवं तार	565345	690514	
डाक टिकटें	350	9045	
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	24083	23912	
वर्दी	1200	21800	
लेखा परीक्षा शुल्क	57775	51475	
मुद्रण	123916	1735260	
विधि सम्बन्धी	827324	3943315	
प्रकाशन	9766000	2901730	
बैंक प्रभार	9210	9717	
रखरखाव	808362	774604	
विविध	2453858	1804656	



वेतन के अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक में जमा टी.डी.एस.	1501560	2078011
सूचना प्रौद्योगिकी प्रभार	14097797	6055562
कोरियर	4025	38362
टैक्सी प्रभार	159933	13266
विज्ञापन	6757	264555
अध्यक्ष के आवास हेतु किराया	0	666467
नवीकरण	0	3679234
कुल	32166726	26205073

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-17)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
सेवा निवृत्ति लाभ
31.03.2017 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
मासिक पेंशन	3476592	3283018
उपदान	1000000	0
संराशीकृत पेंशन	1065168	0
छुट्टी नकदीकरण	1218656	0
छुट्टी का वेतन	34228	0
पेंशन अंशदान	25050	0
कुल	6819694	3283018

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-18)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
स्थायी परिसम्पत्तियाँ गैर-योजना
31.03.2017 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	(राशि रू.)
फर्नीचर एवं उपस्कर	14954		518611
कार्यालय उपकरण	0		2321561
ऐअर कूलिंग यंत्र	182849		0
कुल	197803		2840172

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-19)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
यात्रा व्यय गैर-योजना
31.03.2017 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	(राशि रू.)
अध्यक्ष	1351441		1166411
उपाध्यक्ष	94139		935641
सचिव/स्टॉफ	317034		395645
कार्यकारिणी समिति	3419174		3620451
उप-समिति	5621765		5372106
परिषद के सदस्य	3839752		1727004
आयुर्वेद का परिदर्शन	13642182		14765789
यूनानी का परिदर्शन	2405449		2756610
सिद्ध का परिदर्शन	250769		391722
विभागीय पदोन्नत समिति/चयन समिति	21581		1500
वाहन प्रभार	18118		15951
प्रशिक्षण हेतु शिक्षक	288743		
अध्यक्ष राहत कोष	63825		
पंजीयन समिति	0		444550
कुल	31333972		31593380

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार



(अनुसूची-20)

**भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
यात्रा एवं प्रशासनिक व्यय योजना
31.03.2017 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची**

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
कार्यशाला (आयुर्वेद)	4929844	3519032
कार्यशाला (यूनानी)	707000	1164407
कार्यशाला (सिद्ध)	0	1229106
कार्यशाला (आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध)	0	973329
होटल प्रभार	1273878	0
लेखन सामग्री	0	85500
विविध व्यय	640968	827583
सूचना प्रौद्योगिकी	420285	3860847
बस/टैक्सी का किराया	288075	0
हवाई टिकटें	589950	0
कुल	8850000	11659804

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-21)

**भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
लेखाओं एवं महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों पर टिप्पणियां**

- 1 खाते ऐतिहासिक लागत परम्परा तथा प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं।
- 2 केन्द्र सरकार से प्राप्त योजना निधि को पृथक निधि के रूप में दर्शाया गया है।
- 3 सार्वजनिक जमा खाता भविष्य के खर्चों के लिए प्राप्त शुल्क से बनाई गई है।
- 4 जोखिम तत्त्वों से बचने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में लम्बे समय के लिए सावधि जमा में निवेश किया गया है।
- 5 राजस्व एवं पूंजीगत व्यय गैर-योजना एवं योजना अनुदान तथा शुल्क से प्राप्त राशि से किये गये हैं।
- 6 समग्र निधि
यह व्यय से आय की अधिकता पर संचित शेष को दर्शाता है जो मुख्यतः शुल्क तथा नियत परिसम्पत्ति के निवल मूल्य से प्राप्त है।
- 7 परिषद् पर आज तक के तुलन पत्र पर पेंशन संराशीकरण तथा उपदान इत्यादि हेतु कोई दायित्व नहीं है।
- 8 वर्ष 2016-17 हेतु नियत परिसम्पत्ति पर अवमूल्यन अनुसूची -8 गैर योजना तथा योजना के अनुसार तैयार किया गया है तथा इसे वार्षिक लेखा में दर्शाया गया है।
- 9 वर्ष 2016-17 हेतु शुल्क का विवरण अनुसूची-11 एवं 12 गैर योजना के अनुसार तैयार किया गया है तथा इसे वार्षिक लेखा में दर्शाया गया है।
- 10 सामान्य भविष्य निधि तथा सार्वजनिक जमा लेखा के लेखे अलग से हैं तथा मुख्य तुलन-पत्र में गैर-योजना के अधीन दर्शाए गए हैं।
- 11 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के लेखे कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित हैं।

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-22)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
सामान्य भविष्य निधि अंशदान का ब्यौरा
31.03.2017 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
गत लेखे के अनुसार	14053446	
जोड़ें : अंशदान व अग्रिमों की वसूली	2819331	
सावधि जमा पर ब्याज	771069	
बचत खाता पर ब्याज	105510	
गैर योजना से स्थानान्तरित ब्याज	331338	19423446
घटाएं :		
(i) अन्तिम अदायगी तथा निकासी	709523	
(ii) कर्मचारियों को अग्रिम	100000	5370000
कुल		14053446

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-23)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
सामान्य भविष्य निधि
31.03.2017 को यथा निवेश का ब्यौरा

क्रम संख्या	खाता संख्या	परिपक्वता की तिथि	राशि
1	10502353101	19.10.2017 को परिपक्व	3,00,000
2	10502353112	27.10.2017 को परिपक्व	9,00,000
3	10502353134	21.01.2018 को परिपक्व	3,00,000
4	बैंक ऑफ इण्डिया, झण्डेवालान, नई दिल्ली	विशेष जमा योजना खाता संख्या	2,85,261
5	30024806985	2.01.12.2017 को परिपक्व	9,58,773
6	30727318651	30.03.2018 को परिपक्व	10,00,000
7	31671806380	01.06.2019 को परिपक्व	50,00,000
8	3250402101	22.09.2018 को परिपक्व	15,00,000
9	35640890482	17.02.2019 को परिपक्व	30,00,000
10	36515228889	30.01.2022 को परिपक्व	20,00,000
	कुल		1,52,44,034

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

(राशि रू.)

प्राप्तियां	चालू वर्ष		गत वर्ष		भुगतान	चालू वर्ष		गत वर्ष	
	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना		गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना
आद्य शेष	279321	0	49735		स्थापना व्यय अनुसूची 14 (गै.यो.)	39396500	0	32545623	
हस्तगत रोकड़	21363680	0	11454367	1659804					
बैंक में नकद	10069	0	9114		प्रशासनिक व्यय अनुसूची 15 (गै.यो.)	32166726		26205073	
डाक टिकटें					सेवा निवृत्ति लाभ अनुसूची	6819694	0	3283018	
					नियत परिसम्पत्ति अनुसूची	197803	0	2840172	
प्राप्त अनुदान	23650000	8850000	15000000	10000000	यात्रा व्यय अनुसूची 18	31333972		31593380	11659804
					(गै.यो.) एवं 19 (यो.)				
सार्वजनिक जमा खाता	0	0			प्रतिभूति प्रतिदाय	50000			
प्राप्त शुल्क अनुसूची 12	183360961	0	164736026		पर्व अग्रिम	40500	0	49500	
					सार्वजनिक जमा खाता	104700000	0	65000000	
त्योहार अग्रिमों की वसूली	45000	0	49500		राहत निधि			616750	
					सावधि जमा में निवेश			12500000	
					अन्त शेष				
नई पेंशन पद्धति निधि	0	0	1990707		हस्तगत रोकड़	22718	0	279321	
अन्य प्राप्तियां अनुसूची 13	3873591	0	2947137		बैंक में नकद	17844990	0	21363680	
प्रतिभूति जमा	0	0	50000		डाक टिकटें	9719	0	10069	
कुल	232582622	8850000	196286586	11659804	कुल	232582622	8850000	196286586	11659804

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार



(अनुसूची-25)

**भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
सामान्य भविष्य निधि**

31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
आद्य शेष					
बैंक में नकद	768184	5492228	अग्रिम	100000	350000
प्राप्त ब्याज					
(i) सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	771069	1050783	निकासी व अन्तिम अदायगी	709523	5020000
(ii) बचत खाता पर प्राप्त ब्याज	105510	19574			
(iii) गैर-योजना से स्थानान्तरित ब्याज	331338	54799	सावधि जमा में निवेश	2000000	3000000
अन्य प्राप्तियां			अन्त शेष		
(i) अंशदान व अग्रिमों की वसूली	2819331	2520800	बैंक में नकद	1985909	768184
(ii) परिपक्व सावधि जमा					
कुल	4795432	9138184		4795432	9138184

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार

(अनुसूची-26)

**भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
सार्वजनिक जमा खाता**

31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
आद्य शेष			भा.चि.के.प. को स्थानांतरित	0	0
बैंक में नकद	166837	10045541			
परिपक्व सावधि जमा	89522423	27207410	सावधि जमा में निवेश	156183363	104522423
भा.चि.के.प. से स्थानांतरित	104700000	65000000	बैंक प्रभार	0	0
बचत खाता पर प्राप्त ब्याज	598406	121295	अन्त शेष		
सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	6966723	2315014	बैंक में नकद	45771026	166837
	201954389	104689260		201954389	104689260

(डा.के. नटराजन)
रजिस्ट्रार



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त उपलब्धियाँ

1. भारत सरकार की पूर्वस्वीकृति के साथ भा.चि.के.प. द्वारा तैयार किए गए विनियम ।
 - (i) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतलों की न्यूनतम मानक अपेक्षाएं) संशोधन विनियम, 2016
 - (ii) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2016 (आयुर्वेद स्नातकीय विनियम)
 - (iii) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतलों की न्यूनतम मानक अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2016
 - (iv) कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2016
 - (v) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतलों की न्यूनतम मानक अपेक्षाएं) संशोधन विनियम, 2016
 - (vi) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा हेतु न्यूनतम मानक) विनियम, 2016 (सिद्ध स्नातकीय विनियम)
 - (vii) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) (संशोधन) विनियम, 2016
 - (viii) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी चिकित्सा शिक्षा) (संशोधन) विनियम, 2016
 - (ix) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर सिद्ध शिक्षा) (संशोधन) विनियम, 2016
 - (x) आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध के लिए ऑनलाइन पंजीकरण हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की ।

भविष्य के कार्यक्रम

1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कार्यालय को ई-ऑफिस बनाना ।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एवं इसकी विभिन्न समितियों की बैठकें पेपर लेस होनी चाहिए ।
3. परिदर्शन प्रतिवेदन को ई-परिदर्शन प्रतिवेदन के रूप में प्रारंभ किया गया ।

टिप्पणी :- यदि अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण के बीच कोई विसंगति है, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम रूप माना जाए ।



ANNUAL REPORT 2016-17

Central Council of Indian Medicine
Ministry of AYUSH, Government of India
61-65, Institutional Area, Janakpuri, NewDelhi-110058




Central Council of Indian Medicine

Ministry of AYUSH Government of India

61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058

ORGANIZATION CHART





CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE NEW DELHI

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2016-17

The Central Council of Indian Medicine is a Statutory Body constituted under Indian Medicine Central Council Act, 1970 vide Gazette Notification Extraordinary Part-II Section 3 (ii) dated 10.8.71. The Government of India vide issuing amendments in the said Gazette Notification has changed the members from time to time.

The main objects of the Central Council are as under: -

- To prescribe the minimum standards of education in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha, Unani Tib and Sowa Rigpa.
- To advise Central Government in matters relating to recognition (inclusion/withdrawal) of medical qualifications in/from Second Schedule to Indian Medicine Central Council Act, 1970.
- To maintain a Central Register of Indian Medicine and revise the Register from time to time.
- To prescribe Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics to be observed by the practitioners.
- To consider and furnish the recommendations to Government of India on the proposals received from various institutions through Government of India for establishment of new colleges of Indian Systems of Medicine, to increase intake capacity in Under-graduate, Post-graduate degree and diploma courses and to start new Post-graduate course or additional subjects.



Since its establishment in 1971, the Central Council has been framing and implementing various regulations including the Curricula and Syllabi in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha, Unani Tib at Under-graduate and Post-graduate level.

Central Council has already prescribed following courses at Under-graduate and Post-graduate level. Minimum Standards of Education and Syllabus for different courses for Ayurved, Siddha and Unani Tib have also been laid down by the Council:-

AYURVED

Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurved Medicine & Surgery)	5-1/2 years
Ayurved Vachaspati (MD- Ayurved)	3 years
Ayurved Dhanwantari (MS-Ayurved)	3 years
PG Diploma in Ayurved (specialty)	2 years

Unani Tibb

Kamil-e-Tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery)	5-1/2 years
Mahir-e-Tib (MD-Unani)	3 years
Mahir-e-Jarahat (MS-Unani)	3 years
PG Diploma in Unani (specialty)	2 years

Siddha

Siddha Maruthuva Arignar

(Bachelor of Siddha Medicine & Surgery) 5-1/2 years

Siddha Maruthuva Perarignar (MD-Siddha) 3 years

PG Diploma in Siddha (specialty) 2 years

All the Colleges of Ayurved, Unani and Siddha are affiliated to various Universities in the country. These Colleges are following the Minimum Standards of Education, Curricula and Syllabi laid down by the Central Council of Indian Medicine.



In pursuance of amendment of Section 13C in Indian Medicine Central Council Act, 1970 by Government of India, the Central Council had to furnish the recommendations to Government of India. Accordingly all Ayurved, Unani and Siddha Colleges have been visited to assess the available facilities of teaching and practical training from admitting students for the year 2016-17 and to verify the compliance submitted by the colleges as well as progress made by colleges after last visitation. The visitation reports were scrutinized and considered, thereafter, CCIM has furnished the recommendations to Government of India. The Government of India after considering the recommendations of Central Council of Indian Medicine, after giving the opportunity of hearing if required has granted/not granted the permission to the colleges for admission.

In this regard, the Central Council of Indian Medicine adopted the following policies forwarded by Government of India, Department of AYUSH, New Delhi vide letter No. R.11011/01/2016-EP(IM-1), R.11011/01/2016-EP(IM-1) and R.11011/01/2016-EP(IM-1)Pt.-1, dated 12.08.2016, 31.08.2016 and 27.09.2016 for the year 2016-17 while considering the visitation report of the Ayurveda, Unani & Siddha Colleges visited for the year 2016-17 to send the recommendations to Government of India for granting/not granting permission under Section 13C/13A by Ministry of AYUSH for admission of students in UG & PG Course as the case may be.

On carefully examining the initial findings of the visitation reports received from the Central Council of Indian Medicine (CCIM) for grant of permission or otherwise to Ayurveda, Siddha and Unani (ASU) colleges for the academic session 2016-17, the decision has been taken by the Central Government to adopt the clause of conditional permission under the MSR Regulations for ASU colleges and to grant relaxation in the following three criteria of Minimum Standard Requirements (MSRs) for processing of the cases of ASU colleges for grant/denial of conditional permission under section 13C/13A of the Indian Medicine Central Council (IMCC) Act, 1970 for the academic session 2015-16 and these relaxations will be applicable for the academic session 2015-16 only will not be applicable for the academic session 2016-17.

Policy decision for processing of the cases of ASU Colleges for grant/denial of permission under Section 13C/13A for the academic session 2016-17.

I am directed to stated that on carefully examining the initial findings of the visitation reports received from the Central Council of Indian Medicine (CCIM) till 22.07.2016 for grant of permission or otherwise to Ayurveda, Siddha and Unani (ASU) colleges for the academic session 2016-17, the decision has been taken by the Central Government to adopt the clause of conditional permission under the MSR Regulations for ASU colleges and to grant relaxation in the following criteria of Minimum Standards Requirements (MSRs) for processing of the cases of ASU Colleges for grant/denial of conditional permission under section 13C/13A of the Indian Medicine Central Council (IMCC) Act, 1970 for the academic session 2016-17:



1. Equipment and Instruments: Availability of at least 75% essential equipment and 60% of General & Miscellaneous equipment as specified in the Schedule-VII of MSRs concerned will be required for 2016-17 session [For Ayurveda total 271{217 (75% of 289 Essential) + 54 (60% of 90 General & Miscellaneous)} and for Unani total 268 {215(75 % of 286 Essential) + 53 (60% of 89 General & Miscellaneous)}. However, the colleges will be required to fulfil 90 % of the total requirement of equipment by 31st December, 2016.
2. Part time teachers: Availability of minimum 3 part time teachers out of total requirement as specified in the note of Schedules V of MSRs will be mandatory for 2016-17 session.
3. Availability of at least one teacher in departments:
 - (i) For Ayurveda & Siddha Colleges: The colleges having intake capacity either up to sixty seats or from sixty-one to hundred seats shall have at least one eligible teacher in each of 14 Departments as specified in MSRs.
 - (ii) For Unani Colleges: The Unani colleges having intake capacity either up to sixty-one to hundred seats shall have at least one eligible teacher in each of 12 Departments instead of 14 Departments as specified in MSRs.
 - (iii) Higher Faculties: Availability of Higher Faculties as specified in the Schedule V of MSRs will be relaxed as follows:
4. Higher Faculties : Availability of Higher Faculties as specified in the Schedule V of MSRs will be relaxed as follows.
 - (i) For Ayurveda & Siddha colleges: The colleges having intake capacity up to sixty seats shall have at least 12 Higher Faculty (as specified in Ayurveda and Siddha MSRs) distributed in at least 7 departments. The colleges having intake capacity from 61 to 100 seats shall have at least 19 Higher Faculty (as specified in Ayurveda and Siddha MSRs) distributed in at least 10 departments.
 - (ii) For Unani Colleges: The Unani Colleges having intake capacity up to sixty seats shall have at least 11 Higher Faculty (instead of 12 HF as specified in Unani MSR) distributed in at least 6 departments. The colleges having intake capacity from 61 to 100 seats shall have at least 17 Higher Faculty (instead of 19 HF as specified in Unani MSR) distributed in at least 9 departments.

It may be noted that other mandatory requirements for grant/denial of conditional permission to the ASU Colleges for the academic session 2016-17 will be taken into consideration as per the IMCC Act, 1970 and relevant regulations including concerned ASU MSR Regulations without any relaxation.

2. The above-mentioned relaxation for 2016-17 session in the eligibility criteria under MSRs will be considered only on furnishing of an undertaking by all such deficient colleges that they will fulfil the shortcomings in these criteria before 31st December, 2016, definitely, in terms of the provisions of the aforesaid Act and Regulations. The compliance made by such colleges in this regard along with compliance to all the eligibility criteria as specified in the concerned MSR Regulations for ASU Colleges and attached Hospitals will be verified by the CCIM through a suo moto inspection/visitation for consideration of the matter for permission for the next academic session 2017-18. The colleges requiring to furnish undertaking for any of the relaxations as in para 1 above shall be asked specifically by the Central Government to furnish the same in the format and manner specified therein in due course of time.
3. Further, all the three Post-graduate Education Regulations for Post-graduate (PG) ASU Colleges are under notification, the policy decision adopted for the grant/denial of permission to the ASU PG Colleges for the academic session 2015-16 is extended for the academic session 2016-17 also as under:

(A) For PG Institutions having UG course:

- (i) Teachers: in addition to the Under-graduate (UG) requirement of teachers, 1 Higher Faculty (Professor or Reader) + 1 Lecturer, in concerned department and fulfillment of teacher-student ratio (1:3 for professor, 1:2 for Reader & 1:1 for Lecturer),
- (ii) Beds in hospital: Minimum 100 bedded hospital for PG Colleges of Ayurveda/Siddha and minimum 75 bedded hospital for PG Colleges of Unani + 1:4 student-bed for each PG clinical seat over and above the total requirement of beds for UG student's make capacity (up to 60 seats of 61 to 100 seats).
- (iii) Average attendance of patients per day in OPD as per requirement for UG student's intake capacity as specified in concerned MSR Regulations.
- (iv) Bed occupancy: Minimum 50% bed occupancy in IPD and
- (v) Fulfillment of other provisions including staff requirement under relevant PG Education Regulations like Non-teaching staff, Clinical Registrar etc.

(B) For standalone PG Institutions:

- (i) Teachers: Institute which do not have UG course, shall have 1 Professor or Reader + 1 Lecturer if the concerned specialty and fulfillment of teacher-student ratio (1:3 for Professor, 1:2 for Reader, 1:1 for Lecturer),
 - (ii) Beds in IPD: Minimum 75 number of beds and number of clinical PF seats should be calculated on the basis of student-bed ratio of 1:4,
 - (iii) Bed occupancy : Minimum 50% bed occupancy in IPD,
 - (iv) Average attendance of 100 patients per day in OPD, and
 - (v) Fulfillment of other provisions including staff requirement under relevant PF Education Regulations like Non-teaching staff, Clinical Registrar etc.
4. The CCIM is requested to take into consideration the above-mentioned policy decision of the Central Government on these requirements while forwarding their recommendations and reports in respect of the ASU colleges for grant/denial of permission for the academic session 2016-17. All other requirements are to be taken into consideration as per the concerned MSRs and UG/PG Regulations for ASU colleges.
 5. Further, the Central Council of Indian Medicine is hereby also requested to communicate this policy decision adopted for grant/denial of conditional permission all concerned colleges, Universities and State Government and also to place the same on the Council's website for wider publicity.
 6. Furthermore, it is also requested that the all ASU colleges may be communicated to fulfil following requirements:
 - (i) Web-based computerized biometric attendance for teaching, no-teaching & hospital staff shall be maintained from the 1st December, 2016.
 - (ii) Web based computerized central registration systems in OPD & IPD shall be maintained from the 1st December, 2016."

Policy decision for processing of the cases of ASU Colleges for grant/denial of permission under Section 13C/13A for the academic session 2016-17.



Ministry of AYUSH vide letter dated 12.08.2016. The Point IV of Para 1 at page 2 of the letter may be read as under:

- IV. Higher Faculties: Availability of Higher Faculties as specified in the Schedule V of MSR's will be relaxed as follows:
- (i) For Ayurved & Siddha College: The colleges having intake capacity up to sixty seats shall have at least 12 Higher Faculty (as specified in Ayurveda and Siddha MSR's) distributed in at least 7 (instead of 11 as specified in Ayurveda and Siddha MSR's) departments and the colleges shall provide one additional Lecturer in place of higher faculty in 4 departments. The colleges having intake capacity from 61 to 100 seats shall have at least 19 Higher Faculty (as specified in Ayurveda and Siddha MSR's) distributed in at least 10 (instead of 14 specified in Ayurveda and Siddha MSR's) departments and the colleges shall provide one additional Lecturer in place of higher faculty in 5 departments.
 - (ii) For Unani College: The colleges having intake capacity up to sixty seats shall have at least 11 Higher Faculty (instead of 12 HF as specified in Unani MSR) distributed in at least 6 (instead of 11 as specified in Unani MSR) departments and the colleges shall provide one additional Lecturer in place of higher faculty in 5 departments. The colleges having intake capacity from 61 to 100 seats shall have at least 17 higher Faculty (instead of 19 HF as specified in Unani MSR) distributed in at least 9 (instead of 14 as specified in Unani MSR) departments and the colleges shall provide one additional Lecturer in place of Higher faculty in 5 departments."
2. Other contents of the letter of even no. dated 12.08.2016 remains same.
 3. This issues with the approval of Competent Authority.



Policy decision for Ayurveda, Siddha & Unani (ASU) college to run or start Post-graduate courses.

That it would be mandatory to fulfil 100% requirement of MSR Regulations of concerned systems for Ayurveda, Siddha & Unani (ASU) college to run or start Post-graduate courses. In addition, the ASU colleges shall submit following whenever they apply for Post-graduate courses:

Performance of passing percentage of Under-graduate students of last three years (Batches).

Whether the attached hospital of the college is NABH accredited or not?

2. Further, the Central Council of Indian Medicine is hereby also requested to communicate this policy decision to all concerned colleges, Universities and State Government and also to place the same on the Council's website for wider publicity.
3. This issues with the approval of Competent Authority.



CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

Preparation and maintenance of Central Register of Indian Medicine is one of the main objects of the Central Council. As per provisions of IMCC Act, 1970, Central Council is maintaining a Central Register in the prescribed manner, which contains the detailed information of practitioners who are enrolled on State Registers of Indian Medicine and who possess any of the recognized medical qualifications included in the Schedules to the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The maintenance of Central Register of Indian Medicine and updating of the same is a continuous process.



Central Register of Indian Medicine has been displayed on the Council's website i.e. www.ccimindia.org, therefore, the practitioners can verify their names in Central Register of Indian Medicine.

During the year 2016-17, Central Register of the following States for the period mentioned against their names were notified in the Gazette of India Part III, Section IV:-

Central Register Notified for the year April 2016-March 2017.

S. No	Name of State	Period
1.	West Bangal	1st April 2012 to 31st March 2014
2.	Goa	1st April 2014 to 31st March 2015
3.	Bihar	1st April 2014 to 31st March 2015
4.	Madhya Pradesh	1st April 2014 to 31st March 2015
5.	Jharkhand	From inception to 31st March 2015
6.	Punjab	1st April 2014 to 31st March 2015
7.	Chhatisgarh	1st April 2014 to 31st March 2015
8.	Orissa	4th November 2013 to 31st March 2015
9.	Himachal Pradesh	1st April 2014 to 31st March 2015
10.	Gujarat	1st April 2014 to 31st March 2015
11.	Rajasthan	1st April 2013 to 31st March 2015
12.	Tamil Nadu (Siddha)	1st January 2010 to 31st March, 2012
13.	Karnataka (Deletion)	From inception to 31st March, 2009
14.	Haryana	1st April 2014 to 31st March 2015
15.	Karnataka	1st April 2009 to 31st August 2013

During the year 2016-17 total 418 Central Registration Certificate were issued to Practitioners of ISM on the basis of their qualifications which are included in the Central Register of Indian Medicine.

ADMINISTRATIVE REPORT

Composition of the Central Council of Indian Medicine

The following were the members of the Central Council as on 31.03.2017:-

1. AYURVEDA

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Mallu Prasad | 2. Dr. Gajendra Bharali |
| 3. Dr. Basant Kumar Singh | 4. Dr. Mantosh Kumar Jha |
| 5. Dr. Subhash Chandra Verma | 6. Dr. Prajapati Tirpathi |
| 7. Dr. Shivnarayan Dwivedi | 8. Dr. Bharatkumar Khodabhai Boghra |
| 9. Dr. Kamlesh Chandulal Rajgor | 10. Dr. Ashok Kumar Sharma |
| 11. Dr. Narendra Kumar | 12. Dr. Gurulinganagouda Basanagouda Patil |
| 13. Dr. Gowdar Amaregouda Mahantagouda | 14. Dr. Rajashekhar Shankarappa Ganiger |
| 15. Dr. Surender Patel | 16. Dr. Thorat Dnyaneshwar Eknath |

- | | |
|--|------------------------------------|
| 17. Dr. Sardeshmukh Sadanand Prabhakar | 18. Dr. Wagh Suryakiran Parashuram |
| 19. Dr. Sawant Ashanand Indrakumar | 20. Dr. Deopujary Jayant Yeshawant |
| 21. Dr. Sanjeev Kumar Goyal | 22. Vaidya Jagjit Singh |
| 23. Vaidya Raghunandan Sharma | 24. Dr. Vanitha R. |
| 25. Dr. Ramakant Sharma | 26. Dr. Hari Ram Bhadoria |
| 27. Dr. Phool Chander Choudhary | 28. Dr. Bhrigupati Pandey |
| 29. Dr. Sudhanshu Dutt Sharma | 30. Dr. Manoj Kumar Misra |
| 31. Dr. Umesh Shukla | 32. Dr. D.P. Das |
| 33. Vaid Shrikant Gunwantrao Deshmukh | 34. Prof. Satya Narayan Singh |
| 35. Dr. Rajesh Kumar Sharma | 36. Dr. Suryaanshu Dutt Sharma |
| 37. Dr. R.R. Choudhary | 38. Dr. Jageshwar Prasad Chaurasia |
| 39. Dr. B.R. Ramakrishna | 40. Dr. Nandhinee Vijay |
| 41. Dr. Ramesh Babu Devalla | 42. Prof. Kulwant Singh |
| 43. Dr. Niranjana Singh Tyagi | 44. Dr. Mukesh Sharma |
| 45. Vaidya Devendra Triguna | 46. Dr. Mrs. Ragini Rajan Patil |
| 47. Dr. Gani K. Mansuri | 48. Dr. Ramesh Krishna Deshmukh |
| 49. Dr. S. Sarangapani | 50. Dr. Srinivas K. Bannigol |
| 51. Dr. M. Mohan Alva | 52. Dr. Prof. M.R.V. Nampoothiri |
| 53. Dr. Swapan Kumar Bhunia | 54. Prof. (Dr.) Badri Prasad Shaw |

2. UNANI

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Dr. Madanapalli Faseer Ahmed | 2. Dr. Tabrez Akhter |
| 3. Dr. Ketan Patel | 4. Dr. Ilyas Mazhar Hussain |
| 5. Dr. Shamin Ahmad Khan | 6. Dr. Shuhabuddin |
| 7. Hakim Yousuf Khalil Hussaini | 8. Dr. Shaikh Zubair Ahmed Mohamed Ebrahim |
| 9. Dr. Amit Auplish | 10. Dr. Aadam |
| 11. Dr. Mushtaq Ahamed C | 12. Dr. Mohammad Harun |
| 13. Dr. Anwar Sayeed | 14. Dr. Sayyad Ariz Ahmad Kadri |
| 15. Prof. Mohd. Ayyoob | 16. Prof. (Mrs.) Shagufta Aleem |
| 17. Dr. M.D. Kalimur Rahman | 18. Hakim Azhar Hasan |
| 19. Dr. Rakshinda Subhani | 20. Prof. DR. Mir Yusuf Ali |
| 21. Prof. Anis Ahmad Ansari | 22. Dr. Shakir Jamil |

3. SIDDHA

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Dr. V.B. Vijarakumar | 2. Dr. B. Muthukumar |
| 3. Dr. V. Arunachalam | |



COMMITTEES

As per Section 9(1) of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Central Council has the following three main Committees, namely:-

1. Ayurveda Committee
2. Siddha Committee
3. Unani Committee

The above Committees consist of the members elected/nominated under clause (a), (b) and (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the IMCC Act, 1970.

President is elected by the CCIM as per provision provided in Sub-section 2 of Section 3 of the IMCC Act, 1970.

The following are the office bearers of CCIM as on 31.03.2017:-

1	President	Dr. Vanitha R.
2	Vice-President (Ayurved)	Dr. Umesh Shukla
3	Vice-President (Unani)	Prof. Shagufta Aleem
4	Vice-President (Siddha)	Dr. V. Arunachalam

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee is constituted in accordance with Clause 6 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Central Council of Indian Medicine within the framework of the Act and the rules regulations made there under in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. The Executive Committee consists of the members of all these Systems of Medicine i.e. Ayurveda, Unani & Siddha.

The followings are the members of the Executive Committee as on 31.03.2017:-

1.	Dr. Vanitha R., CCIM	Chairman
2.	Dr. Umesh Shukla, Vice-President (Ayurveda)	Member
3.	Prof. Shagufta Aleem, Vice-President (Unani)	Member
4.	Dr. V Arunachalam, Vice-President (Siddha)	Member
5.	Dr. Srinivas K. Bannigol	Member
6.	Dr. Prof. MRV Nampoothiri	Member
7.	Dr. Thorat Dyaneshwar Eknath	Member
8.	Prof. Mohd. Ayyoob	Member
9.	Dr. Shaikh Zubair Ahmed Mohamed Ebrahim	Member
10.	Dr. VB Vijaya Kumar	Member

Meeting of Central Council of Indian Medicine and its various Committees

During the year 2016-17, the following meetings were held:-

1.	Walk-in-interview for Legal Consultant constituted by Selection Committee.	1.4.16
2.	Meeting of Sub-committee in respect of issuing code numbers to the eligible teachers at New Delhi.	6-7.4.16
3.	The meeting of reforms in the educational method of Ayurveda held at Indian International Centre.	9.4.16
4.	55th (Special) Meeting of Central Council of Indian Medicine held at New Delhi (AYUSH Auditorium).	11-12.4.16
5.	Meeting of Department Promotion Committee to consider the candidature for the post of Assistant Secretary (Admn.) in CCIM held at New Delhi.	13.4.16
6.	Walk-in-interview for Legal consultant (on contract basis) held at New Delhi.	19.4.16
7.	Meeting of Committee constituted to examine the matter of Air permission to Dr. Jagjeet Singh, Member CCIM.	25.4.16
8.	Meeting of Committee constituted by President to examine the matter in respect of Show cause notice issued by GOI.	25.4.16
9.	Meeting of Screening Committee held at New Delhi.	27.4.16
10.	Meeting of Screening Committee held at New Delhi.	27.4.16
11.	Meeting to discuss matter related to Registration and updation of website of the CCIM.	27.4.16
12.	Meeting of Screening Committee (Ayurved and Siddha) held at New Delhi.	28.4.16
13.	Meeting to discuss the matter related to website.	28.4.16
14.	Meeting of 228th Executive Committee held at New Delhi.	29.4.16
15.	Meeting of Sub-committee constituted by President, CCIM to examine the inquiry report in respect of Dr. P.R. Sharma, Secretary CCIM in the office of CCIM at New Delhi.	3.5.16
16.	Meeting to discuss the Minimum Standard and requirements of Ayurveda, Unani and Siddha colleges and hospitals regulations, 2016.	8.5.16
17.	Meeting of Sub-committee constituted to discuss the matter in respect of online submission of visitation proforma held at New Delhi in the office of CCIM.	12.5.16
18.	Meeting of Enquiry committee constituted by the CCIM in its meeting held at New Delhi in the office of CCIM.	11-12.4.16
19.	Meeting of 229th Executive Committee held at New Delhi.	20.5.16
20.	Meeting of Hearing committee of Ayurved.	23.5.16
21.	Meeting of Hearing committee of Unani.	23-24.4.16
22.	To coordinate Hearing Committee constituted to give an opportunity to the College for submission of compliance and clarification.	25.5.16
23.	Meeting of Enquiry committee in the office of CCIM, New Delhi.	25.5.16



24.	Meeting of Organizing Committee to finalize the programme workshop held at New Delhi.	26.5.16
25.	Meeting of Enquiry Committee held at New Delhi in the officer of CCIM.	27.5.16
26.	Meeting of 230th Executive Committee held at New Delhi.	7.6.16
27.	Meeting of Enquiry Committee held at New Delhi at the office of CCIM	8.6.16
28.	Meeting of Enquiry Committee constituted by CCIM at New Delhi.	11-12.4.16
29.	Meeting of Screening Committee held at New Delhi.	10.6.16
30.	Meeting of Enquiry Committee constituted by CCIM in its meeting held at New Delhi.	11-12.4.16 to be held on 15-16.4.16
31.	Meeting of Members of Ayurveda of EC to consider the Submission made by the college at the time of hearing on 23.5.16 held at CCIM, New Delhi.	14.6.16
32.	Meeting of Hearing Committee of colleges at New Delhi.	15-16.4.16
33.	Meeting of Subcommittee regarding Revision of Standing Orders.	15.6.16
34.	230th Adjourned Meeting of Executive Committee held at New Delhi.	17.6.16
35.	Meeting to discuss matter about recognition of Sowa Rigpa courses held at New Delhi.	18.6.16
36.	Meeting of Subcommittee to frame the RR for the post of Inspector.	20.6.16
37.	Meeting of Enquiry Committee constituted by CCIM in its meeting held at New Delhi.	22-23.6.16
38.	Meeting of Hearing Committee for Siddha Colleges.	23.6.16
39.	Meeting of 230th Second Adjourned meeting of Executive Committee held at New Delhi.	24.6.16
40.	Meeting to frame the RR for the post of Inspector held at New Delhi.	24.6.16
41.	Attendance of committee constituted to suggest the name of visitor to visit the Ayurved colleges and finalize recommendations of expert committee in respect of Regulations held at NIA, Jaipur.	1-2-3.7.16
42.	Workshop to revise existing UG/PG MSR (Unani) held at CCIM, New Delhi.	12-13-14.6.16
43.	Meeting of EC members of Ayurved called for official work at CCIM, New Delhi.	14-15.6.16
44.	Meeting of Enquiry Committee against Dr. Jagjit Singh held at New Delhi.	15.7.16
45.	Meeting of Hearing Committee in respect	
46.	Meeting of Hearing Committee in respect of Unani Colleges (Remaining).	18.7.16
47.	Meeting of members of EC called to discuss the matter visitation programme (cut of date etc).	21-22.7.16
48.	Meeting of Screening Committee.	25.7.16
49.	Meeting of Hearing Committee.	26.7.16
50.	Meeting of EC members called by President, CCIM for the official work.	26.7.16
51.	231st Meeting of Executive Committee held at New Delhi.	27.7.16
52.	Meeting of Executive Committee called for official work.	2.8.16 continued on 3.8.16

53.	Meeting of Enquiry Committee constituted by CCIM in the 55th meeting held at New Delhi.	4-5.8.16
54.	Meeting regarding Revision of Recruitment.	9.8.16
55.	Meeting of Ayurveda Committee.	10-11.8.16
56.	232nd meeting of Executive Committee held at New Delhi.	11.8.16
57.	Meeting of Unani Committee held at New Delhi.	11.8.16
58.	53rd Meeting of Siddha Committee held at New Delhi.	11.8.16
59.	56th Meeting of Central Council of Indian Medicine held at New Delhi.	12.8.16
60.	Meeting of Hearing Committee of Ayurved Colleges held at CCIM New Delhi.	21-24.8.16
61.	Meeting of Hearing Committee.	24.8.16
62.	Meeting to finalize the draft syllabus for final BSMS.	25.8.16
63.	Meeting of Hearing Committee.	26.8.16
64.	Meeting of departmental promotion.	26.8.16
65.	Meeting to finalize the draft regulations 2016 for amended y Govt. of India.	26.8.16
66.	233rd meeting of Executive Committee held at New Delhi.	27.8.16
67.	Meeting on Modified Syllabus and Curriculum for Graduation of Siddha course held at New Delhi.	31.8.16
68.	Meeting regarding Visitation related work in office and Hearing Committee.	31.8.16 & 1-2.9.16
69.	Meeting of Hearing Committee.	7-8.9.16
70.	Meeting of Sub-committee to look into the matter of Visitation Report in the office of CCIM.	9.9.16
71.	Meeting of Ayurved Members of EC to prepare and finalize the visitation proforma part II and III.	14-15.9.16
72.	Meeting of Subcommittee constituted by EC in its meeting held on 27.8.16 to consider the discrepancies found in the decision of EC in view of assessment of the Colleges.	24.9.16
73.	Meeting of Subcommittee to look into the matter of Visitation Report in the office of the CCIM.	4.10.16
74.	Meeting of subcommittee to suggest the name of Visitors.	5.10.16
75.	234 Meeting of Executive Committee at CCIM, New Delhi.	8.10.16
76.	Walk in interview for appointment of JTA (Ay.), Unani and Network Administrator, Selection Committee.	8.10.16
77.	Meeting of Subcommittee.	20.10.16
78.	Meeting of 235th Executive Committee at New Delhi.	21.10.16
79.	Election of Vice-President, (Unani).	24.10.16
80.	Election of Member of Executive Committee from Siddha System of medicine.	24.10.16
81.	Election of Executive Committee Member(Unani).	24.10.16
82.	Meeting of streamline the education of Sowa Rigpa held at CCIM, New Delhi.	17.11.16
83.	Meeting of screening committee of Ayurved at New Delhi.	17.11.16



84.	Meeting of Subcommittee (Ayurved) regarding preparation of list of visitors and revision of visitation team scheduled for the visitation of Ayurved Colleges under Section 13A held at New Delhi.	18.11.16
85.	236th Meeting of Executive Committee held at New Delhi.	18.11.16
86.	Meeting of departmental promotion committee to consider the candidature for the post of Accountant.	18.11.16
87.	Meeting of Selection Committee to examine the issue and final selection of LDCs from the list of qualified candidates received from all India Institute of Local Self Government, New Delhi of Recruitment Exam for LDC, CCIM, New Delhi.	18.11.16
88.	Meeting of Subcommittee (Unani) in respect of preparation of list of Visitors under 13A colleges of Unani.	18.11.16
89.	Meeting of Screening Committee held at New Delhi.	14-15.12.16
90.	237th Meeting of Executive Committee held at New Delhi.	16.12.16
91.	Meeting of Subcommittee in respect of framing RR in respect of clinical Registrars and EMOs at CCIM, New Delhi.	5.1.17
92.	Meeting of Subcommittee in respect of reorientation of Miss Bhavana Gavali under Chairmanship of Dr. S.K. Bannigol at CCIM, New Delhi.	5.1.17
93.	Meeting of subcommittee regarding enquiry in respect of functioning of the Council during the President-ship of Dr. Vanitha Muralikumar at CCIM, New Delhi.	5.1.17
94.	Meeting of Screening Committee in respect of scrutiny of the Visitation report of Ayurveda Colleges visited under section 13A for the preparation of visitors list in the office of CCIM.	4-5.1.17
95.	Meeting of Subcommittee in respect of matter related to expenditure done by the Visitors during the visitation dated 03-04.02.2014 of Shri Ayurved Mahavidyalaya, Hanuman Nagar, Nagpur, Maharashtra at CCIM, New Delhi.	5.1.17
96.	Meeting of 238th Executive Committee held at CCIM, New Delhi.	6.1.17
97.	Meeting of Subcommittee regarding Ayurveda Colleges to be visited under Section 13A.	14.1.17
98.	Meeting of Subcommittee consisting of all EC members to discuss the issue with NITI Ayog.	1-2.2.17
99.	Meeting of 240th Executive Committee held at CCIM, New Delhi.	8.2.17
100.	Meeting of Subcommittee (Unani) for allotment of Teachers Code number in respect of Teachers having past teaching experience in contravention of prescribed regulations held at CCIM, New Delhi.	7.2.17
101.	Meeting of subcommittee regarding verification of the documents with regards to inclusion of Ayurveda Bhaskar degree upto 1982 in Second Schedule of IMCC Act, 1970 held at CCIM, New Delhi.	7.2.17

102.	Meeting of 241st Executive Committee held at CCIM, New Delhi.	27.2.17
103.	Meeting of Hearing Committee (Unani) in respect of teachers having past teaching experience in contravention of prescribed regulations in the office of CCIM at New Delhi.	24.2.17
104.	Meeting of Screening Committee in the office of CCIM in respect of scrutiny of the Visitation report of Ayurveda Colleges under Section 13A.	22.2.17
105.	Meeting of subcommittee constituted by President, CCIM to scrutinize the applications received for the post of Registrar-cum-Secretary, CCIM.	23.2.17
106.	Meeting of Screening Committee (Unani) to scrutinize the Visitation report of Unani Medical Colleges visited under 13A held at New Delhi.	23.2.17
107.	Meeting of Screening Committee in the office of the CCIM in respect of Scrutiny to the Visitation report of Ayurveda Colleges Visited under Section 13A of IMCC Act, 1970 held at CCIM, New Delhi.	10-11.3.17
108.	Meeting of Scrutinize the application received for the post of Registrar-cum-Secretary.	11.3.17
109.	Meeting in respect of amendments in MSR Ayurveda, 2016.	10-11.3.17
110.	Election of President, CCIM and Vice-President(Ayurveda).	14.3.17
111.	Meeting of 50th Ayurveda Committee.	15.3.17
112.	Meeting of 55thh Unani Committee.	15.3.17
113.	Meeting of 54th Siddha Committee.	15.3.17
114.	Meeting of 242nd Executive Committee held at CCIM, New Delhi.	
115.	Meeting of 57th Central Council of Indian Medicine held at New Delhi.	15-16.3.17



**AYURVEDA**

In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act 1970 (48 of 1970), the Central Government after consulting the Central Council of Indian Medicine has recognized/included the following medical qualifications of Ayurveda in the Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 during the year 2016-17 also decided to include the name of college along with recognition of University:-

Sl. No.	Name of University	Recognized medical Qualification	Abbreviation	Validity Period	Gazette Notification No.
1.	79E KLE University, Belgaum	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurved Medicine and Surgery)	B.A.M.S.	From Jan 2015 onwards Subject to permission granted to KLE Shri B.M. Kankanwadi Ayurveda Mahavidyalaya, Belgaum for admission by Central Government	S.O. 1278(E) Dated 15th March 2016
		Ayurved Vachaspati	M.D. Ayurved	From 1st July 2012 onwards Subject to permission granted to KLE Shri B.M. Kankanwadi Ayurveda Mahavidyalaya, Belgaum for admission by Central Government	
		Ayurved Dhanwantari	M. S. Ayurved	From 2014 on wards Subject to permission granted for admission by the Central Government to the following Colleges namely:-	
2.	24BC Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak, Haryana	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurved Medicine and Surgery)	B.A.M.S.	1. Shri Baba Mastnath Ayurvedic College Distt. Rohtak 2. Gaur Brahmin Ayurvedic College & Hospital, Village, Rohtak 3. Murari Lal Rasiwasia Ayurvedic College & Hospital, Bhiwani 4. Shri Krishna Govt. Ayurvedic College & Hospital, kurukshetra 5. Chaudhary Devilal College of Ayurveda, Yamuna Nagar	S.O. 1279(E) Dated 22.03.2016

Sl. No.	Name of University	Recognized medical Qualification	Abbreviation	ValidityPeriod	Gazette Notification No.
3.	91[92B 133["Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur".]133	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	B.A.M.S.	From 2009 onwards	S.O. 1929(E) Dated 25.05.2016
		Ayurved Vachaspati	M.D. Ayurved	From 2007 onwards	
		Ayurved Dhanwantry	M. S. Ayurved	From 2007 onwards]91	
4.	43 C Kannur University, Kannur	Ayurvedacharya" (Bachelor of Ayurved Medicine and Surgery)	B.A.M.S.	From 2002 to 2012, Subject to permission granted for the admission by the Central Council of Indian Medicine to the following Colleges, namely:-	S.O. 2668(E) Dated 9th August 2016
				<p>1. Government Ayurveda College, Pariyaram, Kannur;</p> <p>2. Parassinikkadavu, Ayurved MedicalCollege, Parassinikkadavu, Kannur;</p> <p>From 2013 onwards, Subject to permission granted for the admission by the Central Government to the following Colleges, namely:-</p> <p>1. Government Ayurveda College, Pariyaram, Kannur;</p> <p>2. Parassinikkadavu, Ayurved Medical College, Parassinikkadavu, Kannur;</p> <p>3. P.N.Panicker Souhruda Ayurveda Medical College, Parakalai, Kanhangad, Kerala</p>	
		Ayurveda Vachaspati	M.D. Ayurved	From 2006 to 2009, Subject to permission granted to Government Ayurveda College, Pariyaram,	



Sl. No.	Name of University	Recognized medical Qualification	Abbreviation	Validity Period	Gazette Notification No.
				Kannur for the admission by the Central Council of Indian Medicine	
				From 2010 onwards, Subject to permission granted to Government Ayurveda College, Pariyaram, Kannur for the admission by the Central Government	
5.	West Bengal University of Health Sciences, Kolkata	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurved Medicine and Surgery)	B.A.M.S.	From 1st May, 2010 onwards Subject to permission granted for the admission by the Central Government to the following Colleges, namely:- • J.B. Roy State Ayurvedic Medical College and Hospital,170-172, Raja Dinendra Street, Kolkatta-700004, West Bengal; Belley-Sankarpur Rajib Gandhi Memorial Ayurvedic College & Hospital, Post Kushdanga, Distt.North24-Paraganas, Near Railway Station, Kankinara-743126, West Bengal	S.O. 2583(E) Dated 26 th July 2016
		Ayurved Vachaspati	M.D. Ayurved	From 1st January, 2007 onwards Subject to permission granted to "Institute of Post Graduate Ayurvedic Education and Research, Shyamdas Vaidya Shastra Pith,294/3/1, Acharya Prafulla Chandra Road, Kolkatta-700009, WestBengal for admission by Central Government".	
6.	West Bengal University of Health Sciences,	Ayurvedacharya" (Bachelor of Ayurved Medicine	B.A.M.S.	"From 1st May, 2010 onwards Subject to permission granted for the admission	S.O. 2583(E) Dated 26 th July 2016

Sl. No.	Name of University	Recognized medical Qualification	Abbreviation	Validity Period	Gazette Notification No.
	Kolkata	and Surgery)		by the Central Government to the following Colleges, namely:- <ul style="list-style-type: none"> J.B. Roy State Ayurvedic Medical College and Hospital, 170-172, Raja Dinendra Street, Kolkatta-700004, West Bengal; Belley - Sankarpur Rajib Gandhi Memorial Ayurvedic College & Hospital, Post Kushdanga, Distt. North24-Paraganas, Near Railway Station, Kankinara - 743126, West Bengal". 	
7.	"117A West Bengal University of Health Sciences, Kolkata	Ayurved Vachaspati"	M.D. Ayurved	From 1st January, 2007 onwards Subject to permission granted to <ul style="list-style-type: none"> Institute of Post Graduate Ayurvedic Education and Research, Shyamdas Vaidya Shastra Pith, 294/3/1, Acharya Prafulla Chandra Road, Kolkatta-700009, West Bengal for admission by Central Government". 	S.O. 2583(E) Dated 26 th July 2016
8.	98E Uttarakhand Ayurved University, Dehradun	"Ayurved Vachaspati"	M.D. Ayurved	From November 2015 onwards, Subjected to permission granted for admission by the Central Government to the following college, namely:- <ul style="list-style-type: none"> Rishikul Government PG Ayurvedic College and Hospital, Haridwar; Uttaranchal Ayurvedic College, Raipur, Dehradun 	S.O. 3105(E) Dated 22.09.2016
		"Ayurved Dhanvantri"	M. S. Ayurved		
9.	Pt. B. D. Sharma University	Ayurvedacharya" (Bachelor of Ayurved	B.A.M.S.	From 2014onwards Subject to permission granted for admission by	S.O. 3106(E) Dated 22.09.2016



Sl. No.	Name of University	Recognized medical Qualification	Abbreviation	Validity Period	Gazette Notification No.
	of Health Sciences, Rohtak, Haryana	Medicine and Surgery)		the Central Government to the following colleges, namely:- (i) Shri Baba Mastnath Ayurvedic College, Asthal Bohar, Rohtak; (ii) Gaur Brahmin Ayurvedic College and Hospital, Brahmanwas, Rohtak; (iii) Murari Lal Rasiwasia Ayurvedic College and Hospital Charkhi Dadri, Bhiwani; (iv) ShriKrishna Government Ayurvedic College and Hospital Umri Road, Kurukshetra.; (v) Chaudhary Devilal College of Ayurveda, Jagadhri, Yamuna Nagar.”]113,132 (vi) Ayujoyoti Ayurvedic College and Hospital, Jodhpuria, Sirsa.*]139	
10.	Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, Sonipat, Haryana	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	B.A.M.S.	“From 2013 onwards (subject to per mission granted to Shri Marusingh Memorial Institute of Ayurveda, Khanpur, Sonipat, Haryana for admission by Central Government”	S.O. 3071(E) Dated 20.09.2016
11.	“88F Desh Bhagat University, Mandi Gobindgarh	Ayurveda Vachaspati	M.D. Ayurved	From February 2016 onwards Subject to permission granted to Desh Bhagat Ayurvedic College and Hospital, Amloh, Dist. Fatehgarh Sahib, Punjab for the admission by the Central Government”	S.O. 2877(E) dated 30.08.2016

	Name of University	Recognized medical Qualification	Abbreviation	Validity Period	Gazette Notification No.
12.	9[54A Awadesh Pratap Singh Vishwavidyalaya, Rewa	Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery	B.A.M.S.	146["From 1975 to 1987, if granted to the students admitted with the permission of the Central Council of Indian Medicine in the Government (Autonomous) Ayurved College Nipaniya Rewa"] 146	S.O. 3576 (E) Dated 22.11.2016
		146["Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	B.A.M.S.	From 1988 to 2012, if granted to the students admitted with the permission of the Central Council of Indian Medicine in the Government (Autonomous) Ayurved College Nipaniya, Rewa; From 2013 onwards, if granted to the students admitted with the permission of the Central Government in the Government (Autonomous) Ayurved College Nipaniya, Rewa.	
		Ayurved Vachaspati	M.D. Ayurved	From 2005 to 2009, if granted to the students admitted with the permission of the Central Council of Indian Medicine in the Government (Autonomous) Ayurved College Nipaniya, Rewa; From 2010 onwards, if granted to the students admitted with the permission of the Central Government in the Government (Autonomous) Ayurved College Nipaniya, Rewa."] 146	



Sl. No.	Name of University	Recognized medical Qualification	Abbreviation	Validity Period	Gazette Notification No.
13.	Datta Meghe Institute of Medical Sciences (Deemed University), Nagpur	Ayurvedacharya	B.A.M.S.	From 2012 onwards, Subject to permission granted to Mahatma Gandhi Ayurved College, Sawangi (Meghe), Wardha, Maharashtra for admission by Central Government	S.O. 3551 (E) Dated 15.11.2016
14.	Chhattisgarh AYUSH and Health Sciences Vishwavidhyalya, Raipur	Ayurvedacharya	B.A.M.S.	From 2015 onwards, Subject to permission granted by Central Government to the following colleges, namely:- 1. Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurved College, Raipur 2. Rajiv Lochan Ayurvedic Medical college, Chandikhuri Durg 3. Chhattisgarh Ayurvedic Medical College, Rajnandgaon	S.O. 3552 (E) Dated 15.11.2016
		"Ayurved Vachaspati"	M.D. Ayurved	From 2013 onwards,	
		"Ayurved Dhanvantri"	M.S. Ayurved	Subject to permission granted to Shri Narayan Prasad Awasthi Govt. Ayurved College, Raipur for admission by Central Government	
15.	63 G, Maharashtra University of Health and Sciences, Nashik	Ayurved Vachaspati	M.D. Ayurved	From the year 2009, Subject to permission granted for admission by Central Council of Indian Medicine to the following colleges, namely:- 1. Ashtang Ayurveda College, 2062 (New), Sadashiv Peth, Vijaynagar Colony, Late Vd. H.B. Paranjape Chowk, Pune 411030 Maharashtra	S.O. 3412 (E) dated 26.10.2016

Sl. No.	Name of University	Recognized medical Qualification	Abbreviation	Validity Period	Gazette Notification No.
15.				<p>2. Maharashtra Ayurved Prasarak Mandal's Ayurved Mahavidyalaya , Near Sion Railway Station,Dist. Mumbai-400022 Maharashtra</p> <p>3. Ayurved Seva Sangh's Ayurved Mahavidyalaya Ganeshwadi Panchavati Tal. & Dist. Nashik-422003, Maharashtra</p> <p>4. Bharatiya Sanskriti Darshan Trust's Ayurved Mahavidyalaya Vishwa Shanti Dham, A/P Wagholi, Tal.-Haveli Dist. - Pune-412207, Maharashtra</p> <p>5. Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Sanstha's Ayurved Mahavidyalaya & Rugnalaya Kanchanwadi, Paithan Road Tq. & Dist.: Aurangabad 8-431002 Maharashtra</p> <p>6. Dayabhai Maoji Majithiya Ayurved Mahavidyalaya Shivaji Nagar, Arni Road, Dist.-Yavatmal (MS)</p> <p>7. Government Ayurved College Wazirabad, Tal. & Dist.Nanded 431601, Maharashtra</p> <p>8. Govt. Ayurvedic College, Rajee Raghujji Nagar, Umrer Road, Sakkardara Chowk, Nagpur-440024 Maharashtra</p> <p>9. Govt. Ayurvedic College Tulajapur Road, Osmanabad-413501 Maharashtra</p> <p>10.Maharashtra Arogya Mandal's Sumati Bhai Shah Ayurve Mahavidyalaya, Malwadi, Hadapsar, Tal: Haveli, Dist. Pune-411028, Maharashtra</p> <p>11.Poona District Education Association's,College of Ayurved & Research Centre, Sector No.25, Pradhikaran, Akurdi, Nigdi, Tal. Haveli, Dist. Pune-411044 Maharashtra</p>	



Sl. No.	Name of University	Recognized medical Qualification	Abbreviation	Validity Period	Gazette Notification No.
15.				12.R.A. Podar Ayurved Medical College Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400018, Maharashtra	
				13.Seth Chandanmal Mutha Aryangla Vaidyak Mahavidyalaya I.T.I Road, Gendamal, Satara-415002 Maharashtra	
				14.Seth Govindji Raoji Ayurved College 21-A/13, Budhwar Peth, Samrat Chowk, Dist. Sholapur 413002 Maharashtra	
				15.Shri Ayurved Mahavidyalaya, Dhanwantri Marg, Hanuman Nagar Nagpur 440009 Maharashtra	
				16.Shri Radhakisan Toshniwal Ayurved Mahavidyalaya Kediya Plots, Jathur Peth Road, Dist. Akola-444005, Maharashtra	
				17.Shri Vivekanand Nursing Home Trust's Ayurved Mahavidyalaya Shri Shivaji Nagar, A/P-Rahuri Factory, Tal. Rahuri, Dist. Ahmednagar-413706 Maharashtra	
				18.Smt. Kamala devi Gauridutt Mittal Puanvasu Ayurved Mahavidyalaya Vd. Ramgopal Sharma Chowk, Netaji Subhash Road, Charni Road (West), Dist. Mumbai-400002	
				19.Tilak Ayurved Mahavidyalaya 583/2, Rasta Peth, Pune-411011 Maharashtra	
				20. Vidarbha Ayurved Mahavidyalaya Dhawantari Nagar, Chhatri Talao Road, Taluka & District Amrawati	
				21.Yashwant Ayurvedic College Post Graduate Training & Research Centre, At & P.O, Kodoli-416114 Tal. Panhala, Dist. Kolhapur, Maharashtra	

Sl. No.	Name of University	Recognized medical Qualification	Abbreviation	Validity Period	Gazette Notification No.
		Ayurved Dhanvantari	M. S. Ayurved	From 2010 onwards Subject to per mission granted for admission by Central Government to the following colleges,namely:-	
				1. Ashtang Ayurveda College, 2062 (New), Sadashiv Peth, Vijaynagar Colony, LateVd. H.B. Paranjape Chowk, Pune 411030 Maharashtra	
				2. Maharashtra Ayurved Prasarak Mandal's Ayurved Mahavidyalaya, Near Sion Railway Station, Dist. Mumbai-400022 Maharashtra	
				3. Ayurved Seva Sangh's Ayurved Mahavidyalaya Ganeshwadi Panchavati Tal. & Dist. Nashik-422003 Maharashtra	
				4. Bharatiya Sanskriti Darshan Trust's Ayurved Mahavidyalaya Vishwa Shanti Dham, A/P Wagholi, Tal.-Haweli Dist.-Pune-412207, Maharashtra	
				5. Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Sanstha's Ayurved Mahavidyalaya & Rugnalaya Kanchanwadi, Paithan Road Tq. & Dist.: 8-431002 Maharashtra	
				6. Dayabhai Maoji Majithiya Ayurved Mahavidyalaya Shivaji Nagar, Arni Road, Dist.-Yavatmal (MS)	
				7. Dr. D.Y. Patil Vidya Pratishthan Society's Padmashree Dr. D.Y. Patil College of Ayurved & Research Centre Pimpri, Pune 411018, Maharashtra	
				8. Government Ayurved College Wazirabad, Tal. & Dist. Nanded 431601, Maharashtra	
				9. Govt. Ayurvedic College, Raje Raghujji Nagar, Umrer Road,	



Sl. No.	Name of University	Recognized medical Qualification	Abbreviation	Validity Period	Gazette Notification No.
		Ayurved Dhanvantari	M. S. Ayurved	Sakkardara Chowk, Nagpur-440024 Maharashtra	
				10. Govt. Ayurvedic College Tulajapur Road, Osmanabad-413501 Maharashtra	
				11. Hon. Shri Annasaheb Dange Ayurved Medical College and Post Graduate Training Research Centre, A/p Ashta, Tal. Walwa, Dist. Sangli-416301 Maharashtra	
				12. Late Kedari Redekar Ayurvedic Mahavidyalaya, P-2, MIDC Area, Shendri Mal, Tal. Gadhinglaj, Dist. Kolhapur-416502 Maharashtra	
				13. Loknete Rajarambapu Patil Ayurvedic Medical College, Hospital, Post Graduate Institute & Research Centre UrunIslampur, Sangli Road, Tal. Walwa, Dist. Sangali-415409 Maharashtra	
				14. Maharashtra Arogya Mandal's Sumati Bhai Shah Ayurveda Mahavidyalaya, Malwadi, Hadapsar, Tal: Haveli, Dist. Pune-411028, Maharashtra	
				15. Poona District Education Association's, College of Ayurved & Research Centre, Sector No. 25, Pradhikaran, Akurdi, Nigdi, Tal. Haveli, Dist. Pune-411044 Maharashtra	
				16. R.A. Podar Ayurved Medical College Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400018, Maharashtra	
				17. Seth Chandanmal Mutha Aryangla Vaidyak Mahavidyalaya I.T.I, Road, Gendamal, Satara- 415002 Maharashtra	

Sl. No.	Name of University	Recognized medical Qualification	Abbreviation	Validity Period	Gazette Notification No.
		Ayurved Dhanvantari	M. S. Ayurved	18.Seth Govindji Raoji Ayurved College 21-A/13, Budhwar Peth, Samrat Chowk, Dist. Sholapur 413002 Maharashtra	
				19.Shri Ayurved Mahavidyalaya, Dhanwantri Marg, Hanuman Nagar Nagpur 440009 Maharashtra	
				20.Shri Radhakisan Toshniwal Ayurved Mahavidyalaya Kediya Plots,Jathur Peth Road, Dist. Akola- 444005 Maharashtra	
				21.Shri Vivekanand Nursing Home Trust's Ayurved Mahavidyalaya Shri Shivaji Nagar, A/P-Rahuri Factory, Tal. Rahuri, Dist. Ahmednagar- 413706 Maharashtra	
				22.Siddhakala Ayurved Mahavidyalaya Pimparne Road, Sangamner Kd, Tal. Sangamner, Dist. Ahmednagar-422605, Maharashtra	
				23.Smt. Kamaladevi Gauridutt Mittal Puanvasu Ayurved Mahavidyalaya Vd. Ramgopal Sharma Chowk, Netaji Subhash Road, Charni Road (West), Dist. Mumbai-400002	
				24.Tilak Ayurved Mahavidyalay 583/2, Rasta Peth, Pune-411011 Maharashtra	
				25.Vidarbha Ayurved Mahavidyalaya Dhawantari Nagar, Chhatri Talao Road, Taluka & District Amrawati	
				26.Yashwant Ayurvedic College Post Graduate Training & Research Centre, At & P.O, Kodoli-416114 Tal. Panhala, Dist. Kolhapur, Maharashtra	
				27.Yerala Medical Trust Ayurvedic Medical College & Hospital Institutional Area, Sector No.4, Kharghar, Navi Mumbai-410210 Maharashtra	



Sl. No.	Name of University	Recognized medical Qualification	Abbreviation	Validity Period	Gazette Notification No.
16.	Delhi University, Delhi	Ayurved Vachaspati	M.D. Ayurved	From 2005 to 2009 Subject to permission granted to the Ayurvedic and Unani Tibbia College, Ajmal Khan Road, Karol bagh New Delhi, for admission by Central Council of Indian Medicine . From 2010 onwards, Subject to per mission granted to the Ayurvedic and Unani Tibbia College, Ajmal Khan Road, Karol bagh New Delhi, for admission by Central Government.	S.O. 3414(E) Dated 26th October 2016
17.	Kerala university of Health and Sciences, Thrissur	"Ayurved Vachaspati"	M.D. Ayurved	From October 2013 onwards if granted to the students admitted with the permission of Central Government in the following colleges viz:-	S.O. 3614(E) Dated 23.11.2016
		"Ayurved Dhanvantri"	M.S. Ayurved	1. Government Ayurveda College, Kannur, Pariyam. 2. Government Ayurveda College, Tripunithura, Ernakulam. 3. Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram 4. Vaidyaratnam P.S. Varier Ayurveda College, Kottal, Malappuram	

NEW PROPOSALS FOR 2016-17 UNDER SECTION 13A

As per the provisions of Section 13 A of the IMCC Act, 1970, and "the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Studies or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2003," 75 proposals for establishment of Ayurveda colleges, 24 for new starting PG Course and or Increase in Intake Capacity in existing PG Courses and 06 Combined UG & PG proposals from various Colleges were forwarded by Government of India, Ministry of AYUSH. The Central Council inspected the institutions and made recommendations for approval/ disapproval of the scheme to the Department of AYUSH.

Proposals Received in 2016 for Establishment of New College under Section 13A

S.NO.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI decision Letter No. & Dated
1.	Mahaveer College Of Ayurvedic Science, Vill-	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new	LOI Not recived yet form GOI

S.NO.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI decision Letter No. & Dated
	Sundra, G.E. Road, Rajnandgaon, Chhatisgarh	Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	
2.	Parul Institute Of Ayurved & Research. P.O. Limda, Ta. Waghodia, Dist. Vadodara-391760, Gujarat	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/17/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
3.	Bhargava Ayurveda College, Vidyagram, Post-Dahemi, Ta. Borsad, Dist. Anand-388560, Gujarat	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/27/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
4.	Murlidhar Ayurved College, Bhavnagar Road, Kalipat, Distt. Rajkot-360020, Gujarat	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 40 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI Not recived yet form GOI
5.	Noble Ayurved Colelge & Research Instiute, Parthvatika, Bhesan Road, Via-Vadal, At. Bamangam, Distt. Junagadh - 362310, Gujarat	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/28/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
6.	Bachubhai Govindbhai Garaiya Ayurved Colelge, Vill. Kalipat, Bhavnagar Highway, Behind Ashapur Hotel, Distt. Rajkot - 360020, Gujarat	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats (However, again 'No Objection Certificate' of State government vide letter no. AYD-102016-742-CHH dated 15.07.2016 and 'Consent for Affiliation' of University vide letter no. Acad/ 60/ Gyanjyot/ 2016-17/2265 dated 29.08.2016 submitted by the applicant is for UG (BAMS) course with 60 seats.) in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/51/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
7.	Rk University Ayurvedic College & Hospital, Rk University Campus, Rajkot-Bhavnagar Highway, Kasturbadham, Rajkot-360020, Gujarat	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. F.No.R. 12011/21/2016-EP(IM-1) dated 10.04.2017



S.NO.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI decision Letter No. & Dated
8.	Netra Chikitsa Ayurved College, Chital Road, Amreli-365601, Gujarat	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 50 seats (instead of 60 seats because the NOC of State Govt. & Consent of affiliation of University is for 50 seats) in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/32/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
9.	Global Institute Of Ayurveda, Rajkot-Bhavnagar Highway, Nr. Gadhaka Patiyu, Distt. & Tal. Rajkot. Vill. Tramba, Gujarat-360020	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/08/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
10.	Ananya College Of Ayurveda, Kadva Patidar Education & Samaj Seva Trust, Kirc Campus, Ahmedabad-Mahesana Highway, Kalol, Distt. Gandhinagar-382721, Gujarat	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/22/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
11.	K.J. Institute Of Ayurveda And Research, K.J. Campus, Opp. I.T.I., Javla, Salvi-391770, Ta.-Savli, Distt.-Vadodara, Gujarat	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. F.No.R.12011/75/2016-EP(IM-1) dated 31.05.2017
12.	Shri Ram College Of Medical Science & Research At Digrota, Distt. Mohinder Garh, Haryana	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI Not recived yet form GOI
13.	Government Ayurvedic Medical College, Akhnoor, Jammu, Jammu & Kashmir	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 50 seats (instead of 60 seats as the consent of affiliation from University concerned is for 50 seats) in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/41/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
14.	Maa Kalawati Ayurvedic Medical College & Hospital, Rajaulatu, Namkum, Ranchi	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI Not recived yet form GOI

S.NO.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI decision Letter No. & Dated
15.	Sri Paripoorna Sanathana Ayurveda Medical College, Hospital And Research Centre, At No. 91, Kaivalya Sannidana, Arjunabettahalli, Gollahalli Post, Nelamangala Taluk, Bengaluru, Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. F.No.R.12011/04/2016-EP(IM-1) dated 10.04.2017
16.	Sri. Madakari Nayaka Ayurvedic Meidcal College And Hospital, Jagalur-577528, Davanagere District, Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/48/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
17.	Karavali Ayurvedic Medical Colelge Hospital & Research Centre, Neeramarga, Mangalore-575029, Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/57/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
18.	H.K.D.E.T'S Rajarajeshwari Ayurvedic Medical College & Hospital, Nh-9, Veerbhadragiri, Sindenkera Cross, Humnabad, Dist.-Bidar, Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R-12011/95/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
19.	Sanjeevini Ayuveda Medical College And Hospital, Vishwa shrama Chetana, Basaveshwara Nagar, Gokul Road, Hubballi-580030, Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/49/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
20.	Shree Beereshwar Shikshan Sansthe, Krishna Ayurvedic Medical College & Hospital, Behind Syrian Hospital, Old Pb Road, At/Post:Sankeshwar-591313, Tq: Hukkeri, Dist. Belgaum, Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/62/2016-EP(IM-1) dated 22.06.2017
21.	Rosy Royal Internatinal Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre, Survey No. 1/2, Mallapura	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats (instead of 100 seats) in Ayurvedacharya UG (BAMS)	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats (instead of 100 seats) in UG (BAMS) course from the academic



S.NO.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI decision Letter No. & Dated
	Village, Nelamangala, Bangalore-562162, Karnataka	Course from the academic session 2017-18.	session 2017-18.R.12011/43/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
22.	Jain Agm Ayurveda Medical College And Hospital, At/Post Navagrahateertha Varur, Hubli(T), Dharward(D), Varur-581207, Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. F.No.R.12011/60/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
23.	Sam College Of Ayurvedic Sciences And Hospital, Village-Agariya Chopda, Bhopal Raod, Raisen, Madhya Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/24/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
24.	Parshar Ayurvedic Medical College & Hopital, Zirniya Narsinggard Road, Parvalia, Bhopal, Madhya Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with -- seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/74/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
25.	Vijayshree Ayurvedic Medical College And Hospital, Jda Scheme No. 41/65, Gram Basaha (Raingwa), Near Kachpura Railway Station, Post Office- Garha (Main), Jabalpur-482003, M.P.	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats (instead of 100 seats) in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/01/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
26.	"Department Of Ayurveda Meidcal College & Research Centre, Swami Vivekanand University, Sagar, Madhya Pradesh	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI Not recived yet form GOI
27.	Laxman Seth Ayurvedic Medical College, Vill. Dinara, The. Kerara, Dist. Shivpuri-473665, Madhya Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/77/2016-EP(IM-1) dated 31.05.2017
28.	L.N. Ayurved College & Hospital, Bhopal, J.K Town, Sarvadharam, C-Sector, Kolar Road, Bhopal, Madhya Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats (instead of 100 seats) in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/47/2016-EP(IM-1), dated 21.06.17

S.NO.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI decision Letter No. & Dated
29.	Shri Dhanwantari College Of Ayurvedic Science & Hospital, C/O Sarle Farm House, Indore Road, Devgaon, The.+ Dist.-Betul, Pin-260225, M.P.	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. F.No.R.12011/20/2016-EP(IM-1) dated 10.04.2017
30.	Millennium Ayurvedic College, Nathu Barkheda Road, Near Neelbad Chouraha, Bhopal, Madhya Pradesh	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. F.No.R.12011/71/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
31.	Sri Sai Institute Of Ayurvedic Research And Medicine, Rani Awanti Bai Marg, Kolar Road, Bhopal-462042, Madhya Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/10/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
32.	Pramod Salve Ayurved Medical College, Gadchiorli, Distt, Gadchiroli, Maharashtra	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI Not recived yet form GOI
33.	Bhausahab Mulik Ayurved College & Research Hospital, Plot No. P-73, R&C Zone, Midc, Butibori, Nagpur-441122, Ms	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/78/2016-EP(IM-1) dated 10.04.2017
34.	Dr. Vedprakash Patil Ayurved College & Research Institue Gut No. 159, Revgaon Road, Tq. & Dist Jalna, Ms	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/101/2016 -EP (IM-1) dated 16.05.2017
35.	Swami Vivekanand Ayurved Medical College And Research Centre, Pargaon, Sudrik, Shrigonda, Ahmednagar, Maharashtra	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/99/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
36.	Dr. Rajendra Gode Ayurved College, Hospital And Research Centre, Mardi	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the



S.NO.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI decision Letter No. & Dated
	Road, Amravati, Maharashtra	Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	academic session 2017-18. R.12011/45/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
37.	Universal Ayurvedic College, Village-Ballopur, P.O. Lalru, Tehsil-Derabassi, Distt. Mohali - 140501, Punjab	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI Not recived yet form GOI
38.	Khalsa Ayurvedic Medical College & Hospital, At Village Nangal Kalan, Distt. -Mansa-151505, Punjab	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/103/2016-EP(IM-1),dated 6.07.2017
39.	Shri Satya Ayurvedic Medical College & Hospital, Dhanupura (Lodhipur Rajput) Delhi Road, Po Pakbara, Moradabad-244102, U.P.	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/88/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
40.	Kalawati Ayurvedic Medical College And Research Centre & Hopital, Gorha, Kasganj, Pin-207123, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/80/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
41.	F.S Ayurvedic Medical College And Hospital, Near Balaji Mandir, Shikohabad, Firozabad, Pin-205135, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/34/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
42.	Divya Jyoti Ayurvedic Medicine & Divya Jyoti Hospital, Niwari Road, Modinagar, Distt. Ghaziabad, Pin-201204, Uttar Pradesh,	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/64/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
43.	Doon Ayurvedic Medical College & Hospital, Vpo Sunderpur Tanko, Tehsil-Behat, Distt-Saharanpur, Pin-247662, Uttar Pradesh	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R-12011/92/2016-EP(IM-1),dated 21.6.2017

S.NO.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI decision Letter No. & Dated
44.	Ishan Ayurved Medical College & Research Centre", Plot No.1A/1 & 1A/2, Knowledge Park-1, Greater Noida-201310, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats (instead of 100 seats) in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI Not received yet form GOI
45.	"Chandra Shekhar Singh Ayurvedic Sansthan, Village-Koilaha, Post-Saiyad Saraya, Distt. Kaushambi, Pin-212213, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. F.No.R. 12011/14/ 2016-EP(IM-1),dated16.5.17
46.	Vindhya Gurukul Ayush Medical College, Gosaipur, Chunar, Mirzapur, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI Not received yet form GOI
47.	"Src Ayurvedic Medical College Hospital, Vill. Rasoolpur, Post-Magorra, Distt.-Mathura, Pin.-281001, Uttar Pradesh"	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI Not received yet form GOI
48.	"Scpm Ayurvedic Medical College & Hospital, Lucknow Road, Haripur Gonda-271003, Uttar Pradesh"	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI Not received yet form GOI
49.	Sas Ayurvedic Medcial College Hospital, Rameshwar Road, Harhua, Pin-221105, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/11/2016-EP(IM-1) dated 24.05.2017
50.	Itn Ayurvedic Medical Colledge, Vill-Jungal Dudhai Urf Chehri Tappa Kathra, Post-Chehri, Tehsil Pharenda, Distt. Maharajganj,-273001, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/37/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
51.	Sanskriti Ayurvedic Medical College & Hospital, 28 Km. Stone, Chhatam Mathura, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI Not received yet form GOI



S.NO.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI decision Letter No. & Dated
52.	Kvs Institute Of Ayurvedic Medical Science & Research Centre, Mardapur Bakshupur, Ghazipur, Pin-2745204, UP	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/105/2016 -EP(IM-1) dated 22.06.2017
53.	Dr. Anar Singh Ayurvedic Medical College & Hospital, Bewar Road, Fatehgarh Distt. Farrukhabad, Pin-209601, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/46/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
54.	Ankerite Ayturvedic Medical College & Hospital, Village Parverpurab, Post-Mohanlalganj, Lucknow, Pin-226301, UP	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/15/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
55.	Maa Sharda Ayurvedic Medical College & Hospital, Panvary, Gaohania, Allahabad, Pin-21207, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/67/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
56.	Bhagwant Ayurvedic College And Bhagwant Hospital, Bhagwantpuram, 17Th Mile Stone, Bijnor-Delhi Highway, Vill-Kailapur Jasmor, Tehsil- Jansath Muzaffarnagar-251315, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. F.No.R.12011/09/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
57.	Sainath Institute Of Ayurved Medical Sciences & Research Centre Hinduwari, Sonbhadra-231216, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R-12011/96/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
58.	Bharitya Ayurvedic Medical College, At Village-Kudena, Gajraula J.P. Nagar, Pin-244235, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI Not recived yet form GOI
59.	Apex Institute Of Ayurvedic Medicine & Hospital, Nh-7,	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats

S.NO.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI decision Letter No. & Dated
	Mirzapur-Varanasi Road, Sampur, Chunar Mirzapur-231304, UP	Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R-12011/89/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
60.	M.D. Ayurvedic College & Hospital, Babarpur, Sikandra Agra, Pin-287007, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/06/2016-EP(IM-1) dated 22.06.2017
61.	Snsk Ayurvedic Medical College Hospital, Bhavrahan, Pandeypur Radhe, Ghazipur-Pin-233300, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/84/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
62.	Sai Nath Vikas Samiti, Ayurvedic College And Hospital, Kundol, Fatehabad Road, Agra-282001, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/07/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
63.	Wtm Ayurvedic Medical College And Hospital, Village-Fatehpur Mafi, Post-Palaula Joya-Sambhal Road, Distt. Amroha-24422' U.P.	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/03/2016-EP(IM-1) dated 31.05.2017
64.	Jhunjhunwala Ayurvedic Medical College Hansapur, Dwarikapuri, Sadar, Faizabad, Pin 224001, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/23/2016-EP(IM-1) dated 24.05.2017
65.	Sardar Patel Institute Of Ayurvedic Medical Science & Research Centre, Kankaha, Raibareilly Road, Mhan Lal Ganj, Lucknow, Pin- 226301, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/30/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
66.	Sks Ayurvedic Medical College & Hospital, Village, Distt- Mathura, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/86/2016-EP(IM-1) dated 12.04.2017
67.	Sult Ayurvedic Medical College And Research Centre, Shashikhali, Sult, District Almora -263676, Uttarakhand	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/98/2016-EP(IM-



S.NO.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI decision Letter No. & Dated
68.	Beehive Ayurved Medical College And Hospital, Central Hopetown, Selaqui, Dehradun-248197, Uttarakhand	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/63/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
69.	Shivalik Institute Of Ayurved And Research, Jhajra, Chakrata Road, Dehradun-248007, Uttarakhand	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/56/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
70.	Bishamber Sahai Ayurvedic Medical College & Research Centre, Roorkee, Uttarakhand	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/02/2016-EP(IM-1) dated 10.04.2017
71.	Doon Institute Of (Ayurved Faculty) Medical Sciences, Village Shankarpur, Shahaspur, Distt. Dehradun, Uttarakhand	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI Not issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R-12011/ 13/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
72.	Smt. Manjira Devi Ayurvedic Medical College And Hospital, Rukmani Nagar, Hitanu Dhanari, Uttarkashi-249151, Uttarakhand	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/81/2016-EP(IM-1),dated 21.6.2017
73.	Dev Bhoomi Medical College Of Ayurveda & Hospital, Navgaon Manduwala, Dehradun-248007, Uttarakhand	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. R.12011/44/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
74.	Swaraj Mukherjee Memorial Ayurvedic College And Mani-Kamal Hospital, Delhi Road (Near Belumore), Off Serampore, P.O. Belu Milky, Distt. Hooghly-712223, West	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2017-18. F.No.R.12011/91/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
75.	Jis Ayurvedic Medical College And Hospital,	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new	LOI Not recived yet form GOI

S.No.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI decision Letter No. & Dated
	Natungram, P.O.+P.S. Mogra, Distt. Hooghly-712148, West Bengal	Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2017-18.	LOI Not recived yet form GOI

For Starting New PG Course and or Increase in Intake Capacity in existing PG Course under Section 13A (2016)

S.No.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI Permission
1.	Shri Npa Govt. Ayurved College, G.E. Road, Raipur-492010 (Chhattishgrh)	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 04 New PG course namely (i) Kriya Sharir, (ii) Agad Tantra evum Vidhi Ayurved, (iii) Swathavritta Evum Yoga and (iv) Kaumarbhritya-Balroga with 06 seats in each subject from the academic session 2017-18.	LOI issued to start 04 new PG courses namely:- (i) Kriya Sharir, (ii) Agad Tantra evum Vidhi Ayurved, (iii) Swathavritta Evum Yoga and (iv) Kaumarbhritya-Balroga with 06 seats in each subject from the academic session 2017-18. R-14011/10/2016-EP (IM-1) 21.06.2017
2.	Sidramappa Danigond Memorial Trust'S Ayurvedic Medical College, Padma Ayurvedic Hospital & Research Centre, Terdal - 587315, Distt. Bagalkot, Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 05 new PG course namely:- (i) Kaumarbhritya, (ii) Kayachikitsa, (iii) Panchakarma, (iv) Shalya Tantra and (v) Prasuti Tantra & Stree Roga With 05 seats in each subject from the academic session 2017-18.	LOI issued to start 05 new PG courses namely:- (i) Kaumarbhritya, (ii) Kayachikitsa, (iii) Panchakarma, (iv) Shalya Tantra and (v) Prasuti Tantra & Stree Roga With 05 seats in each subject from the academic session 2017-18. R.12011/27/2016-EP(IM-1) 16.05.2017
3.	Sri Sri College Of Ayurvedic Science And Research, 21St K.M., Kanakapura Road Udayapura Post, Bangalore-560082 Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 03 New PG courses namely (i) Shalya Tantra, (ii) Prasuti Tantra & Stree Roga and (iii) Kayachikitsa with 06 seats in subject from the academic session 2017-18.	LOI issued to start 03 new PG courses namely:- (i) Shalya Tantra, (ii) Prasuti Tantra & Stree Roga and (iii) Kayachikitsa with 06 seats in each subject from the academic session 2017-18. R-14011/17/2016-EP(IM-1) 21.06.2017
4.	Sree Narayan Institute Of Ayurvedic Studies & Research, R. Sankar Nagar, Pangodu, Puthur, Karimpinuzha P.O.-691507, Kollam Distt., Kerala	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 02 new PG course namely (i) Kayachikitsa and (ii) Shalya Tantra with 05 seats (instead of 06 seats) in each subject from the academic session 2017-18.	LOI issued to start 02 new PG courses namely:- (i) Kayachikitsa and (ii) Shalya Tantra with 06 seats in each subject from the academic session 2017-18. R-14011/07/2016-EP(IM-1) 21.06.2017
5.	Vaidyaratnam Ps Varier Ayurveda College, Edarikode (Po)-676501, Kottakkal, Malappuram Dist., Kerala,	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 02 New PG courses namely (i) Sanskrit, Samhita Siddhant and	LOI issued to start 02 new PG courses namely:- (i) Sanskrit, Samhita Siddhant and (ii) Shalya Tantra (instead of Asthi



S.No.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI Permission
		(ii) Shalya Tantra (instead of Asthi Sandhi & Marmaghat Roga) with 03 seats in each subject from the academic session 2017-18.	Sandhi & Marmaghat Roga) with 03 seats in each subject from the academic session 2017-18. R-14011/23/2016-EP(IM-1) 21.06.2017
6.	Govt. Ayurveda College, Tripunithura-682301, Kerala	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 02 new PG course namely (i) Prasuti Tantra and (ii) Kayachikitsa With 04 Seats in each subject from the academic session 2017-18.	LOI issued to start 02 new PG courses namely:- (i) Prasuti Tantra & Stree Roga and (ii) Kayachikitsa with 04 seats in each subject from the academic session 2017-18. R-14011/04/2016-EP(IM-1) 21.06.2017
7.	Pt. Khushilal Sharma Govt. (Autonomous) Ayurved College & Institute, Behind Manit, Nehru Nagar, Kolar Bypass Road, Science Hills, Bhopal-462003 Madhya Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 02 new PG course namely:- (i) Kayachikitsa (ii) Samhita Siddhant With 05 Seats in each subject from the academic session 2017-18.	LOI issued to start 02 new PG courses namely:- (i) Kayachikitsa (ii) Samhita Siddhant With 05 Seats in each subject from the academic session 2017-18. F.No.R.14011/21/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
8.	Ashvin Rural Ayurved College, Manchi Hill, Ashvi B.K.Ashvi Bk, Tal . Sangamner, Dist. Ahmednagar-413714 Maharashtra	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 02 new PG course namely:-(i) Stree Rog Prasuti Tantra and (ii) Balrog with 05 seats in each subjects (instead of 06 seats because the NOC of State Govt. & Consent of affiliation of University is for 05 seats) from the academic session 2017-18.	LOI issued to start 02 new PG course namely:-(i) Stree Rog Prasuti Tantra and (ii) Balrog with 05 seats in each subjects (instead of 06 seats because the NOC of State Govt. & Consent of affiliation of University is for 05 seats) from the academic session 2017-18. R-14011/19/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
9.	Shri Saptashrunji Ayurved Mahavidyalaya & Hospital, Kamal Nagar, Hirawadi, Panchwati, Distt. Nasik-422003, Maharashtra	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 03 new PG courses namely:-(i) Kayachikitsa, (ii) Shalya Tantra (General) and (iii) Stree Roga & Prasuti Tantra with 06 seats in each subjects from the academic session 2017-18.	LOI issued to start 03 new PG courses namely:- (i) Kayachikitsa, (ii) Shalya Tantra (General) and (iii) Stree Roga & Prasuti Tantra with 06 seats in each subjects from the academic session 2017-18. R-14011/28/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
10.	M.E.S. Ayurved Mahavidyalaya, Ghanekunt-Lote, Tal. Khed, Distt. Ratnagiri, Maharashtra	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 04 new PG course namely: (i) Rachna Sharir-04 seats, (ii) Kayachikitsa-03 seats, (iii) Panchkarma-03 seats and (iv) Shalya Tantra Samanya- 04 seats from the academic session 2017-18.	LOI issued to start 04 new PG course namely- (i) Rachna Sharir-04 seats, (ii) Kayachikitsa-03 seats, (iii) Panchkarma-03 seats and (iv) Shalya Tantra Samanya- 04 seats from the academic session 2017-18. R-14011/31/2016-EP(IM-1) dated 22.06.2017

S.No.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI Permission
11.	Rajkiya Ayurveda Mahavidyalaya Avum Chikitsalaya, Sampurnanad Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 03 new PG course namely:- (i) Ayurved Samhita Avum Siddhant, (ii) Rog Nidana Avum Vikriti Vigyan and (iii) Shalya Tantra with 05 seats in each subject from the academic session 2017-18.	LOI issued to start 03 new PG courses namely:- (i) Ayurved Samhita Siddhant avum Siddhant, (ii) Roga Nidan avum Vikriti Vigyan and (iii) Shalya Tantra with 05 seats in each subject from the academic session 2017-18. F.No.R.14011/22/2016-EP(IM-1) dated 12.04.2017
12.	Dmm Ayurved Mahavidyalaya, Aarni Road, Shivaji Nagar, Yavatmal, Maharashtra	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing 01 PG course namely:- (i) Kayachikitsa from 03 to 06 seats from the academic session 2017-18.	LOI issued to increase the admission capacity in existing 01 PG course namely:- (i) Kayachikitsa from 03 to 06 seats from the academic session 2017-18. R.13011/19/2016-EP(IM-1) 21.06.2017
13.	Dr. D.Y. Patil College Of Ayurveda & Research Centre, Sant Tukaram Nagar, Pimpri, Pune-411018, Maharashtra	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in 02 existing PG courses namely:- (i)Prasuti Evum Striroga from 04 to 06 seats and (ii)Shalya Samanya from 04 to 06 seats and to start 02 new PG course namely- (i)Dravyaguna Vigyan-06 seats, (ii) Shalakya Tantra (Karna Nasa Shiro)-04 seats from the academic session 2017-18.	LOI issued to increase the admission capacity in 02 existing PG courses namely:- (i)Prasuti Evum Striroga from 04 to 06 seats and (ii)Shalya Samanya from 04 to 06 seats and to start 02 new PG course namely- (i) Dravyaguna Vigyan-06 seats, (ii) Shalakya Tantra (Karna Nasa Shiro)-04 seats from the academic session 2017-18. R-13011/14/2016-EP(IM-1) & R-14011/16/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
14.	INSTITUTE OF POST GRADUATE AYURVEDIC EDUCATION AND RESEARCH AT SVSP, 294/3/1, A.P.C. ROAD, KOLKATA-700009, WEST BENGAL	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in 02 existing PG courses namely:- (i) Kayachikitsa from 04 to 07 seats and (ii) Dravyaguna from 02 to 06 seats and to start 01 new PG course namely- (i) Panchkarma with 02 seats from the academic session 2017-18.	LOI issued to increase the admission capacity in 02 existing PG courses namely:- (i) Dravyaguna from 02 to 06 seats and (ii) Kayachikitsa from 04 to 07 seats and to start 01 new PG course namely- (i) Panchkarma with 02 seats from the academic session 2017-18. R-13011/01/2016-EP(IM-1), R-13011/02/2016-EP(IM-1) & R-14011/01/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017

Proposal received in 2016 for increasing Intake Capacity in UG Course only Under Section 13A

1	Sri Dharmasthala Manjunatheshwara College	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG
---	---	--	--



S.No.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI Permission
	of Ayurveda & Hospital, P.B. No. 164, B.M. Road, Thannuruhalla, Hassan, Karnataka	capacity in existing UG (BAMS) course from 75 to 100 seats from the academic session 2017-18.	(BAMS) course from 75 to 100 seats from the academic session 2017-18. R.13011 /09 /2016-EP(IM-1)dated 10.4.17
2.	Atreya Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre, Kakkehalli Road, Kadigehalli (Post), Doddaballapura-561203, Bangaluru Rural, Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2017-18.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2017-18. F.No.R.13011/22/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
3.	Shri Kalidas Ayurvedic Medical College & Hospital, Banashankari Road, Badami-587201, Distt. Bagalkot, Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2017-18.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2017-18.F.No.R.13011/10/2016- EP(IM-1) dated 16.05.2017
4.	Shri Bahubali Vidyapeeth'S J.V. Mandal'S Grameen Ayurvedic Medical College, Gurukul Campus, A/P Teradal, Tq. Jamkhandi, Dist. Bagalkot, Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2017-18.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2017-18. F.No.R.13011/04/2016-EP(IM-1) dated 10.04.2017
5.	Dhanwantari Ayurveda College, Hospital & Research Centre, Siddapur- 581355, North Kanara Dist., Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2017-18.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2017-18. F.No.R.13011/08/2016-EP(IM-1) dated 10.04.2017
6.	Government Autonomous Ayurved College, Gwarighat, Jabalpur- 482001 Madhya Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2017-18.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2017-18. F.No.R.13011/11/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017
7.	Hon. Shri Annasaheb Dange Ayurved Medical College And Post Graduate Training Research Centre, A/P Ashta, Tal. Walwa, Sangli-416301, MS	Recommended for not issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2017-18.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2017-18. F.No.R.13011/23/2016- EP(IM-1) dated 21.06.2017

S.No.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI Permission
8.	Hanuman Shikshan Prasarak Mandal Savarde'S Ayurvedic Medical College Peth, Vadgaon, Taluka-Hatkanangale Kolhapur-416112, MS	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2017-18.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2017-18. F.No.R.13011/13/2016-EP(IM-1) dated 10.04.2017
9.	Shri Ayurved Mahavidyalaya, Dhanwantri Marg, Hanuman Nagar Nagpur 440009 Maharashtra	Recommended for not issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 70 to 100 seats from the academic session 2017-18.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 70 to 100 seats from the academic session 2017-18. F.No.R.13011/24/2016-EP(IM-1) dated 31.05.2017
10.	Shree Lakshmi Narayan Ayurvedic College & Hospital, Chabbal Road, Near Radha Swami Dera, Amritsar, Punjab	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2017-18.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2017-18. F.No.R.13011/16/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017

Combined UG & PG Proposals 2016

1.	Bld Association'S Avs Ayurveda Mahavidyalaya, Vidya Nagar, Bagalkot Road, Bijapur-586109, Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats and to start 02 new PG course namely- (i) Kaumarbhritya and (ii) Prasuti Tantra & Stree Roga With 05 Seats in each subject from the academic session 2017-18.	LOI issued to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats and to start 02 new PG course namely- (i) Kaumarbhritya and (ii) Prasuti Tantra & Stree Roga with 05 Seats in each subject from the academic session 2017-18. R-13011/20/2016-EP (IM-1) and R-14011/18/2016-EP(IM-1) 22.06.2017
2	Latthe Education Society'S Acharya Deshbhushan Ayurvedic Medical College And Hospital, A/Po-Bedkihal-Shamanewadi-591214, Tal-Chikodi, Dist. Belgaum, Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats and to start 03 new PG course namely- (i) Rachana Sharir, (ii) Shalakya Tantra and (iii) Kayachikitsa with 05 seats in each subject from the academic session 2017-18.	LOI issued to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats and to start 03 new PG course namely- (i) Rachana Sharir, (ii) Shalakya Tantra and (iii) Kayachikitsa with 05 seats in each subject from the academic session 2017-18. R.13011/21/2016-EP(IM-1) & R-14011/25/2016-EP(IM-1) dated 21.06.2017



S.No.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI Permission
3.	PNNM Ayurveda Medical College, Shoranur, P.O. Cheruthuruthy-679531, Taluk Thalappilly, Dist.- Thrissur, Kerala	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats and to start 02 new PG course namely- (i) Kayachikitsa and (ii) Prasuti Tantra evum Striroga with 04 seats in each subjects from the academic session 2017-18.	LOI Not recived yet form GOI
4.	Shri Radhakisan Toshniwal Ayurved Mahavidyalaya Station Raod, Akola, Maharashtra	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 and to start 01 new PG course namely Rognidan & Vikruti Vigyan with 06 seats from the academic session 2017-18.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 and to start 01 new PG course namely Rognidan & Vikruti Vigyan with 06 seats from the academic session 2017-18. R.13011/03/2016-EP(IM-1) & R-14011/05/2016-EP(IM-1) dated 16.05.2017
5.	Seth Govindji Raoji Ayurved College 21-A/13, Budhwar Peth, Samrat Chowk, Dist. Sholapur 413002, Maharashtra	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG(BAMS) course from 50 to 60 seats and to start 02 new PG course namely- (i) Shalakyia Tantra- Netra Rog with 03 seats and (ii) Prasuti Tantra evum Striroga with 03 seats from the academic session 2017-18.	LOI issued to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats and to start 02 new PG course namely- (i) Shalakyia Tantra- Netra Rog and (ii) Prasuti Tantra evum Striroga with 03 Seats in each subject from the academic session 2017-18. R-13011/06/2016-EP(IM-1), R-14011/08/2016-EP(IM-1) and R-14011/09/2016-EP(IM-1) 22.06.2017
6.	Shri Dhanwantri Ayurvedic Medical College & Research Centre, Vill. Semri, Tehsil Chhata, Distt. Mathura, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 51 to 100 seats and to start 09 new PG course namely- (i) Ayurved Samhita Siddhant, (ii)Rachna Sharir, (iii)Kriya Sharir, (iv)Agad Tantra evam Vyavyahar Ayurved, (v)Swasthvritta, (vi)Kayachikitsa, (vii)Prasuti avum Striroga, (viii)Shalya Tantra (Samanya) and (ix)Kaumarbhritya with 06 Seats in each subject from the academic session 2017-18.	LOI issued to increase the intake capacity in existing UG (BAMS) course from 51 to 100 seats and to start 09 new PG course namely- (i)Ayurved Samhita Siddhant, (ii)Rachna Sharir, (iii)Kriya Sharir, (iv)Agad Tantra evam Vyavyahar Ayurved, (v)Swasthvritta, (vi)Kayachikitsa, (vii)Prasuti avum Striroga, (viii)Shalya Tantra (Samanya) and (ix)Kaumarbhritya with 06 Seats in each subject from the academic session 2017-18. R-13011/20/2016-EP(IM-1) and R-14011/18/2016-EP(IM-1) 22.06.2017.

Permission Status for the Proposals of Colleges Received in Previous Year Under Section 13A For Letter of Permission)

S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
1.	Dr.NR Shastry Govt. Ayurvedic College, M.G.Road,Vijayawada-520002 Urban Mandal, Krishna District Andhra Pradesh	Not recommended for issuing LOP to starting new PG courses in above said proposed subjects and for enhancement of seats in UG from 30 to 60 seats U/S 13A of the IMCC Act,1970.	Granted permission for issuing LOP to start 03 new PG courses namely: - (i) Kayachikitsa, (ii) Prasuti Tantra and (iii) Dravyaguna with 05 seats in each subject and to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 30 to 60 seats from the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. No.R.13011/12/2015-EP(IM-1) & R.14011/13/2015-EP(IM-1) dated 21.11.2016
2.	Nitishwar Ayurved Medical College & Hospital Bawan Bigha, Kanhauli, P.O. Ramana Muzzafarpur- 842002 Bihar	Not recommended for issuing LOP to start 03 new PG courses namely:- (i) Kayachikitsa, (ii) Shalakya Tantra and (iii) Panchakarma form the academic session 2016-17 U/S /13A of the IMCC Act, 1970.	Granted permission for not issuing LOP to start 03 new PG courses namely :- (i) Kayachikitsa, (ii) Shalakya Tantra and (iii) Panchakarma with 06 seats in each subjects from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act, 1970. No.R.14011/08/2015-EP(IM-1) dated 28.11.2016
3.	Ayurved & Unani Tibbia College and Hospital, Ajmal Khan Road, Karol Bagh, New Delhi-110005	Not recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted permission for issuing LOP to increase admission capacity from 40 to 60 seats in existing UG(BAMS) course from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. R-13011/32/2015-EP(IM-1) dated 02.11.2016
4.	J.S. Ayurved Mahavidyalaya, College Road, Dist.-Kaira-Nadiad-387001 Gujarat	Recommend for issuing LOP for increase in the admission capacity in existing UG Course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.13011/27/2015-EP(IM-1) dated 01.12.2016
5.	Govt. Ayurved Mahavidyalaya Ajwa Road, Vadodara-390019 Gujarat	Not recommend for issuing LOP to start 02 new PG courses namely:- (i) Dravyaguna and (ii) Rasashastra & Bhaishajya kalpana	Granted permission for issuing LOP to start 02 new PG courses namely:- (i) Dravyaguna and



S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
		subject from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	(ii) Rasashastra & Bhaishajya kalpana subject with 05 seats in each course from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act, 1970. R.14011/23/2015-EP(IM-1) dated 24.11.2016
6.	Govt. Ayurved College, Pancheshvar Road, Nr. Geeta Cinema Junagadh-362001 Gujarat	Not recommend for issuing LOP to start new PG course namely Samhita Siddhant from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for not issuing LOP to start new PG course namely Samhita Siddhant from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act, 1970. F.No.R.14011/09/2015-EP(IM-1) dated 08.12.2016
7.	Shri Gulab Kunverba Ayurved Mahavidyalaya Dhanwantri Mandir Jamnagar-361008 Gujarat	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted permission for issuing LOP to increase admission capacity from 60 to 100 seats in existing UG(BAMS) course from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act, 1970. F.No.R.13011/02/2015-EP(IM-1) dated 05.12.2016
8.	Parul Institute of Ayurved, P.O Limda, Tal. Waghodia Distt. Vadodara- 391760 Gujarat	Recommend for issuing LOP to start 03 new PG courses namely: -(i) Shalaky Tantra (Shiro Nasa Karna Avum Kantha Roga), (ii) Panchakarma and (iii) Shalya Tantra (Samanya) with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted permission for issuing LOP to start 03 new PG courses namely :-(i) Shalaky Tantra (Shiro Nasa Karna Avum Kantha Roga), (ii) Panchakarma and (iii) Shalya Tantra (Samanya) with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act, 1970. F.No.R.14011/06/2015-EP(IM-1), F.No.R.14011/07/2015-EP(IM-1) & R.14011/05/2015-EP(IM-1) dated 29.11.2016
9.	Govindbhai Jorabhai Patel Ayurveda College and Research Centre B/h G.I.D.C, New Vallabh Vidyanagar, Taluka; Dist. Anand-388121 Gujarat	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for not issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act, 1970. F.No.R.13011/09/2015-EP(IM-1) dated 01.12.2016
10.	Rajiv Gandhi Govt. Post-	Recommend for issuing LOP to	Granted Permission for issuing

S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
	Graduate, Ayurvedic College, Paprola, Tehsil-Baijnath, Dist. Kangra-176115 Himachal Pradesh	increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats and from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act, 1970. F.No.R.13011/03/2015-EP(IM-1) dated 11.11.2016
11.	Suryamukhi Dinesh Ayurved Medical College & Hospital At & P.O-Booty, Via Neori Vikash Dist:- Ranchi 835217 Jharkhand	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats and to start 04 new PG courses namely:- (i) Panchakarma (ii) Swasthviritta (iii) Samhita Siddhant (iv) Shalya Tantra with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats and to start 04 new PG courses namely:- (i) Panchakarma (ii) Swasthviritta (iii) Samhita Siddhant (iv) Shalya Tantra with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act, 1970. F.No.R.13011/37/2015-EP(IM-1) & R-14011/18/2015-EP (IM-1) dated 26.11.2016
12.	Ayurved Mahavidyalaya & Hospital Heggeri Extension Old Hubli-508824 Karnataka	Recommend for issuing LOP to start 02 new PG Courses namely:- (i) Rachna Sharir-03 seats (ii) Roganidan-04 seats and to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats and to increase admission capacity in 05 existing PG Courses namely:- (i) Kayachikitsa-05 to 06 seats (ii) Panchakarma- 05 to 06 seats (iii) Rasashastra- 05 to 06 seats (iv) Basic Principal-05 to 06 seats, (v) Shalya Tantra-02 to 05 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted permission for issuing LOP to start 02 new PG Courses namely:- (i) Rachna Sharir-03 seats (ii) Roganidan-04 seats and to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats and to increase admission capacity in 05 existing PG Courses namely:- (i) Kayachikitsa-05 to 06 seats (ii) Panchakarma- 05 to 06 seats (iii) Rasashastra- 05 to 06 seats (iv) Basic Principal-05 to 06 seats, (v) Shalya Tantra-02 to 05 seats from from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13A of the IMCC Act, 1970. R-14011/11/2015-EP(IM-1) & R-13011/18/2015-EP(IM-1) dated 13.12.2016
13.	Ashwini Educational Association's Ayurved Medical College & PG Centre, #405/1, Opp. Bathi Lake, "Ashwini	As proposal for starting two new PG courses i.e. Prasuti & Stri Roga and kaumarbharitya and the increase in intake capacity in existing UG and two PG courses namely Kayachikitsa and	Granted permission for not issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats and to increase the



S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
	Nagar", P.B. Road, Dist. Davangare Karnataka	Shalya Tantra has been withdrwn by the college therefore, it may be recommended to GOI not issuing LOP for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	admission capacity in existing 02 PG course namely:- (i) Kayachikitsa (05 to 06 seats) and (ii) Shalya Tantra (05 to 06 seats) and open 02 new PG course namely:- (i)Kaumarbhritya and (ii)Prasuti Tantra & Stri Rog with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.13011/26/2015-EP(IM-1) & R-14011/20/2015-EP (IM-1) dated 08.12.2016
14.	T.M.A.E Society's Ayurvedic Medical College, Sankalapura, Tanda, Ballary Road, Hospet-583201, Karnataka	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing 01 PG course namely Shalya Tantra from 03 tom 06 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted permission for not issuing LOP 01 PG course namely Shalya Tantra from 03 tom 06 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970.R.13011/40/2015-EP(IM-1) dated 01.12.2016
15.	K.V.G Ayurved Medical College & Hospital Ambatedka Sullia, Dist. Dakshin Kannada -574327 Karnataka	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted permission for not issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats to the academic session 2020-21 from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970.R.13011/44/2015-EP(IM-1) dated 02.12.2016
16.	Shri Hingulambika Education Society's Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre Bhavsar Nagar, Sedam Road, Gulbarga-585106 Karnataka	Not Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted permission for not issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.13011/45/2015-EP(IM-1) dated 01.11.2016
17.	Shri Basaveshwar Vidya Vardhak Sangha Ayurved Medical College & Hospital, P.B. No. 34. Distt. Bagalkot-587101 Karnataka	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity from 50 to 60 seats and to start 02 new PG courses namely (i) Kayachikitsa and (ii) Dravyaguna with 05 seats in each subject from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	GP to open 02 new PG courses namely:- (i) Dravyaguna and (ii) Kayachikitsa with 05 seats in each subject and to increase the admission capacity in existing UG Granted Permission for issuing

S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
			admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats to the academic session 2020-21 from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.14011/28/2015-EP(IM-1) & R.13011/34/2015-EP(IM-1) dated 24.11.2016
18.	JSVV Samsthe's Danappa Gurushiddappa Melmalagi Ayurvedic Medical College, Hospital Dr. Savadi Road, Shivananda Nagar, Ta. & Dist. Gadag-582103 Karnataka	In view of the above, the college has not been visited. Therefore, it is not recommended to issue the LOP for the session 2016-17 in proposed PG courses.	Granted permission for not issuing LOP to start 03 new PG courses namely :- (i) Kaumarbhritya (ii) Prasuti & Stri rog and (iii) Shalya Tantra with 05 seats in each subject the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act, 1970. No.R.14011/30/2015-EP (IM-1) dated 01.12.2016
19.	Rajiv Gandhi Education Society's Ayurvedic Medical College & Hospital Taluka Ron, Dist. Gadag-582209, Karanataka	Recommend for issuing LOP to start 03 new PG courses namely (i) Rachana Sharir (ii) Prasuti & Stri Rog (iii) Panchakarma with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to open 03 new PG courses namely:- (i) Rachana Sharir (ii) Prasuti & Stri Rog (iii) Panchakarma with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17 to the academic session 2019-20 under section 13A of the IMCC Act,1970. R.14011/26/2015-EP(IM-1) dated 24.11.2016
20.	Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, No.34/C, Shivalli Industrial Area Taluk & Distt. Udupi, Manipal-576104 Karnataka	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 100 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats (instead of 60 to 100 seats) and other letter recieved to GOI issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.13011/46/2015-EP(IM-1) dated 01.12.2016 & 05.12.2016
21.	Dhanvantari Ayurveda College & Hospital, Siddapur, District- Uttara	Recommend for issuing LOP to start 02 new PG courses namely (i) Kayachikitsa and (ii) Panchkarma with	Granted Permission for issuing LOP to open 02 new PG courses namely:-



S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
	Kannada 581355 Karnataka	05 seats in each subject from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	(i) Kayachikitsa and (ii) Panchkarma with 05 seats in each subject from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13A of the IMCC Act,1970. R.14011/31/2015-EP(IM-1) dated 26.11.2016
22.	Vishnu Ayurveda College, P.O Government Press, Shoranur Dist. Palakkad- 679122 Kerala	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats (instead of 100 seats as consent of affiliation issued by the university is for 60 seats only) from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.13011/31/2015-EP(IM-1) dated 24.11.2016
23.	KMCT Ayurveda Medical CollegeManassery, P.O, Taluk & District Kozhikkode-673602 Kerala	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17 to the academic session 2018-19 under section 13A of the IMCC Act,1970. R.13011/20/2015-EP(IM-1) dated 28.11.2016
24.	Mannam Ayurveda Co- Operative Medical College, MSM P.O. Pandalam, Dist. Pathanamthitta-689501 Kerala	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats and to start 02 new PG courses namely (i) Rasashastra & Bhaishjya Kalpana-03 seats (ii) Dravyaguna-04 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats and to start 01 new PG courses namely Dravyaguna-04 seats and withdrawal of LOI dated 18.03.2016 issued to start one new PG course namely Rasashastra & Bhaishjya Kalpana-03 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. R.14011/32/2015-EP(IM-1) & R.13011/30/2015-EP(IM-1) dated 11.11.2016
25.	PNNM Ayurveda Medical College, Shoranur,	Recommend for issuing LOP to start 01 new PG course namely:-	Granted Permission for issuing LOP to start 01 new PG courses

S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
	P.O. Cheruthuruthy, Taluk Thalappilly, Dist.- Thrissur-679531 Kerala	Shalyatantra (Samanya) with 03 seats from the academic session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	namely Shalya Tantra (Samanya) with 03 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970.R.14011/25/2015-EP(IM-1) dated 29.11.2016
26.	Pankajakasthuri Ayurveda MedicalCollege, Killy, Kattakada, Thiruvanathapuram-695572 Kerala	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats and to start 01 new PG course in Samhita Siddhant with 04 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats and to start new PG Samhita Siddhant with 04 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.14011/33/2015-EP(IM-1) & R.13011/42/2015-EP(IM-1) dated 18.11.2016
27.	Pt. Shiv Shaktilal Sharma Ayurvedic College & Hospital Banjali, Sailana Road,Dist. Ratlam-457001Madhya Pradesh	Not Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.14011/43/2015-EP(IM-1) & R.13011/10/2015-EP(IM-1) dated 15.12.2016
28.	Pt. Khushilal Sharma Govt. (Autonomous) Ayurved College & Institute, Behind Manit, Nehru Nagar, Kolar Bypass Road,Science Hills, Bhopal-462003 Madhya Pradesh	Recommend for issuing LOP to start 01 new PG courses namely:- Kriya Sharir with 05 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970	Granted Permission for issuing LOP to start 01 new PG courses namely Kriya Sharir with 05 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970.R.14011/29/2015-EP(IM-1) dated 11.11.2016
29.	Rajiv Gandhi Ayurvedic College & HospitalE-8, Trilanga Colony Shahpura, Bhopal-462039 Madhya Pradesh	Not Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 for reason college Management has denied for visitation and Principal has given a letter for not to increase college admission capacity from 50 to 60 seats) seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for not issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.13011/38/2015-EP(IM-1) dated 09.12.2016
30.	Rani Dullaiya Smriti Ayurvedic P.G. College &	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission



S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
	Hospital, Barkhedi Kalan, Bhadbhada road, Bhopal-462044 Madhya Pradesh	existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17 to the academic session 2018-19 under section 13A of the IMCC Act, 1970. R.13011/25/2015-EP (IM-1) dated 01.12.2016
31.	Bharatiya Sanskriti Darshan Trust's Ayurved Mahavidyalaya Vishwa Shanti Dham, A/P Wagholi, Tal.-Haweli, Dist.-Pune-412207, Maharashtra	Recommend for issuing LOP to starting 01 new PG course namely Rognidan with 03 seats and to increase the admission capacity in one existing PG Course .i.e. Rachna Sharir from 03 to 06 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to start 01 new PG courses namely Rognidan with 03 seats and to increase the admission capacity in one existing PG Course i.e. Rachna Sharir from 03 to 06 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act, 1970. F.No.R.14011/02/2015-EP(IM-1) & R.13011/08/2015-EP(IM-1) dated 13.12.2016
32.	Dadasaheb Surupsing Naik Ayurved Mahavidyalaya, Suwalal Bafna, Vidyanagar, At & Post- Nagaon, Dist.: Dhule-424004 Maharashtra	Not Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 50 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 50 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act, 1970. F.No.R.13011/13/2015-EP(IM-1) dated 23.11.2016
33.	Dr. D.Y. Patil Vidya Pratishthan Society's Padmashree Dr. D.Y. Patil College of Ayurved & Research Centre, Pimpri, Pune 411018, Maharashtra	Recommend for issuing LOP to start 04 new PG Courses Namely:- (i) Rognidan evum Vikriti Vigyan-05 seats, (ii) Agad Tantra -05 seats, (iii) Kaumarbhritya – 04 seats and (iv) Shalakyia Tantra(Netra Roga)- 02 seats and to increase admission capacity in 01 existing PG course (i) Kayachikitsa- 04 to 06 seats from the academic session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to start 04 new PG Courses Namely:- (i) Rognidan evum Vikriti Vigyan- 05 seats, (ii) Agad Tantra -05 seats, (iii) Kaumarbhritya – 04 seats and (iv) Shalakyia Tantra(Netra Roga)- 02 seats and to increase admission capacity in 01 existing PG course (i) Kayachikitsa-04 to 06 seats from the academic session 2016-17 to the academic session 2019-20 under section 13A of the IMCC Act, 1970. F.No.R.14011/15/2015-EP(IM-1) & R.13011/23/2015-EP(IM-1) dated 10.11.2016

S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
34.	Ashvin Rural Ayurved College, Manchi Hill, Ashvi B.K.Ashvi BK, Tal . Sangamner, Dist. Ahmednagar-413714 Maharashtra	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.13011/11/2015-EP(IM-1) dated 02.11.2016
35.	Mahatma Gandhi Ayurved College, Hospital & Research Centre, Salod Hirapur, Dist. Wardha Maharashtra	Recommend for issuing LOP to start 01 new PG course namely:- (i) Kaumarbhritya with 06 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to start 01 new PG courses namely Kaumarbhritya with 06 seats from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.14011/14/2015-EP(IM-1) dated 22.10.2016
36.	Mahila Utkarsha Pratishthan's Ayurved College, Hospital & Research Centre, Pundlik Nagar, Degaon, Tq. Risod Dist. Washim-444506 Maharashtra	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17 to the academic session 2018-19 under section 13A of the IMCC Act,1970. R.13011/36/2015-EP (IM-1) dated 22.10.2016
37.	MES Ayurved Mahavidyalaya, MES Institute of Health Sciences, Prashuram Hospital and Research Centre Ghanekhunt-Lote, Tal. Khed, Dist Ratnagiri-4157222 Maharashtra	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13A of the IMCC Act,1970. R.13011/21/2015-EP(IM-1) dated 02.10.2016
38.	Vimla Devi Ayurvedic Medical College & Hospital At Wandhari, Post-Tadali Tal & Dist-Chandarpur-442406 Maharashtra	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17 to 2021-22 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.13011/06/2015-EP(IM-1) dated 05.12.2016
39.	Govt. Ayurved College AT Tulsi Nagar, Bolangir -	Not Recommend for issuing LOP to start 01 new PG course namely Rog	Granted Permission for issuing LOP to start 01 new PG course

S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
34.	Ashvin Rural Ayurved College, Manchi Hill, Ashvi B.K.Ashvi BK, Tal . Sangamner, Dist. Ahmednagar-413714 Maharashtra	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.13011/11/2015-EP(IM-1) dated 02.11.2016
35.	Mahatma Gandhi Ayurved College, Hospital & Research Centre, Salod Hirapur, Dist. Wardha Maharashtra	Recommend for issuing LOP to start 01 new PG course namely:- (i) Kaumarbhritya with 06 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to start 01 new PG courses namely Kaumarbhritya with 06 seats from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.14011/14/2015-EP(IM-1) dated 22.10.2016
36.	Mahila Utkarsha Pratishthan's Ayurved College, Hospital & Research Centre, Pundlik Nagar, Degaon, Tq. Risod Dist. Washim-444506 Maharashtra	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17 to the academic session 2018-19 under section 13A of the IMCC Act,1970. R.13011/36/2015-EP (IM-1) dated 22.10.2016
37.	MES Ayurved Mahavidyalaya, MES Institute of Health Sciences, Prashuram Hospital and Research Centre Ghanekhunt-Lote, Tal. Khed, Dist Ratnagiri-4157222 Maharashtra	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13A of the IMCC Act,1970. R.13011/21/2015-EP(IM-1) dated 02.10.2016
38.	Vimla Devi Ayurvedic Medical College & Hospital At Wandhari, Post-Tadali Tal & Dist-Chandarpur-442406 Maharashtra	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17 to 2021-22 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.13011/06/2015-EP(IM-1) dated 05.12.2016
39.	Govt. Ayurved College AT Tulsi Nagar, Bolangir -	Not Recommend for issuing LOP to start 01 new PG course namely Rog	Granted Permission for issuing LOP to start 01 new PG course



S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
	767001 Orissa	Nidan evam vikriti vigyan form the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	namely Rog Nidan evam vikriti vigyan with 04 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. R.14011/19/2015-EP(IM-1) dated 11.11.2016
40.	JR's Tantia Shri Ganganagar College of Ayurvedic Science & Hospital, Near RIICO, Hanumangarh Road, Sri Ganganagar-335002 Rajasthan	Recommend for issuing LOP to start 03 new PG courses namely:- (i) Rachana Sharir-06 seats (ii) Swasthavritta-06 seats and (iii) Dravyaguna- 06 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to start 03 new PG courses namely:- (i) Rachana Sharir-06 seats (ii) Swasthavritta-06 seats and (iii) Dravyaguna- 06 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.14011/03/2015-EP(IM-1) dated 05.12.2016
41.	Punjab Ayurved Medical College & Hospital, 43 MMK, Hanumangarh road Morjand Khari,Sri Ganganagar-335037 Rajasthan	Not Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.13011/22/2015-EP(IM-1) dated 09.12.2016
42.	University College of Ayurved, Rajasthan Ayurved University,Nagaur Road, Kadwad, Jodhpur-342037 Rajasthan	Not Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats and to start 02 PG courses namely:- (i) Panchkarma and (ii) Stri Roga & Prasuti Tantra with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats and to start 02 PG courses namely:- (i) Panchkarma and (ii) Stri Roga & Prasuti Tantra with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. R.13011/47/2015-EP(IM-1) & R.14011/35/2015-EP (IM-1) dated 30.11.2016
43.	B. M. Education Foundation Trust, Shekhawati Ayurvedic College Behl Road, Harikunj, Ganga Colony, Teh. Chirawa, Dist. Jhunjhunu, Pilani - 333031, Rajasthan	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.13011/05/2015-EP(IM-1) dated 29.11.2016

S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
44.	Ayurveda College, RVS Campus, 242-B Trichy Road, Sulur, Coimbatore-641108 Tamil Nadu	Recommend for issuing LOP to start 06 new PG courses namely:-(i)Samhita Siddhant, (ii)Rasashastra (iii)Rognidan (iv)Dravyaguna (v)Kayachikitsa and (vi)Shalya tantra with 05 seats in each subject from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to start 06 new PG courses namely :- (i) Samhita Siddhant, (ii) Rasashastra (iii) Rognidan (iv) Dravyaguna (v) Kayachikitsa and (vi) Shalya tantra with 05 seats in each subject from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.14011/16/2015-EP(IM-1) dated 05.12.2016
45.	Govt. Gurukul Ayurved College, Kangari, Haridwar-249404 Uttarakhand	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats as well as to start 06 new PG courses namely :- (i)Kayachikitsa-04 seats, (ii) Panchkarma-03 seats, (iii)Shalya tantra-02 seats, (iv)Shalakya tantra-02 seats (v)Kaumarbhritya-02 seats and (vi) Stri roga & Prasuti Tantra-02 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats (instead of 100 seats) and to start 05 new PG courses namely :- (i) Kayachikitsa-04 seats, (ii) Panchkarma-03 seats, (iii) Shalya tantra-02 seats, (iv)Shalakya tantra-02 seats (v)Kaumarbhritya-02 seats and Not issuing LOP to start 01 PG course namely Stri roga & Prasuti Tantra-02 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.14011/21/2015-EP(IM-1) & R.13011/28/2015-EP(IM-1) dated 26.11.2016
46.	Rishikul Govt P.G. Ayurvedic College & Hospital Haridwar- 249401, Uttarakhand	Recommend for issuing LOP to start 03 new PG courses namely:-(i)Rachana Sharir-06 seats, (ii)Agad Tantra-06 seats, (iii)Roga Nidan-06 seats but not recommended for issuing LOP to start 04 new PG courses namely :- (i)Bal Roga, (ii)Kriya Sharir, (iii)Swasthavritta and (iv)Maulik Siddhant and as well as to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to start 04 new PG courses namely (i) Bal Roga-03 seats, (ii) Rachna Sharir-06 seats, (iii) Agad Tantra-06 seats, and (iv) Roga Nidan-06 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970. F.No.R.13011/29/2015-EP(IM-1) & R.14011/22/2015-EP(IM-1) dated 26.11.2016 and not issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats and to start 03 new PG courses namely (i) Swasthavritta-06 seats, (ii) Kriya Sharir-06 seats, (iii) Maulik Siddhant-06 seats and the LOI dated 02.05.2016 is hereby withdrawn



S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
47.	Uttaranchal Ayurvedic College, Ayurved Estate, 17, Old Mussoorie Road, Rajpur Dehradun – 248009 Uttarakhand	Not Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act, 1970. F.No.R.13011/07/2015-EP(IM-1) dated 14.12.2016
48.	Patanjali Bhartiya Ayurvigyan Evam Anusandhan Sansthan, Patanjali Yoga Peeth, Haridwar – 249402, Uttarakhand	Not Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats as well as to start 08 new PG courses namely:- (i) Samhita Siddhant, (ii) Kriya Sharir, (iii) Dravyaguna, (iv) Rasashastra & Bhaishajya kalpana, (v) Kayachikitsa, (vi) Shalya (instead of Kshar karma evam Anushastra Karma as per NOC of the State & consent of affiliation), (vii) Shalakya (instead of Karna, Nasa Kantha evam Shiro Rog as per NOC of the state & consent of affiliation) and (viii) Panchakarma with 05 seats in each subject from the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats (instead of 100 seats) dated 05.12.2016 and again GOI permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats dated 21.12.2016 and to start 08 new PG courses namely:- (i) Samhita Siddhant, (ii) Kriya Sharir, (iii) Dravyaguna, (iv) Rasashastra & Bhaishajya kalpana, (v) Kayachikitsa, (vi) Shalya (instead of Kshar karma evam Anushastra Karma as per NOC of the State & consent of affiliation), (vii) Shalakya (instead of Karna, Nasa Kantha evam Shiro Rog as per NOC of the state & consent of affiliation) and (viii) Panchakarma with 05 seats in each subject from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act, 1970. R.14011/10/2015-EP(IM-1) & R.13011/17/2015-EP(IM-1) dated 05.12.2016 & 21.12.2016
49.	Dean, Faculty of Ayurveda Institute of Medical Sciences Banaras Hindu University Dist. Varanasi-221005 Uttar Pradesh	Recommend for issuing LOP to start new PG Diploma Course in 01 subject Namely Kshar Karma with 03 seats and for not issuing Letter of Permission to start new PG Diploma Course in 01 subject namely Chhayaevam Vikiran vigyan for the academic session 2016-17 and U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to start new PG Diploma Course in 01 subject Namely Kshar Karma with 03 seats and for not issuing LOP to start new PG Diploma Course in 01 subject namely Chhayaevam Vikiran vigyan from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13A of the IMCC Act, 1970.

S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
			R-18011/01/2016-EP(IM-1) Dated: 15.12.2016
50.	Bharat Ayurved Medical College, Hospital & Research Centre, 10 K.M., Roorkee Road, NH-58, P.O. Barla, Muzaffarnagar-251001 Uttar Pradesh	Recommend for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17 under section 13A of the IMCC Act,1970.F.No.R.13011/04/2015-EP(IM-1) dated 18.11.2016
51.	Baba Hira Das Ji Ayurvedic Medical College & Hospital, V.P.O Badal, Distt.-Muktsar-152113 (Punjab)	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/28/2015-EP(IM-1) dated 30.12.2016
52.	Harmony Ayurvedic Medical College & Hospital Adjoining FCI Godowns, Kachha Zira Road, Ferozepur City Punjab	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/11/2015-EP(IM-1) dated 26.12.2016
53.	Sri Guru Nanak Dev Ayurvedic college and hospital, Raikot Road, Viii.Raqba, Mullanpur, Ludhiana-141422 Punjab	Not Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Denial permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/37/2015-EP(IM-1) dated 13.12.2016
54.	Saraswati Professional and Higher Education Society, VPO Gharuan-140413, Tehsil Kharar, District S.A.S. Nagar Mohali, Punjab	Recommended to Govt. of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/07/2015-EP(IM-1) dated 28.10.2016
55	CIT Ayurvedic College & Research Centre NH-30, Naya Raipur, Abhanpur, Dist:Raipur-493661 Chhattisgarh	Not Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Denial permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/41/2015-EP(IM-1) dated 02.12.2016



S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
56.	Bharti Ayurved Medical College & Hospital Pulgaon Chowk, Durg, Chhatisgarh	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/14/2015-EP(IM-1) dated 22.10.2016
57.	National College of Ayurved Dhani Garan Road, Barwala-125121,Hisar, Haryana	Not Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/08/2015 EP(IM-1) dated 13.12.2016
58.	Shiva Ayurvedic College and Hospital Village Luhanu Kanetain, P.O. Chandpur Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur 174004 Himachal Pradesh	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/20/2015-EP(IM-1) dated 16.11.2016
59.	Swami Vivekanand Ayurved Medical College & Hospital (A unit of Kalyan Seva Sansthan), At Madhav Villa, Simultala, Jamui-Bihar	Not Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Denial permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/12/2015-EP(IM-1) dated 15.12.2016
60.	Sai Ayurved College, Hospital and Research Centre, at Gate No. 67, Dhengale- Patil nagar, Solapur- barshi Highway, Tal- Barshi, Solapur, Maharashtra	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/09/2015-EP(IM-1) dated 09.12.2016
61.	Dr. R.N. Lahoti Ayurvedic College, Hospital and Research Institute at Sultanpur, Tal-Lonar, Buldhana, Pin-443307, Maharashtra	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/31/2015-EP(IM-1) dated 10.11.2016
62.	Shree Rashiklal Manickchand Dhariwal Ayurved College and	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG

S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
62.	Hospital" Girivihar, Taleti Road, Palitana, Gujarat	College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	(BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/30/2015-EP(IM-1) dated 29.11.2016
63.	Indian Institute of Ayurved Research & Hospital" Opp. Hill Viw Club, Kalawad Road, 150 ft Ishawariya Ring Road, Rajkot-360110, Gujarat	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/57/2015-EP(IM-1) dated 11.11.2016
64.	State Model Institute of Ayurveda Sciences C/O Block No. 1,2nd Floors, Jivraj Mehta Bhawan, Old Sachivalaya, Kolavada, Gandhinagar, Gujarat	Not Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats (instead of 100 seats) in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/05/2015-EP(IM-1) dated 30.11.2016
65.	"Shree Swaminarayan Ayurvedic College Opp. Kalol GIDC National Highway No. 8, At & Post-Saij, Ta-Kalol, Dist-Gandhinagar 382721-Gujarat	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/13/2015-EP(IM-1) dated 25.11.2016
66.	Eva College of Ayurved Supedi, Zanzmer Road, at. Supedi, Dist, Rajkot-360440 Gujarat	Not Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/10/2015-EP(IM-1) dated 27.11.2016
67.	Manjushree Research Institute of Ayurvedic Science" Pethapur Mahudi Road Nr GGS, Piplaj Gandhinagar-382610, Gujarat	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/59/2015-EP(IM-1) dated 29.11.2016
68.	Haridwar Ayurved Medical College & Research Center, Mustafabad (Padartha), Dhanpura, Haridwar-249405, Uttarakhand	Comman recommendation send by Government of India letter no. 26-75/2016-Ay. Visitation dated 26.09.2016 (not mentioned UG seats) for the session 2016-17 U/S	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the



S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
		13A of the IMCC Act, 1970.	IMCC Act, 1970. R-12011/42/2015-EP(IM-1) dated 18.11.2016
69.	Motherhood Ayurved Medical College, Vill.-Karoundi, Po-Bhagwanpur, The.-Roorkee, Distt.- Haridwar, Uttarakhand	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/23/2015-EP(IM-1) dated 16.11.2016
70.	Om Ayurvedic College and Research Centre, Near Crystal World, Roorkee Haridwar NH-58, Vill.-Punchayanpur, PO-Daulatpur, Roorkee (Haridwar) 249402, Uttarakhand	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/51/2015-EP(IM-1) dated 26.10.2016
71.	Faculty of Ayurveda, Uttarakhand Ayurved university , Hartawala, Dehradun-248001 Uttarakhand	Not Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/19/2015-EP(IM-1) dated 11.11.2016
72.	S.G.E.S, S Dr. N.A. Magadam Ayurvedic Medical College & Hospital, at Ankali, Tq- Chikodi, Dist. Belgaum, Karnataka	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/33/2015-EP(IM-1) dated 10.11.2016
73.	Sharada Ayurvedic Medical College & Hospital, at Mundarga, Yadgir Distt. Karnataka	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/39/2015-EP(IM-1) dated 19.11.2016
74.	Bidar Vidya Kendra (R) Akkamahadevi Ayurvedic Medical College & Research Centre, Chidri, Bidar, Karnataka	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/06/2015-

S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
			EP(IM-1) dated 25.10.2016
75.	Prasanna College of Ayurveda and Hospital, at Laila, Belthangady, Karnataka	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats (instead of 100 seats) in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/29/2015-EP(IM-1) dated 09.11.2016
76.	K.T.G. Ayurvedic Medical College & Hospital, at Srigandhadakaval, Hegganhalli Cross, Sunkadakatte-Peenya Road, Vishwanedma Post, Bangalore, Karnataka	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/61/2015-EP(IM-1) dated 19.11.2016
77.	Ashtamgam Ayurveda Chikisalyam & Vidyapeedham at Vavanoor, Koottanad, Palakkad, Kerala	Not Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/40/2015-EP(IM-1) dated 27.10.2016
78.	Vivek College of Ayurvedic Sciences & Hospital, Moradabad Road, Post Agri, Distt. Bijnor Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/02/2015-EP(IM-1) dated 27.10.2016
79.	Indian Institute of Ayurveda & Dhanwantari Life Line Hospital, Village & Post-Sherpur Khanajadpur, Distt. Saharanpur-247162 Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Denial permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/45/2015-EP(IM-1) dated 08.12.2016
80.	Sanjeevani Ayurvedic Medical College, Village- Kudana Chak, Near Brijghat, District-Amroha, Pin-244235 Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/16/2015-EP(IM-1) dated 09.12.2016



S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
81.	S.R.S. Ayurvedic Medical College and Hospital, Village-Sikandarpur, P.O.- Tehara, Gwailor Road, Distt. Agra-282001 (Uttar Pradesh)	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/26/2015-EP(IM-1) dated 09.11.2016
82.	Bapu Ayurvedic Medical College Evam Hospital, Ladanpur, Kopaganj, Dist. Mau, Uttar Pradesh-275101	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/25/2015-EP(IM-1) dated 10.11.2016
83.	Prem Raghu Ayurvedic Medical College and Hospital, Near Polytechnic College, Agra Road, Distt. Hathras-204101, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/27/2015-EP(IM-1) dated 25.10.2016
84.	K.V. Ayurvedic Medical College & Dev Hospital, Kuberpur, NH-2, Agra-283202 Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/53/2015-EP(IM-1) dated 07.12.2016
85.	Jeevak Ayurved Medical College & Hospital, Research Centre, at Kamlapur, Akauni Chandauli, Uttar Pradesh,	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/35/2015-EP(IM-1) dated 24.11.2016
86.	R.K Ayurved Medical College Kashipur, Surai, Sathiaon, Azamgarh, Uttar Pradesh – 243501 R.K. Ayurvedic Medical College & Hospital,	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/43/2015-EP(IM-1) dated 09.12.2016

S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
87.	G.S. Ayurveda Medical College & Hospital, Village-Peeplabandpur, Near Railway Station, Pilkhuwa, Distt. Hapur-245304 Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/56/2015-EP(IM-1) dated 25.10.2016
88.	Glocal College of Ayurvedic Medical Science and Research Centre, Delhi-Yamunotri Marg (State Highway No.-57), Mirzapur,- Pole, Distt.-Saharanpur-247122 Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/22/2015-EP(IM-1) dated 25.11.2016
89.	R.B. Ayurvedic Medical College & Hospital at Jalesar Road, Agra, Uttar Pradesh	Not Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/34/2015-EP(IM-1) dated 21.12.2016
90.	Mahaveer Ayurvedic Medical College & Hospital, Pohalli Saradhana Road, Meerut, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/21/2015-EP(IM-1) dated 26.10.2016
91.	Sri Ram Ayurvedic Medical College and Hospital, Vill.-Dungrawali, partapur Bye Pass Road (Delhi- Haridwar Highway), Distt.-Meerut-250103 Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats (it is informed that college has requested vide letter no. Society/Sec/16 dated 10.06.2016 for LOP 60 seats intake inspite for LOI for 100 seats intake due to non availability of few faculty members.) in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats (instead of 100 seats) in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/58/2015-EP(IM-1) dated 04.11.2016
92.	Institute of Ayush Medical Sciences, Vimalarjun Nagar, Bhagoo Kheda, Mohanlal Ganj, Lucknow-261005 Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/60/2015-EP(IM-1) dated 09.11.2016



S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
93.	Dr. Vijay Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Centre at Village-Bhandaha Kala, Post, Kaithi, Varanasi, Uttar Pradesh'	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/62/2015-EP(IM-1) dated 27.10.2016
94.	Shri Ramachandra Vaidya Ayurvedic Medical College and Hospital, Yamuna Vihar, Malhaur Road, Near Eldico Tiraha, Chinhat, Lucknow-226028 Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/04/2015-EP(IM-1) dated 02.11.2016
95.	J.P. Ayurvedic Medical College & Hospital G.T. Road, Sikandrarao, Hathras-204215 Uttar Pradesh	J.P. Ayurvedic Medical College and Hospital at Sikandrarao, Hathras, Uttar Pradesh has not been visited for LOP as requested by the College which is already informed to you vide letter under reference.	Denial permission permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/46/2015-EP(IM-1) dated 09.12.2016
96.	Prakash Institute of Ayurvedic Medical Sciences and Research, at Jhhajar, Bulandshehar, Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats (instead of 100 seats (it is informed that during hearing college has requested to allow the hearing for 60 seats instead of 100 seats.) in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats (instead of 100 seats) in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/48/2015-EP(IM-1) dated 31.10.2016
97.	Dhanvantari Ayurvedic Medical College & Hospital, Vill. Chitauli, P.O. Fatehganj (W), Distt. Bareilly-243501 Uttar Pradesh	Recommended to Government of India for issuing the Letter of Permission to Establish New Ayurved College with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2016-17 Under Section 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/24/2015-EP(IM-1) dated 28.11.2016

VISITATION OF COLLEGES

Central Council of Indian Medicine conducted the visitation of following Ayurveda colleges to furnish the recommendations to Govt. of India for the year 2016-17 (1st April, 2014-31st March, 2015) under section 13C of IMCC Act, 1970.

S. No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
1.	Dr. BRKR Govt Ayurvedic College, Opp. E.S.I Hospital, Erragadda, Hyderabad-500038, Andhra Pradesh	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act,1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS)course and 38 seats in 07 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-10 seats, (ii) Shalya Tantra-03 seats, (iii) Shalakya Tantra-03 seats, (iv) Prasuti & Striroga- 04 seats, (v) Dravyaguna-06 seats & (vi) Panchakarma-06 seats and (vii) Ayurveda Samhita & Siddhant-06 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/01/2016-EP(IM-1) 22.10.2016
2.	Dr.NR Shastry Govt. Ayurvedic College, M.G.Road,Vijayawada-520002 Urban Mandal, Krishna District Andhra Pradesh	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) as well as PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional Permission for UG (BAMS) course with 30 seats and 05 seats in 01 PG subject namely, Rasashastra & Bhaishajya Kalpana, for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/02/2016-EP (IM-1) dated 13.10.2016
3.	Sri Venkateswara Ayurvedic College , SVIMS Campus, Devasthanam, Tirupati North-517507 Andhra Pradesh	Not Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 40 seats in BAMS(UG) course and 34 seats(instead of 36 seats) ok in 06 PG courses namely:- (i) Dravyaguna-06 seat (ii) Rasashastra Evum Bhaishajya kalpana-06 seats, (iii) Panchkarma-06 seats (iv) Shalya Tantra-06 seats, (V) Kaumarbhartiya-05 seats (instead of 06 seats) and (iv) Ayurveda Samhita & Siddhanta 05 seats (instead of 06 seats) for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.R-17011/03/2016-EP (IM-1) dated 22.10.2016
4.	Anantha Laxmi Govt. Ayurvedic College, Post Laxmipura, Labour Colony, Tq. & Dist. Warangal-506013 Andhra Pradesh	Not Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21under section 13C/13A of the IMCC Act.R-17011/04/2016-EP (IM-1), 07.09.2016



S. No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
			under section 13C/13A of the IMCC Act.R-17011/04/2016-EP (IM-1), 07.09.2016
5.	Viswambhara Education Society, Vaagdevi Ayurvedic Medical College, Vill: Bollikunta, Mdl:Sangem, Dist:-Warangal- 506005 Andhra Pradesh	Not visited by the CCIM for the academic session 2016-17 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, R.12011/23/2005-EP(IM-1) for 2016-17 dated 24.11.2016
6.	Shree Vaageshwari Education Society, Vaageswari Ayurvedic Medical College, Rama Krishna Colony, Thimmapur, Karimnagar - 505481, AP	Not visited by the CCIM for the academic session 2016-17 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, R.12011/12/2007-EP(IM-1) for 2016-17 dated 24.11.2016
7.	MNR Ayurveda Medical College & Hospital, Narsapur Road,Fasalwadi, Sangareddy- 502294, Medak Dist. Andhra Pradesh	Not visited by the CCIM for the academic session 2016-17 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, R.12011/32/2007-EP(IM-1) for 2016-17 dated 24.11.2016
8.	Government Ayurvedic College, Jalukbari, Distt - Kamrup (Metro), Guwahati- 781014 Assam	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 24 seats in 06 PG courses namely:- (I) Ayurveda Samhita & Siddhant-06 seats, (ii) Rachna Sharir-02 seats, (iii) Rog Nidan Evum Vikriti Vigyan-03 seats (iv) Prasuti Tantra & Stri Roga-04 seats, (v) Kayachikitsa-06 seats and (vi) Shalya Tantra-03 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/05/2016-EP(IM-1) dated 29.09.2016

S. No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
9.	Government Ayurvedic College & Hospital, Kadam Kuan, Patna 800003, Bihar	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course and 08 seats in 02 PG courses namely:- (i) Dravyaguna - 04 (ii) Rasashastra & Bhaisajya Kalpana 04 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970, R-17011/06/2016-EP(IM-1) dated 13.10.2016
10.	Ravindranath Mukherjee Ayurved College Motihari, Dist. East Champaran-845401, Bihar	Not visited by the CCIM for the academic session 2016-17 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 40 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, R.17011/07/2016-EP(IM-1) dated 25.11.2016
11.	Rajkiya Ayodhya Shivkumar Ayurved College & Hospital At Lohyanagar, Po-Suhird nagar, Dist. Begusai-851218, Bihar	Not Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 30 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, R.17011/08/2016-EP(IM-1) dated 31.10.2016
12.	Swami Raghaven dracharya Tridandi, Ayurved Mahavidyalaya and Chikitsalaya, Karjara Station, PO Manjhouli Via Wazirganj, Gaya-823001 Bihar	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19. letter no.R-17011/09/2014-EP (IM-1) 29.08.2014	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 40 seats Upto 2018-19 letter no. R-17011/09/2014-EP (IM-1) dated 29.08.2014
13.	Shri Motisingh Jageshwari Ayurved College & Hospital Bada Telpa, Chapra, Saran-841301, Bihar	Not Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/10/2016-EP(IM-1) dated 16.09.2016
14.	Nitishwar Ayurved Medical College & Hospital Bawan Bigha, Kanhauli, P.O. Ramana Muzzafarpur- 842002 Bihar	Recommended to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats and 02 PG courses namely:- (i) Shalya Tantra-06 (ii) Prasuti Tantra & Striroga 06 seats in each subjects for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 12 seats in 02 PG courses namely:- (i) Shalya Tantra-06 (ii) Prasuti Tantra & Striroga-06 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, R-17011/11/2016-EP(IM-1) dated 22.10.2015



S. No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
15.	Ayurved Mahavidyalaya Ghughari Tand, Gaya- 823001 Bihar	Not visited by the CCIM for the academic session 2016-17 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 40 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, R.17011/12/2016-EP(IM-1) dated 25.11.2016
16.	Dayanand Ayurvedic Medical College & Hospital Siwan- 841266 Bihar	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 08 seats in 02 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-04 (ii) Dravyaguna-04 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, R-17011/13/2016-EP(IM-1) dated 06.10.2016
17.	Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurvedic College, G.E. Road, Raipur- 492001, Chhattisgarh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats and 03 PG courses namely- (i) Ayurved Samhita Siddhant-03 seats, seats, (ii) Dravyaguna-06 seats and (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-03 seats for the session 2016-17 but not recommend to grant permission for 04 PG courses namely:- (i) Rachna Sharir, (ii) Roga Nidan (iii) Kayachikitsa and (iv) Shalya Tantra for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 29 seats in 07 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-05 seats (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpna-03 seats (iii) Ayurved Samhita Siddhant-03 seats, (iv) Rachna Sharir-03 seats, (v) Shalya Tantra-03 seats, (vi) Dravyaguna-06 seats and (vii) Roga Nidan-06 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/15/2016-EP(IM-1) dated 17.10.2016
18.	Rajiv Lochan Ayurved Medical College Village & Post- Chandkhuri Gunderdehi Road, Distt. Durg- 491221, Chhatisgarh	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/16/2016-EP (IM-1), dated 15.11.2016
19.	Chhatisgarh Ayurved Medical College G.E. Road, Village Manki, Dist.- Rajnandgaon 491441, Chhatisgarh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 under

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
			section 13C/13A of the IMCC Act, R-12011/03/2005-EP(IM-1) for 2016-17 dated 15.11.2016
20.	Shri Dhanwantry Ayurved College & Dabur Dhanwantry Hospital, Plot No.-M-688, Sector 46-B Chandigarh- 160017	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5years i.e. Upto 2018-19 letter. R.17011/14/2014 -EP(IM-1) 25.09.2014	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats Upto 2018-19 letter no. R-17011/14/2014-EP (IM-1) dated 25.09.2014
21.	Ayurved & Unani Tibbia College and Hospital, Ajmal Khan Road, Karol Bagh, New Delhi-110005	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course and 06 seats in 02 PG courses namely: (i) Kayachikitsa-03 seats (ii) Kriya Sharir-03 seats for the academic sesion 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970, R-17011/17/2016-EP(IM-1) dated 14.10.2016
22.	CH. Brahm Prakash Ayurved Charak Sansthan Khera Dabar, Najafgarh, New Delhi-110073	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 100 seats in UG (BAMS) course and 29 seats in 05 PG courses namely:- (I) Rachna Sharir-06 seats, (ii) Kayachikitsa-06 seats (iii) Rog Nidan & Vikriti Vigyan-06 seats, (iv) Kriya Sharir-06 seats and (v) Panchkarma-05 seats for the academic sesion 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970.R-12011/03/2010-EP(IM-1)for 2016-17 dated 13.10.2016
23.	Bharteeya Sanskrit Prabodhini, Gomantak Ayurveda Mahavidyalaya & Research Centre, Kamakshi Arogyadham Vajem, Shiroda Tq. Ponda, Dist. North Goa- 403103 Goa	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/18/2016-EP(IM-1) dated 02.09.2016
24.	Govt. Akhandanand Ayurved College & Hospital, Lal Darvaja, Bhadra Ahmedabad- 380001, Gujarat	Not Recommend to GOI for granting permission for admission to recommend to UG (BAMS) course and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats (instead of 75) in UG (BAMS) course and 21 seats in 04 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-06 seats, (ii) Panchkarma-05 seats



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
			(iii) Shalya-samanya -05 seats and (iv) Shalakyas- Karna, Nasa, Kantha & Shiro Roga -05 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970, R-17011/19/2016-EP(IM-1) dated 06.10.2016
25.	J.S. Ayurved Mahavidyalaya, College Road, Dist.-Kaira-Nadiad-387001 Gujarat	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats and 05 PG courses namely (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats and (ii) Kayachikitsa-05 seats (iii) Rachna Sharir-05 seats, (iv) Dravyaguna-05 seats and (v) Panchkarma-05 seats for the session 2016-17. U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course and 25 seats in 05 PG courses namely:- (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats and (ii) Kayachikitsa-05 seats (iii) Rachna Sharir-05 seats, (iv) Dravyaguna-05 seats and (v) Panchkarma-05 seats for the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, R-17011/20/2016-EP(IM-1) dated 03.10.2016
26.	Govt. Ayurved Mahavidyalaya Ajwa Road, Vadodara-390019 Gujarat	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970, R-17011/21/2016-EP(IM-1) dated 22.10.2016.
27.	Aryakanya Shuddha Ayurved Mahavidyalaya Kareli Baug, Vadodara- 390018 Gujarat	Not visited by the CCIM for the academic session 2016-17 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 30 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/22/2016-EP(IM-1) dated 18.11.2016
28.	Sheth JP Govt. Ayurved College, Opp. Sardar Baug, Panvadi, Bhavanagar- 364001 Gujarat	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/23/2016-EP(IM-1) dated 22.09.2016
29.	Govt. Ayurved College, Pancheshvar Road, Nr. Geeta	Not recommend to Government of India for granting permission for	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course for

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
	Cinema Junagadh-362001 Gujarat	admission in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970, R-17011/24/2016-EP(IM-1) dated 05.10.2016
30.	Shri Balahanuman Ayurved Mahavidyalaya At & Post Lodra, Ta. Mansa, Dist.Gandhinagar-382835, Gujarat	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for the session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 35 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R.17011/25/2016-EP(IM-1) dated 11.11.2016
31.	Shri OH Nazar Ayurved College Nr. Railway Station, Lal Darwaja Road, Tauka: Choryasi, Dist- Surat- 395003, Gujarat	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/26/2016-EP(IM-1) dated 01.09.2016
32.	Shri Gulab Kunverba Ayurved Mahavidyalaya Dhanwantri Mandir Jamnagar-361008 Gujarat	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats. But Sub-committee did not agree to recommend to GOI for granting permission for admission in 02 PG courses namely-(I) Rog Nidan avam Vikriti Vigyan-05 seats and (ii) Kayachikitsa-05 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/27/2016-EP(IM-1) dated 22.10.2016 Further vide letter No R.13011/02/2015-EP(IM-1) dated 05.12.2016 the permission granted for a period not exceeding 05 years (i.e. From the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21) to the college for existing UG course with 60 seats vide Ministry's letter no. F. R-17011/27/2016-EP(IM-1) dated 22.10.2016 has been withdrawn five years permission and converted to conditional permission for the current academic year 2016-17 only.
33.	Institute for Post Graduate Teaching & Research in Ayurveda Office to the Director Sushruta Bhavan Gujrat Ayurved University G.G. Hospital Road Jamnagar 361008 Gujarat	Recommend to Government of India for granting permission for admission in PG course in :- (I) Ayurveda Samhita & Siddhanta-06 seats, (ii) Dravyaguna-04 seats(instead of 06 seats), (iii) Kaumarbhartiya-05 seats, (iv) Kayachikitsa-04, (v) Prasuti Tantra & Stri Roga-05	Grant of conditional permission for 50 seats (instead of 53 seats) in 09 PG subjects namely:- (i) Ayurved Samhita & Siddhant-06 Seats, (ii) Dravyaguna vigyana-06 seats, (iii) Kaumarbharitya-05 seats, (iv) Kayachikitsa-04 seats, (v) Prasuti & Stri Roga-06 seats, (vi) Shalakyia Tantra -06 seats,



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
		seats(instead of 06 seats), (vi) Shalaky Tantra-06 seats, (vii) Shalya Tantra-05 seats, (viii)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (ix) Panchkarma-06 seats and PG Diploma in (I) Balroga-05 seats, (ii) Netra Roga Vigyan-05 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats & (iv) Prasuti Tantra & Stri Roga-02 seats for the academic session 2016-17 but not recommend to Government of India for granting permission for admission in PG course in Rognidan evam Vikriti Vigyan and PG Diploma courses in Ayurvedic Cosmetology & Skin Disease & Kashara Karma for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	(vii) Shalya Tantra -05 seats, (viii)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats and (ix) Panchakarma-06 seats and 21 (instead of 24) seats in 06 PG Diploma courses namely:- (I) Kshara Karma -02 seats (instead of 05 seats), (ii) Balroga-05 seats, (iii) Netra Roga Vigyan -05 seats, (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (v) Ayurvedic cosmetology & Skin disease- 2 seats & (vi) Prasuti & Stri Roga -02 seats and denial of permission for PG course in Rog Nidan avum vikriti vigyan with 03 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.R-17011/28/2016-EP(IM-1) dated 14.10.2016
34.	Parul Institute of Ayurved, P.O Limda, Tal. Waghodia Distt. Vadodara- 391760 Gujarat	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 100 seats and 10 PG courses namely- (i) Kaumarbhartiya, (ii) Shalya Tantra-Kshar Karma evam Anushashtra Karma, (iii) Prasuti Tantraevam Stri Roga, (iv) Kayachikitsa, (v) Dravyaguna, (vi) Rasashastra & Bhaishjya Kalpana, (vii) Kriya Sharir, (viii) Rog Nidan avam Vikriti Vigyan (ix) Ayurved Samhita & Siddhant and (x) Rachna Sharir with 06 seats in each subject for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 100 seats in UG (BAMS) course and 60 seats in 10 PG courses namely:- (I) Kaumarbhartiya (ii) Shalya Tantra-Kshar Karma evam Anushashtra Karma (iii) Prasuti Tantraevam Stri Roga (iv) Kayachikitsa and (v) Dravyaguna (vi) Rasashastra & Bhaishjya Kalpana (vii) Kriya Sharir (viii)Rog Nidan avam Vikriti Vigyan (ix) Ayurved Samhita and Siddhanta and (x) Rachna Sharir with 06 seats in each subject for the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/04/2005-EP (IM-1) for 2016-17 dated 17.10.2015
35.	Govindbhai Jorabhai Patel Ayurveda College and	Recommend to Government of India for granting permission for	Grant of Conditional Permission for 60 seats in UG (BAMS) course and

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
35.	Research Centre B/h G.I.D.C, New Vallabh Vidyanagar, Taluka; Dist. Anand-388121 Gujarat	admission in UG (BAMS) course with 60 seats and 02 PG courses namely- (I) Rog Nidan avam Vikriti Vigyan- 05 seats and (ii) Kayachikitsa-05 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Denial of Permission for 10 seats in 02 PG courses namely- (i) Rog Nidan avam Vikriti Vigyan- 05 seats and (ii) Kayachikitsa-05 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/01/2005- EP(IM-1) for 2016-17 dated 03.11.2016
36.	Shri Baba Mastnath Ayurvedic College VPO :- Asthal Bohar, Distt. Rohtak- 124021, Haryana	Not Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/29/2016-EP(IM-1) dated 22.10.2016
37.	Shri Maru Singh Memorial Institute of Ayurveda B.P.S. Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan, Tehsil-Gohana, Dist.-Sonipat-131305 Haryana	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970 R-17011/30/2016-EP(IM-1) dated 25.10.2016
38.	Gaur Brahmin Ayurvedic College & Hospital, Village & P.O. Brahmanwas Dist. Rohtak-124001 Haryana	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970 R-17011/31/2016-EP(IM-1) dated 17.10.2016
39.	Murari Lal Rasiwasia Ayurvedic College & Hospital, R.K. Gupta Marg Charkhi Dadri, Dist.-Bhiwani- 127306 Haryana	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970 R-17011/32/2016-EP(IM-1) dated 22.10.2016
40.	Shri Krishna Govt. Ayurvedic College & Hospital Umri Road, Near DC Residence, Sec-8, kurukshetra-136118 Haryana	Recommend to Not Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970 R-17011/33/2016-EP (IM-1) dated 01.09.2016



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
41.	Chaudhary Devilal College of Ayurveda, Bhagwangarh, Buria Road, Tehsil Jagadhri, Distt. Yamuna Nagar-135003 Haryana	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/34/2016-EP (IM-1) dated 24.10.2016
42.	Ayujyoti Ayurvedic College & Hospital, Panjuana- Kharia, Jodhpuria, Sirsa-1250766 Haryana	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter no.R-R-12011/11/2009-EP (IM-1) 15.7.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats Upto 2019-20. letter no. R-12011/11/2009-EP (IM-1) dated 15.7.2015
43.	Rajiv Gandhi Govt. Post-Graduate, Ayurvedic College, Paprola, Tehsil-Baijnath, Dist. Kangra-176115 Himachal Pradesh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats and in 10 PG courses namely, (I) Kayachikitsa-06 seats (ii) Shalya tantra-04 seats (iii) Shalakya-04 seats (iv) Ayurveda Samhita & Siddhanta-04 seats (v) Dravyaguna-03 seats (vi) Rognidan & vikruti vigyan-03 seats (vii) Prasuti tantra-03 seats (viii)Kaumarbharitya-03 seats (ix) Panchkarma-03 seats and (x) Swasthvritta-03 seats and not recommend to Government of India for granting permission for admission in PG course in Rasashastra & Bhaishajya Kalpana for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 39 seats in 11 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-06 seats (ii) Shalya Tantra-04 seats (iii) Shalakya Tantra-04 seats, (iv) Ayurveda Samhita & Sidhanta -04 seats (v) Rasashastra & Bhaishajyakalpana-03 seats (vi) Dravyaguna-03 seats (vii) Rognidan & Vikruti Vigan-03 seats (viii) Prasuti Tantra -03 seats, (ix) Kaumarbharitya (Balroga)-03 seats, (x) Panchakarma-03 seats & (xi) Swasthvritta-03 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/35/2016-EP(IM-1) dated 20.10.2016
44.	Jammu Institute of Ayurved & Research Muthi, Nardhani Raipur Ban Talab Road Jammu Tawi 181123	Recommend to Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter no.R-17011/36/2015-EP (IM-1)16.7.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats and 15 seats in 03 PG courses viz (I) Kriya Sharir, (ii) Kayachikitsa and (iii) Shalya Tantra with 05 seats in each course Upto 2019-20. No. R-17011/36/2015- EP (IM-1) dated 16.07.2015

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the
45.	Suryamukhi Dinesh Ayurved Medical College & Hospital At &P.O-Booty, Via Neori Vikash Ranchi 835217 Jharkhand	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter R-17011/37/2015-EP (IM-1)-15.7.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 40 seats Upto 2019-20. letter no. R-17011/37/2015- EP (IM-1) dated 15.07.2015
46.	Govt. Ayurveda Medical College & Hospital Sayyaji Rao Road, Vishweshwaraiah Circle, District Mysore-570021 Karnataka	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 12 seats in 02 PG courses namely:- (i) Ayurved Samhita & Siddhanta-05 seats & (ii) Kayachikitsa-07 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.R-17011/38/2016-EP (IM-1) dated 23.09.2015
47.	Aroor Laxminarayana Rao Memorial Ayurvedic Medical College, Koppa- 577126, Dist. Chikmagalur Karnataka	Recommended to Govt. of india for granting Conditional permission for UG (BAMS)course with 60 seats and 16 seats in 03 PG courses namely (I) Dravyaguna-06 seats, (ii) Kayachikitsa-05 seats (iii) Rasashastra & Bhaishjyakal pana-05 seats for the session 2016-17 under section 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course and 16 seats in 03 PG courses namely:- (I) Dravyaguna Vigyana-06 seats (ii) Rasashastra & Bhaishjyakal pana-05 seats and (iii) Kayachikitsa-05 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/39/2016-EP(IM-1) dated 13.10.2016
48.	Govt. Ayurvedic Medical College, Dhanwantri Road, Bangalore-560009 Karnataka	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 40 seats in 06 PG courses namely:-(i) Dravyaguna-07 seats, (ii) Rasashastra-06 seats, (iii) Rognidan-06 seats, (iv) Shalya Tantra-07 seats, (v) Shalakya Tantra-07 seats & (vi) Panchkarma-07 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/40/2016-EP(IM-1) dated 29.09.2016
49.	Taranath Govt. Ayurvedic Medical College, Ananthpura Road, Bellary-583101,Karnataka	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course and 07 seats in 01 PG course namely:- (i) Rasashastra-07 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/41/2016-EP(IM-1) dated 05.10.2016



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the
50.	A.V. Samiti's Ayurveda Mahavidyalaya Vidya Nagar, Bagalkot Road, Dist. & Tal Bijapur-586101 Karnataka	Recommend to Government of India for granting permission for UG course with 60 seats and 04 PG courses namely (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana - 05 seats, (ii) Ayurved Samhita & Siddhant- 03 seats, (iii) Dravyaguna -05 seats, (iv) Kayachikitsa– 05 seats and (v) Shalya Tantra- 04 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course and 22 seats in 05 PG courses namely:- (i) Ayurved Samhita & Siddhant-03 seats, (ii) Dravyaguna- 05 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (iv) Kayachikitsa–05 seats and (v)Shalya Tantra-04 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/42/2016-EP(IM-1) dated 05.10.2016
51.	Ayurved Mahavidyalaya & Hospital Heggeri Extension Old Hubli-508824 Karnataka	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats and 05 PG courses viz (i) Ayurved Samhita & Siddhant-05 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajyakalpana-05 seats, (iii) Kayachikitsa-05 seats, (iv) Shalya Tantra-02 seats and (v) Panchkarma-05 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course and 22 seats in 05 PG courses namely:- (i) Ayurved Samhita & Siddhant-05 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (iii) Kayachikitsa–05 seats, (iv) Shalya Tantra-02 seats and (v) Panchkarma-05 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/43/2016-EP(IM-1) dated 07.10.2016
52.	Karnataka Liberal Education University, Shri B.M. Kankanawadi Ayurveda Mahavidyalaya Shahapur, Belgaum- 590003 Karnataka	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 100 seats in UG (BAMS) course and 66 seats in 11 PG course namely:- (I) Dravyaguna Vigyana-05 seats, (ii) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana-11 seats, (iii) Swasthavritta & Yoga-06 seats, (iv) Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka-06 seats, (v) Kaumarbhritya Bala Roga-06 seats, (vi) Kayachikitsa-06 seats, (vii) Rasayan & Vajikaran-06 seats, (viii)Shalya Tantra-06 seats, (ix) Sangyaharan-02 seats, (x) Shalakya Tantra-06 seats and (xi) Panchakarma-06 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/44/2016-EP(IM-1) dated 19.10.2016

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
53.	Ashwini Educational Association's Ayurved Medical College & PG Centre, #405/1, Opp. Bathi Lake, "Ashwini Nagar", P.B. Road, Dist. Davangare Karnataka	Recommend to Government of India for granting the permission for the admission in UG with 50 seats and PG in Kayachikitsa and Shalya Tantra with 05 seats in each for the session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 10 seats in 02 PG course namely:- (I) Kayachikitsa-05 seats and (ii) Shalya Tantra-05 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/84/2016-EP(IM-1) dated 07.10.2016
54.	N.K. Jabshetty Ayurvedic Medical College & P.G.Centre Siddharudh Math, Gumpa, Manhalli Road, Bidar-585403 Karnataka	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course with 60 seats and PG course in 07 subjects namely:- (I) Rachna Sharir-05 seats, (ii) Dravyaguna-04 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-04 seats, (iv) Rognidan-04 seats, (v) Prasuti tantra-05 seats, (vi) Shalya tantra-05 seats, & (vii) Panchkarma-03 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course and 30 seats in 07 PG courses namely:- (I) Rachna Sharir-05 seats, (ii) Dravyaguna-04 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-04 seats (iv) Rognidan-04 seats, (V) Prasuti Tantra-05 seats, (vi) Shalya Tantra-05 seats & (vii) Panchkarma-03 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/45/2016-EP(IM-1) dated 23.09.2016
55.	Dr. Basavaraj Nagur Mamorial Trust, Dr. B.N.M Rural Ayurvedic Medical College & Hospital Smt. Sushiladevi, Nagur Colony, College Road, Tq. & Dist. Bijapur -586101 Karnataka	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats only for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course and Denial of permission to 21 seats in 05 PG course namely:- (I) Rachna Sharir-05 seats, (ii) Dravyaguna-04 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-04 seats (iv) Rognidan-04 seats, (v) Prasuti Tantra-05 seats, (vi) Shalya Tantra-05 seats,& (vii) Panchkarma-03 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/46/2016-EP(IM-1) dated 17.11.2016
56.	JSS Ayurveda Medical College Shri Shivarathreeshwara	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats and 26 seats in 06 PG



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
	Nagar, Mysore-570015 Karnataka	letter no.R-17011/47/2015-EP(IM-1) 30.7.2015 & R-14011/45/2014-EP (IM-1) 01.10.2015	courses viz (i) Dravyaguna-04 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya kalpana-04 seats, (iii) swasthavritta-03 seats and (iv) Panchkarma-05 seats, (v) Rog Nidan avum Vikriti Vigyan- 05 seats and (vi) Shalya Tantra-05 seats Upto 2018-19. letter no. R-17011/47/ 2015- EP (IM-1) dated 30.07.2015 and R-14011/45/ 2014-EP (IM-1) dated 01.10.2015
57.	Sindagi Shanta Veereshwar, Ayurvedic Medical College & Hospital Shantaveera nagar, Ijarilakampur, P.B. Road, Tq/Dist.-Haveri-581183 Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter No.17011/48/2014-EP (IM-1) dated 06.08.2014 & R-13011/49/ 2014-EP (IM-1) 01.10.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats Upto 2018-19. letter no. R-17011/48/2014- EP (IM-1) dated 06.08.2014 and R- 13011/49/2014-EP (IM-1) dated 01.10.2015
58.	Shri Vijay Mahantesh Ayurvedic Medical College, Tq. -Hungund, Dist. Bagalkot, Ilkal-587125, Karnataka	Recommended to Government of India for granting permission for admission UG (BAMS) course with 60 seats and 30 seats in 06 PG subjects namely:- (i) Kayachikitsa-05 seats (ii) Panchkarma-05 seats, (iii) Prasuti Tantra & Stri Roga-05 seats and (iv) Shalakyta tantra-05 seats (v) Ayurved Samhita Siddhant-05 seats and (vi) Shalya Tantra-05 seats for the session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act,1970	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course and 30 seats in 06 PG courses namely:- (i) Ayurved Samhita & Siddhant, (ii) Prasuti & Stri Roga, (iii) Kayachikitsa, (iv) Shalya Tantra, (v) Shalakyta Tantra and (vi) Panchakarma with 05 seats in each subject for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.R-17011/49/2016-EP (IM-1) dated 16.09.2016
59.	Bapuji Ayurvedic Medical College & Hospital, Sowlanga Road, Opp. A.G. College, Channamum bapura, Shimoga-577204 Karnataka	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.R-17011/50/2016-EP(IM-1) dated 01.09.2016

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
60.	T.M.A.E Society's Ayurvedic Medical College, Sankalapura, Tanda, Ballary Road, Hospet-583201, Karnataka	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats for the session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 03 seats in 01 PG course namely:- (I) Shalya Tantra-03 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/51/2016-EP(IM-1) dated 01.09.2016
61.	TMAES Ayurvedic Medical College, Nidige (P), Shimoga- 560001, Karnataka	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/52/2016-EP(IM-1) dated 01.09.2016
62.	Amrutha Ayurvedic Medical College & Hospital Behind Onake Obavva Stadium Dist. Chitradurga-577501 Karnataka	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/53/2016-EP(IM-1) dated 26.11.2016
63.	Bapuji Ayurvedic Medical College and Hospital Bapuji Campus, T.R. Nagara, Challakere, Dist. Chitradurga-577522 Karnataka	Not visited as college already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter F.No.R-17011/54/2014-EP (IM-1) dated 06.08.2014.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats Upto 2018-19. letter no. R-17011/54/2014- EP (IM-1) dated 06.08.2014 and R-13011/67/2014-EP (IM-1) dated 27.10.2015
64.	Sri Dharmathala Manjunatheshwara College of Ayurveda and Hospital Thanniruhalla, B M Road, Taluka & Dist. Hassan-573201 Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter F.No.R-17011/55/2014-EP (IM-1) dated 12.08.2014	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 75 seats and 93 seats in 15 PG courses i.e (I) Samhita Siddhanta-12 seats, (ii) Rachana Sharir -06 seats, (iii) Kriya Sharir-06 seats, (iv) Dravyaguna-06 seats, (v) Rasashastra & Bhaishajya kalpana-06 seats, (vi) Rognidan-06 seats, (vii) Swasthavritta-06 seats, (viii) Agadtantra-06 seats , (ix) Prasuti & Striroga-06 seats, (x) Kaumarbhritya-06 seats, (xi) Manas Rog - 06 seats , (xii) Kayachikitsa-06 seats , (xiii) Shalya Tantra-05 seats (xiv) Shalakya Tantra-04 seats and (xv) Panchakarma-06 seats Upto



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
			2018-19. R17011/55/2014-EP (IM-1) dated 12.08.2014
65.	K.V.G Ayurved Medical College & Hospital Ambatedka Sullia, Dist. Dakshin Kannada -574327 Karnataka	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats and 34 seats in 06 PG courses viz- (I) Dravyaguna Vigyana-06 seats, (ii) Rasa Shastra & Bhaisajya Kalpana-06 seats, (iii) Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka-05 seats, (iv) Kayachikitsa-05 seats, (v) Shalya Tantra-06 seats and (vi) Panchkarma-06 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course and 34 seats in 06 PG courses namely:- (I) Dravyaguna Vigyana-06 seats, (ii) Rasa Shastra & Bhaisajya Kalpana-06 seats, (iii) Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka-05 seats, (iv) Kayachikitsa-05 seats, (v) Shalya Tantra-06 seats and (vi) Panchkarma-06 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/56/2016-EP(IM-1) dated 13.10.2016
66.	Shri Jagadguru Gurusiddeshwar Co-Operative Society's Sahakar Maharshi, Shri B. A. Patil Ayurvedic Medical College, Tal-Gokak, Dist. Belgaum, Ghataprabha-591310 Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20 letter F.No.R-17011/57/2015-EP(IM-1)-15.7.2015 & R.13011/36/2014-EP (IM-1) 09.10.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 50 seats in 10 PG courses i.e (I) Dravyaguna-, (ii) Rasashashtra & Bhaishajya kalpana, (iii) Rog Noidan, (iv) Swasthavritta, (v) Prasuti & Striroga, (vi) Kaumarbhartiya, (vii) Kayachikitsa, (viii)Shalya Tantra, (ix) Shalakya Tantra and (x) Panchkarma with 05 seats in each subject Upto 2019-20 letter R-17011/57/2015-EP(IM-1)-15.07.2015 and R.13011/36/2014-EP (IM-1) dated 09.10.2015.
67.	Sri Kalabyraveswara Swamy Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Centre, No.10, Pipe Line Road, R.P.C Layout, Vijayanagar, Bangalore-560104 Karnataka	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course with 100 seats and 05 PG courses namely:- (I) Prasuti & Stri Roga- 06 seats, (ii) Kayachikitsa- 06 seats, (iii) Shalya Tantra- 06 seats,	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 100 seats in UG (BAMS) course and 30 seats in 05 PG courses namely:- (I) Prasuti & Stri Roga, (ii) Kayachikitsa,

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
		(iv) Shalaky Tantra- 06 seats and (v) Panchkarma- 06 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	(iii) Shalya Tantra, (iv) Shalaky Tantra and (v) Panchkarma with 05 seats in each subject for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/58/2016-EP(IM-1) dated 16.09.2016
68.	Indian Institute of Ayurvedic Medicine & Research, Bangalore Palace Compound, Jayamahal Road, Opp. Darga, Bangalore-560006, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter.F.No.R-17011/59/2014-EP (IM-1) dated 11.08.2014	Government to withdraw the earlier permission granted for a period not exceeding five years from the academic session 2014-15 to the academic session 2018-19 with 45 seats in UG (BAMS) course vide letter NO. R.17011 /59 / 2014- EP (IM-1) dated 11.08.2014 and Grant of Conditional Permission with 45 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970.C-13015/15/2015 -vig (AYUSH) dated 12.01.2017
69.	Mahaganpati Ayurvedic College, Hoysalnagar, Halyal Road, Dist. Dharwad-580003 Karnataka	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 60 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/62/2016-EP(IM-1) dated 27.10.2016
70.	Alva's Ayurveda Medical College Moodbidri, Mangalore Dist. Dakshin Kannada-574227 Karnataka	Recommend to GOI for granting permission for admission in UG(BAMS) course with 100 seats and PG courses in 15 subjects namely- (I) Ayurved Samhita & Siddhant- 05 seats, (ii) Rachna Sharir- 05 seats, (iii) Dravyaguna- 05 seats, (iv) Rasashastra & Bhaisjaya Kalpana- 10 seats (v) Agadtantra- 05 seats (vi) Prasuti Tantra & Stri roga – 05 seats (vii) Kaumarbhritya – 05 seats (viii)Kayachikitsa – 05 seats (ix) Shalya Tantra- 05 seats (x) Panchkarma- 05 seats (xi) Kriya Sharir- 04 seats	Grant of Conditional Permission with 100 seats in UG (BAMS) course and 75 seats in 15 PG course namely:- (I) Ayurved Samhita & Siddhanta- 05 seats, (ii) Rachna Sharir-05 seats, (iii) Dravyaguna-05 seats, (iv) Rasashastra & Bhaishajyakalpana-10 seats, (v) Agadtantra-05 seats, (vi) Prasuti Striroga-05 seats (vii) Kaumarbhartiya-05 seats, (viii) Kayachikitsa-05 seats, (ix) Shalya Tantra-05 seats and (x) Panchkarma-05 seats (xi) Kriya Sharir (xii) Swasthavritta (xiii) Manovigyana evum Manas Roga (xiv) Rog Nidan avum Vikriti Vigyan



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
		(xii) Swasthvritta- 04 seats (xiii) Manovigyana evum Manas Roga – 04 seats (xiv) Roga Nidan evum Vikriti Vigyan- 04 seats and (xv) Shalakya Tantra- 04 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	and (xv) Shalakya Tantra with 04 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/60/2016-EP(IM-1) dated 16.09.2016 In partial supersession of Ministry's letter of even No. dated 16.09.2016 on the above mentioned subject Grant permission under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 for a period not exceeding five with 100 seats in UG (BAMS) course and 75 seats in 15 PG courses viz- (I) Ayurved Samhita & Siddhanta- 05 seats, (ii) Rachna Sharir-05 seats, (iii) Dravyaguna-05 seats, (iv) Rasashastra & Bhaishajya kalpana-10 seats, (v) Agadtantra-05 seats, (vi) Prasuti Striroga-05 seats, (vii) Kaumarbhartiya-05 seats, (viii) Kayachikitsa-05 seats, (ix) Shalya Tantra-05 seats and (x) Panchkarma-05 seats (xi) Kriya Sharir (xii) Swasthavritta (xiii) Manovigyana evum Manas Roga (xiv) Rog Nidan avum Vikriti Vigyan and (xv) Shalakya Tantra with 04 seats from the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21. R-17011/60/2016-EP(IM-1) dated 23.12.2016.
71.	SNVV Samasthe's SGV Ayurved Medical College, Hospital & Research Centre, Tal: Bailhongal, Dist. Belgaum-591102 Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20 letter.F.No.R-17011/61/2015-EP (IM-1) 18.8.2015 & R 14011/33/2014-EP (IM-1) & R 13011/39/2014-EP (IM-1) 01.10.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 16 seats in 04 PG courses i.e (I) Swasthvritta & Yoga, (ii) Prasuti & Stri Roga (iii) Kaumarbhartiya-Bala Roga and (iv) Kayachikitsa with 04 seats in each subject Upto 2019-20 letter R-17011/61/2015-EP (IM-1) 18.8.2015 and R-14011/33/2014-EP (IM-1) & R-13011/39/2014-EP (IM-1) dated 01.10.2015

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
72.	Shri Shivayogeshwar Rural Ayurvedic Medical College & Hospital, Tq:-Saundatti, Dist.-Belgaum, Inchal – 591102 , Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20 letter.F.No.R-17011/63/2015-EP (IM-1) 15.7.2015 & R-14011/47/2014-EP (IM-1), R-13011/69/2014-EP (IM-1) 15.9.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 30 seats in 06 PG courses i.e (I) Dravyaguna, (ii) Shalya Tantra and (iii) Panchkarma (iv) Rachna Sharir (v) Rasashastra & Bhaishjyakalpna and (vi) Kayachikitsa with 05 seats in each course Upto 2019-20 letter R-17011/63/2015-EP (IM-1) dated 15.07.2015 and R-14011/47/2014-EP (IM-1), R-13011/69/2014-EP (IM-1) dated 15.09.2015
73.	Taluka Shikshan Prasarak Sahakara Mandali Ayurvedic Medical College and Hospital, Sindgi, Bijapur-586128 Karnataka	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/64/2016-EP(IM-1) dated 21.11.2016
74.	Shri Jagadguru Gavisiddheshwar Ayurvedic Medical College, Post Graduate Studies & Research Center, Koppal – 583231 Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20 letter.F.No.R-17011/65/2015-EP (IM-1) 26.8.2015 & R.13011/16/2014-EP(IM-1) 15.10.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 30 seats in 06 PG courses i.e (I) Kriya Sharir-04 sets, (ii) Dravyaguna Vigyana-05 seats, (iii) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (iv) Swasthavritta-05 seats, (v) Prasuti & Striroga-04 seats, (vi) Kaumarbhartiya-04 seats, (vii) Shalya Tantra-05 seats, (viii) Shalakya Tantra-04 seats and (ix) Panchkarma-05 seats Upto 2019-20 letter R-17011/65/2015-EP (IM-1) 26.8.2015 and R.13011/16/2014-EP(IM-1) dated 15.10.2015
75.	Shri Hingulambika Education Society's Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre Bhavsar Nagar, Sedam Road, Gulbarga - 585106 Karnataka	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/66/2016-EP(IM-1) dated 01.09.2016



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
76.	Kalmathada Pujya Sri Virupaksha Shivacharya Ayurvedic Medical College & Hospital Manvi, Dist. Raichur-584123 Karnataka	Recommend to Government of India for granting permission for admission of 60 students in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats Upto 2018-19. letter no. R.17011/14/2014 -EP(IM-1) & R.13011/53/2014-EP(IM-1) 02.11.2015 dated 25.09.2014. Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.R-17011/67/2016-EP(IM-1) dated 25.10.2016
77.	Shri Basaveshwar Vidya Vardhak Sangha Ayurved Medical College & Hospital, P.B. No. 34. Distt. Bagalkot-587101 Karnataka	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats and 02 PG Courses namely:- (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana and (ii) Shalya Tantra with 05 seats in each subject for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course and 10 seats in 02 PG course namely:- (I) Rasashastra & Bhaishajya kalpana and (ii) Shalya Tantra with 05 seats in each subject for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.R-17011/68/2016-EP(IM-1) dated 13.10.2016
78.	Shri Bahubali Vidhyapeeth's J.V. Mandal's Grameen Ayurvedic Medical College Gurukul Campus, Tq. Jamkhandi, Dist. Bagalkot, Terdal -587315 Karnataka	Recommended to Government of India for granting permission for admission of 50 students in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.R-17011/69/2016-EP(IM-1) dated 13.10.2016
79.	S.S.V.Samiti's Shri SBS Ayurvedic Medical College, Mundargi, Dist. Gadag-582118 Karnataka	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970.R-17011/70/2016-EP (IM-1) dated 19.10.2016
80.	JSVV Samsthe's Danappa Gurushiddappa Melmalagi Ayurvedic Medical College, Hospital Dr. Savadi Road, Shivananda Nagar , Ta. & Dist. Gadag-582103 Karnataka	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter R-17011/71/2015-EP (IM-1) 15.7.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 19 seats in 04 PG courses i.e (I) Dravyaguna-04 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats,

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
			(iii) Kayachikitsa-05 seats and (iv) Panchkarma-05 seats upto 2019-20 letter R-17011/71/2015-EP (IM-1) dated 15.7.2015
81.	Shri Veerpulikeshi Rural Vidyavardhak Samasth's Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre Opposite J.M.F. Court, Ramadurg Road, P.O & Tq. Badami, Bagalkot-587201 Karnatka	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats only for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970.R-17011/72/2016-EP(IM-1) dated 08.11.2016
82.	Kannada Balag Society's Rural Ayurveda Medical College, Auto Nagar, Main Double Road, Tq & Dt. Belgaum-590016 Karnataka	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 40 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/73/2016-EP(IM-1) dated 06.12.2016
83.	Bagamar Seva Samiti's Bhagwan Mahaveer Jain Ayurvedic Medical College & Hospital, Gajendergad Tq:Ron , Dist. Gadag-582114, Karnataka	Recommend to GOI for granting permission for admission UG (BAMS) course with 50 seats and 04 PG courses viz (I) Rasa Shastra & Bhaisajya Kalpana, (ii) Kayachikitsa (iii) Shalya Tantra and (iv) Panchkarma with 05 seats in each subject for the session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course and 20 seats in 04 PG course namely:- (I) Rasa Shastra & Bhaisajya Kalpana, (ii) Kayachikitsa (iii) Shalya Tantra and (iv) Panchkarma with 05 seats in each subject for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.R-17011/74/2016-EP (IM-1) dated 09.09.2016
84.	Shri Kalidas Ayurvedic Medical College, Banashankari Road, Post: Badami, Dist. Bagalkot-587201 Karnataka	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970.R-17011/75/2016-EP (IM-1) dated 01.09.2016
85.	Rajiv Gandhi Education Society's Ayurvedic Medical College & Hospital Taluka Ron, Dist. Gadag-582209, Karanataka	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter R-17011/76/2015-EP (IM-1) 15.7.2015 & R-13011/31/2014-EP (IM-1) 30.09.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 18 seats in 03 PG courses i.e (I) Dravyaguna, (ii) Kayachikitsa and



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
			(iii) Shalya Tantra with 06 seats in each course Upto 2019-20 letter R-17011/76/2015-EP (IM-1) dated 15.07.2015 and R-13011/31/2014-EP (IM-1) 30.09.2015
86.	Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, No.34/C, Shivalli Industrial Area Taluk & Distt. Udupi, Manipal-576104 Karnataka	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 40 seats and 05 PG courses i.e. (i)Dravyaguna-05 seats, (ii)Rasashastra & Bhaishajya kalpana-09 seats, (iii)Kayachikitsa-05 seats, (iv) Shalya Tantra-05 seats and (v) Panchkarma -05 seats for the session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course and 29 seats in 05 PG course namely:- (I) Dravyaguna-05 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya kalpana -09 seats, (iii) Kayachikitsa -05 seats, (iv) Shalya Tantra -05 seats and (v) Panchkarma -05 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/77/2016-EP (IM-1) dated 13.10.2016
87.	Dhanvantari Ayurveda College & Hospital, Siddapur, District- Uttara Kannada 581355 Karnataka	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/78/2016-EP(IM-1) dated 13.10.2016
88.	Sri Balaji Education Trust, Rama Krishna Ayurvedic Medical, College and Research Centre, #54/2, Ramagondanahalli, Yelahanka, Bangalore-560064 Karnataka.	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats and 05 PG courses namely:- (i) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana, (ii) Dravyaguna Vigyana, (iii) Kayachikitsa, (iv) Shalya Tantra and (v) Panchkarma with 05 seats in each subject for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 25 seats in 05 PG course namely:- (i) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana, (ii) Dravyaguna Vigyana, (iii) Kayachikitsa, (iv) Shalya Tantra and (V) Panchkarma with 05 seats in each subject for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/79/2016-EP Date-20.11.2016
89.	Sri Dharmasthala Manjunatheshwara College of Ayurveda & Hospital, Laxminarayan Nagar, P.O. Kuthpady Taluk and District -Udupi - 574118 Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter R -17011/80/2015-EP (IM-1) 15.07.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 75 seats and 71 seats in 13 PG courses i.e (I) Ayurved Samhita & Siddhant-06 seats, (ii) Rachana Sharir-06 seats,

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
			(iii) Dravyaguna-06 seats, (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (v) Rognidan-05 seats, (vi) Swasthawritta-04 seats, (vii) Agadtantra-05 seats, (viii) Prasuti & Stiroga-06 seats, (ix) Kaumarbharitya-04 seats, (x) Kayachikitsa-06 seats, (xi) Manasroga-05 seats, (xii) Shalya Tantra-06 seats and (xiii) Panchkarma- 06 seats upto 2019-20 letter R -17011/80/2015-EP (IM-1) dated 15.07.2015
90.	Karnataka Ayurveda Medical College & Hospital K.E.C.T Tower, Hoige bail, Ashok Nagar, P. O., Mangalore D.K.-575006 Karnataka	Not Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG & PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 100 seats in UG (BAMS) course and 25 seats in 05 PG course namely:- :- (I) Dravyaguna Vigyana, (ii) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana, (iii) Kayachikitsa, (iv) Shalya Tantra and (v) Panchkarma with 05 seats in each subject for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/81/2016-EP(IM-1) dated 16.09.2016
91.	Sushrutha Ayurvedic Medical College & Hospital, 'Prashanti Kuteera', Jodi Bingipur, Jigani Hobli, Anekal Taluk, Bangalore – 560106, Karnataka	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 100 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/82/2016-EP(IM-1) dated 20.10.2016
92.	Sri Sri College of Ayurvedic Sciences & Research, 21st KM Kanakapura Road, Post Udayapura Bangalore-560062 Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter R-12011/13/2004-EP (IM-1)-15.7.2015 and R-14011/12/2012-EP (IM-1) & R-13011/12/2014-EP (IM-1) 01.10.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats and 15 seats in 03 PG courses i.e :- (I) Ayurved Samhbita & Siddhant-04 seats, (ii) Dravyaguna Vigyana-05 seats and (iii) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats upto 2019-20 letter R-12011/13/2004-EP (IM-1) dated 15.07.2015 and R-14011/12/2012-EP (IM-1) & R-



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
			13011/12/2014-EP (IM-1) 01.10.2015
93.	Ashwini Ayurvedic Medical College & Research Centre, Ring Road, Maralur Taluk & District Tumkur-572105 Karnataka	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission in UG (BAMS) course with 100 seats and 07 PG courses namely:- (I) Dravyaguna-05 seats, (ii) Kayachikitsa-05 seats, (iii) Shalaky Tantra-05 seats, (iv) Panchkarma-05 seats, (v) Swasthvritta-05 seats, (vi) Kriya Sharir-05 seats and (vii) Shalya Tantra-05 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 100 seats in UG (BAMS) course and 35 seats in 07 PG course namely:- (I) Kriya Sharir, (ii) Dravyaguna, (iii) Swasthvritta, (iv) Kayachikitsa, (v) Shalya Tantra, (vi) Shalaky Tantra and (vii) Panchkarma with 05 seats in each subject for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/25/2003-EP(IM-1) for 2016-17 dated 07.12.2016
94.	Shri C.B. Guttal Ayurvedic Medical College, Mummigatti village Dist. Dharwad-580001 Karnataka	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) course with 50 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.R-12011/18/2004-EP(IM-1) for 2016-17 dated 16.09.2016
95.	Atreya Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre Post Kodigehalli, Doddaballapura Bangalore-561203 Karnataka	Recommend to Government of India for granting conditional permission for UG(BAMS)course with 50 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.R-12011/05/2005-EP(IM-1) for 2016-17 dated 13.10.2016
96.	Sri Raghavendra Ayurveda Medical College & Hospital, P.O Malladihalli, Tq. Holalkere, Chitradurga - 577531 Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter no. R-12011/43/2003-EP (IM-1) 12.08.2014	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats Upto2018-19. letter no. R-12011/43/2003- EP (IM-1) dated 12.08.2014
97.	SDM Trust's Ayurvedic Medical College, Padma Ayurvedic Hospital & Research Centre, Terdal, Tq. Jamkhandi, Dist. Bagalkot-	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats and admission in PG courses in 02 subjects namely-	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course and 10 seats in 02 PG course namely:-

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
	587315 Karnataka	(I) Agad Tantra- 05 seats and (ii) Swasthvritta- 05 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	(I) Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka and (ii) Swasthvritta with 05 seats in each subject for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.R-12011/12/2005-EP(IM-1) for 2016-17 dated 13.10.2016
98.	Shree Chhatrapati Shivaji Education Society's Dhanwantari Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre, Industrial Area, Shiv- Shankar Nagar, Jatrat Road, Nipani, Tal: Chikodi, Belgaum, Bangalore -591237 Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20 letter no. R-17011/86/2015-EP (IM-1) 15.9.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 40 seats Upto 2018-19. letter no.R-17011/86/2015-EP (IM-1) dated 15.09.2015
99.	SMVVS, Smt. Rajeshwari Karpurmam Memorial Ayurved Medical College & Research Centre, 100ft. Ring Road, Behind KC Nagar, Bijapur -03 Karnataka	Not Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG & PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 11 seats in 04 PG course namely:- (I) Ayurved Samhita and Siddhanta-02 seats, (ii)Swasthavritta-03 seats, (iii) Prasuti & Striroga-03 seats and (iv) Shalaky Tantra-03 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/85/2016-EP(IM-1) dated 08.12.2016
100.	YET's Sri Siddhrameshwar Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre, Naubad, Bidar-585402, Karnataka	Not Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG & PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 30 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/88/2016-EP(IM-1) dated 30.11.2016
101.	S.S. Jambagi Memorial Education & Charitable Trust's Shri Siddhivinayaka Rural Ayurveda College, Harugeri, Tq. Raibag, Dist: Belgaum-591220, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter F.No.R-12011/17/2007-EP (IM-) dated 11.08.2014 & Letter 13011/48/2014 Date-28.10.2014	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats Upto 2018-19. letter no. R-12011/17/2007-EP (IM-) dated 11.08.2014 and R.13011/48/2014-EP (IM-) dated 28.10.2014
102.	Latthe Education Society's Acharya Deshabhushan Ayurvedic Medical College & Hospital, A/P- Bedkihal-Shamanewadi, Tal-Chikodi,	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5years i.e. Upto 2018-19 letter F.No.R-17011/87/2014-EP(IM-1) dated 14.08.2014	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 40 seats Upto 2018-19. letter F.No.R-17011/87/2014-EP(IM-1) dated 14.08.2014



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
	Belgaum-591214 Karnataka		
103.	Government Ayurveda College, Dhanwantri Nagar, Taluk Kanayannur, Distt. Ernakulam, Tripunithura-682301 Kerala	Not Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG & PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course and 25 seats in 06 PG subjects namely :- (I) Shalya tantra-05 seats, (ii) Shalakya Tantra-04 seats, (iii) Rasashastra-04 seats, (iv) Dravyaguna-04 seats, (v) Panchkarma-04 seats, (vi) Swasthavritta-04 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/89/2016-EP(IM-1) Dated 29.09.2016
104.	Nangelil Ayurveda Medical College, P.O Nellikuzhi, Taluka Kothamangalam, Dist. Ernakulam-686691 Kerala	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/90/2016-EP(IM-1) Dated 02.09.2016
105.	P.N. Panicker Souhruda Trust's Ayurveda Medical College, P.O: Parakalai, Anandashram(Via), Dist. Kasaragod - 671531 Kerala	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/01/2007-EP(IM-1) for 206-17 Dated 24.11.2016
106.	Santhigiri Ayurveda Medical College Olassey, P.O. Kodumba (Via) Taluk & District Palakkad- 678551 Kerala	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/91/2016-EP(IM-1) Dated 05.10.2016
107.	Vaidyaratnam Ayurveda College, Ollur, Thaikattussery Thrissur-680322 Kerala	Recommend to GOI for granting permission for admission in UG course with 50 seats and PG courses in 01 subject namely- Kayachikitsa-04 seats for the session 2016-17 U/S	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course and 04 seats in 01 PG subjects namely :-

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
		13C of the IMCC Act, 1970.	(I) Kayachikitsa for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/92/2016-EP(IM-1) Dated 25.10.2016
108.	Vishnu Ayurveda College, P.O Government Press, Shoranur Dist. Palakkad-679122 Kerala	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/93/2016-EP(IM-1) Dated 17.10.2016
109.	Vaidyaratnam P.S. Variar Ayurveda College, Kottakkal, P.O Edarikode, Taluk-Tirur, Dist. Malappuram-676501 Kerala	Recommend to Government of India for granting permission for 50 seats admission in UG course and 22 seats in 05 PG courses i.e. (I) Manovigyan avum Manas Roga (6 seats) , (ii) Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka (4 seats), (iii) Panchkarma (4 seats), (iv) Dravyaguna Vigyana (4 seats) and (Swasthavritta & Yoga (4 seats) for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course and 22 seats in 05 PG subjects namely :- (I) Manovigyan avum Manas Roga-06 seats, (ii) Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka-04 seats, (iii) Panchkarma-04 seats, (iv) Dravyaguna Vigyana-04 seats and (v) Swasthavritta & Yoga-04 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/94/2016-EP(IM-1) Dated 04.10.2016
110.	KMCT Ayurveda Medical College Manassery, P.O, Taluk & District Kozhikkode-673602 Kerala	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter R.12011/12/2004-EP(IM-1) dated 25.09.2014	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats Upto 2018-19. R.12011/12/2004-EP(IM-1) dated 25.09.2014
111.	Mannam Ayurveda Co-Operative Medical College, MSM P.O. Pandalam, Dist. Pathanamthitta-689501 Kerala	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/29/2005-EP(IM-1) for 2016-17 Dated 17.10.2016
112.	PNNM Ayurveda Medical College, Shoranur, P.O.	Not Annual visited as College already granted for permission not	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e.



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
	Cheruthuruthy, Taluk Thalappilly, Dist.- Thrissur-679531 Kerala	exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter R-12011/33/2006-EP (IM-1) 16.7.2015	with 50 seats Upto 2019-20. letter no. R-12011/33/2006-EP (IM-1) dated 16.7.2015
113.	Govt. Ayurveda College, M.G Road, Taluke & District Thiruvananthapuram-695001 Kerala	Not Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG & PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 70 seats in UG (BAMS) course and 63 seats in 11 PG subjects namely :- (I) Ayurveda samhita & siddhanta- 06 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-12 seats, (iii) Kaumarbhartiya- 05 seats, (iv) Panchkarma-05 seats (v) Shalakya Tantra-03 seats, (vi) Dravyaguna-06 seats, (vii) Kayachikitsa-06 seats, (viii) Swasthavritta-06 seats, (ix) Shalya Tantra-03 seats, (x) Prasuti Tantra & Striroga-06 seats and (xi) Agad Tantra-05 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/95/2016-EP(IM-1) Dated 29.09.2016
114.	Pankajakasthuri Ayurveda MedicalCollege, Killy, Kattakada, Thiruvananthapuram-695572 Kerala	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats and 02 PG Courses namely:- (i) Kayachikitsa-04 seats and (ii) Shalya Tantra-04 seats for the session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course and 08 seats in 02 PG subjects namely :- (I) Kayachikitsa-04 seats and (ii) Shalya Tantra-04 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/96/2016-EP(IM-1) Dated 14.10.2016
115.	Shree Narayan Institute of Ayurvedic Studies & Research, P.O Puthur , Kottarakkara (Via) Dist. Kollam-691507 Kerala	Recommend to GOI for granting permission for admission in UG course with 60 seats for the session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/44/2003-EP(IM-1) for 2016-17 Dated 02.09.2016

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
116.	Parassinikkadavu Ayurveda Medical College,P.O Parassinikkadavu, Dist. Kannur-670563 Kerala	Recommend to GOI for granting permission for admission in UG course with 50 seats and PG courses in 03 subject namely-Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, Agad Tantra avum Vidhi vaidyaka 03 seats and Panchkarma 04 seats for the session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course and 13 seats in 03 PG subjects namely:- (I) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (ii) Agad Tantra avum Vidhi vaidyaka 03 seats and (iii) Panchkarma 04 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/97/2016-EP(IM-1) Dated 04.11.2016
117.	Government Ayurveda College P.O Pariyaram Medical College Kannur-670503 Kerala	Not Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG & PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 40 seats in UG (BAMS) course and 10 seats in 02 PG subjects namely :- (I) Roga Nidan evam vikriti Vigyan- 5 seats, (ii) Kriya Sharir-5 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/98/2016-EP(IM-1), Dated 29.09.16
118.	Amrita School of Ayurveda,P.O Clappana, Taluk-Karunagappally Distt. Kollam-690525 Kerala	Recommend to GOI for granting permission for admission in UG course with 60 seats and 38 seats in 09 PG courses i.e. (I) Ayurveda Samhita & Siddhanta(4 seats), (ii) Dravyaguna Vigyana (4 seats), (iii) Swasthavritta & Yoga (4 seats), (iv) Prasuti & Stri Roga (4 seats), (v) Kayachikitsa (4 seats), (vi) Shalya Tantra(4 seats), (vii) Shalakya Tantra(Netra Rog Vigyan) (4 seats), (viii)Panchkarma (4 seats) (ix) Rasa Bhartiya & Bhaishajya Kalpana (6 seats) for the session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course and 38 seats in 09 PG subjects namely :- (I) Ayurveda Samhita & Siddhanta (4 seats), (ii) Dravyaguna Vigyana (4 seats), (iii) Swasthavritta & Yoga (4 seats), (iv) Prasuti & Stri Roga (4 seats), (v) Kayachikitsa (4 seats), (vi) Shalya Tantra(4 seats), (vii) Shalakya Tantra(Netra Rog Vigyan) (4 seats), (viii) Panchkarma (4 seats) (ix) Rasa Bhartiya & Bhaishajya Kalpana (6 seats) for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
			R-12011/59/2003-EP(IM-1) for 2016-17 Dated 01.09.2016
119.	Ahalia Ayurveda Medical College Kozhipara, Palakkad Dist. 678557 Kerala	Recommend to GOI for granting permission for admission in UG course with 50 seats for the session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/02/2009-EP(IM-1) for 2016-17 Dated 19.11.2016
120.	Govt. Auto. Ayurved College & Hospital Amkho Lashkar Gwalior Madhya Pradesh 474009	Not Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG & PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and denial of permission in 01 PG subject namely, Kriya Sharir-04 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/99/2016-EP(IM-1) dated 30.09.2016
121.	College of Ayurvedic Medicine & Hospital Baraghata, Near Railway Under Bridge, Jhansi Road, Gwalior-474001Madhya Pradesh	Not visited by the CCIM for the academic session 2016-17 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, R.12011/47/2006-EP (IM-1) for 2016-17 dated 26.11.2016
122.	Government Autonomous Ayurved College, Gwarighat, Jabalpur- 482001 Madhya Pradesh	Not Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG & PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/100/2016-EP(IM-1) dated 30.09.2016
123.	Government Autonomous Dhanwantri Ayurved College, Mangalnath Marg, Taluka & District Ujjain- 456001 Madhya Pradesh	Not Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG & PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats and Denial of Permission for 09 seats in 03 PG course namely :- (i) Kayachikitsa (03 seats), (ii) Dravyaguna (04 seats) and (iii) Rachna Sharir (02 seats) for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/101/2016-EP (IM-1) 30.09.2016
124.	Pt. Shiv Shaktilal Sharma Ayurvedic College & Hospital Banjali, Sailana Road, Dist. Ratlam-457001Madhya Pradesh	Not Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG & PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats and 12 seats in 02 PG course namely :- (i) Kayachikitsa-06 seats and (ii) Panchkarma-06 seats and Denial

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
			of Permission for 01 PG course namely Ayurved Samhita & Siddhanta-06 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/102/2016-EP (IM-1) 16.11.2016
125.	Smt. Dhairya Prabha Devi Sojatia Ayurved Medical College, Neemthur, Bhanpura-458775 Dist. Mandsaur Madhya Pradesh	Not visited by the CCIM for the academic session 2016-17 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, R.12011/39/2006-EP(IM-1) for 2016-17 date 24.11.2016
126.	Pt. Shivnath Shastri Government Autonomous Ayurveda College & Hospital Shikarpura, Near Water Tank, Burhanpur-450331 Madhya Pradesh	Not Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 40 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R.17011/103/2016-EP(IM-1) dated 31.10.2016
127.	Shaskiya Swashasi Ashtanga Ayurved Mahavidyalya Lokmanay Nagar, Indore-452009 Madhya Pradesh	Not Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/104/2016-EP (IM-1) 14.10.2016
128.	Acharya Gyan Ayurved College, 278 Jawahar Marg, Malganj Choraha Indore, Madhya Pradesh - 452004,	Not visited by the CCIM for the academic session 2016-17 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, R.17011/105/2016-EP(IM-1) dated 25.11.2016
129.	Shubhdeep Ayurved Medical College Gram- Datoda, Khandwa Road Teh. Mhow, Near Chokhi Dhani Dist.- Indore-452020 Madhya Pradesh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 60 seats and 05 PG course namely- (i) Kayachikitsa- 05 seats, (ii) Ayurveda Samhita & Siddhant- 05 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (iv) Rog Nidan Evam Vikruti Vigyan- 05 seats, (v) Panchkarma-05 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course and 25 seats in 05 PG course namely- (i) Ayurveda Samhita & Siddhant-05 seats, (ii) Kayachikitsa- 05 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (iv) Panchkarma-05 seats and (v) Rog Nidan Evam Vikruti Vigyan- 05 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/106/2016-EP(IM-1) Dated 01.09.2016



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
130.	Govt. (Auto) Ayurved College Nipaniya Dist-Rewa 484001 Madhya Pradesh	Recommended to Government of India for granting conditional permission for 60 seats in UG (BAMS)course & 01 seats in PG course in subjects namely:- (i)Samhita Siddhant-05 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 01 PG subject namely, Ayurveda Samhita & Siddhant-05 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.R-17011/107/2016-EP(IM-1) dated 13.10.2016
131.	Ajeewan Swasthya Samvardhan Ayurveda Mahavidyalay Arogyadham, Deendayal Research Institute, Chitrakoot, Dist. Satna-48533, MP	Not visited by the CCIM for the academic session 2016-17 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, R.12011/08/2007-EP(IM-1) for 2016-17 dated 25.11.2016
132.	Pt. Khushilal Sharma Govt. (Autonomous) Ayurved College & Institute, Behind Manit, Nehru Nagar, Kolar Bypass Road, Science Hills, Bhopal-462003 Madhya Pradesh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats and 06 PG subjects namely:- (I) Swasthavritta-04 seats, (ii) Dravyaguna-05 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (iv) Rog Nidan evum Vikriti Vigyan-06 seats (v) Panchkarma-05 seats (vi) Rachana Sharir-06 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 31 seats in 06 PG course namely- (I) Swasthavritta-04 seats, (ii) Dravyaguna-05 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (iv) Rog Nidan evum Vikriti Vigyan-06 seat (v) Panchkarma-05 seats (vi) Rachana Sharir-06 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/108/2016-EP(IM-1) Dated 06.10.2016
133.	Rajiv Gandhi Ayurvedic College & HospitalE-8, Trilanga Colony Shahpura, Bhopal-462039 Madhya Pradesh	Recommend to Government of India for granting permission foradmission in UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/109/2016-EP(IM-1)Dated 24.11.2016
134.	Rani Dullaiya Smriti Ayurvedic P.G. College & Hospital, Barkhedi Kalan, Bhadbhada road, Bhopal-462044 Madhya Pradesh	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter F.No.R.17011/110/2014-EP(IM-1) dated: 02.09.2014	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats and 45 seats in 09 PG courses i.e. (I) Ayurveda Samhita Sidhhanta-05 seats, (ii) Rachana sharir-05 seats, (iii) Swasthavritta-05 seats, (iv) Kaumarbhritya-05 seats, (v) Agad Tantra-05 seats, (vi) Panchkarma-05 seats, (vii) Dravyaguna-05 seats,

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
			(viii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, and (ix) Shalya Tantra-05 seats, Upto 2018-19. R.17011/110/2014- EP (IM-1) dated 02.09.2014
135.	Veenavadini Ayurved College & Hospital, Akbarpur, Phase-II, Behind Kanhakunj, Kolar Road, Bhopal-462042, MP	Recommend to GOI for granting permission for admission in UG(BAMS) with 50 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/111/2016-EP(IM-1) Dated 13.10.2016
136.	Om Ayurvedic Medical College & Hospital, Jamthi, PO, Bharat Bharati, Betul 460001 Madhya Pradesh	Not visited by the CCIM for the academic session 2016-17 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 40 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, R.17011/112/2016-EP(IM-1) dated 25.11.2016
137.	Bhanwar Lal Nahata Samriti Sansthan, MHOW- Neemuch Road, Bhanwar Lal Nahata Marg, Mandsaur Institute of Ayurved education & Research, Mandsaur -458001 M.P.	Recommend to GOI for granting permission for admission in UG(BAMS) with 50 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/10/2009-EP(IM-1) for 2016-17 Dated 22.10.2016
138.	Bharti Vidyapeeth's University, College of Ayurved,-Satara Road, Tal.Haveli. Pune- 411043 Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 100 seats and 57 seats in 14 PG courses i.e. (1) Ayurved Samhita -04 seats (2) Rachna Sharir- 04 seats (3) Kriya Sharir – 04 seats (4) Dravyaguna- 04 seats (5) Bhaisjaya Kalpnaa- 04 seats (6) Rognidan- 03 seats (7) Swasthvritta -05 seats (8) Agadtantra & vidhi vaidyak- 04 seats (9) Prasuti Tantra & Stri rog- 05 seats (10) Kaumarbhritya- 04 seats (11) Kayachikitsa – 05 seats (12) Shalya- 04 seats (13) Shalkaya Tantra – 04 seats and (14) Panchkarma- 03 seats and Diploma course i.e.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 100 seats in UG (BAMS) course and 57 seats in 14 PG course namely:- (1) Ayurved Samhita -04 seats (2) Rachna Sharir- 04 seats (3) Kriya Sharir – 04 seats (4) Dravyaguna- 04 seats (5) Bhaisjaya Kalpnaa- 04 seats (6) Rognidan- 03 seats (7) Swasthvritta -05 seats (8) Agadtantra & vidhi vaidyak- 04 seats (9) Prasuti Tantra & Stri rog- 05 seats (10) Kaumarbhritya- 04 seats (11) Kayachikitsa – 05 seats (12) Shalya- 04 seats (13) Shalkaya Tantra – 04 seats and (14) Panchkarma- 03 seats and Diploma course i.e. (1) Panchkarma



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
139.	Tilak Ayurved Mahavidyalaya 583/2, Rasta Peth, Pune - 411011 Maharashtra	<p>Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course with 100 seats and 15 PG courses namely</p> <ul style="list-style-type: none">(I) Ayurved Samhita & Siddhanta-03 seats,(ii) Rachna Sharir-05 seats,(iii) Kriya Sharir-04 seats,(iv) Dravyaguna-03 seats,(v) Rasashastra & Bhaishajyakalpana-05 seats,(vi) Rog Nidan-04 seats,(vii) Swasthavritta-02 seats,(viii) Agadtantra-04 seats,(ix) Prasuti & Striroga-04 seats,(x) Kaumarbhartiya-02 seats,(xi) Kayachikitsa-06 seats,(xii) Shalya-Sangyahan-03 seats,(xiii) Shalya Samanya-04 seats,(xiv) Shalakya Tantra-04 seats and(xv) Panchkarma-04 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	<p>(3) Ayurvedic Cosmetology & Skin diseases</p> <p>(4) Prasuti Tantra & Strirog</p> <p>(5) Balroga and</p> <p>(6) Netrayoga Vigyan with 02 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/113/2003-EP(IM-1) dated 01.09.2016</p> <p>Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 100 seats in UG (BAMS) course and 57 seats in 15 PG course namely:-</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Ayurved Samhita & Siddhanta-03 seats,(ii) Rachna Sharir-05 seats,(iii) Kriya Sharir-04 seats,(iv) Dravyaguna-03 seats,(v) Rasashastra & Bhaishajyakalpana-05 seats,(vi) Rog Nidan-04 seats,(vii) Swasthavritta-02 seats,(viii) Agadtantra-04 seats,(ix) Prasuti & Striroga-04 seats,(x) Kaumarbhartiya-02 seats,(xi) Kayachikitsa-06 seats,(xii) Shalya-Sangyahan-03 seats,(xiii) Shalya Samanya-04 seats,(xiv) Shalakya Tantra-04 seats and(xv) Panchkarma-04 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R 17011/114/2016-EP(IM-1) dated 22.10.2016
140.	Ashtang Ayurveda College, 2062 (New), Sadashiv Peth, Vijaynagar Colony, Late Vd. H.B. Paranjape Chowk, Pune 411030, Maharashtra	<p>Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970</p>	<p>Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course and 09 seats in 03 PG course namely-</p> <ul style="list-style-type: none">(I) Ayurved Samhita & Siddhant,(ii) Rachna Sharir and(iii) Prasuti & Stri Rog with 3 seats in each course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/210/2016-EP(IM-1) Dated 22.10.2016

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
141.	Ayurved Seva Sangh's Ayurved Mahavidyalaya Ganeshwadi Panchavati Tal. & Dist. Nashik- 422003 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter no.R-17011/115/2015-EP (IM-1)-16.7.2015 and R.13011/18/2014-EP (IM-1) Dated 08.10.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 10 seats in 03 PG courses i.e. (I) Kayachikitsa -05 seats (ii) Shalya Tantra-04 seats, (iii) Panchkarma-01 seats, Upto 2019-20. letter no. R-17011/115/2015-EP (IM-1) dated 16.07.2015 and R.13011/18/2014-EP (IM-1) Dated 08.10.2015
142.	Shri Gangadhar Shastri Gune Ayurved Mahavidyalaya, Vishrambaug, Dist. Ahmednagar- 414001 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter F.No.R.17011/116/2014-EP(IM-I) dated 09.09.2014	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats Upto 2018-19 letter no. R-17011/116/2014-EP (IM-I) dated 09.09.2014
143.	Karmvir Vyanketrao Tanaji Randhir, Ayurved College, Boradi, Tal . Shirpur, Dist. Dhule-425428 Maharashtra	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 30 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/117/2016-EP(IM-1) Dated 01.09.2016
144.	Vasant Dada Patil Ayurved Medical College & Institute of Yoga, South Shivaji Nagar, Opposite Income Tax Office, Miraj road, Tal. Miraj, Sangli 416416 Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course with 40 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/118/2016-EP(IM-1) Dated 05.09.2016
145.	Shri Vivekanand Nursing Home Trust's Ayurved Mahavidyalaya Shri Shivaji Nagar, A/P- Rahuri Factory, Tal. Rahuri, Dist. Ahmednagar- 413706 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter F.No.R-17011/119/2014-EP (IM-1) dated 01.08.2014	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats and and 27 seats in 06 PG courses namely :- (I) Kayachikitsa (06 seats), (ii) Prasuti & Striroga (06 seats), (iii) Shalya Tantra (03 seats), (iv) Rasashastra (04 seats), (v) Rognidan(04 seats), and (vi) Shalakya Tantra(04 seats) Upto 2018-19 letter no. No.R-17011/119/2014-EP (IM-1) dated 01.08.2014
146.	Maharashtra Arogya Mandal's Sumati Bhai Shah Ayurved Mahavidyalaya Malwadi,	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats and admission in PG	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course and 78 seats in 13 PG course



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
	Hadapsar, Tal: Haveli, Dist. Pune-411028 Maharashtra	courses in 13 subjects namely- (I) Ayurved Samhita & Siddhant-06 seats, (ii) Rachna Sharir-06 seats, (iii) Kriya Sharir-06 seats, (iv) Dravyaguna-06 seats, (v) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats (vi) Rognidan-06 seats, (vii) Prasuti Tantra-06 seats, (viii) Agad tantra-06 seats, (ix) Kayachikitsa-06 seats, (x) Shalya Tantra- 06 seats, (xi) Swasthavritta-06 seats, (xii) Shalakya Tantra (Netra Roga)-06 seats & (xiii) Panchkarma-06 seats and admission in PG diploma courses in 02 subjects namely (I) Ayurvedic Pharmaceutics- Rasashastra & Bhaishajya Kalpana- 05 seats, (ii) Prasuti evum Striroga-05 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	namely:- (I) Ayurved Samhita & Siddhant-06 seats, (ii) Rachna Sharir-06 seats, (iii) Kriya Sharir-06 seats, (iv) Dravyaguna-06 seats, (v) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats (vi) Rognidan-06 seats, (vii) Prasuti Tantra-06 seats, (viii) Agad tantra-06 seats, (ix) Kayachikitsa-06 seats, (x) Shalya Tantra- 06 seats, (xi) Swasthavritta-06 seats, (xii) Shalakya Tantra (Netra Roga)-06 seats & (xiii) Panchkarma-06 seats and admission in PG diploma courses in 02 subjects namely (I) Ayurvedic Pharmaceutics- Rasashastra & Bhaishajya Kalpana- 05 seats, (ii) Prasuti evum Striroga-05 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/120/2016-EP(IM-1) dated 20.09.2016 & 27.09.2016
147.	Poona District Education Association's, College of Ayurved & Research Centre, Sector No. 25, Pradhikaran, Akurdi, Nigadi, Tal. Haveli, Dist. Pune – 411044 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter R-17011/121/2014-EP (IM-1) dated 01.08.2014	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and and 46 seats in 11 PG courses namely :- (I) Sharir Rachna-06 seats, (ii) Kayachikitsa-06 seats, (iii) Kriya Sharir -06 seats, (iv) Rog Nidan-06 seats, (v) Swasthavritta-06 seats, (vi) Shalya Tantra-02 seats, (vii) Dravyaguna -02 seats, (viii) Ayurved Samhita-02 seats (ix) Prasuti & Striroga-02 seats, (x) Panchakarma -02 seats and (xi) Agadtantra-06 seats Upto 2018-19 letter no. R-17011/121/2014-EP (IM-1) dated 01.08.2014
148.	Sangam Sevabhavi Trust's Ayurved Mahavidyalaya Tal. Sangamner – 422605, Dist. Ahmednagar Maharashtra	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats and 15 seats in 03 PG	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course and 15 seats in 03 PG course

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
		courses i.e. (I) Kayachikitsa-05 seats, (ii) Prasuti Tantra & Stri Roga-05 seats, & (iii) Shalakya Tantra-05 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	namely:- (I) Kayachikitsa-05 seats, (ii) Prasuti Tantra-05 seats and (iii) Shalakya Tantra -05 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/122/2006-EP(IM-1) dated 13.10.2016
149.	Siddhakala Ayurved Mahavidyalaya Pimparne Road, Sangamner Kd, Tal. Sangamner, Dist. Ahmednagar-422605 Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course with 60 seats and 07 PG course namely (i) Ayurved Samhita & Siddhanta-06 seats, (ii) Rachana Sharir-04 seats, (iii) Rog Nidan-06 seats, (iv) Kayachikitsa-02 seats, (v) Prasuti & Striroga-02 seats (iv) Kaumaryabhritya-02 seats (vii) Shalya Tantra-02 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 24 seats in 07 PG course namely (I) Ayurved Samhita & Siddhanta-06 seats, (ii) Rachana Sharir-04 seats, (iii) Rog Nidan-06 seats, (iv) Kayachikitsa-02 seats, (v) Prasuti & Striroga-02 seats (iv) Kaumaryabhritya-02 seats (vii) Shalya Tantra-02 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/123/2016-EP(IM-1) Dated 30.09.2016
150.	Bharatiya Sanskriti Darshan Trust's Ayurved Mahavidyalaya Vishwa Shanti Dham, A/P Wagholi, Tal.-Haweli, Dist.-Pune-412207, Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats and 03 PG courses namely:- (I) Ayurved Samhita & Siddhant, (ii) Rachna Sharir and (iii) Kayachikitsa with 03 seats in each subject for the session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course and 09 seats in 03 PG course namely:- (I) Ayurved Samhita & Siddhant, (ii) Rachna Sharir and (iii) Kayachikitsa with 03 seats in each subject for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/124/2016-EP (IM-1) dated 22.10.2016
151.	Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Sanstha's Ayurved Mahavidyalaya & Rughalaya Kanchanwadi, Paithan Road Tq. & Dist.: Aurangabad - 431002 Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 100 seats and admission in PG courses in 10 subjects namely- (i) Agad Tantra-06 seats, (ii) Ayurved Samhita & Siddhanta-06 seats, (iii) Dravyaguna- 06 seats, (iv) Kaumarbhritya- 06 seats,	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 100 seats in UG (BAMS) course and 60 seats in 10 PG course namely:- (I) Agad Tantra, (ii) Ayurved Samhita Sidhant, (iii) Dravyaguna, (iv) Kaumarbhritya- Bal Rog, (v) Kayachikitsa,



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
		(v) Kayachikitsa- 06 seats, (vi) Panchkarma- 06 seats, (vii) Prasuti & Stri Rog- 06 seats, (viii) Rachna Sharir- 06 seats, (ix) Rog Nidan- 06 seats, (x) Shalya- 06 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	(vi) Panchkarma, (vii) Prasuti Tantra & Stri Rog, (viii) Rachna Sharir, (ix) Rog Nidan and (x) Shalya Tantra with 06 in each subject for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/125/2016-EP (IM-1) Dated : 30.09.2016
152.	Govt. Ayurvedic College Tulajapur Road, Osmanabad- 413501 Maharashtra	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 48 seats in 08 PG course namely:- (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (ii) Shalya Tantra-06 seats, (iii) Rachna Sharir-06 seats, (iv) Kriya Sharir-06 seats, (v) Dravyaguna Vigyan-06 seats, (vi) Agad Tantra evam Vidhi Ayurved-06 seats, (vii) Prasuti Tantra & Stri Roga-06 seats and (viii) Kaumarbhritya-06 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/ A of the IMCC Act, 1970. R-17011/126/2016-EP (IM-1) Dated : 29.09.2016
153.	Seth Chandanmal Mutha Aryangla Vaidyak Mahavidyalaya.T.I Road, Gendamal, Satara-415002 Maharashtra	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course and 03 seats in 01 PG course namely:- (i) Kayachikitsa for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/127/2016-EP (IM-1) Dated : 02.09.2016
154.	Seth Govindji Raoji Ayurved College 21-A/13, Budhwar Peth, Samrat Chowk, Dist. Sholapur 413002Maharashtra	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 05 seats in 01 PG course namely:- (i) Kayachikitsa for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/128/2016-EP (IM-1) Dated : 13.10.2016
155.	Yashwant Ayurvedic College Post Graduate Training &	Not visited as College already granted for permission not	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e.

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
	Research Centre,At & P.O, Kodoli, Tal. Panhala, Dist. Kolhapur-416114, Maharashtra	exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter no. R-17011/129/2015-EP (IM-1)-16.7.2015	with 100 seats and and 90 seats in 15 PG courses namely :- (I) Ayurved Samhita & Siddhant, (ii) Rachna Sharir, (iii) Kriya Sharir, (iv) Dravyaguna, (v) Rasashastra & Bhaishajyakalpana, (vi) Rog Nidan, (vii) Swasthavritta, (viii) Agadtantra, (ix) Prasuti & Striroga, (x) Kaumarbhartiya, (xi) Kayachikitsa, (xii) Sangyahan, (xiii) Shalya Tantra (xiv) Shalakya Tantra and (xv) Panchkarma with 06 seats in each course Upto 2019-20. letter no. R-17011/129/2015-EP (IM-1) dated 16.07.2015
156.	Hanuman Shikshan PrasarakMandal Savarde's Ayurvedic Medical College Peth, Vadgaon, Taluka- Hatkanangale Dist. Kolhapur-416112 Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/128/2016-EP (IM-1) Dated 18.10.2016
157.	Ganga Education Society's Ayurvedic Medical College 147/A Ganga Hospital Building, Rankalaves Dudhali, Dist. Kolhapur- 416012Maharashtra	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic sesion 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/131/ 2016-EP(IM-1) dated 08.12.2016
158.	Smt. K.C. Ajmera Ayurved College, Dayasagar Educational Campus, Agra Road, Deopur, Dist. & Tal Dhule – 424002, Maharashtra	Recommend to GOI for granting permission for admission in UG(BAMS) course with 60 seats and PG course in 01 subject namely Swasthavritta- 05 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course and 05 seats in 01 PG course namely:- (I) Swasthvritta for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/132/ 2016-EP (IM-1) Dated : 19.10.2016
159.	Dadasaheb Surupsing Naik Ayurved Mahavidyalaya,Suwalal	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
	Bafna, Vidyanagar, At & Po-Nagaon, Dhule -424004 Maharashtra	the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/133/2016-EP (IM-1) Dated 25.10.2016
160.	Kisan Dnyanoday Mandal Gudhe's Ayurved College & Hospital Near Aurangabad Bye Pass,Dhule Raod , Chalisgaon, Jalgaon-424101 Maharashtra	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/134/2016-EP (IM-1) Dated 18.11.2016
161.	Chaitanya Ayurved MahavidyalayaSakegaon, N.H.No-6, Tal-Bhusawal Dist-Jalgaon-425201 Maharashtra	Recommend to GOI for granting permission for admission in UG(BAMS) with 50 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/135/2016-EP (IM-1) Dated 02.09.2016
162.	R.A. Podar Ayurved Medical College Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400018Maharashtra	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 100 seats in UG (BAMS) course and 45 seats in 13 PG courses courses namely (I) Ayurveda Samhita -3 seats, (ii) Dravyaguna - 2 seats, (iii) Rasashastra - 3 seats, (iv) Shalya Tantra - 4 seats, (v) Kriya Sharir - 2 seats, (vi) Kayachikitsa - 8 seats, (vii) Prasuti Tantra & Striroga - 5 seats, (viii) Rachna Sharir -3 seats, (ix) Swasthavritta - 2 seats, (x) Shalakya - 4 seats, (xi) Agadtantra - 1 seat, (xii) Rognidan - 2 seats and (xiii) Panchakarrna - 6 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/136/2016-EP (IM-1) Dated 05.10.2016
163.	Smt. Kamaladevi Gauridutt Mittal Puanrvasu Ayurved Mahavidyalaya Vd. Ramgopal Sharma Chowk, Netaji Subhash Road, Charni Road (West), Dist. Mumbai - 400002 Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats and 04 PG courses i.e. (I) Kayachikitsa-8 seats, (ii) Ayurved Samhita & Siddhanata-4 seats,	Grant of Conditional Permission with 50 seats and denial of permission for 16 seats in 04 PG courses namely:- (I) Kayachikitsa-08 seats, (ii) Ayurved Samhita & Siddhanata-04 seats,

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
		(iii) Dravyaguna-2 seats and (iv) Rasashastra-2 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	(iii) Dravyaguna-02 seats and Rasashastra & Bhaishajyakalpana-02 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/137/2016-EP (IM-1) Dated 11.11.2016
164.	Ayurved Prasarak Mandal's Ayurved Mahavidyalaya Near Sion Railway Station, Dist. Mumbai- 400022 Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats and 04 PG courses namely:- (I) Kayachikitsa-06 seats, (ii) Samhita & Siddhanta-06 seats, (iii) Dravyaguna-03 seats and (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 Seats in UG (BAMS) course and 21 seats in 04 PG courses i.e. (I) Ayurved Samhita & Siddhant-08 seats, (ii) Dravyaguna Vigyan- 03 seats & (iii) Kayachikitsa - 06 seats and (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana - 06 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.R 17011/138/2016-EP(IM-1) Dated 22.10.2016
165.	Yerala Medical Trust Ayurvedic Medical College & Hospital Institutional Area, Sector No.4, Kharghar, Navi Mumbai- 410 210 Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 100 seats and admission in PG courses in 13 subjects namely- (I) Rachana Sharir- 04 seats, (ii) Kriya sharir- 04 seats, (iii) Dravyaguna-04 seats, (iv) Rasashastra & Bhaisjya Kalpana- 08 seats, (v) Kayachikitsa-04 seats, (vi) Shalya Tantra (Samanya)-02 seats, (vii) Shalya Tantra (Kshar evum Anushastra Karma)- 04 seats, (viii) Shalaky Tantra (Netra Roga)-04 seats, (ix) Ayurved Samhita & Siddhant-04 seats, (x) Rognidan-04 seats, (xi) Agad Tantra-04 seats, (xii) Prasuti & Striroga-04 seats, (xiii) Panchkarma-04 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 100 Seats in UG (BAMS) course and 54 seats 13 subjects namely- (i) Rachana Sharir- 04 seats, (ii) Kriya sharir- 04 seats, (iii) Dravyaguna-04 seats, (iv) Rasashastra & Bhaisjya Kalpana- 08 seats, (v) Kayachikitsa-04 seats, (vi) Shalya Tantra (Samanya)-02 seats, (vii) Shalya Tantra (Kshar evum Anushastra Karma)- 04 seats, (viii) Shalaky Tantra (Netra Roga)-04 seats, (ix) Ayurved Samhita & Siddhant-04 seats, (x) Rognidan-04 seats, (xi) Agad Tantra-04 seats, (xii) Prasuti & Striroga-04 seats, (xiii) Panchkarma - 04 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/139/2016-EP(IM-1) dated: 22.10.2016



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
166.	RJVS Bhaisaheb Sawant Ayurved Mahavidyalaya, Sutikagriha Parisar, Khaskilwada Taluka-Sawantwadi – 416 510 Dist. Sindhu Durg Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 40 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/140/2016-EP (IM-1) Dated 13.10.2016
167.	Shri Narsingh K.Dube Charitable Trust's Nalasopara Ayurved Medical College & Hospital (Swargiya Shri Suresh Nursing Dube Ayurved College) Medical College Road, Serve No-59 (Old) 112 New, Achole, Nallasopara (E) Tal . Vasai, Dist. Thane- 401209 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19. letter no.R.17011/141/2014-EP (IM-1) dated 24.09.2014	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats Upto 2018-19. letter no. R-17011/141/2014-EP (IM-1) dated 24.09.2014 and R-13011/72/2014-EP (IM-1) dated 01.10.2015
168.	Bhau Saheb Mulak Ayurved Mahavidyalaya Great Nag Road, Nandanwan, Dist. Nagpur 440009 Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats and admission in PG courses in 09 subjects namely- (i) Ayurved Samhita & Siddhant-04 seats (ii) Rachana Sharir-03 seats (iii) Kriya Sharir-02 seats (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-04 seats (v) Swasthavritta-03 seats (vi) Dravyaguna-01 seat (vii) Agad Tantra-03 seats (viii) Kaumarbhritya-02 seats (ix) Kayachikitsa-01 seat for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 Seats in UG (BAMS) course and 23 seats 09 subjects namely- (i) Ayurved Samhita & Siddhant-04 seats (ii) Rachana Sharir-03 seats (iii) Kriya Sharir-02 seats (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-04 seats (v) Swasthavritta-03 seats (vi) Dravyaguna-01 seat (vii) Agad Tantra-03 seats (viii) Kaumarbhritya-02 seats (ix) Kayachikitsa-01 seat for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/142/2016-EP(IM-1) Dated: 02.09.2016
169.	Govt. Ayurvedic College, Raje Raghujji Nagar, Umrer Road, Sakkardara Chowk, Nagpur-440024 Maharashtra	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 100 seats in UG (BAMS) course and 60 seats in 10 PG courses namely (i) Ayurved Samhita & Siddhant (ii) Rachana Sharir, (iii) Kriya Sharir, (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana, (v) Rog Nidan avum Vikriti Vigyan, (vi) Swasthavritta & Yoga,

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
170.	Shri Ayurved Mahavidyalaya, Dhanwantri Marg, Hanuman Nagar Nagpur 440009 Maharashtra	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	<p>(vii) Agad Tantra & Vidhi Vaidyaka, (viii) Kayachikitsa, (ix) Shalya Tantra and (x) Shalakya Tantra with 06 seats in each course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/143/2016-EP (IM-1) Dated 29.09.2016</p> <p>Grant of Conditional Permission with 70 seats in UG (BAMS) course and 34 seats in 08 PG courses namely</p> <p>(i) Rachana Sharir - 4 seats, (ii) Kriya Sharir - 3 seats, (iii) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana - 6 seats, (iv) Kayachikitsa- 5 seats, (v) Agadtantra - 3 seats, (vi) Ayurved Samhita Siddhant - 6 seats, (vii) Dravyaguna - 3 seats and (viii) Shalya -4 seats for the session 2016-17 and denial of permission for 13 seats in 05 PG Course namely :-</p> <p>(I) Rog Nidan avum Vikriti Vigyan -03 seats, (ii) Swasthavritta-3 seats, (iii) Kumarbhritya -2 seats, (iv) Shalakya Tantra-03 seats, (v) Panchkarna -02 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/144/2016-EP (IM-1) Dated 03.11.2016</p>
171.	Shri Radhakisan Toshniwal Ayurved Mahavidyalaya Kediya Plots, Jathur Peth Road, Dist. Akola-444005 Maharashtra	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	<p>Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 10 seats in 04 PG course namely:-</p> <p>(I) Ayurved Samhita & Siddhanta- 02 seats, (ii) Rachna Sharir-02 seats, (iii) Kayachikitsa-03 seats and (iv) Shalya Tantra-03 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/145/2016-EP (IM-1) Dated 18.11.2016</p>



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
172.	Vidarbha Ayurved Mahavidyalaya Dhawantari Nagar, Chhatri Talao Road, Taluka & District Amrawati 444606 Maharashtra	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG(BAMS) course and 08 seats in 04 PG course namely:- (I) Swasthvritta - 02 seats, (ii) Kayachikitsa - 02 seats, (iii) Shalya Tantra - 03 seats and (iv) Shalkya Tantra - 01 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/146/2016-EP (IM-1) Dated 02.09.2016
173.	Shri Gurudeo Ayurved College, At/Po. Gurukunj Ashram, Tq. Tiosa, Dist. Amravati-444902 Maharashtra	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission of 50 students in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/147/2016-EP (IM-1) Dated 13.10.2016
174.	Dayabhai Maoji Majithiya Ayurved Mahavidyalaya Shivaji Nagar, Arni Road, Dist.-Yavatmal-445001, Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats and 02 PG courses viz (I) Kayachikitsa-03 seats and (ii) Rog Nidan Evum Vikriti Vigyan-3 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course and 06 seats in 02 PG courses namely:- (I) Kayachikitsa - 03 seats and (ii) Rog Nidan evum Vikriti Vigyan- 03 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/148/2016-EP(IM-1) Dated: 22.10.2016
175.	Shri Gajanan Maharaj Sansthan Ayurved Mahavidyalaya Washim Road, Tq. Pusad Dist. Yavatmal- 445215 Maharashtra	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/149/2016-EP (IM-1) Dated 13.10.2016
176.	Dr. Vandanatai Jagannathrao Dhone Gramin Ayurved Mahavidyalaya Taluka Patur - 444501, Dist. Akola Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter R-17011/150/2015- EP (IM-1) 01.10.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats and 12 seats in 02 PG courses viz (I) Shalya Tantra-06 seats, & (ii) Kayachikitsa-06 seats course Upto 2019-20. letter no.R-17011/150/2015- EP (IM-1) dated 01.10.2015
177.	Lt. Sunil Ramsinh Chunawale Ayurved Mahavidyalaya	Not visited as College already granted for permission not	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e.

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
	Deendayal Nagar, Tq. Chikhli – 443201, Dist. Buldana, MS	exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19. letter no.R.17011/151/2014-EP(IM-1) dated: 04.09.2014	with 40 seats course Upto 2018-19. letter no. R-17011/151/2014-EP (IM-1) dated 04.09.2014
178.	Mahadeorao Shivankar Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Institute, Post- Kudwa, Distt-Gondia-441614 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter R-17011/152/2015-EP (IM-1)-16.7.2015 and R-14011/44/2015-EP (IM-1)-21.10.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats and 18 seats in 03 new PG courses namely:- (I) Panchakrama- 06 seats (ii) Shalya tantra - 06 seats (iii) Kayachikitsa-06 seats upto 2019-20 R-17011/152/2015-EP (IM-1)-16.7.2015 and R-14011/44/2015-EP (IM-1)-21.10.2015
179.	Shree Saptashrunji Ayurved Mahavidyalaya & Hospital Kamal Nagar, Hirawadi, Panchavati, Tal. & Nashik-422003 MS	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19. letter no.R.17011/153/2014-EP (IM-1) dated 04.08.2014	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats course Upto 2018-19. letter no. R-17011/153/2014- EP (IM-1) dated 04.08.2014
180.	Late Kedari Redekar Ayurvedic Mahavidyalaya, P-2, MIDC Area, Shendri Mal, Tal. Gadhinglaj, Dist. Kolhapur – 416502 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19. letter no.R.17011/154/2014-EP (IM-1) dated 28.07.2014 and R.14011/19/ 2014/-EP (IM-1)& R.13011/34/ 2014/-EP (IM-1) Dated 07.10.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats in UG course and 24 seats in 05 PG courses namely:- (i) Rognidan-04 seats, (ii) Rasashastra-05 seats and (iii) Shalya Tantra -05 seats (iv) Panchkarma-06 seats & (v) Sangyahan-04 seats up to 2018-19 Letter no. R-17011/154/ 2014-EP (IM-1) dated 28.07.2014 and R.14011/19/ 2014/-EP (IM-1) & R.13011/34/2014/-EP (IM-1) Dated 07.10.2015
181.	Pravara Medical Trust's Padmashri Dr. Vitthal Rao Vikhe Patil Foundation Ayurved College Akhegaon Road, Tal. Shevgaon, Dist. Ahmednagar-414502 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter R-17011/155/2015-EP (IM-1) 08.09.2015 and R-14011/53/ 2014 - EP (IM-1) 01.10.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 80 seats in UG (BAMS) course and 38 seats in 08 PG courses namely:- (I) Rachna Sharir-06 seats (ii) RASASHASTRA & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (iii) Ayurved Samhita & Siddhant-05 seats (iv) Kayachikitsa-06 seats, (v) Dravyaguna- 03 seats, (vi) Shalakya Tantra-Netra Rog-06 seats



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
182.	Dr. D.Y. Patil Vidya Pratishthan Society's Padmashree Dr. D.Y. Patil College of Ayurved & Research Centre, Pimpri, Pune 411018, Maharashtra	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter R-17011/156/2015-EP (IM-1) 31.7.2015 & R-13011/58/2014-EP (IM-1) 01.10.2015	(vii) Prasuti Evum Striroga-03 seats& (ii) Shalyatantra (Samanya) -03 seats up to 2019-20 R17011/155/2015-EP (IM-1) 08.09.2015 and R-14011/53/2014-EP (IM-1)01.10.2015 College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 100 seats and 48 seats in 09 PG subjects namely (I) Samhita -06 seats, (ii) Rachana Sharir -06 seats, (iii) Prasuti Tantra -04 seats (iv) Kayachikitsa -04, (v) Shalya Tantra -04 seats, (vi) Kriya sharir-6 seats, (vii) Swasthvritta-6 seats, (viii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-6 seats and (ix) Panchkarnma -6 seats up to 2019-20 R-17011/156/2015-EP (IM-1) 31.7.2015 & R13011/58/2014-EP(IM)-101.10.2015
183.	Government Ayurved College Wazirabad, Tal. & Dist. Nanded 431601Maharashtra	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats and 46 seats in 12 PG courses namely:- (I) Ayurved Samhita Siddhant- 02 seats (ii) Rachna Sharir- 03 Seats (iii) Kriya Sharir-06 seats (iv) Dravyaguna- 02 seats (v) Rasashastra-02 seats (vi) Rog Nidan avum Vikriti Vigyan- 06 seats (vii) Swasthavritta & Yoga- 02 seats (viii) Prasuti Tantra & Striroga- 02 seats (ix) Kaumarbhritya- 06 seats (x) Kayachikitsa- 04 seats and, (xi) Shalya Tantra- 06 seats and (xii) Shalakya Tantra- 05 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/157/2016-EP (IM-1) Dated 29.09.2016
184.	Jupiter Ayurved Medical College & Hospital, Shankarpur, Post- Khapri,	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with	Grant of conditional permission with 40 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
	Tehsil & District Nagpur – 15 Maharashtra	40 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Act, 1970. R-17011/158/2016-EP (IM-1) Dated 14.10.2016
185.	Hon. Shri Annasaheb Dange Ayurved Medical College and Post Graduate Training Research Centre, Ashta, Tal. Walwa, Dist. Sangli- 416301 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter R-17011/159/2015-EP (IM-1) 01.10.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 60 seats in UG (BAMS) course and 64 seats in 12 PG courses viz- (I) Panchkarma-03 seats (II) Kaumarbhritya-5 seats (iii) Sangyahan-5 seats (iv) Rachna Sharir-6 seats (v) Kriya Sharir-5 seats, (vi) Rasashastra evam Bhaishajya Kalpana-5 seats (vii) Shalya Tantra-5 seats, (viii) Samhita Siddhanta-6 seats, (ix) Kayachikitsa-6 seats, (x) Rognidan avam vikriti Vigyan-6 seats, (xi) Striroga avam Prasuti Tantra-6 seats, (xii) Shalakya Tantra-6 seats Upto 2019-20. letter R-17011/159/2015-EP(IM-1) 01.10.2015
186.	Late Shri Babrawan Vithalrao Kale Ayurved Medical College & Hospital, Behind Bus Stand, Ghandhi Maidan, Tq. Latur-413512 Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats and 01 PG course i.e. Rachana Sharir-04 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 04 seats in 01 PG course i.e. (I) Rachana Sharir for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/160/2016-EP (IM-1) Dated 19.10.2016
187.	Bal Bhagwan Shikshan Prasarak Mandal's Dhanwantari Ayurved Medical College & Hospital, Degloor Road, Udgir-413517, Dist.Latur Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19. letter no.R-17011/161/2014-EP (IM-1) dated 31.07.2014	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. with 50 seats in UG (BAMS) course Upto 2018-19. letter no. R-17011/161 /2014-EP (IM-1) dated 31.07.2014



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
188.	Ashvin Rural Ayurved College Manchi Hill, Ashvi B.K.Ashvi BK, Tal . Sangamner, Dist. Ahmednagar-413714 Maharashtra	Recommend to GOI for granting permission for admission in UG(BAMS) with 40 seats and PG in following subjects (I) Shalya-Samanya-06seats, (ii) Kayachikitsa-06 seats, (iii) Rasashastra-06 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 40 seats in UG (BAMS) course and 18 seats in 03 PG courses viz. (I) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana, (ii) Shalya Tantra, (iii) Kayachikitsa with 06 seats in each subject for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act,1970.R-17011/162/2016-EP (IM-1) Dated 19.10.2016.
189.	BSSS'S Ramrao Patil Ayurved Mahavidyalaya & RugnalayaBus Stand Road, Tq. Purna, Dist. Parbhani Maharashtra	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 40 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/163/2016-EP(IM-1) dated 26.11.2016
190.	Loknete Rajarambapu Patil Ayurvedic Medical College, Hospital, Post Graduate Institute & Research CentreUrun-Islampur, Sangli Road, Tal. Walwa, Dist. Sangali-415409 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter R-17011/164/2015-EP (IM-1)-16.10.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 60 seats in UG (BAMS) course and 78 seats in 14 PG courses viz, (I) Swasthavritta-06 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajyakalpana-06 seats, (iii) Agad Tantra-06 seats, (iv) Rog Nidan-06 seats, (v) Shalya Tantra-05 seats, (vi) Kaumarbhartiya-06 seats, (vii) Kayachikitsa-05 seats, (viii) Panchkarma-06 seats, (ix) Prasuti & Striroga-05 seats (x) Shalakya Tantra -06 seats, (xi) Dravyaguna-06 seats, (xii) Chaya Avum Vikrim Vigyan-06 seats (xiii) Asthi Sandhi Evam Marmaghat Roga-03 seats & (xiv) Sangyahan-06 seats Upto 2019-20. letter R-17011/164/2015-EP(IM-1)16.10.2015
191.	SCSES'S Rural Institute of Ayurved, Research Centre & Hospital, At Vidyagiri,	Recommend to GOI for granting permission for admission in UG(BAMS) with 50 seats for the	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
	Mayani, Tal. Khatav, Dist. Satara-415102, Maharashtra	academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/29/2003-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 14.10.2016
192.	Dr. J.J Magdum Ayurved Medical College, Tal. Shirol-Wadi Road, Jaysingpur-416101, Dist.-Kolhapur Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/165/2016-EP(IM-1) Dated: 07.10.2016
193.	Mahatma Gandhi Ayurved College, Hospital & Research Centre, Salod Hirapur, Dist. Wardha Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats and admission in PG courses in 08 subjects namely- (i) Ayurved Samhita & Siddhant- 04 seats, (ii) Rachna Sharir- 04 seats, (iii) Dravyaguna- 04 seats, (iv) Kayachikitsa- 06 seats, (v) Panchkarma- 06 seats, (vi) Rasa Shastra & Bhaisjya Kalpana-06 seats, (vii) Agad Tantra- 06 seats, (viii) Shalya- Samanya- 02 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats and 38 seats in PG courses in 08 subjects namely- (i) Ayurved Samhita & Siddhant- 04 seats, (ii) Rachna Sharir- 04 seats, (iii) Dravyaguna- 04 seats, (iv) Kayachikitsa- 06 seats, (v) Panchkarma- 06 seats, (vi) Rasa Shastra & Bhaisjya Kalpana- 06 seats, (vii) Agad Tantra- 06 seats, (viii) Shalya- Samanya- 02 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/11/2006-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 20.09.2016
194.	Aditya Ayurved College, At Telgaon Road, Dist. Beed-431122 Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/01/2006-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 15.12.2016
195.	Mahesh Ayurved College, Ashti, Teh. Ashti, Dist. Beed 414203 Maharashtra	Not visited by the CCIM for the academic session 2016-17 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/37/2006-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 24.11.2016



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
196.	S.M.B.T. Ayurved College & Hospital At. Nandi Hills, Dhamangaon, Teh. Igatpuri, Dist. Nashik – 422403 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter R-12011/02/2006-EP (IM-1) 11.9.2015 and R-14011/43/2014-EP (IM-1) & 13011/61/2014-EP (IM-1) 27.10.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 60 seats in UG (BAMS) course and 40 seats in 07 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-06seats, (ii) Panchkarma-06 seats, (iii) Prasuti & Striroga-06 seats, (iv) Balroga-06 seats, (v) Sangyaharan-04 seats (instead of 06 seats), (vi) Shalya Tantra-06 seats and (vii) Shalakya Tantra-06 seats Upto 2019-20. R-12011/02/2006-EP(IM-1) & R-14011/43/2014-EP (IM-1) & 13011/61/2014-EP (IM-1) 11.9.2015 & 27.10.2015
197.	Mahila Utkarsha Pratishthan's Ayurved College, Hospital & Research Centre, Pundlik Nagar, Degaon, Tq. Risod Dist. Washim-444506 Maharashtra	Not Annual visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter R.12011/38/2006-EP(IM-1) dated 25.09.2014	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 50 seats in UG (BAMS) course Upto 2018-19. letter R-12011/38/2006-EP(IM-1) dated 25.09.2014
198.	SSUD Ayurved Medical College, Rural Hospital & Research Centre, Koli, Tq. Karanja (Lad), Distt. Washim-444110 Maharashtra	Not visited by the CCIM for the academic session 2016-17 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/10/2007-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 24.11.2016
199.	Shri K.R. Pandav Ayurved College & Hospital, Bahadura, Near Dighori Naka, Umred Road, Dist. Nagpur-441204 Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats for the session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/43/2006-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 02.09.2016
200.	Padamshri Dr. Dr. D.Y. Patil College of Ayurved & Research Institute, Dr. D.Y. Patil Vidya Nagar, Sector-7, Taluka-Nerul, Navi Mumbai, Dist.- Thane-400706 Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 100 seats and admission in PG courses in 12 subjects namely- (i) Rachna Sharir -03 seats, (ii) Kriya Sharir -03 seats, (iii) Ayurved Samhita & Siddhant-03 seats, (iv) Swasthvritta-03 seats, (v) Rognidan-03 seats,	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 100 seats and 45 seats in 12 PG courses namely- (i) Rachna Sharir -03 seats, (ii) Kriya Sharir -03 seats, (iii) Ayurved Samhita & Siddhant-03 seats, (iv) Swasthvritta-03 seats, (v) Rognidan-03 seats,

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
		(vi) Shalya Tantra-03 seats, (vii) Dravyaguna-04 seats, (viii) Agad Tantra-04 seats, (ix) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-09 seats, (x) Kayachikitsa-04 seats, (xi) Shalakya Tantra- 03 seats and (xii) Kaumarbhritya -03 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	(vi) Shalya Tantra-03 seats, (vii) Dravyaguna-04 seats, (viii) Agad Tantra-04 seats, (ix) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-09 seats, (x) Kayachikitsa-04 seats, (xi) Shalakya Tantra- 03 seats and (xii) Kaumarbhritya -03 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/05/2003-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 27.12.2016
201.	MES Ayurved Mahavidyalaya, MES Institute of Health Sciences, Prashuram Hospital and Research Centre Ghanekhunt-Lote, Tal. Khed, Dist Ratnagiri-4157222 Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats and for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/15/2009-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 13.10.2016
202.	Vimla Devi Ayurvedic Medical College & Hospital At Wandhari, Post-Tadali Tal & Dist-Chandarpur-442406 Maharashtra	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats and for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/13/2009-EP (IM-1) for 2016-17 Dated:28.11.2016
203	Gopabandhu Ayurveda Mahavidyalaya,VIP Road, Puri-752002 , Orissa	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 30 seats in UG (BAMS) course and 15 seats in 05 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-07 seats (ii) Shalya Tantra-03 seats (iii) Rasashastra & Bhaishajya kalpana-02 seats (iv) Prasuti Tantra & striroga-01 seat and (v) Kaumarbhritya-02 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/166/2016-EP(IM-1) Dated: 25.10.2016
204.	Indira Gandhi Memorial Ayurvedic Medical College & Hospital, At-Pokhariput, P.O.-Khandagiri, Khurda, Bhubaneshwer-751030 Orissa	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 30 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/167/2016-EP(IM-1)



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
			dated: 27.10.2016
205.	Mayurbhanj Ayurved Mahavidyalaya At & Post Takatpur, Via Baripada, Dist Mayurbhanj-757003Orissa	Not visited by the CCIM for the academic session 2016-17 therefore, the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 30 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/168/2016-EP(IM-1) dated: 25.11.2016
206.	Kaviraj Ananta Tripathy Sharma Ayurved College & Hospital, At/P.O Ankushpur, Via Kukudakhandi Dist. Ganjam 761100 Orissa	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 30 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/169/2016-EP(IM-1) Dated: 30.09.2016
207.	Govt. Ayurved College AT Tulsi Nagar, Bolangir -767001 Orissa	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 30 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/170/2016-EP(IM-1) Dated: 20.10.2016
208.	Sri Sri Nrusinghnath Ayurved College & Research Institute, P.O Paikmal, Dist. Bargarh-768039Orissa	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/171/2016-EP(IM-1) Dated: 30.09.2016
209.	Government Ayurved College Near Gurudwara Moti Bagh, Patiala-147001 Punjab	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 40 seats in UG (BAMS) course and denial of the permission for 08 seats in 02 PG Courses namely (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-04 seats, and (ii) Dravyaguna Vigyana-04 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/172/2016-EP(IM-1) Dated: 30.09.2016
210.	Desh Bhagat Ayurvedic College & Hospital Post Box No.5, Amlodh Dist. Fatehgarh Sahib-147203 Punjab	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 60 seats and 02 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-05 seats (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
			R-17011/173/2016-EP(IM-1) Dated: 30.11.2016
211.	Sri Satya Sai Murlidhar Ayurvedic College & Hospital Vill. Duneke, G.T. Road, Dist. Moga-142001, Punjab	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 40 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/174/2016-EP(IM-1) Dated: 29.11.2016
212.	Mai Bhago Ayurvedic Medical College for Women Ferozpur Road, Distt. Muktsar-152026 Punjab	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter no.R-17011/175/2015-EP (IM-1) 28.7.2015 & R-13011/06/2014-EP (IM-1) 31.8.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 60 seats in UG (BAMS) course Upto 2019-20. letter R-17011/175/2015-EP(IM-1) dated 28.07.2015 and R-13011/06/2014-EP (IM-1) dated 31.08.2015
213.	Guru Nanak Ayurvedic Medical College & Hospital Near Ajit Cinema, Barkandi Road, Taluka: Muktsar-152026 Punjab	Recommend to GOI for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/176/2016-EP(IM-1) Dated: 16.09.16
214.	Guru Nanak Ayurvedic Medical College & Research Institute, Malerkotla Road, Gopalpur, Near Dehlon, Dist. Ludhiana-141118 Punjab	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/177/2016-EP (IM-1) Dated: 07.12.2016
215.	Shri Lakshmi Narayan Ayurvedic College Sant Tulsi Dass Marg Amritsar 143001 Punjab	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/178/2016-EP(IM-1) Dated: 14.12.2016
216.	Dayanand Ayurvedic College, Mahatma Hans Raj Marg, G.T. Road, Opp. Burlton Park, Jalandhar-144008 Punjab	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter no.R-17011/179/2015-EP (IM-1) 9.7.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 50 seats in UG (BAMS) course Upto 2019-20. R-17011/179/2015-EP (IM-1) dated 09.07.2015
217.	Shaheed Kartar Singh Sarabha Ayurvedic	Recommend to GOI for granting permission for admission in UG	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
	Medical College & Hospital VPO Sarabha, Dist. Ludhiana-141105, Punjab	(BAMS) course with 60 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/180/2016-EP(IM-1)Dated: 16.09.2016
218.	Smt. Urmila Devi Ayurvedic College of Medical Sciences & Hospital Una Road (10 Km), V & P.O Kharkan, Dist. Hoshiarpur 146001 Punjab	Recommend to GOI for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/181/2016-EP(IM-1) Dated: 23.12.2016
219.	Babe Ke Ayurvedic Medical College & Hospital Village & P.O Daudhar, Tehsil & Dist. Moga- 142053 Punjab	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter no.R-17011/182/2015-EP (IM-1) 15.9.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 60 seats in UG (BAMS) course & 19 seats in 04 PG subjects namely: (i) Samhita Siddhanta-06seats, (ii) Rachna Sharir-06 seats, (iii) Dravyaguna-06 seats & (iv) Kaumarbhritya-01 upto 2019-20.R-17011/182/2015-EP (IM-1) 15.09.2015
220.	Saint Sahara Ayurvedic Medical College & Hospital, Kot Shamir, Bathinda-151001Punjab	Recommend to GOI for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/18/2006-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 30.11.2016
221.	Rajiv Gandhi Ayurveda Medical College Chalakkara Mahe-P.B No-.26 pin-673310 Puducherry	Recommend to GOI for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/02/2010-EP (IM-1) for 2016-17 Dated:13.10.2016
222.	National Institute of Ayurveda Madhav Vilas Palace Amer Road, Jaipur-302002-Rajasthan	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 92 seats in UG (BAMS) course 104 seats in 14 PG courses namely (i) Ayurved Samhita -08 seats, (ii) Rasashastra -09 seats, (iii) Kaumabhritya -07 seats, (iv) Panchakarma -07 seats, (v) Shalakya Tantra -06 seats, (vi) Rachana Sharir -07 seats, (vii) Kriya Sharir -08 seats,

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
			(viii) Dravyaguna -08 seats, (ix) Kayachikitsa -09 seats, (x) Swasthavritta -07 seats, (xi) Rognidan avum Vikriti Vigyan - 08 seats, (xii) Shalya Tantra -07 seats, (xiii) Prasuti Tantra Striroga -07 seats & (xiv) Agadtantra -06 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/184/2016-EP(IM-1) Dated: 14.10.2016
223.	MMM Govt. Ayurved College,Th. Girwa, Dist. Udaipur 313001Rajasthan	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG and PG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 15 seats in 03 PG course (i) Kayachikitsa -05 seats, (ii) Rasashastra -05 seats & (iii) Dravyaguna -05 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/185/2016-EP(IM-1) Dated: 16.09.2016
224.	Shri Bhanwar Lal DugarAyurved Vishwabharti Gandhi Vidya Mandir Dist. Churu, Sardar Shahr- 331403Rajasthan	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/186/2016-EP(IM-1) dated: 31.11.2016
225.	JR's Tantia Shri Ganganagar College of Ayurvedic Science & Hospital, Near RIICO, Hanumangarh Road, Sri Ganganagar-335002 Rajasthan	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/58/2003-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 16.09.2016
226.	Punjab Ayurved Medical College & Hospital, 43 MMK, Hanumangarh road Morjand Khari,Sri Ganganagar- 335037 Rajasthan	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course Letter No.R.11011/10/2006- EP(IM-1) Dated: 09.11.2016
227.	University College of Ayurved, Rajasthan Ayurved University,Nagaur Road,	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 18 seats in 03 PG courses namely



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
	Kadwad, Jodhpur-342037 Rajasthan	60 seats and PG in (i) Dravyaguna 06 Seats and (ii) Shalya Tantra 06 seats and not to recommended Kayachikitsa for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	(i) Dravyaguna Vigyana, (ii) Kayachikitsa and (iii) Shalya Tantra with 06 seats in each subject for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/28/2003-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 14.10.2016. Further vide letter No R.13011/47/2015-EP(IM-1) & R.14011/35/2015-EP (IM-1) dated 30.11.2016 the permission granted for a period not exceeding 05 years (i.e. From the academic session 2016-17 to the academic session 2020-21) to the college for existing UG/PG course/s vide Ministry's letter no. F. R-12011/28/2003-EP(IM-1) for 2016-17 dated 14.10.2016 has been withdrawn five years permission and converted to conditional permission for the current academic year 2016-17 only.
228.	B. M. Education Foundation Trust, Shekhawati Ayurvedic College Behl Road, Harikunj, Ganga Colony, Teh. Chirawa, Dist. Jhunjhunu, Pilani - 333031, Rajasthan	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/08/2008-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 07.10.2016
229.	Shri Shirdi Sai Baba Ayurvedic College & HospitalMundiyagarh Kishangarh- Renwal, Jaipur- 303603 Rajasthan	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/12/2009-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 08.11.2016
230.	Ayurveda College, RVS Campus, 242-B Trichy Road, Sulur, Coimbatore-641108 Tamil Nadu	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 40 seats for the session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 40 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/187/2016-EP(IM-1) Dated: 22.10.2016
231.	Dharma Ayurved Medical College & Hospital, No. 48, G.W.T. Road, Opp. Rajiv Gandhi Memorial,Taluk	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 40 seats for the academic session	Grant of conditional permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
	Sriperumbudur-602105Shri Perumbudur, Dist. Kancheepuram, T.N.	2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	R-17011/188/2016-EP(IM-1) Dated: 03.11.2016
232.	Sri Sai Ram Ayurveda Medical College & Research Centre, Sai Leo Nagar, Poonthandalam Sriperumbudur, Taluk Kanchipuram Chennai – 600044 Tamil Nadu	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter no.R-17011/189/2015-EP (IM-1)15.7.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 60 seats in UG (BAMS) course upto 2019-20 R-17011/189/2015-EP (IM-1)15.7.2015
233.	Sri Jayendra Sarswathi Ayurveda College & Hospital 4/295, Bangalore High Road, Nazarethpet, Chennai, Taluka Poonamallee, Dist. Thiruvallur-600123 Tamil Nadu	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/190/2016-EP(IM-1) Dated: 22.10.2016
234.	Government Ayurveda Medical College and Hospital, Kottar, Nagercoil – 629002, Tamil Nadu	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/20/2009-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 10.10.2016
235.	Govt. Gurukul Ayurved College, Kangari, Haridwar-249404 Uttarakhand	Comman recommendation send by GOI letter no. No. 26-43/2016-Ay. dated 21.09.2016 & 26-75/2016-Ay. Visitation dated 26.09.2016 for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/191/2016-EP(IM-1) Dated: 05.10.2016
236.	Rishikul Govt P.G. Ayurvedic College & HospitalHaridwar-249401, Uttarakhand	Comman recommendation send by GOI letter no. No. 26-43/2016-Ay. dated 21.09.2016 & 26-75/2016-Ay. Visitation dated 26.09.2016 for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 33 seats in 07 PG courses namely (i) Shalya Tantra-05 seats, (ii) Panchakarma-05 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-07 seats, (iv) Dravyaguna Vigyana-04 seats, (v) Kayachikitsa-04 seats, (vi) Shalakya Tantra-04 seats and (vii) Prasuti & Stri Rog-04 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/192/2016-EP(IM-1) Dated: 22.10.2016



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
237.	Uttaranchal Ayurvedic College, Ayurved Estate, 17, Old Mussoorie Road, Rajpur Dehradun – 248009 Uttarakhand	Comman recommendation send by GOI letter no. No.26-75/2016-Ay. Visitation dated 26.09.2016 and Recommended to Government of India for Granting permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 20 seats in 04 PG courses i.e. (I) Ayurved Samhita & Siddhant, (ii) Swasthavritta & Yoga, (iii) Agad Tantra Avum Vidhi Vidyaka and (iv) Dravyaguna Vigyana with 05 seats in each subject for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course and 20 seats in 04 PG courses namely (I) Ayurved Samhita & Siddhant, (ii) Swasthavritta & Yoga, (iii) Agad Tantra Avum Vidhi Vaidakya and (iv) Dravyaguna Vigyana with 05 seats in each course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/193/2016-EP(IM-1) Dated: 16.11.2016
238.	Himalayiya Ayurvedic Medical College & Hospital Yoga Avam Prakartik ChikitsaSansthan, Gram-Fatehpur Tanda, Post-Via Doiwala, Jeevanwala, Dehradun-248140 Uttarakhand	Comman recommendation send by GOI letter no. 26-75/2016-Ay. Visitation dated 26.09.2016(not mentined in UG/PG seats) for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course and 24 seats in 04 PG courses namely (I) Dravyaguna Vigyana, (ii) Kriya Sharir, (iii) Rachana Sharir and (iv) Panchakarma with 6 seats in each course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/13/2005-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 22.10.2016
239.	Patanjali Bhartiya Ayurvigyan Evam Anusandhan Sansthan, Patanjali Yoga Peeth, Haridwar – 249402, Uttarakhand	Comman recommendations send by GOI letter no. 26-75/2016-Ay. Visitation dated 26.09.2016 for the academic session 2016-17 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/20/2008-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 14.10.2016
240.	State Ayurvedic College & Hospital Tulsidass Marg, Lucknow-226004Uttar Pradesh	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 24 seats in 05 PG courses namely (i) Rachna Sharir-04 seats, (ii) Kriya Sharir-04 seats, (iii) Kayachikitsa-06 seats, (iv) Kaumarbhritya-05 seats and (v) Dravyaguna Vigyan-05 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/209/2016-EP(IM-1) Dated: 28.09.2016

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
241.	Lalit Hari State P.G. Ayurvedic College & Hospital Pilibhit- 262001Uttar Pradesh	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course and denial of 06 seats in 01 PG course namely Dravyaguna Vigyan for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/194/2016-EP(IM-1) Dated: 22.10.2016
242.	Bundelkhand Govt. Ayurvedic College & Hospital, Gwalior Road, Jhansi-284001 Uttar Pradesh	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/195/2016-EP(IM-1) Dated: 13.10.2016
243.	Government Ayurvedic College & Hospital Atarra- 210201, Dist. Banda Uttar Pradesh	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/196/2016-EP(IM-1) Dated: 19.10.2016
244.	S.R.M. Govt. Ayurvedic College, Bansmandi, Bareilly- 243005 Uttar Pradesh	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 40 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/197/2016-EP(IM-1) Dated: 13.10.2016
245.	Swami Kalyandev Government Ayurved College Rampur, Muzaffarnagar-251 001 Uttar Pradesh	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 30 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/198/2016-EP(IM-1) Dated: 22.10.2016
246.	Shri Lal Bhadur Shastri Smarak Rajkiya Ayurveda Govt. College, Jawahar Nagar, Handia, Allahabad- 221503 Uttar Pradesh	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 30 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/199/2016-EP(IM-1) Dated: 11.11.2016
247.	Sham-E-Ghausia Minority Ayurvedic Medical College & Hospital and P.G. Research Centre At/P.O-Saheri, Via Nandganj Dist. Ghazipur -	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2019-20. letter no.R- 17011/200/2015-EP (IM-1) 17.9.2015	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 60 seats and 17 seats in 04 PG course namely:-



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
	233302, Uttar Pradesh		(I) Prasuti tantra & Striroga-04 seats, (ii) Rognidan-04 seats, (iii) Kayachikitsa-05 seats & (iv) Shalya tantra-04 seats Upto 2019-20.R-17011/200/2015-EP (IM-1) 17.9.2015
248.	Aligarh Unani & Ayurvedic Medical College & ACN Hospital, Opp. F.M. Tower, Anoopshahr Road, Aligarh – 202002 Uttar Pradesh	Recommend to GOI for granting the permission of admission for the session 2016-17 with intake capacity of 60 students in UG (BAMS) course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/201/2016-EP(IM-1) Dated: 25.10.2016
249.	Vaidya Yagya Dutt Sharma Ayurved Mahavidyalaya Opposite Dharpa Power House, Dist. Bulandshahar, G.T.Road, Khurza- 203131 Uttar Pradesh	Recommend to GOI for granting permission for admission in UG(BAMS) with 100 seats and 14 PG courses namely:- (I) Kriya Sharir-05 seats (ii) Chhaya Avam Vikiran-05 seats, (iii) Prasuti Tantra & Striroga-04 seats, (iv) Kayachikitsa-05 seats (v) Shalya Tantra- 05 seats (vi) Sangyahan-05 seats, (vii) Panchkarma-05 seats (viii) Kaumarbhartiya-05 seats (ix) Swasthavritta-05 seats (x) Agad Tantra & Vyavaharahayurved-05 seats (xi) Samhita Siddhanta-06 seats (xii) Dravyaguna-05 seats (xiii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats and (xiv) Rachna Sharir-05 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970..	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 100 seats and 70 seats in 14 PG courses namely:- (I) Kriya Sharir-05 seats (ii) Chhaya Avam Vikiran-05 seats, (iii) Prasuti Tantra & Striroga-04 seats, (iv) Kayachikitsa-05 seats (v) Shalya Tantra- 05 seats (vi) Sangyahan-05 seats, (vii) Panchkarma-05 seats (viii) Kaumarbhartiya-05 seats (ix) Swasthavritta-05 seats (x) Agad Tantra & Vyavaharahayurved-05 seats (xi) Samhita Siddhanta-06 seats (xii) Dravyaguna-05 seats (xiii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats and (xiv) Rachna Sharir-05 seats for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/202/2016-EP(IM-1) Dated: 16.10.2016.
250.	Sri Sai Ayurvedic Medical College & Hospital Opp. Phal Mandi, Sarsol, G.T. Road Aligarh – 202001, Uttar Pradesh	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter.F.No.R-17011/203/2014-EP (IM-1) dated 14.08.2014	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 75 seats in UG Course and 08 seats in 02 PG course namely (i) Shalya tantra-04 seats & (ii) Prasuti tantra & Striroga-04

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
			seats Upto 2018-19 letter R-17011/203/2014-EP(IM-1) 14.08.2014
251.	JD Ayurvedic Medical College & Hospital Bhankari, G.T. Road, Aligarh-202001 Uttar Pradesh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course with 100 seats and 05 PG courses namely (I) Ayurved Samhita & Siddhanta-06 seats, (ii) Kriya Sharir-06 seats, (iii) Rachna Sharir-06 seats, (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats (v) Kayachikitsa-05 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 100 seats and 05 PG courses namely (i) Ayurved Samhita & Siddhanta-06 seats, (ii) Kriya Sharir-06 seats, (iii) Rachna Sharir-06 seats, (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats (v) Kayachikitsa-05 seats for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. letter No.R.12011/31/2003-EP (IM-1) for 2016-17 dated 11.11.2016
252.	Major S.D. Singh Ayurvedic Medical College & Hospital, Baikunthpuri (baghar) Bewar Road, Fatehgarh, Dist. Farrukhabad-209625 Uttar Pradesh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 100 seats and admission in PG courses in 14 subjects namely- (I) Ayurved Samhita Siddhant-06 seats, (ii) Dravyaguna Vigyan- 06 seats, (iii) Swasthvritta- 06 seats, (iv) Prasuti Tantra & Striroga-06 seats, (v) Kayachikitsa-06 seats, (vi) Shalya Tantra-06 seats, (vii) Shalakya Tantra -06 seats, (viii) Panchakarma- 06 seats, (ix) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06-seats, (x) Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka - 06 seats, (xi) Kaumarbhritya - 06 seats, (xii) Kriya Sharir-06 seats, (xiii) Rachna Sharir- 06 seats and (xiv) Roga Nidan-06 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 100 seats in UG (BAMS) course and 84 seats in 14 PG courses i.e. (I) Ayurved Samhita & Siddhanta (ii) Dravyaguna Vigyan, (iii) Swasthvritta & Yoga, (iv) Prasuti Tantra & Stri Roga, (v) Kayachikitsa, (vi) Shalya Tantra, (vii) Shalakya Tantra, (viii) Panchkarma, (ix) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana, (x) Agad Tantra evum Vidhi Vaidyak, (xi) Kaumarbhritya, (xii) Kriya Sharir, (xiii) Rachana Sharir (xiv) Roga Nidan evum Vikriti Vigyan with 06 seats in each course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/07/2005-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 07.09.2016
253.	Dean, Faculty of Ayurveda Institute of Medical Sciences Banaras Hindu University Dist. Varanasi- 221005 Uttar Pradesh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats and 15 PG courses i.e (I) Ayurveda Samhita and Siddhanta-04 seats	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course and 45 seats in 15 PG courses i.e. (I) Ayurved Samhita and Siddhant-04 seats,



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
		(ii) Kaumaryabhritya-03 seats, (iii) Shalakya Tantra-02 seats, (iv) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana-03 seats, (v) Rachna Sharir-02 seats, (iv) Kriya Sharir-02 seats, (vii) Dravyaguna-03 seats, (viii) Kayachikitsa-05 seats, (ix)Roganidan-02 seats, (x)Shalya Samanya-05 seats, (xi)Prasuti & Striroga-04 seats, (xii)Manas Roga-01 seat, (xiii)Sangyaharana-02 seats (xiv)Swasthavritta-01 seat and (xv)Shalya-Kshara Sutra evam Anu Shastra Karma-06 seats and 02 PG Diploma courses namely:- (I) Kaumarbhartiya (Balroga)-02 seats and (ii) Sangyahan-02 seats for the)academic session 2016-17 and U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	(ii) Kaumarbhritya-03 seats, (iii) Shalakya tantra- 02 seats, (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-03 seats, (v) Rachana Sharir - 02 seats, (vi) Kriya Sharir - 02 seats, (vii) Dravyaguna - 03 seats, (viii) Kayachikitsa-05 seats, (ix) Roganidan -02 seats, (x) Shalya tantra - 05 seats, (xi) Prasuti & Striroga - 04 seats, (xii) Manas Roga - 01 seat, (xiii) Sangyahan - 02 seats, (xiv) Swasthavritta- 01 seat, (xv) Shalya-Ksharasutra evam Anu Shastra Karma -06 seats and 04 seats in 02 PG Diploma courses namely (I) Kaumarbhritya/Balroga (02 seats) & (ii) Sangyahan (02 seats) for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/204/2016-EP (IM-1)Dated: 14.10.2016
254.	Govt. Ayurvedic College & Hospital, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi-221002, Uttar Pradesh	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 40 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/205/2016-EP(IM-1) Dated: 06.10.2016
255.	Shri Anand Niketan Dharmshala Avom Dharmik Trust, Shri Dhanwantri Ayurvedic Medical College & Research Centre , At NH – 02, Vill. Semari, Tehsil Chhatta, Mathura-281401, U.P.	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19. letter no.R.12011/18/2008-EP(IM-1) 14.08.2014	College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. 75 seats in UG(BAMS) Course Upto 2018-19 letter R-12011/18/2008-EP(IM-1) for 2014-15 dated 14.08.2014
256.	Bharat Ayurved Medical College, Hospital & Research Centre, 10 K.M., Roorkee Road, NH-58, P.O. Barla, Muzaffarnagar-251001 Uttar Pradesh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act,

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
			1970. R-12011/26/2008-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 13.10.2016
257.	JB Roy State Ayurvedic Medical College & Hospital 170-172, Raja Dinendra Street Kolkata-700004 West Bengal	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/206/2016-EP(IM-1) Dated: 29.09.2016
258.	Institute of Post Graduate Ayurvedic Education & Research Shyamadas Vidya Shastra, Pith. 294/3/1 Asharya Prafulla Chandra Road, Kolkata- 700009, West Bengal	Recommended to Government of India for granting conditional permission with 08 seats in 03 PG subjects namely:- (i) Ayurved Samhita & Siddhant-02 seats, (ii) Dravyaguna-02 seats, (iii) Kayachikitsa-04 seats but not agree to recommend to Government of India for permission of admission in Rognidan evam Vikriti Vigyan -02 seats for the session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 10 seats in 04 PG courses viz. (i) Ayurved Samhita & Siddhant (02 seats), (ii) Kayachikitsa (04 seats), (iii) Dravyaguna Vigyana (02 seats) and (iv) Rog Nidana evum Vikriti Vigyan (02 seats) for the session 2016-17 to the academic session 2020-21 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/208/2016-EP(IM-1) Dated: 22.10.2016
259.	Belley Sankarpur Rajiv Gandhi Memorial Ayurvedic College & Hospital, P.O. & Village, Fingapara, Dist. 24, Pargnas (N) 743126 West Bengal	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/207/2016-EP(IM-1) Dated: 17.10.2016
260.	Islamia Education Trust's Zakaria Ayurved College, Payan Darga Road, Roza (B), Gulbarga- 585104, Karnataka	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 30 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, R.17011/83/2016-EP(IM-1) dated 03.11.2016.
261.	Raghunath Ayurved Mahavidyalaya & Hospital, P.O.- Contai, Dist-Purba Medinipur-721401, West Bengal	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 50 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/05/2012-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 01.09.2016
262.	Parasurampur Ayurved College, Sikar – 332001	Not visited by the CCIM for the academic session 2016-17 therefore,	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with



S.No..	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
	Rajasthan	the recommendation of the CCIM may be treated as nil.	40 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, R.17011/183/2016-EP(IM-1) dated 24.11.2016
263.	Govt. Ayurved College & Hospital, Ashok Nagar, Sarkanda, Sendri, Bilaspur-495001 Chhattisgarh.	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/11/2013-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 29.09.2016
264.	Abhilashi Ayurvedic College & Research Institute, Chail Chowk, Teh. Chachiot, Mandi-175008, Himachal Pradesh	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/14/2013-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 29.09.2016
265.	Anandi Shikshan Prasark Mandal Ayurved College, Hospital & Research Institute, Buldana, Nagpur-24, Maharashtra.	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/20/2013-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 03.11.2016
266.	Dhanwantri Ayurved College & Hospital, At & Po. Koydam, Ta. Virpur, Dist. Mahisagar-388260 Koydam(Kajiya) Gujarat	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/27/2013-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 16.09.2016
267.	Hillside Ayurvedic Medical College & Hospital, No.174/2, Saldoddi, Agara Village Bangalore-62, Karnataka	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 50 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/26/2013-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 05.09.2016
268.	Kala Ashram Ayurved Medical College & Hospital, NHW-27,Village-Bansada Tehsil-Gogunda, District-Udaipur-313705, Rajasthan	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/04/2013-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 02.12.2016
269.	Lal Bhadur Shastri Mahila Ayurvedic College & Hospital, Sadhaura Road,	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 60	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
	Bilaspur, Yamunanagar-135001, Haryana	seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/05/2013-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 26.12.2016
270.	Mahatma Jyotiba Fule Ayurveda Mahavidyalaya, Sikar Road Harota, Chomu, Jaipur-303702, Rajasthan.	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 100 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/22/2013-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 03.11.2016
271.	Jagdamba Education Society, Matoshri Asarabai Darade Ayurved college Babhulgon, Yeola Dist. Nashik Maharashtra-423401	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/29/2013-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 22.10.2016
272.	Pacific College of Ayurveda & Research Centre, Lacchipur, industrial Area, Gorakhnath Road, College Campus, Raipur Near Peepiganj, Gorakhpur-273015 Uttar Pradesh	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 60 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, R.12011/03/2013-EP(IM-1) for 2016-17 dated 05.12.2016
273.	Prabudha Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre, Gram- Bakka khera, Mall Malihabad Road-227115, Lucknow Uttar Pradesh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 50 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/09/2013-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 15.12.2016
274.	Chaudhary Harchand Singh Atmaram Education Trust, Quadra Institute of Ayurveda, 64/6 Civil Lines, Roorkee,-247667 Haridwar Uttarakhand	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/25/2013-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 23.09.2016
275.	Santushti Human Development Educational And Welfare Society, Santushti Ayurvedic Medical College & Hospital, N-8/180, B-51, Newada, Sunderpur, (H.H.U.-D.L.W. Road) Mirzapur, Varanasi-221005, UP	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 100 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/15/2013-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 22.11.2016



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
276.	Shiv Shakti Ayurvedic Medical College, Sunam Road Bikhi, Mansa-151504, Punjab	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 60 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, R.12011/24/2013-EP(IM-1) for 2016-17 dated 09.12.2016
277.	Shivalik Ayurvedic Medical College & Hospital, Vill.- Bijarwa, post-bankat Azamgarh-276125, Uttar Pradesh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 60 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/07/2013-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 29.11.2016
278.	Shri Krishna Ayurvedic Medical College & Hospital, Rona Khurd Cholanpur, Varanasi-221101, Uttar Pradesh.	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 60 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/13/2013-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 25.10.2016
279.	Shree Dhaneshwari Manav Vikas Mandal, Sou Shanta devi Ved prakash Patil AyurvedCollege & Research Institute Gat No.421, Hatta, Tq. Basmat Dist. Hingoli-431738	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 50 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/16/2013-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 22.10.2016
280.	Kunwar Shekhar Vijendra Ayurved Medical College & Research Center, Adarsh Istitute Area, Babu Vijendra Marg, Gangoh, Distt. - Saharanpur-247341, UP	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/28/2013-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 25.10.2016
281.	Gangasheel Ayurvedic Medical College & Hospital, Manpuria Janki Prasad,Kamua, Bilaspur road, Bareilly-243123, Uttar Pradesh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 100 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/01/2013-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 30.11.2016
282.	Mansarovar Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center Kolar Road-Bhopal-462024 Madhya Pradesh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 100 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/11/2014-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 01.09.2016

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
283.	Sri Adi Shiva Sadguru Alli Saheb Sivaaryula Ayurvedic Medical College and Research Centre, Guntakal-515801, Anantapur, Andhar Pradesh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 100 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/25/2014-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 29.11.2016
284.	Maria Educational and Charitable Trust, Chevaracode, Veeyanoor Post, Kanyakumari Distt-629177 Tamil Nadu	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 60 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/23/2014-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 22.10.2016
285.	Shaheed Narender Kumar Ayurveda Medical College & R.K.M.S. Cheritable Hospital, Pisawa Road Chandaus, Aligarh-202132 Uttar Pradesh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 60 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/19/2014-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 01.11.2016
286.	Faculty of Ayurvedic Science, Jayoti Vidayapeeth Women's University, Vedant Gyan Valley, Jharna, Mahala-Jobner Link Road, Jaipur-Ajmer Expressway, Jaipur-303122, Rajasthan	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 60 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/12/2014-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 16.09.2016
287.	Shanti Institute of Medical & Higher studies, Shanti Ayurvedic Medical College & Hospital, Majhauri-Ballia 277001, Uttar Pradesh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 60 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/05/2014-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 16.09.2016
288.	Dr. Krishna Gopal Dwivedi Ayurvedic Medical College and Hospital Sarmau, Jhansi-284003 Uttar Pradesh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 50 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/04/2014-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 13.10.2016
289.	Sri Babu Singh Jay Singh Ayurvedic Medical College & Hospital Bhaupur, Bewar Road, Fatehgarh, Dist. Farrukhabad -209602 Uttar Pradesh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 100 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/09/2014-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 26.09.2016



S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
290.	Tapovana Ayurvedic Medical College & Hospital Doddabathi – 577566, Davangere, Karnataka	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 60 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/16/2014-EP(IM-1) for 2016-17 Dated 16.09.2016
291	Shri Babu Singh Dadduji Ayurvedic Medical College & Hospital Krishna Nagar (Baghar) Kanpur Road, Fatehgarh- Farrukhabad-209601, UP	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 100 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/03/2014-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 26.09.2016
292.	Shri Dharmasthala Manjunatheshwara Institute of Ayurveda & Hospital, Anchepalya, Kumbalagouda Village, Bengaluru 560074, Karnataka	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 100 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/18/2014-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 23.09.2016
293.	Shri V.M. Mehta Institute of Ayurved, 405, Shilp Tower, Tagore Road, Nr. Bhaktinagar Railway Station, Rajkot, Campus Gardi Vidyapith, Kalavad Road, Village, Anandpur-361162, Rajkot, Gujarat	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 50 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/06/2014-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 17.10.2016
294.	Jeevan Jyoti Ayurvedic Medical College & Hospital, 10TH K.M. Mile Stone, Khair Road Lodha, Aligarh-202001, Uttar Pradesh	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 60 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/35/2014-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 05.09.2016
295.	Faculty of Indian Medical System, SGT University, Chandu-Budhera, Gurgaon-Badli Road, Haryana-122505	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 100 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/14/2014-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 01.09.2016
296.	Yashvantrao Chavan Ayurvedic Medical College & Hospital, Shiva Trust Campus Nipani Bhilgaon, Near Videocon Communication Ltd., Beed Highway Road, Aurangabad-431005, MS	Recommend to Government of India for granting permission for admission in UG(BAMS) with 100 seats for the academic year 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/39/2014-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 25.10.2016

S.No.	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2016-17	Decision of Govt of India for the Year 2016-17
297.	Gangaputra Ayurvedic College, Kaithal Road Kandela, Distt. Jind - 126102 Haryana	Not recommend to Government of India for granting permission for admission in UG course for the academic session 2016-17 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/28/2014-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 14.12.2016

UNANI

Recognition of Medical Qualifications

No qualification added.

NEW PROPOSALS FOR THE SESSION 2016-17

As per provisions of the "Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Studies or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2003" and (Amendment) Regulations, 2013, following New proposals were forwarded by Government of India, Ministry of AYUSH. The Central Council inspected following institutions and made recommendations for approval/disapproval of the scheme to the Ministry of AYUSH;

I. Proposals to establish New Unani College:-

S.No.	Name of the College	Proposal	Recommendation by CCIM	GOI Decision
1.	Inamdar Unani Medical College & Hospital, Chacha Layout, Kalaburgi, Karnataka	To start new Unani Medical College with 60 UG seats	Not recommended to issue LOI	Not issued LOI by GOI to start new Unani college with 60 Seats in UG (BUMS) course
2.	Hayat Unani Medical College & Research Central, Cocroi Lucknow.	To start new Unani Medical College with 60 UG seats	Recommended to issue LOI	LOI issued by GOI to start new Unani college with 60 Seats in UG (BUMS) course
3.	Govt. Unani Medical College, Gandherbal, J&K	To start new Unani Medical College with 60 UG seats	Not Recommended to issue LOI	LOI not issued by GOI to start new Unani college with 60 Seats in UG (BUMS) course
4.	Bhopal Institute of Unani Medical Sciences, Grampura Chindwara, Bhopal	To start new Unani Medical College with 60 UG seats	Proposal sent back to Ministry	



S.No.	Name of the College	Proposal	Recommendation by CCIM	GOI Decision
5.	Al-Ameen Unani medical College, Sayne Khurd Malegaon, M.S.	To start new Unani Medical College with 60 UG seats	Proposal sent back to Ministry	
6.	Sanskriti Unani Medical College & Hospital Chhata, Mathura, UP	To start new Unani Medical College with 100 UG seats	Recommended to issue LOI	LOI issued
7.	Maulana Margoob Alam Unani Medical College & HAM Memorial Unani Hospital, Bijnor, UP	To start new Unani Medical College with 60 UG seats	Proposal sent back to Ministry	
8.	Khusro Unani Medical College, Nawadakanja, Pilibhit, UP	To start new Unani Medical College with 60 UG seats	Proposal sent back to Ministry	

1. Proposals for increasing intake capacity in UG/PG Course:-

S.No.	Name of the College	Proposal	Recommendation by CCIM	GOI Decision
1.	State Takmil-Tib College and Hopita, Lucknow	To increase in intake capacity from existing 40 to 60 UG seats	Proposal sent back to Ministry.	
2.	Kashmir Tibbia College, and Research Center (J&K)	To increase intake capacity from existing 40 to 60 UG seats	Recommended to issue LOI for increase intake from existing 40 to 60 seats in UG (BUMS) course.	LOI issued by GOI for increase intake from existing 40 to 60 seats in UG (BUMS) course.
3.	State Unani Medical College Allahabad	To increase intake capacity from existing 40 to 60 UG seats	Recommended to issue LOI for increase intake from existing 40 to 60 seats in UG (BUMS) course.	LOI issued by GOI for increase intake from existing 40 to 60 seats in UG (BUMS) course.

1. Proposal for Starting New PG Course:-

S.No.	Name of the College	Proposal	Recommendation by CCIM	GOI Decision
1.	H.S.Z.H. Govt. Unani Medical College, Bhopal	To start new PG course in one subject i.e. Tahaffuzi wa Samaji Tib with 08 seats.	Proposal withdrawn by the college.	

VISITATION OF COLLEGES

Central Council of Indian Medicine conducted the visitation of following Unani Colleges to furnish the recommendations to Govt. of India for the year 2016-17 (1st April 2016 to 31st March 2017) under section 13C of IMCC Act, 1970.

S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
1.	Govt. Nizamia Tibbia College, Hyderabad (T.S)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) and MD course for the session 2016-17.	Granted conditional permission for 75 seats in UG (BUMS) Course and 34 seats in 05 PG courses viz 1. Moalajat (10 seats) 2. Ilmul Advia (05 Seats) 3. Qaabalat wa Niswan (9 seats) 4. Tahafuzi wa Samaji Tib (05 seats) 5. Kulliyat (05 seats) for the session 2016-17. Letter no. R.17012/01/2016-EP (IM-1) for 2016-17 dated 13.10.2016.
2.	Dr. Abdul Huq Unani Medical College & Hospital, Kurnool (AP)	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2016-17.	Granted Conditional permission with 50 Seats in UG (BUMS) for the academic session 2016-17. R.17012/02/2016-EP (IM-1) for 2016-17 dated 13.10.2016
3.	Govt. Tibbia College, Kadam Kuan, Patna- (Bihar)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2016-17	Granted conditional permission for BUMS course with 40 seats for the session 2016-17. Letter no. R.17012/03/2016-EP (IM-1) dated 30.09.2016
4.	Zulfequar Haider Unani Medical College & Hospital, Siwan-841226	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2016-17.	Granted conditional permission for BUMS course with 50 seats for the session 2016-17. Letter no.R.17012/04/2016-EP (IM-1) dated 03.11.2016.
5.	Salfia Unani Medical College & Hospital, At & Post Laheriasarai, Distt. Darbhanga-846001	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 50 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.17012/05/2016-EP (IM-1) dated 16.09.16
6.	Nizamia Unani Medical College & Hospital, Gaya-(Bihar)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2016-17	Granted conditional permission for BUMS course with 40 seats for the session 2016-17. Letter no. R.17012/06/2016-EP (IM-1) dated 16.09.2016



S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
7.	Mohsin-E-Millat Unani Medical College, Raipur	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2016-17.	Granted conditional permission for BUMS course with 40 seats for the session 2016-17. Letter no. R.17012/07/2016-EP (IM-1) dated 24.10.2016
8.	Ayurved & Unani Tibbia College, Karol Bagh, New Delhi	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) and MD courses for the session 2016-17.	Granted conditional permission for 40 seats in UG (BUMS) Course and denial of permission 10 seats in 04 PG courses viz 1. Moalajat (03 seats) 2. Ilmul Saidla (03 Seats) 3. Munafeul Aza (02) & 4. Amraze Niswan wa Qabalat 02 seats) for the session 2016-17. Letter no.R.17012/08/2016-EP (IM-1) for 2016-17 dated 13.10.2016
9.	Dean, Faculty of Medicine, Jamia Hamdard, New Delhi	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) and MD courses for the session 2016-17	Granted conditional permission for 50 seats in UG (BUMS) Course and 09 seats in 03 PG courses viz 1. Moalajat (03 seats) 2. Ilmul Advia (03 Seats) 3. Tahafuzi wa Samaji Tib (03 seats) for the session 2016-17. Letter no.R.17012/09/2016-EP (IM-1) for 2016-17 dated 26.10.2016
10.	Unani Medical College Institute of Asian Medical Sciences, Srinagar	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2016-17	Granted conditional permission for BUMS (UG) course with 40 seats in for the session 2016-17. Letter no. R.17012/10/2016-EP (IM-1) dated 03.10.2016
11.	Govt. Unani Medical College Bangalore, Karnataka	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2016-17	Granted conditional permission for BUMS course with 50 seats for the session 2016-17. Letter no. R.17012/12/2016-EP (IM-1) dated 30.09.2016
12.	Luqman Medical College & Hospital, Bijapur, Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting permission for 60 UG Seats and PG in (i) Amraze Niswan wa Qabalat-03 seats (ii) Moalijat 04 Seats for the session 2016-17.	Granted permission for 60 seats in UG (BUMS) and 07 seats in 02 PG courses viz 1. Moalajat (04 seats) 2. Amraze Qaabalat wa Niswan (03 seat) for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) vide Letter No. R.17012/13/2016-EP (IM-1) dated 23.09.2016.

S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
13.	Tipu Sultan Unani Medical College, Gulbarga, Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 60 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 60 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.17012/14/2016-EP (IM-1) dated 22.10.2016
14.	HMS Unani Medical College & Hospital, Tumkur, Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 40 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 40 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.17012/15/2016-EP (IM-1) dated 16.09.16
15.	National Institute of Unani Medicine, Bangalore	Recommend to Government of India for granting permission to (i) Moalijat- 08 seats, (ii) Ilmul Qabalat-o-Amraz-e-Niswan-07 Seats (iii) Tahaffuzi-wa-Samaji-Tib-06 Seats (iv) Ilmul-Advia-08 Seats, (v) Ilmus-Saidla -04 Seats, (vi) Illaj Bit Tadbeer 05 Seats & (vii) Ilmul Jarahat 04 Seats but not recommended for PG in Kulliyat	Granted permission for 47 seats in 08 PG Courses viz. (i) Moalajat – 08 Seats (ii) Ilmul Qabalat o Amraze Niswan – 07 Seats (iii) Tahafuzi wa Samaji Tib – 07 Seats (iv) Ilmul Advia – 08 Seats (v) Kulliyat Umoore Tabia – 04 Seats and (vi) Ilmus Saidla (vii) Jarahat – 04 Seats and (viii) Ilaj Bit Tadbeer- 05 Seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) vide Letter No. R.14012/05/2004-EP (IM-1) for 2016-17 dated 16.09.2016.
16.	Saifia Hamidia Unani Tibbia College & Hospital, Burhanpur	Recommended to Govt. of India for not granting permission for UG (BUMS) course for the session 2016-17.	Granted conditional permission for BUMS course with 50 seats for the session 2015-16. Letter no. R.17012/16/2016-EP (IM-1) for 2016-17 dated 02.12.2016
17.	Al-Farooque Unani Tibbia College, Indore	Not granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2016-17.	Granted Conditional permission with 50 Seats in UG (BUMS) for the academic session 2016-17.F. No. R.17012/17/2016-EP (IM-1) dated 13.10.2016
18.	Hakim Syed Ziaul Hassan Govt. Unani Medical, Bhopal- (M.P.)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2016-17.	Granted conditional permission for BUMS course with 60 seats for the session 2016-17. Letter no. R.17012/18/2016-EP (IM-1) dated 31.10.2016
19.	Hakim Abdul Hamid Unani Medical College, DEWAS (MP)	Recommended to Govt. of India for not granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 40 seats for the session 2016-17.	Granted conditional permission with 40 seats in UG (BUMS) Course for the academic session 2016-17 Letter no. R.17012/19/2016-EP (IM-1) for 2016-17 dated 13.10.2016



S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
20.	Anjuman-I-Islam's Dr. Ishaq Jam Khanawala Tibbia Unani Medical College & Haji Abdul Razak Kalsekar Tibbia Hospital, (MS)	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 60 seats for the session 2016-17.	Granted conditional permission for BUMS course with 60 seats for the session 2016-17. Letter no. R.17012/20/2016-EP (IM-1) dated 20.09.2016
21.	Mohammadia Tibbia College & Assayer Hospital, Malegaon Distt. Nasik	Recommended to Govt. of India for granting permission with UG 60 seats and PG in Dept. of Ilmul Qabalat was Amraze Niswan with 02 seats for the session 2016-17 but not recommended for PG in Ilmul Advia	Granted conditional permission for BUMS course with 60 Seats and 02 PG Courses in (i) Ilmul Advia – 02 Seats (ii) Qabalat wa Amraze Niswan -02 Seats for the session 2016-17. Letter no. R.17012/21/2016-EP (IM-1) dated 22.10.2016
22.	Zuleikhabai Valy Md. Unani Medical College & Hospital, Pune- (MS)	Recommended to Govt. of India for granting permission for UG 60 seats and PG in Tahafuzi wa Samaji Tib – 06 Seats, Moalajat – 06 Seats, Jarahat – 03 Seats for the session 2016-17 but not recommended for PG in Dept. of Ilmul Qabalat wa Amraze Niswan	Granted conditional permission for existing 60 seats in UG course and 04 PG Courses namely Tahaffuzi wa Samaji Tib-06 seats, Moalijat-06 seats, iimul Qabalat-wa-Amraz-E-Niswan-02 seats and Jarahat-03 Seats for the session 2016-17. Letter no. R.17012/24/2016-EP (IM-1) dated 20.09.2016
23.	Iqra Unani Medical College, Hospital & Research Centre, Jalgaon	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 50 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.17012/23/2016-EP (IM-1) dated 20.09.2016
24.	Rajputana Unani Tibbia College, Jaipur-(Rajasthan)	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 50 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.17012/25/2016-EP (IM-1) dated 02.09.2016
25.	Rajasthan Unani Medical College & Hospital, Jaipur- (Rajasthan)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2016-17.	Not Permitted for BUMS course for the session 2016-17. Letter no. R.17012/26/2016-EP (IM-1) for 2016-17 dated 03.11.2016
26.	Govt. Unani Medical College, Chennai	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2016-17	Granted conditional permission for BUMS course with 26 seats for the session 2016-17. Letter no. R.17012/27/2016-EP (IM-1) dated 29.09.2016

S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
27.	State Takmil-ut-Tib College & Hospital, Lucknow- (UP)	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 40 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.17012/28/2016-EP (IM-1) dated 05.10.2016
28.	State Unani Medical College, ,Allahabad (U.P.)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 40 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.17012/29/2016-EP (IM-1) for 2016-17 dated 05.10.2016
29.	Ibne-Sina Tibbia College & Hospital, Azamgarh	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2016-17	Not Granted permission for BUMS course for the session 2015-16. Letter no. R.17012/31/2016-EP (IM-1) dated 05.12.2016
30.	Allama Iqbal Unani Medical, College, Muzaffarnagar (U.P.)	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 60 seats and 10 Seats in 02 PG Courses Namely (i) Thafuzi wa Samaji Tib-05 seats and (ii) Kulliyat-05 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 60 seats and 10 Seats in 02 PG Courses Namely (i) Hifzane Sehat wa Thafuzi wa Samaji Tib-05 seats and (ii) Kulliyat-05 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.17012/33/2016-EP (IM-1) dated 13.10.2016
31.	Aligarh Unani Medical College & Hospital, Aligarh - (U.P.)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG and PG courses for the session 2016-17.	Granted permission for BUMS course with 60 seats in UG and 08 Seats in 02 PG Courses Namely (i) Kulliyat-04 seats and (ii) Molajat – 04 Seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.17012/34/2016-EP (IM-1) dated 27.10.2016.
32.	Sham-e-Ghausia Minority Unani Medical College & Hospital, Ghazipur (UP)	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 40 seats for the session 2016-17	Not Permitted for BUMS course for the session 2016-17. R.17012/35/2016-EP (IM-1) for 2016-17 dated 30 11.2016
33.	Eram Unani Medical College & Hospital, Lucknow (UP)	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 60 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 60 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) vide Letter no.R.12012/01/2005-EP (IM-1) for 2016-17 dated 06.09.2016



S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
34.	Dr. Abdul Ali Tibbia College & Hospital, Maliahabad, Lucknow (U.P.)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2016-17.	Granted permission for BUMS course with 50 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) Letter no. R.12012/02/2006-EP (IM-1) for 2016-17 dated 25.10.2016
35.	Ajmal Khan Tibbia College, Aligarh Muslim University, Aligarh (UP)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) and MD courses for the session 2016-17.	Granted permission for 60 seats in UG (BUMS) and 16 seats in 06 PG courses viz 1. Moalajat (04 seats) 2. Ilmul Advia (04 Seats) 3. Qaabalat wa Niswan (01 seat) 4. Tahafuzi wa Samaji Tib (01 seat) 5. Kulliyat (04 seats) 6. Ilmul Jarahat 02 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2016-17 to 2020-21) vide Letter No. R.17012/36/2016-EP (IM-1) dated 09.09.2016.
36.	Calcutta Unani Medical College & Hospital, (W.B.)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2016-17.	Granted conditional permission for BUMS course with 40 seats for the session 2016-17. Letter no. R.17012/37/2016-EP (IM-1) dated 16.09.2016
37.	Yunus Fazlani Unani Medical College, Kunjekheda (MS)	College was Granted permission for BUMS course with 50 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2015-16 to 2019-20).	Withdrawal of five years permission and granted conditional permission to take admission in BUMS course with 50 UG seats for the session 2016-17 Letter no. C-13015/15/2015-Vig (AYUSH) Pt. VI dated 11.01.2017.
38.	Hakim Rais Unani Medical College, Sambhal, Moradabad (UP)	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2016-17	Granted conditional permission for BUMS course with 50 seats for the session 2016-17 Letter no. R.12012/02/2012-EP (IM-1) for 2016-17 dated 25.10.2016
39.	Ghausia Unani Medical College & Hospital, Fatehpur, U.P	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 60 for the session 2016-17	Granted conditional permission for BUMS course with 60 seats for the session 2016-17. Letter no. R.12012/05/2013-EP (IM-1) for 2016-17 dated 23.09.2016
40.	Al-Arif Unani Medical College, Hyderabad, Telangana	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2016-17.	Granted conditional permission for BUMS course with 100 seats for the session 2016-17. Letter no. R.12012/02/2013-EP (IM-1) for 2016-17 dated 03.11.2016

S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
41.	Markaz Unani Medical College, Kerala	Recommended to Govt. of India for granting permission with intake of 60 seats in UG course (BUMS) for the session 2016-17	Granted conditional permission for BUMS course with 60 seats for the session 2016-17 Letter no. R.12012/04/2014-EP (IM-1) for 2016-17 dated 16.09.2016
42.	Uttranchal Unani Medical College Haridwar, Uttarakhand	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 60 seats for the session 2016-17	Not Permitted for BUMS course for the session 2016-17. R.12012/05/2014-EP (IM-1) for 2016-17 dated 30 11.2016
43.	University College of Unani Baghikhana Tonk, Rajasthan	Not Recommended to Govt. of India for granting permission with for existing UG (BUMS) course with 60 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 50 seats (instead of 60 seats) for the session 2016-17. Vide Letter no.R.12012/01/2015-EP (IM-1) dated 17.10.2016
44.	Glocal Unani Medical College, Saharanpur (UP)	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 100 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 100 seats for the session 2016-17. Vide Letter No.R.12012/03/2015-EP (IM-1) dated 21.11.2016
45.	Sufia Unani Medical College, Barah Chakiya, East Champaran Bihar	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 100 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 60 seats (instead of 100 seats) for the session 2016-17. Vide Letter no.R.12012/01/2011-EP (IM-1) dated 02.12.2016
46.	Rehbar Ayurvedic and Unani Tibbi College Sangrur, Punjab	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2016-17	Granted permission for BUMS course with 50 seats for the session 2016-17. Vide Letter no.R.12012/04/2015-EP (IM-1) dated 01.12.2016



SIDDHA VISITATION OF COLLEGES

Central Council of Indian Medicine conducted the visitation of following Siddha colleges to furnish the recommendations to Govt. of India for the year 2016-17 under section 13C of IMCC Act, 1970.

S.No.	Name of the college	Recommendation of CCIM to Govt. of India	Decision of Govt. of India
1.	Santhigiri Siddha Medical College, PO Koliyacode, Thiruvananthapuram, Kerala.	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission in UG BSMS course for 50 Seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BSMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. F.No R-17013/01/2016-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 17.10.2016.
2.	ATSVS Siddha Medical College and Hospital, Pudukkadai, Kanyakumari, Tamil Nadu.	Not Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission in UG BSMS course 40 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Not Recommended to permission with 40 seats in UG (BSMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. F.No.R-17013/04/2016-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 18.11.2016.
3.	Govt. Siddha Medical College, Aringnar Anna Hospital campus, Arumbakkam, Chennai-106, (TN)	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission in UG i.e. BSMS -60 Seats & PG i.e. MD (Siddha)- 34 Seats (5 Specialities) viz. 1.Maruthuvam-10 seats, 2.Gunapadam-10 seats, 3.Sirappu Maruthuvam- 5 seats, 4.Kuzhanthai Maruthuvam -5 Seats, 5.NoI Nadal - 4 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of 5 years permission with 60 seats in UG (BSMS) course for the session 2016-17 & PG MD (Siddha)- 34 Seats (5 Specialities) viz. 1.Maruthuvam-10 seats, 2.Gunapadam-10 seats, 3.Sirappu Maruthuvam- 5 seats, 4.Kuzhanthai Maruthuvam -5 Seats, 5.NoI Nadal -4 seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17013/02/2016-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 24.10.2016.
4.	Govt. Siddha Medical College, Palayamkottai, Tirunelveli, Tamil Nadu.	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission in UG i.e. BSMS -100 Seats & PG i.e. MD (Siddha)-60 Seats (6 Specialities) viz. 1.Maruthuvam-10 seats, 2.Gunapadam-10 seats, 3.Sirappu Maruthuvam- 10 seats. 4. Kuzhanthai Maruthuvam -10 Seats, 5.NoI Nadal -10 seats, 6.Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum -10 Seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with UG i.e. BSMS -100 Seats & PG MD (Siddha)-60 Seats (6 Specialities) viz. 1.Maruthuvam-10 seats, 2.Gunapadam-10 seats, 3.Sirappu Maruthuvam- 10 seats. 4. Kuzhanthai Maruthuvam -10 Seats, 5.NoI Nadal - 10 seats, 6.Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum -10 Seats for the academic session 2016-2017 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17013/03/2016-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 14.10.2016.

S.No.	Name of the college	Recommendation of CCIM to Govt. of India	Decision of Govt. of India
5.	R.V.S. Siddha Medical College, Coimbatore, Tamil Nadu.	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission in UG i.e. BSMS course for 30 Seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granting 5 years permission with 30 seats in UG (BSMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12013/01/2006-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 26.10.2016.
6.	Sivaraj Siddha Medical College, Salem, Tamil Nadu.	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission in UG i.e. BSMS course for 50 Seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BSMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12013/01/2016-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 08.11.2016.
7.	Sri Sai Ram Siddha Medical College and Research Centre, Chennai, Tamil	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission in UG i.e. BSMS course for 50 Seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Granting 5 years permission with 50 seats in UG (BSMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17013/05/2016-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 13.10.2016.
8.	Velumailu Siddha MC, Sriperambudur, Tamil Nadu.	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission in UG i.e. BSMS course for 40 Seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of 5 years permission with 40 seats in UG (BSMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17013/07/2016-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 25.10.2016.
9.	National Institute of Siddha, Chennai, Tamil Nadu.	Recommend to Government of India for granting conditional permission for admission in PG i.e. MD(Siddha) course for 46 Seats (6 Specialities) viz. 1.Maruthuvam-8 seats, 2.Gunapadam-8 seats, 3.Sirappu Maruthuvam- 8 seats, 4.Kuzhanthai Maruthuvam -8 Seats, 5.NoI Nadal - 7 seats, 6.Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum -7 Seats for the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of 5 years permission with 46 seats 6 Specialities) viz. 1.Maruthuvam-8 seats, 2.Gunapadam-8 seats, 3.Sirappu Maruthuvam- 8 seats, 4.Kuzhanthai Maruthuvam -8 Seats, 5.NoI Nadal -7 seats, 6.Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum -7 Seats for the academic session 2016-17. R-14013/01/2004-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 05.10.2016.
10.	Maira Educational and charitable Kanyakumari Tamil Nadu	Recommend to Government of India for issuing Letter of Permission to start a Siddha Medical College with UG BSMS course with 100 Seats from the academic session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BSMS) course for the session 2016-17 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17013/02/2016-EP(IM-1) for 2016-17 Dated: 17.10.2016.



ADMINISTRATION

The total numbers of posts for the office of the Council are as under:-

S.No.	Name of Post	Number of Sanctioned post	Group	Filled post	Vacant post
1.	Registrar-cum-Secretary	1	A	-	1
2.	Asstt. Registrar (Ayurved)	1	A	1	-
3.	Asstt. Registrar (Unani)	1	A	1	-
4.	Asstt. Registrar (Siddha)	1	A	1	-
5.	Asstt. Secretary (Admn)	1	A	1	-
6.	Registration Officer	1	B	-	1
7.	Office Superintendent	1	B	1	-
8.	Accountant	1	B	-	1
9.	Jr. Hindi Translator	1	B	1	-
10.	U.D.C	4	C	4	-
11.	Jr. Stenographer	3	C	2	1
12.	L.D.C.	11	C	8	3
13.	Duplicating Operator	1	C	1	-
14.	Daftary	2	C	2	-
15.	Multi Task Staff (Peon)	1	C	1	-
	Total	31		24	7

The Central Council of Indian Medicine is a Statutory Body having 31 posts. However, every care is being taken to ensure the reservation as per order of Government of India issued from time to time. The position of reservation for different categories is as under:-

1. Scheduled Caste 02
2. Schedule Tribe 03
3. Other Backward class 02
4. Physically Handicapped 02

Besides the above Central Council decided to engage of Senior Technical Assistant/Junior Technical Assistant (Ayurved, Unani and Siddha), Legal Consultant, RTI Consultant, Quality Systems Manager, Coordinator E-learning, Coordinator TTT Cell, Networking Administrator and PA to President etc. on contract basis on consolidated salary for smooth functioning of Central Council.

FINANCE

BUDGETARY RESOURCES

The Council approved the Budget Estimate and Revised Estimate for the year 2016-17 and sanctioned/released by the Government are as under:-

S.No.	Name of Post	Non Plan(Rs. in lakh)	Plan(Rs. in lakh)
1.	Budget Estimate 2016-17 (Approved by the Council)	1130.00	125.00
2.	Budget Estimate 2016-17 (Sanctioned by the Ministry)	245.00	125.00
3.	Revised Estimate 2016-17 (Approved by the Council)	1080.00	125.00
4.	Revised Estimates 2016-17 (Sanctioned by the Ministry)	245.00	125.00
5..	Grant-in-aid (Released by Ministry)	236.50	88.50



FUTURE PROGRAMME

1. Making office of Central Council of Indian Medicine as e-office.
2. All meeting of Central Council of Indian Medicine and its various committees should paper less.
3. Started the visitation report as e-visitation report.

NOTE:- If there is any discrepancy between English and Hindi version, the English version is treated as final

**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
CENTRAL EXPENDITURE
NEW DELHI**

No. AMG-II/SAR/7-12/C.C.I.M./2017-18/599

Dated :27.10.2017

Separate Annual Account of the Audit Report thereon and the Audit Certificate forwarded to Dr. K. Natarajan, Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61- 65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for necessary action.

Two copies of documents submitted to Parliament, showing the dates when they were submitted to Parliament may be furnished to this office and the Comptroller General of Audit, New Delhi-110024.

**Sd/-
Deputy Director (AMG-II)**

No. AMG-II/SAR/7-12/C.C.I.M./2017-18/

Dated :

Separate Audit Report of **Central Council of Indian Medicine** alongwith Audit Certificate forwarded to **Principal Director (Autonomous Body of Report), Office of Comptroller & Auditor General of India, 9 Deen Dayal Upadhayay Marg, New Delhi-110124.**

**Sd/-
Deputy Director (AMG-II)**



Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year ended 31 March 2017.

1. We have audited the attached Balance Sheet of Central Council of Indian Medicine Council as at 31 March 2017, the Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with clause 86(1) of the Central Council of Indian Medicine Council Regulations 1976. These financial statements are the responsibility of the Council's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observation on financial transactions with regards to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that:
 - i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Government of India, Ministry of Finance.
 - iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Council, in so far as it appears from our examination of such books.
 - iv. We further report that:

A Balance Sheet

A.1 Liabilities

A.1.1 Current Liabilities and Provisions (Schedule-3) ₹ 0.18 Lakh

Provision for audit fee for the year 2016-17 was not provided in the accounts.

B Income and Expenditure Account

B.1 Overstatement of income - ₹ 1923.65 lakh (Schedule-11)

The Council received fees of ₹ 1923.65 lakh during the year 2016-17, which included advance fee of ₹ 484.29 lakh for the year 2017-18. However, total fee amounting to ₹ 1923.65 lakh was depicted as income in Income & Expenditure Account (Schedule 11). This led to overstatement of income and understatement of liability by ₹ 484.29 lakh.

C General

- C.1 The Council is accounting for retirement benefits viz. gratuity, leave encashment etc. on cash basis and not on actuarial basis which is in contravention of AS-15.
- C.2 The provisions for salary and allowances for the month of March was not made by the Council.
- C.3 Audition of fixed assets during the year was not depicted in two half yearly blocks as required as per the uniform format of accounts.
- C.4 Investments of GPF of ₹ 152.44 lakh was not made as per the pattern prescribed by Ministry of Finance vide notification no. F.No. 11/14/2013-PR dated 02.03.2015.
- C.5 Under Schedule 6 of Balance Sheet, there was an outstanding fee of ₹212.50 lakh, the age wise break up of which has not been provided to audit.
- C.6 There was un-reconciled balance of ₹ 2500/- (cheques of amount ₹ 2000/- & ₹ 500/-) shown in the bank reconciliation statement as cheques deposited, but not credited by the bank.

D Grants-in-aid

The Council received grants-in-aid of ₹ 325.00 lakh (Plan: ₹ 88.50 lakh and Non-Plan: ₹ 236.50 lakh) from Ministry of AYUSH during 2016-17. It has unspent balance of ₹ 1057.78 lakh (Non Plan: ₹ 1057.78 lakh) and had its own receipt of ₹ 1872.34 lakh (Non Plan) during the year. The Council utilized ₹ 1187.65 (Plan: ₹ 88.50 lakh and Non-Plan: ₹ 1099.15 lakh) leaving unutilized balance ₹ 2067.47 lakh (Non Plan) during 2016-17.

E. Lack of Response:

The Management of the Council had failed to give reply to the draft SAR within the prescribed period.

- V. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts;
- Vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Central Council of India Medicine as at 31 March 2017; and
- b. In so far as it relates to income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

Place : New Delhi
Date : 27.10.2017

For and on behalf of the CKAG of India
Director General of Audit
(Central Expenditure)



Annexure I

- 1. Adequacy of internal audit system**
The internal audit of the Council was conducted upto 2014-15 by the Pr. Pay and Accounts Office, Ministry of AYUSH.
- 2. Adequacy of internal control system**
The internal control system was inadequate due to the following:
 - a. The cheque deposited and not credited by the bank remained unreconciled since 2012.
 - b. 16 paras were outstanding as on 31 March 2016 (12 paras pertaining to the period 2013-14 to 2014-15 and 4 paras pertaining to prior period).
- 3. System of physical verification of fixed assets**
The physical verification of fixed assets was conducted up to 2016-17.
- 4. System of physical verification of inventory**
 - a. The physical verification of Books and Publications was conducted up to 2016-17.
 - b. The physical verification of stationery and consumables etc. was conducted upto 2016-17.
- 5. Regularity in payment of statutory dues**
No payment over six months in respect of statutory dues were outstanding as on 31.3.2017.

**FINANCIAL STATEMENTS OF CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE, NEW DELHI
(NON-PROFIT ORGANIZATION FOR THE YEAR 2016-17)
CONTENTS**

HEAD	PAGE NO.
BALANCE SHEET	1
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	2
SCHEDULES TO FINANCIAL STATEMENTS	3 TO 25
RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT NON-PLAN & PLAN, G.P.F. & P.D.A.	26 TO 28

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
(NON-PROFIT ORGANIZATION)
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2017**

LIABILITIES	SCHEDULE	(Amount Rs.)			
		CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
		NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN	PLAN
CORPUS FUND	1(NP) & 9 (P.)	49527336	25686	42459324	26322
PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT	2	216954389		104689260	
CURRENT LIABILITIES	3	17500		67500	
G.P.F. & N.P.S TIER-I	4	17229943		16002925	
TOTAL		283729168	25686	163219009	26322
ASSETS					
FIXED ASSETS (SCHEDULE -8)		3388652	5726	4455525	6362
CURRENT ASSETS	5 (NP)	25200	19960	29700	19960
OUTSTANDING FEES	6 (NP)	21249937		12245687	
G.P.F. & N.P.S TIER-I		17229943		16002925	
POSTAGE STAMPS	7 (NP)	9719		10069	
CLOSING BALANCE :-					
CASH AT BANK (INTERNAL FUND)		17867708		21643001	
CASH AT BANK (PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT)	10 (NP)	216954389		104689260	
ACCRUED INTEREST PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT		7003620		4142842	
TOTAL	20	283729168	25686	163219009	26322
NOTES ON ACCOUNTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES					

**(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR**



**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
(NON-PROFIT ORGANIZATION)
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017**

	SCHEDULE	(Amount Rs.)			
		CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
		NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN	PLAN
INCOME					
Grant-in-aid		23650000	88500000	15000000	10000000
Fee	11 (NP)	19236521	0	167410951	
Other Receipts	13 (NP)	13873591	0	2947137	
Accrued/Paid interest Public Deposit Account		7003620		4142842	
Transfer from Public Deposit Account/N.P.S.		0	0	1990707	
TOTAL A		226892422	8850000	191491637	10000000
EXPENDITURE					
Establishment Expenses	14 (NP)	39396500	0	32545623	
Administrative Expenses	15 (NP)	32166726	0	26205073	
Retirement Benefits	16 (NP)	6819694	0	3283018	
Traveling Expenses	18 (NP) & 19 (P)	31333972	8850000	31593380	11659804
Depreciation (Schedule-8)		1264676	636	1202953	15126
TOTAL B		110981568	8850636	94830047	11674930
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		115910854	-636	96661590	-1674930
Transfer to Public Deposit Account		104700000	0	77500000	
Transfer to Corpus Fund	17 (NP)	197803	0	2840172	
Transfer to President Relief Fund		0	0	616750	
BALANCE BEING SURPLUS/DEFICIT					
CARRIED TO CORPUS FUND		11210854	-636	18544840	(-)1674930

NOTES ON ACCOUNTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

20

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

SCHEDULE-1

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
CORPUS FUND NON-PLAN**
Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2017

CORPUS FUND	(Amount Rs.)			
	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
As per last Balance Sheet	42459324		26894550	
Add:- Excess of Income over Expenditure	11210854		18544840	
	53670178		45439390	
Deduction:- Adjusted Accrued interest	4142842		2980066	
Deduction:- Assets de-capitalized/Redemption	0	49527336	0	42459324
TOTAL		49527336		42459324

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

SCHEDULE-2

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT**
Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2017

HEAD	(Amount Rs.)			
	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT				
As per last Account	104689260		37252951	
Addition : during the year	104700000		65000000	
	209389260		102252951	
Less : Adjusted during year	0		0	
	209389260		10225295	
Add. :- Interest earned	7565129	216954389	12436309	104689260
TOTAL		216954389		104689260

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

**SCHEDULE-3**

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
DETAILS OF CURRENT LIABILITIES NON-PLAN
Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2017**

HEAD	(Amount Rs.)			
	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
Current Liabilities				
Security				
As per last Account	67500		17500	
Addition : during the year	0		50000	
	67500		67500	
Less : Adjusted during the year (Security Refund)	50000	17500	0	67500
TOTAL		17500		67500

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

SCHEDULE-4

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
G.P.F.
Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2017**

HEAD	(Amount Rs.)			
	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
G.P.F.				
Investments as F.D.	15244034		13244034	
Cash at Bank	1985909	17229943	768184	14012218
N.P.S. TIER-1				
Cash at Bank	0	0		1990707
TOTAL		17229943		16002925

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
CURRENT ASSETS UNDER NON-PLAN
 Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2017

SCHEDULE-5

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
			(Amount Rs.)	
Festival Advance				
As per last Account	29700		29700	
Addition : during the year	40500		49500	
	70200		79200	
Less : Deduction during the year	45000	25200	49500	
				29700
TOTAL		25200		29700

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

SCHEDULE-6

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
DETAILS OF OUTSTANDING FEES UNDER NON-PLAN
 Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2017

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
			(Amount Rs.)	
OUTSTANDING FEES				
As per last Account	12245687		9570762	
Addition : during the year	9390000		3838925	
	21635687		13409687	
Less : Recovery against outstanding	385750	21249937	1164000	12245687
TOTAL		21249937		12245687



SCHEDULE-7

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
DETAILS OF POSTAGE STAMPS NON-PLAN
Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2017**

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
POSTAGE STAMPS				
As per last Account	10069		9114	
Addition : during the year	0		10000	
	10069		19114	
Less : Adjustment during the year	350	9719	9045	10069
TOTAL		9719		10069

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

SCHEDULE-8

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NON-RECURRING NATURE ASSETS (2016-17) UNDER NON-PLAN**

(Amount Rs.)

S.NO.	NAME OF ARTICLE	@ OF DEPRECIATIONS	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2016	ADDITION	REDEMP-TION	CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2017	DEPRECI-ATIONS	WRITTEN DOWN VALUE
1	Furniture & Fixtures	10% & 5%	1544797	14954	-	1559751	155228	1404523
2	Office Equipments	15%, 25%, 60%	2542467	0	-		1040496	1501971
3	Air Cooling	15% & 7.5%	368261	182849	-		68,952	482158
	TOTAL		4455525	197803	-	4653328	1264676	3388652

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

SCHEDULE-9

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NON-RECURRING NATURE ASSETS (2016-17) UNDER PLAN**

(Amount Rs.)								
S.NO.	NAME OF ARTICLE	@ OF DEPRECIATIONS	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2016	ADDITION	REDEMP-TION	CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2017	DEPRECI-ATIONS	WRITTEN DOWN VALUE
1	Furniture & Fixtures	10%	6362	-	-	6362	636	5726
	TOTAL		6362	-	0	6362	636	5726

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

SCHEDULE-10

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
CORPUS FUND PLAN**
Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2017

(Amount Rs.)				
HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
CORPUS FUND				
As per last Balance Sheet with unspent Grant		26322		41448
Less : Excess of Expenditure over Income		-636		1674930
		25686		(-)-1633482
Less: Assets de-capitalized		0		-
Unspent Grant 2016-17		0	25686	1659804
TOTAL		25686		26322

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR



**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT
Details of Investment as on 31..03.2017**

SL.NO.	ACCOUNT NO.	DATE OF MATURITY	PRINCIPAL AMOUNT
1	34966521615	Matured on 01.06.2017	2,16,48,643
2	34892586459	Matured on 25.04.2017	1,08,45,092
3	35241400969	Matured on 22.09.2017	2,14,37,181
4	35241409430	Matured on 22.09.2017	1,07,18,590
5	35533906746	Matured on 28.01.2018	1,50,00,000
6	35565758086	Matured on 11.11.2017	1,57,04,956
7	35565753962	Matured on 22.06.2018	1,61,28,901
8	35796147040	Matured on 27.04.2019	99,00,000
9	35796147641	Matured on 27.04.2019	99,00,000
10	35796147528	Matured on 27.04.2019	99,00,000
11	36515375016	Matured on 30.01.2022	90,00,000
12	36515375301	Matured on 30.01.2022	90,00,000
13	36515375695	Matured on 30.01.2022	30,00,000
14	36515358364	Matured on 30.01.2022	90,00,000
		TOTAL	17,11,83,363

TOTAL 17.11.83.363.00

BANK BALANCE 4.57.71.026.00

GRAND TOTAL 21.69.54.389.00

**(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR**

SCHEDULE-12

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Recoverable Fee during the year NON-PLAN
Schedule forming part of Income and Expenditure Account as at 31.03.2017

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Fees recoverable during the year	71175000	64355000
Fees received from the New colleges	38150000	28350000
Fees received from intake capacity/Post Graduate Course	24100000	36125000
Fees received from Penalty	0	17200000
LOI/LOP Fee received from colleges	8130000	0
Advance Fee received for the year 2017-18	48429094	0
Fees received Enrolment	2371300	21370715
Fees received from Right to Information	9817	10236
TOTAL	192365211	167410951

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

SCHEDULE-13

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Actual Fee Received NON-PLAN
Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.03.2017

		(Amount Rs.)
Fees received against outstanding	385750	1164000
Fees received during the year	61785000	60516075
Fees received against New Colleges	38150000	28350000
Fees received against Intake capacity/Post Graduate Course	24100000	36125000
Fees received against Penalty	8130000	17200000
LOI/LOP Fee received from colleges		0
Advance Fee for the year 2017-18	48429094	0
Fees received against Enrolment	2371300	21370715
Fees received against Direct Registration	0	0
Fees received against Right to Information	9817	10236
कुल	183360961	164736026

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

**SCHEDULE-14**

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Other Receipts NON-PLAN
Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.03.2017

HEAD	(Amount Rs.)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Interest received against S.B. Account	1716735	1117877
Sales of Radhi	10892	0
C.G.H.S. Contribution from Employees	66052	67175
Rent	36643	0
Application Fee	7000	0
Interest received against FDR	898238	0
Misc. Receipts	1138031	1762085
TOTAL	3873591	2947137

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

SCHEDULE-15

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Establishment Expenses NON-PLAN
Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.03.2017

HEAD	(Amount Rs.)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Pay of Secretary & Staff with N.P.A	5411356	4406766
Dearness Allowance	6226953	5151235
House Rent Allowance	1423102	1309474
Transport Allowance with D.A.	1253492	1066636
Washing Allowance	4320	4320
Bonus	200601	62172
Leave Travel Concession	303411	104834
Overtime Allowance/ Compensation Allowance	19625	20500
Honorarium	216300	7500
Contribution to C.G.H.S.	604475	368832
Tuition Fee	114336	202963
Medical Reimbursement	502918	328979
Interest transferred to GPF	331338	54799

Wages	8310634	6859796
Consolidated Salary	8862501	10431983
Contribution to N.P.S Tier-1	2290087	206423
Subsistence Allowance	367890	1008879
Income Tax	162500	15203
Prizes	11500	0
Leave Encashment	30631	21133
SBI Loan	0	24258
Salary and Allowances	152405	739640
Inquiry Officer Fees	0	101250
Recruitment Fees	0	46048
Training to Staff	0	2000
Examination Fee	2596125	0
TOTAL	39396500	32545623

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

SCHEDULE-16

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Administrative Expenses NON-PLAN
Schedule forming part of Receipt & Payment Account as at 31.03.2017

HEAD	(Amount Rs.)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Stationery	1603690	1257154
Telephone	138752	186434
Mobile	16789	0
Postage & Telegram	565345	690514
Postage Stamps	350	9045
Newspapers & Periodical Books	24083	23912
Liveries	1200	21800
Audit Fee	57775	51475
Printing	123916	1735260
Legal	827324	3943315
Publication	9766000	2901730
Bank Charges	9210	9717
Maintenance	808362	774604
Miscellaneous	2453858	1804656



CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

T.D.S. to SBI other than Salary	1501560	2078011
I.T. Charges	14097797	6055562
Courier	4025	38362
Taxi Hire	159933	13266
Advertisement	6757	264555
Rent for President Residence	0	666467
Renovation	0	3679234
TOTAL	32166726	26205073

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

SCHEDULE-17

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Retirement Benefits
Schedule forming part of Receipt & Payment Account as at 31.03.2017

HEAD	CURRENT YEAR	(Amount Rs.)
		PREVIOUS YEAR
Monthly Pension	3476592	3283018
Gratuity	1000000	0
Commutated Pension	1065168	0
Leave encashment	1218656	0
Leave Salary	34228	0
Pension Contribution	25050	0
TOTAL	6819694	3283018

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

SCHEDULE-18

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Fixed Assets NON-PLAN
Schedule forming part of Receipts & Payment Account as at 31.03.2017

	(Amount Rs.)	
HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Furniture & Fixture	14954	518611
Office Equipment	0	2321561
Air Cooling Appliances	182849	0
TOTAL	197803	2840172

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

SCHEDULE-19

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Travelling Expenses NON-PLAN
Schedule forming part of Receipts & Payment Account as at 31.03.2017

	(Amount Rs.)	
HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
President	1351441	1166411
Vice-President	94139	935641
Secretary/Staff	317034	395645
Executive Committee	3419174	3620451
Sub-Committee	5621765	5372106
Member of Council	3839752	1727004
Visitation of Ayurved	13642182	14765789
Visitation of Unani	2405449	2756610
Visitation of Siddha	250769	391722
DPC/Selection Committee	21581	1500
Conveyance Expenses	18118	15951
Teacher to Training	288743	
President Relief Fund	63825	
Registration Committee	0	444550
TOTAL	31333972	31593380

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR



SCHEDULE-20

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Travelling & Administrative Expenses PLAN
Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.03.2017

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Workshop (Ayurved)	4929844	3519032
Workshop (Unani)	707000	1164407
Workshop (Siddha)	0	1229106
Workshop (Ay./Unani/ Siddha)	0	973329
Hotel Charges	1273878	0
Stationery	0	85500
Miscellaneous Expenditure	640968	827583
I.T.	420285	3860847
Bus/Taxi Hire	288075	0
Air Tickets	589950	0
TOTAL	8850000	11659804

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

SCHEDULE-21

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Notes on Accounts and significant Accounting Policies

- 1 The accounts have been prepared under the historical cost convention and on accrual basis.
- 2 Plan fund received from the Central Government has been shown a separate funds.
- 3 Public Deposit Account has been generated from fees for future expenses.
- 4 Investments had been made in FD in SBI for long terms to avoid the risk factor.
- 5 Accounting of Revenue and capital expenditure are from the Grant under Non-Plan and Plan and fees received.
Corpus funds:-
- 6 This represents the accumulated balance of Excess of Income over Expenditure mainly from fees and Net value of fixed assets.
- 7 Council has no liability for Gratuity and Commutation of Pension etc. on the Balance Sheet as on date.
8. Depreciation on fixed assets has been prepared for the year 2016-17 as per Schedule - 8 Non Plan & Plan is shown in Annual Accounts.
9. Details of fee has been prepared for the year 2016-17 as per schedule 11 & 12 Non-Plan is shown in Annual Accounts.
10. Accounts of GPF and P.D.A. is maintained separately and is shown in Main Balance Sheet under Non-Plan.
11. The Annual Accounts of the CCIM are approved by the Executive Committee.

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

SCHEDULE-22

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Details of General Provident Fund Subscriptions
Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.03.2017

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
As per last Account	14053446	
Addition : Subscription & Recovery of Advances	2819331	
Interest on F.D.	771069	
Interest on S.B. Account	105510	
Interest transferred from N.P.	331338	19423446
Less :		
i) Final Payment & Withdrawal	709523	
ii) Advances to employees	100000	5370000
TOTAL		14053446

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

SCHEDULE-23

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
GENERAL PROVIDENT FUND
Details of Investment as on 31.03.2017

SL.NO.	ACCOUNT NO.	DATE OF MATURITY	PRINCIPAL AMOUNT
1	10502353101	Matured on 19.10.2017	3,00,000
2	10502353112	Matured on 27.10.2017	9,00,000
3	10502353134	Matured on 21.01.2018	3,00,000
4	Bank of India Jhandewalan, New Delhi	Special Deposit scheme account no. 2	2,85,261
5	30024806985	Matured on 2.01.12.2017	9,58,773
6	30727318651	Matured on 30.03.2018	10,00,000
7	31671806380	Matured on 01.06.2019	50,00,000
8	3250402101	Matured on 22.09.2018	15,00,000
9	35640890482	Matured on 17.02.2019	30,00,000
10	36515228889	Matured on 30.01.2022	20,00,000
	TOTAL		1,52,44,034

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2017



RECEIPTS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR		PAYMENTS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN	PLAN		NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN	PLAN
	(Amount Rs.)								
OPENING BALANCE	279321	0	49735		Estt. Expenses Sch. 14 (NP)	39396500	0	32545623	
Cash in Hand	21363680	0	11454367	1659804					
Cash at Bank	10069	0	9114		Admn. Expenses Sch. 15 (NP)	32166726		26205073	
Postage Stamps					Retirement Benefits Sch. (16)	6819694	0	3283018	
					Fixed Assets Sch. 17 (NP)	197803	0	2840172	
Grant Received	23650000	8850000	15000000	10000000	Travelling Exp. Sch. 18 (NP) & 19(P)	31333972		31593380	11659804
Public Deposit Account	0	0			Security Refund	50000			
Fee Received Sch. 12 (NP)	183360961	0	164736026		Festival Advance	40500	0	49500	
Recovery of Festival Adv.	45000	0	49500		Public Deposit Account	104700000	0	65000000	
					Relief Fund			616750	
					Investment F.D.			12500000	
					Closing Balances				
NPS Fund	0	0	1990707		Cash in Hand	22718	0	279321	
Other Receipts Sch.13 (NP)	3873591	0	2947137		Cash at Bank	17844990	0	21363680	
Security Deposit	0	0	50000		Postage Stamps	9719	0	10069	
TOTAL	232582622	8850000	196286586	11659804	TOTAL	232582622	8850000	196286586	11659804

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

SCHEDULE-25

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
GENERAL PROVIDENT FUND
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2017**

RECEIPTS			PAYMENTS	(Amount Rs.)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
OPENING BALANCE					
Cash at Bank	768184	5492228	Advances	100000	350000
Interest Received					
i) Interest earned on F.D	771069	1050783	Withdrawal & Final Payment	709523	5020000
ii) Interest received on S.B. Account	105510	19574			
iii) Interest transferred from N.P	331338	54799	Investment in F.D	2000000	3000000
Other Receipts			Closing Balance		
i) Subscription & Recovery of Advances	2819331	2520800	Cash at Bank	1985909	768184
ii) Matured F.D.R					
	4795432	9138184	TOTAL	4795432	9138184

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR

SCHEDULE-26

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2017**

RECEIPTS			PAYMENTS	(Amount Rs.)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
OPENING BALANCE			Transferred to CCIM	0	0
Cash at Bank	166837	10045541			
FDR Matured	89522423	27207410	Investment on F.D.	156183363	104522423
Transferred from CCIM	104700000	65000000	Bank Charges	0	0
Interest received on Saving Bank A/c	598406	121295	Closing Balance		
Interest received on FDR	6966723	2315014	Cash at Bank	45771026	166837
TOTAL	201954389	104689260	TOTAL	201954389	104689260

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR



ACHIEVEMENTS OF CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE IN 2016-17

1. Regulations framed by CCIM with the previous sanction of Government of India.
 - (i) Indian Medicine Central Council (Minimum Standards Requirements of Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Amendment Regulations 2016.
 - (ii) Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulation, 2016 (Ayurveda UG-Regulations).
 - (iii) Indian Medicine Central Council (Requirement of Minimum Standards for Under-graduate Unani colleges and attached Hospital (Amendment) Regulation, 2016.
 - (iv) Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulation, 2016 for Kamil-e-tib-o-jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery) Course.
 - (v) Indian Medicine Central Council (Requirement of Minimum Standards for Under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Amendment Regulation, 2016.
 - (vi) Indian Medicine Central Council (Minimum Standards for Education in Indian Medicine) Regulations, 2016 (Siddha UG Regulations).
 - (vii) Indian Medicine Central Council (Post Graduate Ayurveda Education) (Amendment) Regulations, 2016.
 - (viii) Indian Medicine Central Council (Post Graduate Unani Medical Education) (Amendment) Regulations, 2016.
 - (ix) Indian Medicine Central Council (Post Graduate Siddha Education) (Amendment) Regulations, 2016.
 - (x) Started the procedure for online registration for the AUS.

www.ccimindia.org



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

Central Council of Indian Medicine
Ministry of AYUSH, Government of India

61-65, इन्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
61-65, Institutional Area, Janakpuri, NewDelhi-110058